सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ✦ COMPTROLLER & AUDITOR GENERAL OF INDIA

सत्यमेव जयते

SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा

Dedicated to Truth in Public Interest

संघ सरकार (वाणिज्यिक)

2022 की प्रतिवेदन संख्या 27

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्‌यमों के सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन

(अनुपालन लेखापरीक्षा)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए

संघ सरकार (वाणिज्यिक)
2022 की प्रतिवेदन संख्या 27
केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के
सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन
(अनुपालन लेखापरीक्षा)

विषय सूची

प्राक्कथन			vii
कार्यकारी सार			ix
अध्याय I	**केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश**		
	1.1	प्रस्तावना	1
	1.2	सरकारी कंपनियों और निगमों में निवेश	5
	1.3	सीपीएसई से प्रतिफल	17
	1.4	सरकारी कम्पनियों और निगमों की प्रचालन दक्षता	26
अध्याय II	**नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका**		
	2.1	सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा	46
	2.2	सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति	46
	2.3	सीपीएसई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण	46
	2.4	सीएजी का निरीक्षण - लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा	49
	2.5	सीएजी की निगरानी भूमिका के परिणाम	51
	2.6	लेखाकरण मानकों/इंड एएस के प्रावधानों का अनुपालन न करना	86
	2.7	प्रबंधन पत्र	90
अध्याय III	**निगमित अभिशासन**		
	3.1	प्रस्तावना	92
	3.2	निदेशक मंडल का गठन	94
	3.3	स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यचालन पद्धति	106

	3.4	लेखापरीक्षा समिति	112
	3.5	विसल ब्लोअर तंत्र	125
	3.6	संबंधित पार्टी लेनदेन	126
	3.7	वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों और प्रवर्तकों सहित कर्मचारियों के संबंध में दायित्व	127
	3.8	नामांकन और पारिश्रमिक समिति	129
	3.9	पणधारक संबंध समिति	132
	3.10	सहायक कंपनियां	134
	3.11	जोखिम प्रबंधन समिति	135
	3.12	अनुपालन रिपोर्ट	136
	3.13	साचिविक लेखापरीक्षा	138
	3.14	लेखापरीक्षकों/कंपनी सचिव द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र	138
	3.15	निष्कर्ष	139
	3.16	अनुशंसा	141
अध्याय IV	**विनिवेश प्रक्रिया**		
	4.1	भारत सरकार की विनिवेश नीति	142
	4.2	विनिवेश के तरीके	143
	4.3	विनिवेश की प्रक्रिया	145
	4.4	पिछले पांच वर्षों के लिए सीपीएसई के विनिवेश का लक्ष्य और प्राप्ति	146
	4.5	पिछले पांच वर्षों के दौरान विनिवेश से विधि-वार वसूली	150
	4.6	आधी से कम हिस्सेदारी की बिक्री - प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और बिक्री के लिए प्रस्ताव	151
	4.7	शेयरों की वापसी खरीद	164

	4.8	नीतिगत विनिवेश (सीपीएसई में भारत सरकार की बहुलांश शेयर की बिक्री)	167
	4.9	शत्रु संपत्ति और परिसंपति मुद्रीकरण	168
	4.10	अन्य मुद्दे: सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की वर्तमान स्थिति जैसी इक्विटी संबधी बचत योजनाएं	171
	4.11	निष्कर्ष	172
अध्याय V	**प्रशासनिक मंत्रालयों और महारत्न/नवरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण**		
	5.1	प्रस्तावना	173
	5.2	समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था	173
	5.3	समझौता ज्ञापन मानदंडों और लक्ष्यों का निर्धारण	175
	5.4	समझौता ज्ञापन स्कोर और रैंकिंग	176
	5.5	विश्लेषण का कवरेज	176
	5.6	विश्लेषण के उद्देश्य	178
	5.7	लेखापरीक्षा निष्कर्ष	179
	5.8	निष्कर्ष	193
अनुलग्नक	I	सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची जो 2020-21 के दौरान सीएजी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में आईं/ से बाहर हुईं	195
	II क	बकाया या परिसमापन के तहत कंपनी के लेखा का विवरण - सरकारी कंपनियां और निगम	197
	II ख	बकाया या परिसमापन के तहत कंपनी के लेखा का विवरण - सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां	201
	III	सरकारी कंपनियों की सूची जहां कुल परिसंपत्तियां 2020-21 के दौरान बकाया दीर्घकालिक ऋणों से कम थीं	203

	IV	2020-21 में लाभ कमाने वाले सीपीएसई में शामिल हुई सरकारी कंपनियों और निगमों की सूची	204
	V	2020-21 में लाभ कमाने वाली कंपनियों की सूची से बाहर हुई सरकारी कंपनियों की सूची	206
	VI	31 मार्च 2021 को शून्य या नकारात्मक निवल संपति वाली सरकारी कंपनियों की सूची	207
	VII	सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी	211
	VII-क	सीपीएसई का विवरण जिन्हे लाभांश घोषित करने की आवश्यकता नहीं	214
	VIII	सरकारी कंपनियों और निगमों के उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियां और नियोजित पूंजी	215
	IX	सरकारी कम्पनियों व निगमों में प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल	236
	X	सरकारी कम्पनियों व निगमों की इक्विटी पर प्रतिफल	274
	XI	2018-19 से 2020-21 के दौरान चयनित सीपीएसई का आरओआरआर	305
	XII	सूचीबद्ध सीपीएसई के आरओआरआर के साथ ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर प्रतिफल की तुलना	312
	XIII	सीपीएसई की सूची जिन्होंने अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया	315
	XIV	उन सीपीएसई की सूची जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन को संशोधित किया	316
	XV	सीपीएसई की सूची जहां सीएजी द्वारा टिप्पणी जारी की गई थी	319
	XVI	उन सीपीएसई का विवरण जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखाकरण मानकों का गैर-अनुपालन सूचित किया गया था	322

	XVII	उन सीपीएसई का विवरण जहां सीएजी द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे	324
	XVIII	सीपीएसई की सूची जहां सीएजी द्वारा प्रबंधन पत्र जारी किया गया	335
	XIX	शामिल किए गए सीपीएसई की सूची	342
	XX	विधि-वार अनुमानित की तुलना में वास्तविक विनिवेश	345
	XXI	शेयरों के वापसी-खरीद हेतु मानदंडों को पूरा करने वाले सीपीएसई की सूची	347
	XXII	रणनीतिक विनिवेश की स्थिति	349

प्राक्कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के तहत सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) के द्वारा की जाती है। सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक (सनदी लेखाकार) ऐसी कंपनियों के लेखाओं को प्रमाणित करते हैं जो सीएजी द्वारा अनुपूरक लेखापरीक्षा के अध्यधीन हैं। सीएजी सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर अपना मत प्रकट करते है या उनकी अनुपूर्ति करते हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 सीएजी को कंपनी के लेखाओं की लेखापरीक्षा करने के तरीकों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

2. सीएजी पांच निगमों अर्थात् भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम तथा दामोदर घाटी निगम के संबंध में एकमेव लेखापरीक्षक हैं। केन्द्रीय भण्डारण निगम के संबंध में संविधियों के अंतर्गत नियुक्त सनदी लेखाकारों द्वारा अपनी लेखापरीक्षा करने के पश्चात सीएजी को पूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है।

3. नियंत्रक और महालेखापरीक्षक (कर्त्तव्य, शक्तियां और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 ए के अंतर्गत, 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए सरकारी कंपनी या निगम के लेखाओं पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत करने के लिए तैयार की गई है।

4. इस प्रतिवेदन में समीक्षा किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लेखाओं में वर्ष 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लेखाओं को सम्मिलित किया गया है (प्राप्त हुए लेखों की सीमा तक)। ऐसे सीपीएसई के संबंध में जहां 30 नवंबर 2021 से पहले किसी विशेष वर्ष के लेखा प्राप्त नहीं हुए थे, पिछले लेखापरीक्षित लेखाओं के आंकड़ों को शामिल किया गया है।

5. हो सकता है कि, कुछ सीपीएसई के संबंध में, पिछले वर्ष के आंकड़े, लेखापरीक्षित/संशोधित आंकड़ों द्वारा अनंतिम आंकड़ों को प्रतिस्थापित करने के कारण 2021 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 12 में दर्शाए गए तदनुरूपी आंकड़ों के अनुकूल न हों।

6. जब तक कि अन्यत्र संदर्भित न हो इस प्रतिवेदन में 'सरकारी कंपनियों/निगमों या सीपीएसई' के सभी संदर्भों का यह अर्थ लगाया जाए कि वे 'केन्द्रीय सरकार की कंपनियों/निगमों' को उद्धृत करते हैं।

कार्यकारी सार

I. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्‌यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

31 मार्च 2021 तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 717 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्‌यम (सीपीएसई) थे। इनमें 508 सरकारी कंपनियां, 203 सरकार द्‌वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां और छः सांविधिक निगम शामिल थे। यह प्रतिवेदन 453 सरकारी कंपनियों और निगमों (छः सांविधिक निगमों सहित) और 180 सरकार द्‌वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों से संबंधित है। 84 सीपीएसई (23 सरकार द्‌वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित), जिनके लेखा तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन के अधीन थे या पहले लेखे देय नहीं थे, इस रिपोर्ट में शामिल नहीं हैं।

(पैरा 1.1.3, पेज 3)

केंद्र सरकार की इक्विटी धारिता

453 सरकारी कंपनियों और निगमों के लेखाओं में दर्शाया गया कि केंद्र सरकार के पास शेयर पूंजी में ₹5,12,547 करोड़ की इक्विटी धारिता थी। 31 मार्च 2021 तक केंद्र सरकार द्‌वारा दिए गए ऋण का बकाया ₹1,83,194 करोड़ था। पिछले वर्ष की तुलना में, सीपीएसई की इक्विटी में केंद्र सरकार की धारिता में ₹57,909 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई और 2020-21 के दौरान बकाया ऋणों में ₹60,686 करोड़ की वृद्धि हुई।

(पैरा 1.2, 1.2.1 और 1.2.2.1, पेज 5, 6 और 7)

बाजार पूंजीकरण

31 मार्च 2021 को उन 60 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (छह सहायक कंपनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹12,43,144 करोड़ था जिनके शेयरों का 2019-20 के दौरान कारोबार किया गया था। 31 मार्च 2021 को 54 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (छह सहायक कंपनियों को छोड़कर) में केंद्र सरकार द्‌वारा धारित शेयरों का बाजार मूल्य ₹11,72,566 करोड़ था।

(पैरा 1.2.4, पेज 13)

सरकारी कंपनियों और निगमों से प्रतिफल

2020-21 के दौरान 251 सरकारी कंपनियों और निगमों ने ₹1,95,677 करोड़ का लाभ अर्जित किया, जिसमें से 72 प्रतिशत (₹1,40,083 करोड़) का योगदान तीन क्षेत्रों अर्थात् बिजली, पेट्रोलियम और वित्तीय सेवाओं की 97 सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा किया गया था। 2019-20 में 224 सीपीएसई में 13.54 प्रतिशत की तुलना में इन 251 सीपीएसई में इक्विटी पर प्रतिफल (आरओई) 2020-21 में 16.34 प्रतिशत था।

(पैरा 1.3.1, पेज 17)

वर्ष 2020-21 के दौरान 112 सरकारी कंपनियों और निगमों ने ₹80,105 करोड़ के लाभांश की घोषणा की। इसमें से, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश ₹36,982 करोड़ था, जो सभी सरकारी कंपनियों और निगमों में केंद्र सरकार द्वारा किए गए कुल निवेश (₹5,12,547 करोड़) पर 7.22 प्रतिशत प्रतिफल को दर्शाता है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अधीन 10 सरकारी कंपनियों ने ₹28,388 करोड़ का योगदान दिया जो सभी सरकारी कंपनियों और निगमों द्वारा घोषित कुल लाभांश का 35.44 प्रतिशत था। 20 सीपीएसई, जिनके पास पर्याप्त निधि (प्रतिधारित आय और सामान्य भंडार) थी, द्वारा लाभांश की घोषणा पर भारत सरकार के निर्देशों का पालन न करने के परिणामस्वरूप वर्ष 2020-21 के लिए लाभांश के भुगतान में ₹9,449 करोड़ की कमी आई।

(पैरा 1.3.4, पेज 23)

वर्ष 2020-21 के दौरान 173 सीपीएसई को हानि हुई। वर्ष 2020-21 के दौरान इन कंपनियों को हुई हानि 2019-20 की तुलना में ₹67,845 करोड़ से घटकर ₹42,876 करोड़ रह गई।

(पैरा 1.3.2, पेज 21)

निवल मूल्य/संचित हानि

31 मार्च 2021 को ₹2,00,419 करोड़ की संचित हानि के साथ 198 सरकारी कंपनियां और निगम थे। इनमें से 88 कंपनियों का निवल मूल्य उनकी संचित हानि से पूर्णतया क्षय हो गया था। परिणामस्वरूप, इन कंपनियों की कुल संपत्ति 31 मार्च 2021 को

₹1,13,894 करोड़ की सीमा तक ऋणात्मक हो गई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान इन 88 कंपनियों में से केवल 20 ने ₹973 करोड़ का लाभ अर्जित किया।

(पैरा 1.3.3, पेज 22)

सरकारी निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

इस रिपोर्ट में शामिल 633 सीपीएसई में से, केंद्र सरकार का 195 सीपीएसई में प्रत्यक्ष निवेश है। 173 सीपीएसई (58 सूचीबद्ध सीपीएसई और 115 असूचीबद्ध सीपीएसई) केसंबंध में आरओआरआर की संगणना 2000-01 से की गई है ताकि ऐतिहासिक लागत पर प्रतिफल की पारंपरिक दर के साथ इसकी तुलना की जा सके। 2019-20 में 46.78 प्रतिशत की ऐतिहासिक लागत पर पारंपरिक प्रतिफल दर की तुलना में आरओआरआर 17.52 प्रतिशत था। आरओआरआर ने 2006-07 तक बढ़ती हुई प्रवृत्ति दिखाई है जिसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो गई और 2016-17 से 2020-21 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान 10 प्रतिशत से 23 प्रतिशत के बीच रही।

पिछले तीन वर्षों के लिए आरओआरआर के कंपनी-वार विश्लेषण से पता चला कि जबकि सूचीबद्ध कंपनियों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान 33 प्रतिशत से 51 प्रतिशत के बीच आरओआरआर दिया है, असूचीबद्ध सीपीएसई ने इसी अवधि के दौरान तीन प्रतिशत से आठ प्रतिशत के बीच ऋणात्मक प्रतिफल दिया है।

(पैरा 1.4.4, पेज 30)

सूचीबद्ध सीपीएसई के निवेश पर प्रतिफल (आरओआई)

केंद्र सरकार द्वारा किए गए निवेश से प्राप्त लाभ का निर्धारण करने के लिए 58 सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में आरओआई (वार्षिक औसत दर) और आरओआई (चक्रवृद्धि वार्षिक विकास दर) की संगणना की 2000-01 से की गई है। इन 58 सीपीएसई की समेकित आरओआई (औसत वार्षिक दर) 2018-19 के दौरान 161.18 प्रतिशत थी, यह 2019-20 में घटकर 129.28 प्रतिशत और 2020-21 में 110.75 प्रतिशत हो गई। इसी तरह, आरओआई (सीएजीआर) 2018-19 में 19.94 प्रतिशत से घटकर 2019-20 में 17.88 प्रतिशत और 2020-21 में 16.40 प्रतिशत रह गयी। समेकित आरओआई (वार्षिक औसत दर) ने 2007-08 में 489 प्रतिशत से 2020-21 में 111 प्रतिशत तक निरन्तर घटती हुई प्रवृत्ति को दर्शाया है।

(पैरा 1.4.5, पेज 35)

II. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के तहत 711 सीपीएसई (छह सांविधिक निगमों को छोड़कर) में से, वर्ष 2020-2021 के लिए वित्तीय विवरण 597 सीपीएसई से 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त हुए थे। जबकि 28 सीपीएसई से वित्तीय विवरण देय नहीं थे, 86 सीपीएसई के वित्तीय विवरण विभिन्न कारणों से लंबित थे।

(पैरा 2.3.2, पेज 48)

597 सीपीएसई में से, जिनसे 30 नवंबर 2021 तक वित्तीय विवरण प्राप्त हुए थे, 338 सीपीएसई में पूरक लेखापरीक्षा की गई थी।

(पैरा 2.5.1, पेज 51)

छह सीपीएसई ने अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया और 67 सीपीएसई के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक सामान्य बैठक में वित्तीय विवरणों को पटल पर रखने से पहले अपने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में संशोधन किया। इसके अलावा, वित्तीय विवरणों में अशुद्धियों को उजागर करने वाली विभिन्न टिप्पणियां भी जारी की गई थीं।

(पैरा 2.5.1.1 और पैरा 2.5.1.2, पेज 51)

चयनित सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का लाभप्रदता और परिसंपत्तियों/देनदारियों पर वित्तीय प्रभाव क्रमशः ₹2,645.06 करोड़ और ₹61,739.01 करोड़ था।

कुछ कंपनियों अर्थात् फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड, आईएफसीआई लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड और उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड ने पूर्व वित्तीय विवरणों पर जारी की गई टिप्पणियों पर सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की थी।

(पैरा 2.5.1.3, पेज 51)

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा 20 सीपीएसई में वित्तीय विवरणों को तैयार करने में लेखाकरण मानकों/इंड एएस के प्रावधानों से विचलन देखा गया था। सीएजी ने भी 12 सीपीएसई में इस तरह के विचलनों को बताया था।

(पैरा 2.6, पेज 86)

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदनों में अथवा प्रतिवेदन प्रक्रिया में अनियमितताओं और त्रुटियों को देखा गया जो कि महत्वपूर्ण नहीं थी, को प्रबंधन पत्र के

माध्यम से सुधारात्मक कार्रवाई के लिए सीपीएसई के प्रबंधन को सूचित 214 किया गया था।

(पैरा 2.7, पेज 90)

III. निगमित अभिशासन

निगमित अभिशासन की समीक्षा में विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन 72 केन्द्रीय सरकारी सूचीबद्ध उद्यमों को शामिल किया गया था। यह पाया गया कि निगमित अभिशासन के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों, डीपीई दिशा-निर्देशों और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के विनियमों का कुछ केन्द्रीय सरकारी उद्यमों द्वारा अनुपालन नहीं किया जा रहा था। गैर-अनुपालन के मामलों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

(i) 32 सीपीएसई (44 प्रतिशत) में गैर-कार्यकारी निदेशक बोर्ड की क्षमता के 50 प्रतिशत से कम थे; 59 सीपीएसई (82 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या की नियुक्ति नहीं की गई थी।

[पैरा 3.2 (क एवं ख), पेज 94 और 96]

(ii) 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से, 37 सीपीएसई (51 प्रतिशत) के पास स्वतंत्र निदेशक हैं लेकिन उनके बोर्ड में महिला निदेशक नहीं हैं।

[पैरा 3.2 (ग), पेज 101]

(iii) न्यूनतम छह निदेशकों का मानदंड 70 में से 15 (21 प्रतिशत) सूचीबद्ध सीपीएसई (शीर्ष 2000 सूचीबद्ध इकाइयों का हिस्सा) में पूरा नहीं किया गया था।

[पैरा 3.2 (घ), पेज 103]

(iv) 70 सीपीएसई (शीर्ष 2000 सूचीबद्ध इकाइयों का हिस्सा) में से, 17 सीपीएसई (24 प्रतिशत) के पास बोर्ड की बैठक में निदेशकों का अपर्याप्त कोरम है, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है।

[पैरा 3.2 (ड़), पेज 104]

(v) 72 सीपीएसई में से, स्वतंत्र निदेशक सात सीपीएसई (10 प्रतिशत) में बोर्ड की बैठकों और बोर्ड समिति की बैठकों में से केवल 80 प्रतिशत में भाग ले सके।

[पैरा 3.3 (ख), पेज 106]

(vi) 72 सीपीएसई में से, तीन सीपीएसई (चार प्रतिशत) में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी।

(पैरा 3.4, पेज 112)

(vii) 72 सीपीएसई में से, 10 सीपीएसई (14 प्रतिशत) वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और निदेशकों सहित कर्मचारियों के संबंध में दायित्वों/आचार संहिता का पालन करने में विफल रहे।

(पैरा 3.7, पेज 127)

निगमित अभिशासन पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि: प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा त्रैमासिक अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना सुनिश्चित कर सकते हैं जैसा कि डीपीई/सेबी दिशानिर्देशों/विनियमों में निर्धारित है। लेखापरीक्षा अनुशंसा करती है कि सूचीबद्ध सीपीएसई के निदेशक मंडल को भी इन दिशानिर्देशों/विनियमों और अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए ताकि सीपीएसई के कार्यचालन में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाई जा सके।

(पैरा 3.16, पेज 141)

IV. विनिवेश प्रक्रिया

निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) ने विनिवेश (प्रारंभिक सार्वजनिक पेशकश, बिक्री की पेशकश, शेयरों की पुनर्खरीद, शत्रु शेयर बिक्री और यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम) के माध्यम से वर्ष 2020-21 के दौरान ₹32,886 करोड़ की राशि प्राप्त की। लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित मुद्दे देखे गए:

(i) विनिवेशों के माध्यम से प्राप्तियों के लिए बजट अनुमानों में प्रतिवर्ष वृद्धि पाई गई है। 2020-21 में, यह 2019-20 के लिए ₹1,05,000 करोड़ के बजट अनुमानों से 100 प्रतिशत बढ़कर ₹2,10,000 करोड़ हो गया। ₹2,10,000 करोड़ के बजट अनुमानों को संशोधित अनुमान चरण में घटाकर ₹32,000 करोड़ कर दिया गया था। 2019-20 में भी, संशोधित अनुमान चरण में विनिवेश से अनुमानित प्राप्तियों में 38 प्रतिशत की कमी की गई थी।

(पैरा 4.4, पेज 146)

(ii) संशोधित अनुमान स्तर पर बिक्री की पेशकश के लिए निर्धारित छह सीपीएसई/कंपनियों अर्थात् मिश्र धातु निगम लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉरपोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और एनएमडीसी लिमिटेड के लिए संव्यवहारों को 2020-21 के दौरान मूर्त रूप नहीं दिया जा सका।

(पैरा 4.6.2.3, पेज 158)

(iii) रेल विकास निगम लिमिटेड के विनिवेश संव्यवहार में, शेयरों को मुख्य रूप से एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाली सरकारी इकाई एलआईसी द्वारा उठाया गया था। इससे भारत सरकार के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा (90.49 प्रतिशत) एक जेब से दूसरे जेब में स्थानांतरित हो गया जो विनिवेश के मूल उद्देश्य को पूरा नहीं करता है।

(पैरा 4.6.2.4, पेज 161)

(iv) दो सीपीएसई (एसजेवीएन लिमिटेड और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड) जिन्हें 2019-20 के संशोधित अनुमान चरण में शेयरों के पुनर्खरीद के लिए योजनाबद्ध किया गया था, ने 2019-20 के दौरान पुनर्खरीद नहीं की। बाद में एसजेवीएन लिमिटेड को 2020-21 के संशोधित अनुमान चरण के दौरान रणनीतिक बिक्री के लिए योजना बनाई गई थी, जो वर्ष 2020-21 के दौरान भी साकार नहीं हुई थी।

(पैरा 4.7, पेज 164)

(v) फरवरी 2019 में, सीसीईए ने सीपीएसई / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू) / अन्य सरकारी संगठनों की अचल शत्रु संपत्तियों और गौण संपत्तियों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए प्रक्रिया और तंत्र को अनुमोदन दिया। फरवरी 2019 में नीति की शुरुआत के बाद से मार्च 2022 में सार्वजनिक उद्यम विभाग को परिसंपत्ति मुद्रीकरण के आवंटन तक दीपम द्वारा कोई बिक्री लेनदेन नहीं किया गया था।

(पैरा 4.9.2, पेज 170)

विनिवेश प्रक्रिया पर लेखापरीक्षा के निष्कर्षों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा की अनुशंसा है कि:

1. आर्थिक मामलों का विभाग वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने वाले लक्ष्यों के संबंध में दीपम से जानकारी लेने के बाद यथार्थवादी से बजट अनुमान निर्धारित करे। यह

वर्ष के दौरान विनिवेश से प्राप्तियों के यथार्थवादी अनुमान और एक कुशल और प्रभावी बजट प्रक्रिया को सक्षम करेगा।

(पैरा 4.4, पेज 150)

2. *दीपम विनिवेश के बाद मर्चेंट बैंकर्स के निष्पादन के मूल्यांकन को मजबूत कर सकता है, जो भविष्य के विनिवेश कार्यक्रमों की अधिक प्रभावी योजना तैयार करने में मदद करेगा। दीपम यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि स्व-मूल्यांकन मर्चेंट बैंकरों से विधिवत प्राप्त किया जाए और उचित रूप से लागू किया जाए।*

(पैरा 4.6.2.2, पेज 158)

3. *इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आधे हिस्से से कम शेयरों की बिक्री (आईपीओ और बिक्री के लिए पेशकश) लेनदेन गतिशील बाजार की स्थितियों से प्रभावित होते हैं और अनुमोदन के बाद बहुत अधिक समय लेते है, दीपम आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से अनुमोदन के बाद विनिवेश को पूरा करने के लिए समयसीमा निर्धारित करने पर विचार कर सकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि बिचौलियों की नियुक्ति आदि में कोई प्रक्रियात्मक देरी नहीं हुई है।*

(पैरा 4.6.2.5, पेज 164)

4. *एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर शत्रु शेयरों की बिक्री के प्रति डुप्लीकेट शेयरों को जारी करने और शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया को तेजी से अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाए जा सकते हैं।*

(पैरा 4.9.1, पेज 170)

V. प्रशासनिक मंत्रालयों और महारत्न/नवरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापनों का विश्लेषण

समीक्षा में 14 सीपीएसई (आठ महारत्न कंपनियाँ और छह नवरत्न कंपनियाँ) द्वारा वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए अपने संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के विश्लेषण को शामिल किया गया था। लेखापरीक्षा के दौरान, निम्नलिखित मुद्दे पाये गए:

(i) समझौता ज्ञापन के दिशा-निर्देशों में यह अधिदेशित किया गया है कि समझौता ज्ञापन लक्ष्य सीपीएसई की नवीनतम वार्षिक योजना, बजट और कॉर्पोरेट योजना के

अनुरूप हों। तथापि, चार सीपीएसई (सीआईएल, सेल, ओएनजीसी और एमटीएनएल) के संबंध में, सीपीएसई के इन अपेक्षित दस्तावेजों की उपलब्धता के बिना समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया था।

(पैरा 5.7.1.1, पेज 179)

(ii) आईओसीएल के लिए समझौता ज्ञापन के लक्ष्य, समझौता ज्ञापन के दिशा-निर्देशों के अनुसार नहीं थे। एनटीपीसी और पीजीसीआईएल के संबंध में, पूंजीगत व्यय के मापदंड के लिए उत्कृष्ट रेटिंग के लिए समझौता ज्ञापनों में निर्धारित लक्ष्य पिछले पांच वर्षों में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि की तुलना में कम थे।

(पैरा 5.7.2.1, पेज 180)

(iii) दो सीपीएसई (एनटीपीसी और पीजीसीआईएल) के संबंध में पूंजीगत व्यय मापदंड के लिए भारित अंकों में वृद्धि पूंजीगत व्यय लक्ष्य में किसी भी वृद्धि के बिना की गई थी और बिना किसी औचित्य के, जैसा कि समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों में अपेक्षित था। इसके अलावा, एमटीएनएल के संबंध में, चालू या पूर्ण पूंजीगत व्यय संविदाओं के कुल मूल्य की तुलना में अधिक समय/लागत के बिना चालू/पूर्ण संविदाओं/परियोजनाओं के पूंजीगत कुल मूल्य से वास्तविक आधार पर प्राप्त नहीं किए गए थे।

(पैरा 5.7.2.2, पेज 182)

(iv) संयुक्त उद्यमों/परिचालित सहायक कंपनियों के लक्ष्य को एनटीपीसी के समझौता ज्ञापनों में शामिल नहीं किया गया था और समझौता ज्ञापनों पर अलग से हस्ताक्षर नहीं किए गए थे। इसके परिणामस्वरूप एमओपी/डीपीई द्वारा ऐसे संयुक्त उद्यमों/ परिचालित सहायक कंपनियों के निष्पादन का मूल्यांकन/निगरानी नहीं की गई और साथ ही समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों की आवश्यकता का अनुपालन नहीं किया गया।

(पैरा 5.7.2.3, पेज 184)

(v) आठ सीपीएसई (बीपीसीएल, सेल, ओएनजीसी, सीआईएल, एससीआई, गेल, आईओसीएल और एनएलसीआईएल) ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) से अपनी वार्षिक अधिप्राप्ति का 20 प्रतिशत अधिप्राप्त करने के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया था, जिसमें एससी -एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से चार प्रतिशत शामिल थे।

(पैरा 5.7.2.4, पेज 185)

(vi) एमटीएनएल के संबंध में, प्रशासनिक मंत्रालय को समझौता ज्ञापन का मसौदा प्रस्तुत करने में 279 दिनों की देरी हुई।

(पैरा 5.7.3, पेज 189)

(vii) तीन सीपीएसई (सीआईएल, एमटीएनएल और नालको) के संबंध में, वर्ष 2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में 27 दिनों से 233 दिनों के बीच विलंब हुआ। दो सीपीएसई (सीआईएल और ओएनजीसी) के संबंध में, वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में 35 दिनों से 88 दिनों के बीच विलंब हुआ।

(पैरा 5.7.4.1, पेज 189)

(viii) उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) द्वारा समझौता ज्ञापन निष्पादन प्रतिवेदन के मूल्यांकन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी। एचपीसी अनुमोदन और प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त निष्पादन प्रतिवेदन के बीच का समय अंतराल 5 महीने 27 दिन से 11 महीने 28 दिनों के बीच था।

(पैरा 5.7.4.2, पेज 192)

प्रशासनिक मंत्रालयों और महारत्न/नवरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापनों के विश्लेषण पर लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संदर्भ में, लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि:

1. समझौता ज्ञापन के लिए निर्धारित लक्ष्य समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों के अनुसार यथार्थवादी, विकासोन्मुखी और आकांक्षात्मक होना चाहिए।

(पैरा 5.7.2.3, पेज 185)

2. लक्ष्य निर्धारित करने के लिए समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों से मापदंडों को विचलित करते समय, विस्तृत औचित्य दर्ज किया जाना चाहिए।

(पैरा 5.7.2.3, पेज 185)

3. बेहतर लक्ष्य के लिए और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति और महिला एमएसएमई से भागीदारी बढ़ाने के लिए, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/ सीपीएसई / डीपीई को ऐसे एमएसएमई के अद्यतित डेटा प्राप्त करने और ऐसे एमएसएमई के बीच अधिप्राप्ति गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रचारित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ समन्वय करना चाहिए।

(पैरा 5.7.2.4, पेज 189)

4. समझौता ज्ञापन के दिशा-निर्देशों में समझौता ज्ञापन के निष्पादन के मूल्यांकन और पीएनसी और आईएमसी की बैठकों के आयोजन के लिए विशिष्ट समय-सीमा का प्रावधान किया जाना चाहिए ताकि समझौता ज्ञापन मापदंड और लक्ष्य निर्धारण और मूल्यांकन समय पर किया जा सके।

(पैरा 5.7.4.2, पेज 192)

अध्याय I

केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश

1.1 प्रस्तावना

यह प्रतिवेदन सरकारी कंपनियों, सांविधिक निगमों और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय निष्पादन के सारांश को प्रस्तुत करता है। इस प्रतिवेदन में शब्द केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) में उन सरकारी कंपनियों को शामिल किया गया है जिनमे केंद्र सरकार की प्रत्यक्ष धारिता 50 प्रतिशत या अधिक है तथा ऐसी सरकारी कंपनियों की सहायक कंपनियां शामिल है। संसद द्वारा अधिनियमित संविधियों के अंतर्गत स्थापित सांविधिक निगमों और केन्द्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व वाली या नियंत्रित अन्य कंपनियों को भी सीपीएसई के रूप में श्रेणीबद्ध किया गया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) में एक सरकारी कंपनी की परिभाषा ऐसी कंपनी के रूप में दी गयी है जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार, अथवा किसी राज्य सरकार या सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा धारित है और इसमें वह कंपनी भी शामिल है जो सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी है।

सरकारी कंपनी

एक कंपनी जिसमें प्रदत्त शेयर पूंजी का कम से कम 51 प्रतिशत केन्द्र सरकार, अथवा किसी एक या अधिक राज्य सरकारों या आंशिक रूप से केन्द्र सरकार द्वारा तथा आंशिक रूप से केन्द्र सरकार और राज्य सरकार (रों) द्वारा धारित है तथा इसमें सरकारी कंपनी की सहायक कंपनी सम्मिलित होती है।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार या सरकारी या केंद्रीय सरकार द्वारा आंशिक रूप से और एक या अधिक राज्य सरकारों द्वारा आंशिक रूप से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से स्वामित्व या नियंत्रण वाली किसी अन्य कंपनी[1] को इस प्रतिवेदन में सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों के रूप में दर्शाया गया है।

[1] *गजट अधिसूचना दिनांक 4 सितम्बर 2014 के माध्यम से कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी किए गए कंपनियों का (कठिनाइयों का निवारण) सातवां आदेश, 2014*

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने अपने सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण 2020-21 में बताया (मार्च 2022) कि सांविधिक निगमों के अलावा सीपीएसई वह सरकारी कंपनियां है; जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक शेयर केन्द्र सरकार द्वारा धारित है। इन कंपनियों की सहायक कंपनियों, यदि भारत में पंजीकृत है, को भी सीपीएसई के तौर पर श्रेणीबद्ध किया जाता है। इसमें विभागीय तौर पर चालित सार्वजनिक उद्यम, बैंकिंग संस्थान एवं बीमा कंपनियां शामिल नहीं है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) एवं डीपीई द्वारा अपनाई गई परिभाषा में अंतर को देखते हुए, सीएजी एवं डीपीई द्वारा सीपीएसई मानी गई कंपनियों की संख्या में अंतर हो सकता है।

1.1.1 अधिदेश

सरकारी कंपनियों और सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों की लेखापरीक्षा सीएजी के (कर्त्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19 तथा उनके अंतर्गत बनाए गए विनियमों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) से 143(7) के प्रावधानों के अन्तर्गत सीएजी द्वारा की जाती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत, सीएजी कंपनियों के लिए सांविधिक लेखापरीक्षकों के रूप में सनदी लेखाकारों की नियुक्ति करता है और उस तरीके पर निर्देश देता है जिससे लेखाओं की लेखापरीक्षा की जानी है। इसके अतिरिक्त, सीएजी को अनुपूरक लेखापरीक्षा करने का अधिकार है। कुछ सांविधिक निगमों को शासित करने वाली संविधियों में उनके लेखाओं की केवल सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा की अपेक्षा की गई है।

भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक तथा राष्ट्रीय आवास बैंक को शासित करने वाले अधिनियमों में वे प्रावधान निहित हैं जिनके द्वारा केन्द्र सरकार इन संस्थानों के लेखाओं की जांच करने और उन पर रिपोर्ट करने के लिए सीएजी को लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त कर सकती है। 2020-21 तक ऐसी कोई नियुक्ति नहीं की गई थी।

1.1.2 इस प्रतिवेदन में क्या है

इस प्रतिवेदन में केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के वित्तीय निष्पादन की समग्र स्थिति को दर्शाया गया है जैसा कि उनके लेखाओं से पता चला है।

वर्ष 2020-21 (और पिछले वर्षों के, जिन्हें चालू वर्ष के दौरान अन्तिम रूप दिया गया है) के लिए सीएजी द्वारा की गई सीपीएसई के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियां एवं लेखाओं के संशोधन पर प्रभाव प्रतिवेदन में दिया गया है। इस प्रतिवेदन में सांविधिक निगमों के वित्तीय विवरणों पर सीएजी द्वारा जारी टिप्पणियों का प्रभाव भी निहित हैं जहां सीएजी ही एकमात्र लेखापरीक्षक है।

यह प्रतिवेदन सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों) द्वारा भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) तथा डीपीई के दिशानिर्देशों का पालन तथा कॉर्पोरेट अभिशासन पर जारी कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधानों का पालन, केन्द्रीय सरकार तथा सीपीएसई (केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों) के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) का विश्लेषण एवं सीपीएसई में विनिवेश प्रक्रिया की समग्र स्थिति को भी दर्शाता है।

1.1.3 सीपीएसई की संख्या

31 मार्च 2021 को सीएजी के लेखापरीक्षा क्षेत्राधिकार के अंतर्गत 717 सीपीएसई थी। इनमें 508 सरकारी कंपनियाँ[2], छः सांविधिक निगम[3] तथा 203 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ शामिल थी। इनमें से 596 सीपीएसई का वित्तीय निष्पादन, इस प्रतिवेदन में शामिल किया गया है और इन सीपीएसई की प्रकृति तालिका 1.1 में दर्शाई गई है:

सरकारी कंपनियाँ	**508**
सांविधिक निगम	**6**
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ	**203**
कुल सीपीएसई	**717**

तालिका 1.1: इस रिपोर्ट में शामिल सीपीएसई की कवरेज और प्रकृति

सीपीएसई की प्रकृति	कुल सीपीएसई की संख्या	प्रतिवेदन में शामिल सीपीएसई की संख्या				इस प्रतिवेदन में शामिल नहीं किए गए सीपीएसई की संख्या
		निम्न तक लेखे			कुल	
		2020-21	2019-20	2018-19		
सरकारी कंपनियां	508	421	19	7	447*	61
सांविधिक निगम	6	5	1	0	6	0
कंपनियों/निगमों की कुल संख्या **(क)**	514	426	20	7	453	61
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां **(ख)**	203	176	3	1	180	23
जोड़ (क+ख)	**717**	**602**	**23**	**8**	**633**	**84**

**447 सरकारी कंपनियों में से, 195 सीपीएसई में केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष धारिता है। शेष 252 सीपीएसई या तो इन 195 सीपीएसई की सहायक या संयुक्त उद्यम (जेवी) हैं।*

---

[2] ***508 सरकारी कंपनियों में 240 स्टेडअलोन/होल्डिंग सरकारी कंपनियाँ तथा 268 सहायक व होल्डिंग कंपनियों के संयुक्त उद्यम (जेवी) शामिल हैं।***

[3] ***भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई), केन्द्रीय भण्डारण निगम (सीडब्ल्यूसी), दामोदर घाटी निगम (डीवीसी), भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई), भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई)।***

2020-21 के दौरान सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के अंतर्गत आने/ से जाने वाली कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के विवरण ***अनुलग्नक-I*** में दिए गए हैं।

इस प्रतिवेदन में 84 सीपीएसई (23 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों सहित) शामिल नहीं है, जिनके लेखे तीन वर्ष या इससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापनाधीन थे या पहले लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, देय नहीं थे। इन सीपीएसई को दो तारा चिन्हों (**) द्वारा ***अनुलग्नक-II क*** **तथा** ***अनुलग्नक-II ख*** में दर्शाया गया है।

इस प्रतिवेदन में शामिल सरकारी कंपनियों और सांविधिक निगमों के वित्तीय निष्पादन का सारांश	
सीपीएसई की संख्या	514
शामिल किये गये सीपीएसई	453
प्रदत पूंजी (453 सीपीएसई)	₹7,16,055 करोड़
दीर्घावधि ऋण (453 सीपीएसई)	₹23,87,579 करोड़
बाज़ार पूंजीकरण (60 सूचीबद्ध ट्रेडेड सरकारी कंपनियाँ)	₹12,43,144 करोड़
निवल लाभ (251 सीपीएसई)	₹1,95,677 करोड़
निवल घाटा (173 सीपीएसई)	₹42,876 करोड़
शून्य लाभ/हानि (29 सीपीएसई)[4]	
घोषित लाभांश (112 सीपीएसई)	₹80,105 करोड़
कुल परिसंपत्ति (453 सीपीएसई)	₹60,81,721 करोड़
उत्पादन का मूल्य (453 सीपीएसई)	₹20,41,302 करोड़
निवल मूल्य (453 सीपीएसई)	₹18,93,714 करोड़

[4] 453 में से, 27 सीपीएसई ऐसे थे जिन्होंने 2020-21 के दौरान कोई लाभ नहीं कमाया या कोई नुकसान नहीं उठाया था क्योंकि या तो ऑपरेशन शुरू नहीं हुए थे या नुकसान/निवल व्यय को परियोजना की लागत में समायोजित किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की हानि को निवल स्थापना व्यय के रूप में उसकी अचल संपत्तियों में स्थानांतरित किया गया था तथा भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की हानि को इसके आईडब्ल्यूएआई निधि के साथ समायोजित किया गया था। इसीलिए इन दो सांविधिक निगमों को भी शून्य लाभ/हानि सीपीएसई के रूप में माना गया है।

1.2 सरकारी कंपनियों और निगमों में निवेश

31 मार्च 2021 के अंत तक 453 सरकारी कंपनियों और निगमों[5] में प्रदत्त पूंजी और ऋणों की राशि का विवरण, तालिका 1.2 में दिया गया है:

तालिका 1.2: सरकारी कंपनियों और निगमों में प्रदत्त पूंजी और ऋण

(₹ करोड़ में)

निवेश के स्रोत	31.03.2021 को			31.03.2020 को		
	प्रदत्त पूंजी	दीर्घ-अवधि के ऋण	जोड़	प्रदत्त पूंजी	लंबी अवधि के ऋण	जोड़[6]
केन्द्र सरकार	5,12,547	1,83,194	6,95,741	4,54,638	3,67,810	8,22,448
केन्द्र सरकारी कंपनियाँ/निगम	99,785	44,203	1,43,988	86,673	44,772	1,31,445
राज्य सरकारें/राज्य सरकार कंपनियाँ/ निगम	36,536	29,062	65,598	32,843	23,073	55,916
वित्तीय संस्थाएं और अन्य	67,187	21,31,120	21,98,307	63,440	18,91,238	19,54,678
कुल[7]	**7,16,055**	**23,87,579**	**31,03,634**	**6,37,594**	**23,26,893**	**29,64,487**
कुल निवेश के प्रति केंद्र सरकार के निवेश का प्रतिशत	71.58	7.67	22.42	71.31	15.81	27.74

स्रोत: वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए सीपीएसई के लेखापरीक्षित लेखे

यह पाया गया था कि सरकारी कंपनियों तथा निगमों में कुल निवेश 2019-20 के मुकाबले 2020-21 के दौरान ₹1,39,147 करोड़ (4.69 प्रतिशत) बढ़ गया था जिसमें प्रदत्त पूंजी में ₹78,461 करोड़ की वृद्धि तथा दीर्घकालिक ऋणों में ₹60,686 करोड़[8] की वृद्धि शामिल थी।

---

[5] *514 सीपीएसई-61 सीपीएसई जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापनाधीन थे या पहले लेखे देय नहीं थे।*

[6] *25 सीपीएसई के संबंध में, पिछले वर्ष के अनंतिम आंकड़ों को प्राप्त खातों के साथ अद्यतन किया गया है।*

[7] *31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹7,16,055 करोड़ की प्रदत्त पूंजी में 20 सीपीएसई के संबंध में ₹1,398 करोड़ शामिल नहीं हैं, जिनके खाते तीन साल या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन के अधीन थे।*

[8] *भारतीय खाद्य निगम ने वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 1,86,200 करोड़ के ऋण का पुनर्भुगतान किया।*

1.2.1 इक्विटी धारिता

2020-21 के दौरान, इस रिपोर्ट में शामिल 453 सीपीएसई में अंकित मूल्य पर कुल इक्विटी धारिता में ₹78,461 करोड़ की निवल वृद्धि दर्ज की गई। 2020-21 के दौरान सीपीएसई में अंकित मूल्य पर केंद्र सरकार की इक्विटी धारिता ₹57,909 करोड़[9] से बढ़ी। ₹57,909 करोड़ की वृद्धि 33 सीपीएसई में ₹59,560 करोड़ के अंकित मूल्य वाले शेयरों के जारी करने और 16 सीपीएसई में ₹1,651 करोड़ के अंकित मूल्य वाले शेयरों के विनिवेश/पुन: खरीद का परिणाम थी।

वर्ष 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा ₹59,560 करोड़ की नयी इक्विटी धारिता में से, ₹59,444 करोड़ की इक्विटी धारिता 31 सीपीएसई में इक्विटी के रूप में संबंधित सीपीएसई में नकदी प्रवाह था और ₹116 करोड़ का निवेश दो सीपीएसई[10] में बोनस शेयरों के जारी करने के रूप में था। सीपीएसई में नकदी प्रवाह को मिलाकर ₹59,444 करोड़ के नए इक्विटी धारिता के उद्देश्य की लेखापरीक्षा में समीक्षा से संकेत मिला कि ₹47,465 करोड़ का नकद आधान 19 सीपीएसई में पूंजीगत व्यय को पूरा करने के लिए था, ₹11,507 करोड़ सात सीपीएसई[11] में पूंजीगत तथा राजस्व दोनों व्ययों को पूरा करने के लिए थे तथा ₹471 करोड़ पांच सीपीएसई[12] में राजस्व व्ययों को पूरा करने के लिए थे।

सरकारी कंपनियों और निगमों में 31 मार्च 2021 को समाप्त तीन वर्षों के दौरान केंद्र सरकार और अन्य[13] द्वारा इक्विटी में धारिता को चार्ट-1.1 में दर्शाया गया है।

---

[9] ***इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में 31 सीपीएसई के अनंतिम आंकड़ों को उनके अंतिम लेखापरीक्षा किए गए लेखाओं के आंकड़ों के आधार पर शामिल किया गया है क्योंकि प्रतिवेदन तैयार करने के लिए कट-ऑफ की तारीख (30 नवम्बर 2021) से पहले वर्ष 2020-21 के लेखा प्राप्त नहीं हुए थे।***

[10] ***इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड और वापकोस लिमिटेड।***

[11] ***इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ईसीजीसी लिमिटेड, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर लिमिटेड।***

[12] ***राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास एवं वित्त निगम लिमिटेड, राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड, आईटीआई लिमिटेड, उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी।***

[13] ***अन्य में केंद्र सरकार की कंपनियां/निगम, राज्य सरकारें, राज्य सरकार की कंपनियां/निगम और वित्तीय संस्थान आदि शामिल हैं।***

चार्ट 1.1: सरकारी कंपनियों और निगमों में इक्विटी धारिता

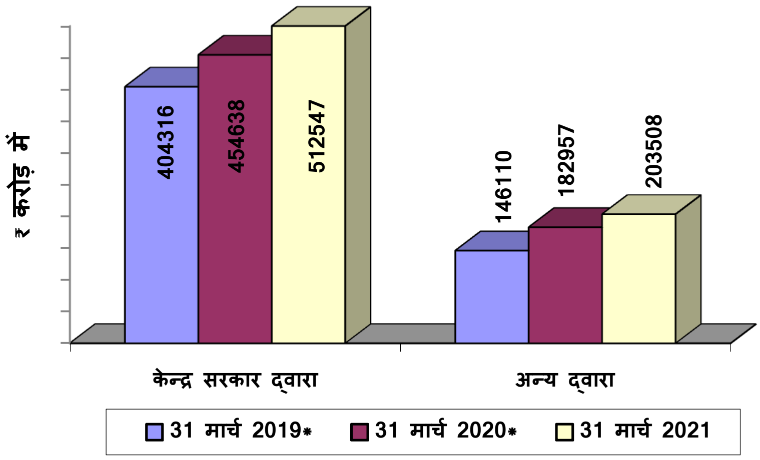

*(*2020-21 के दौरान, पिछले वर्ष के आंकड़े अपडेट किए गए क्योंकि उस वर्ष के लेखे प्राप्त हुए थे)*

सीपीएसई की प्रदत्त पूंजी में 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा किए गए ₹2,000 करोड़ से अधिक के निवेश का विवरण तालिका 1.3 में दिया गया है:

तालिका 1.3: केंद्र सरकार द्वारा किए गए ₹2,000 करोड़ से अधिक के निवेश

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई का नाम	मंत्रालय का नाम	राशि
सांविधिक निगम		
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण	सड़क परिवहन और राजमार्ग	42,087
सरकारी कंपनियां		
यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वित्त	3,605
नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वित्त	3,175
ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वित्त	3,170

1.2.2 सरकारी कंपनियों और निगमों को दिये गए ऋण

1.2.2.1 31 मार्च 2021 को बकाया दीर्घकालिक ऋण की गणना

31 मार्च 2021 को 453 सरकारी कंपनियों और निगमों में से 188 सीपीएसई में सभी स्रोतों से बकाया कुल दीर्घकालिक ऋण ₹23,87,579 करोड़ था। 2020-21 के दौरान,

सरकारी कंपनियों और निगमों के दीर्घकालिक ऋणों में ₹60,686 करोड़ की वृद्धि दर्ज की गयी। 31 मार्च 2021 को 188 सीपीएसई के कुल ऋणों में से, केंद्र सरकार से ऋण, ₹1,83,194 करोड़ था जिसमें से ₹4,516 करोड़ के ऋण 19 सीपीएसई में 2020-21 से संबंधित थे।

2019-20 के दौरान तथा साथ ही 2020-21 में इन 19 सीपीएसई में से 15 सीपीएसई[14] में दीर्घकालिक ऋणों में वृद्धि दर्ज की गई। 15 सीपीएसई में से, 12 सीपीएसई[15] को चालू परियोजनाओं के कार्यान्वयन के वित्तपोषण के लिए ऋण दिया गया था जबकि तीन सीपीएसई[16] को कार्यशील पूंजीगत आवश्यकताओं तथा प्रशासनिक खर्चों के लिए ऋण दिया गया था। शेष 4 सीपीएसई के मामले में, दीर्घकालिक ऋणों में वृद्धि ऋण के वास्तविक वितरण के कारण नहीं थी बल्कि पहले के ऋणों पर ब्याज के कारण हुई थी।

लेखापरीक्षा में निष्कर्ष निकला कि 15 में से 14 सीपीएसई ने 2020-21 के दौरान ऋण की मूलराशि/ऋण पर ब्याज नहीं चुकाया है जबकि एक सीपीएसई (न्यूक्लियर पॉवर कॉरपोरेशन ऑफ इंड़िया लिमिटेड) ने 2020-21 के दौरान ₹816 करोड़ के ऋण का पुनर्भुगतान किया था।

सरकारी कंपनियों तथा निगमों के बकाया दीर्घ कालीन ऋणों का वर्षवार विवरण (केंद्र सरकार और अन्य[17] द्वारा) चार्ट 1.2 में दर्शाया गया है।

---

[14] *न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, एचएमटी लिमिटेड, एनईपीए लिमिटेड, नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, बिको लॉरी लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।*

[15] *न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड, एनईपीए लिमिटेड, नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड, बाइको लॉरी लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम लिमिटेड, महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड।*

[16] *दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड, नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड।*

[17] *अन्य में केंद्र सरकार की कंपनियां/निगम, राज्य सरकारें, राज्य सरकार की कंपनियां/निगम और वित्तीय संस्थान आदि शामिल हैं।*

चार्ट 1.2: सरकारी कंपनियों और निगमों में बकाया दीर्घकालीन ऋण

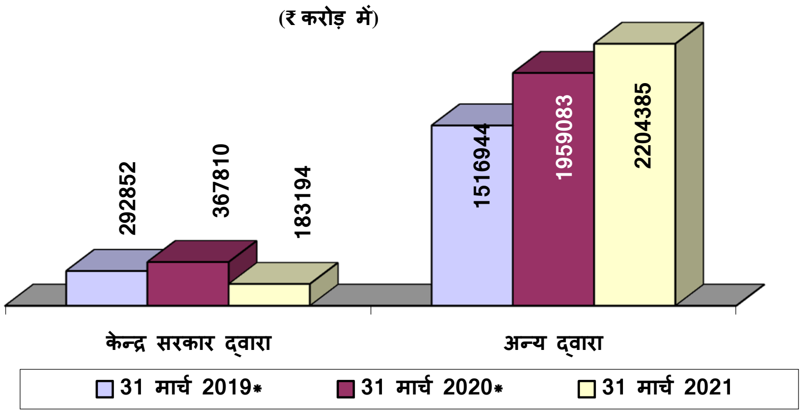

** पिछले वर्षों के आंकड़े 2020-21 के दौरान अपडेट किए गए क्योंकि उस वर्ष के लेखा प्राप्त हुए थे*

453 सीपीएसई में से, 265 सीपीएसई (एक सांविधिक निगम यानी केंद्रीय भंडारण निगम सहित) में 31 मार्च 2021 को कोई दीर्घकालिक ऋण नहीं था।

1.2.2.2 ऋण देनदारियों को पूरा करने के लिए परिसंपत्तियों की पर्याप्तता

कुल परिसंपत्तियों के प्रति कुल ऋण का अनुपात यह निर्धारित करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक तरीका है कि क्या कंपनी ऋणशोधनक्षम रह सकती है। ऋणशोधनक्षम माना जाने के लिए, एक इकाई की परिसंपत्ति का मूल्य उसके ऋण/कर्ज़ की राशि से अधिक होना चाहिए। 188 सीपीएसई में, जिनके पास 31 मार्च 2021 तक बकाया ऋण था, कुल परिसंपत्तियों के मूल्य पर दीर्घकालिक ऋणों का कवरेज, तालिका 1.4 में दिया गया है।

तालिका 1.4: कुल परिसंपत्ति के साथ दीर्घकालिक ऋण की कवरेज

	सकारात्मक कवरेज				नकारात्मक कवरेज			
	सीपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	ऋण के प्रति परिसंपत्तियों की प्रतिशतता	सीपीएसई की संख्या	दीर्घकालिक ऋण (₹ करोड़ में)	परिसंपत्तियां (₹ करोड़ में)	ऋण के प्रति परिसंपत्तियों की प्रतिशतता
सांविधिक निगम	5	3,54,864	8,05,902	227.10	0	0	0	0
सूचीबद्ध कंपनियां	37	15,21,910	32,67,756	214.71	3	19,676	12,216	62.09
असूचीबद्ध कंपनियाँ	123	4,65,223	11,87,003	255.15	20	25,905	7,729	29.84
कुल	**165**	**23,41,997**	**52,60,661**		**23**	**45,581**	**19,945**	

188 सीपीएसई में से, 23 सीपीएसई के संबंध में कुल परिसंपत्ति का मूल्य बकाया दीर्घकालिक ऋण से कम था। ***(अनुलग्नक-III)***

1.2.2.3 ब्याज कवरेज अनुपात

ब्याज कवरेज अनुपात (आईसीआर), का उपयोग किसी कंपनी की बकाया ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता निर्धारित करने के लिए किया जाता है और इसकी गणना ब्याज और करों से पूर्व कंपनी की आय (ईबीआईटी) को उसी अवधि के ब्याज खर्चों से विभाजित करके की जाती है। जितना अनुपात कम होगा, उतना ही कंपनी की ऋण पर ब्याज का भुगतान करने की क्षमता कम होती है। एक से नीचे आईसीआर होना संकेत देता था कि कंपनी ब्याज पर अपने खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व अर्जन नहीं कर रही थी। सीपीएसई, जिसमें 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान बकाया ऋण थे, के सकारात्मक और नकारात्मक ब्याज कवरेज अनुपात के विवरण तालिका 1.5 में दिए गए हैं:

तालिका 1.5: ब्याज कवरेज अनुपात

वर्ष	ब्याज (₹ करोड़ में)	ब्याज और कर से पहले की आय (ईबीआईटी) (₹ करोड़ में)	सीपीएसई की संख्या	आईसीआर > = 1 वाले सीपीएसई की संख्या	आईसीआर < = 1 वाले सीपीएसई की संख्या
सांविधिक निगम					
2018-19	16,027.73	4,780.13	5	1	4
2019-20	22,476.11	6,397.78	5	2	3
2020-21	31,644.56	-525.40	5	1	4
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां					
2018-19	77,281.39	1,89,269.70	38	30	8
2019-20	55,081.95	1,42,227.80	38	24	14
2020-21	51,364.25	2,11,916.10	40	31	9
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ					
2018-19	16,820.19	9,115.38	131	55	76
2019-20	18,779.23	-6,340.92	145	52	93
2020-21	21,634.62	17,446.96	143	64	79

यह देखा गया कि पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 के दौरान, सूचीबद्ध तथा असूचीबद्ध सरकारी कंपनियों में एक या इससे अधिक के आईसीआर वाले सीपीएसई की संख्या में वृद्धि

हुई है। पांच सीपीएसई[18] के संबंध में, दीर्घकालिक ऋण पर देय ब्याज, 31 मार्च 2021 को उनकी कुल परिसंपत्ति के मूल्य से अधिक था जो इन कंपनियों में दिवालिया होने के उच्च जोखिम का संकेत देता है।

1.2.2.4 केंद्र सरकार के ऋणों पर ब्याज की बकाया अवधि-वार विश्लेषण

31 मार्च 2021 तक, केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए गए 17 सीपीएसई के दीर्घकालिक ऋणों पर ₹5,805 करोड़ की ब्याज की राशि बकाया थी। सीपीएसई में केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज का अवधिवार विश्लेषण तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	केंद्र सरकार के ऋणों पर 1 वर्ष से कम के लिए बकाया ब्याज	केंद्र सरकार के ऋणों पर 1 - 3 वर्षों के लिए बकाया ब्याज	केंद्र सरकार के ऋणों पर 3 वर्षों से अधिक के लिए बकाया ब्याज
1	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	66.89	3.84	11.48	51.57
2	एनएचपीसी लिमिटेड	70.64	70.64	0	0
3	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	58.89	10.76	29.72	18.41
4	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	1574.22	0	0	1574.22
5	फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	956.07	239.02	717.05	0
6	मद्रास फर्टिलाइजर लिमिटेड	727.37	54.58	163.74	509.05
7	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	86.22	0	3.5	82.72

[18] *भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड, इरकॉन शिव पुरी गूना लिमिटेड, नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड, अंडमान फिशरीज लिमिटेड*

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	केंद्र सरकार के ऋणों पर बकाया ब्याज	केंद्र सरकार के ऋणों पर 1 वर्ष से कम के लिए बकाया ब्याज	केंद्र सरकार के ऋणों पर 1 - 3 वर्षों के लिए बकाया ब्याज	केंद्र सरकार के ऋणों पर 3 वर्षों से अधिक के लिए बकाया ब्याज
8	हिंदुस्तान एंटिबायोटिक्स लिमिटेड	44	11	0	33
9	भारत पंप्स एंड कंप्रेसरस लिमिटेड	52.7	0	48.77	3.93
10	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	123.85	0	0	123.85
11	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	24.25	0.90	4.30	19.05
12	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	297.63	52.96	113.65	131.02
13	नेशनल बाइसिकल कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	583.40	0	62.78	520.62
14	हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड लिमिटेड	37.66	4.70	9.39	23.57
15	एनईपीए लिमिटेड	171.98	35.65	62.46	73.87
16	नेशनल टेक्सटाइल कॉरपोरेशन लिमिटेड	584.36	46.84	93.68	443.84
17	एचएमटी मशीनस लिमिटेड	345.21	61.98	172.10	111.13
	कुल	**5,805.34**	**592.87**	**1,492.62**	**3,719.85**

1.2.3 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में निवेश

वर्ष 2020-21 के दौरान केन्द्र सरकार/राज्य सरकार और केन्द्र/राज्य सरकार की कंपनियों/निगमों द्वारा 180 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों[19] में निवेश की गई पूंजी को चार्ट 1.3 में दर्शाया गया है।

[19] *203-23 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ जिनके लेखे तीन साल या उससे अधिक के लिए बकाया थे या परिसमापन के अधीन थे या पहले लेखे देय नहीं थे।*

चार्ट 1.3: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में शेयर पूंजी की संरचना

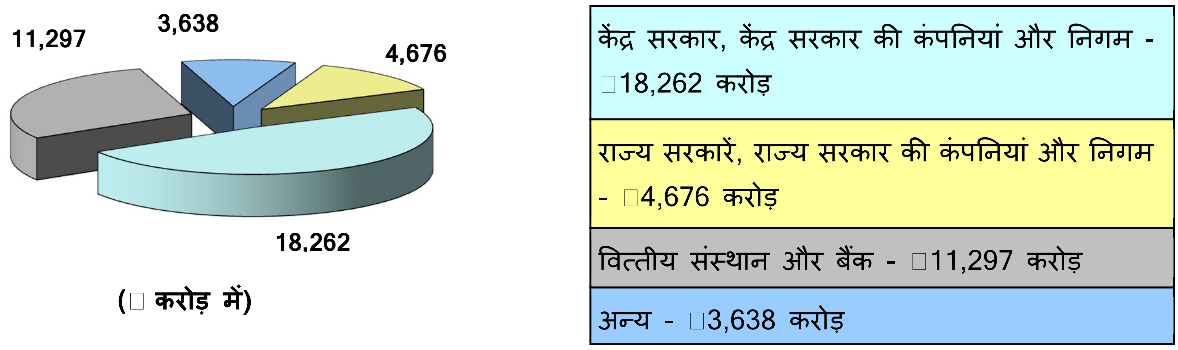

31 मार्च 2021 को, सरकार द्वारा नियंत्रित इन अन्य कंपनियों में इक्विटी ₹37,873 करोड़ थी। सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की इक्विटी में 2020-21 में ₹1,116 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.2.4 सरकारी कंपनियों में इक्विटी निवेश का बाजार पूंजीकरण

बाजार पूंजीकरण, उन कंपनियों के शेयरों के बाजार मूल्य का घोतक है जिनके शेयर सूचीबद्ध हैं। 31 मार्च 2021 को, 76 सरकारी कंपनियों, जिनमें चार नव सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ[20] सहित 60 सरकारी कंपनियाँ, सरकारी कंपनियों की सात सहायक कंपनियाँ[21] और नौ सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियाँ[22] शामिल थी, के शेयर भारत के विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध थे।

56 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (60-4 नव सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों) के संबंध में, 2020-21 के दौरान 54 कंपनियों के शेयरों का कारोबार किया गया था और दो कंपनियों[23] के शेयरों का कारोबार नहीं किया गया था। सरकारी कंपनियों की सात सहायक कंपनियों के संबंध में, छह के शेयरों का कारोबार किया गया और एक सहायक कंपनी[24] के शेयरों का कारोबार नहीं किया गया।

---

[20] *मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हेमीस्फियर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड को 2020-21 के दौरान सूचीबद्ध किया गया था।*

[21] *बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड, चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड, ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड।*

[22] *ड्रेजिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड, द बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन लिमिटेड, इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड, द उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड, पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड, एसबीआई जीवन बीमा कंपनी लिमिटेड और एसबीआई कार्ड्स & पेमेंट्स सर्विसेस लिमिटेड।*

[23] *हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान फोटो-फिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड।*

[24] *ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट लिमिटेड*

31 मार्च 2020 को ₹8,58,379 करोड़ की तुलना में 31 मार्च 2021 को 60 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों[25] (छः सहायक कंपनियों सहित) के शेयरों का कुल बाजार मूल्य, जिनके शेयरों का कारोबार किया गया, ₹12,43,144 करोड़ (इक्विटी निवेश ₹90,085 करोड़) रहा है।

इन 60 सूचीबद्ध सीपीएसई का उनके बाजार पूंजीकरण के अनुसार निम्नलिखित मानदंडों को अपनाते हुए वर्गीकरण तालिका 1.7 में दिया गया है:

- 20,000 करोड़ से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाले सीपीएसई को लार्ज-कैप सीपीएसई माना गया है।
- 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ रुपये की श्रेणी में बाजार पूंजीकरण वाले सीपीएसई को मिड-कैप सीपीएसई माना गया है।
- 5,000 करोड़ रुपये से कम के बाजार पूंजीकरण वाले सीपीएसई को स्मॉल-कैप सीपीएसई माना गया है।

तालिका 1.7: सूचीबद्ध सीपीएसई का वर्गीकरण

विवरण	2020-21	2019-20	उभय-निष्ठ सीपीएसई
₹20,000 करोड़ से अधिक के बाजार पूंजीकरण वाले लार्ज-कैप सीपीएसई	19	12	12
5,000 करोड़ रुपये से 20,000 करोड़ रुपये के बाजार पूंजीकरण वाले मिड-कैप सीपीएसई	18	14	7
₹5,000 करोड़ से कम बाजार पूंजीकरण वाले स्मॉल-कैप सीपीएसई	23	34	23
कुल	**60**	**60**	

यह देखा गया कि 2019-20 में 14 मिड-कैप सीपीएसई में से सात कंपनियां 2020-21 में लार्ज-कैप बन गईं, जिसके परिणामस्वरूप 2020-21 में 19 (12+7) लार्ज-कैप सीपीएसई बन गईं। इसी तरह, यह देखा गया कि 2019-20 में 34 स्मॉल-कैप सीपीएसई में से, 11 कंपनियां 2020-21 में मिड-कैप बन गईं, जिसके परिणामस्वरूप 2020-21 में 18 (14-7+11) मिड-कैप सीपीएसई बन गईं।

इन 60 सीपीएसई के शेयरों का कुल बाजार मूल्य 31 मार्च 2021 तक ₹3,84,765 करोड़ (44.82 प्रतिशत) बढ़ गया। अधिकतम बाजार पूंजीकरण के साथ शीर्ष तीन क्षेत्रों में

[25] ***60 = 54 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ जिनके शेयरों का कारोबार किया गया + 6 सूचीबद्ध सहायक सरकारी कंपनियाँ जिनके शेयरों का कारोबार किया गया।***

पेट्रोलियम (₹4,30,226 करोड़), विद्युत् (₹3,06,763 करोड़) और कोयला (₹87,358 करोड़) थे। कोयला क्षेत्र, जिसमें ₹5,022 करोड़ रुपये की कमी आई है, को छोड़कर सभी क्षेत्रों में शेयरों के बाजार मूल्य में वृद्धि देखी गई है। शेयरों के बाजार मूल्य में सबसे अधिक वृद्धि पेट्रोलियम क्षेत्र (₹1,16,153 करोड़), विद्युत् क्षेत्र (₹70,238 करोड़) और स्टील (₹45,926 करोड़) में देखी गई। 31 मार्च 2021 को, 54 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों (छह सहायक कंपनियों को छोड़कर) के शेयरों का बाजार मूल्य ₹11,72,566 करोड़ था, जिसमें से केंद्र सरकार के पास मौजूद शेयरों का बाजार मूल्य ₹7,16,828 करोड़ था।

इस अवधि के दौरान, एस एंड पी बीएसई सूचकांक[26] 31 मार्च 2020 को 29,468.49 से 68.01 प्रतिशत बढकर 31 मार्च 2021 को 49,509.15 हो गया। एस एंड पी बीएसई - सीपीएसई सूचकांक[27] 31 मार्च 2020 को 885.74 से 40.98 प्रतिशत बढ़कर 31 मार्च 2021 को 1,248.71 हो गया।

सूचीबद्ध सीपीएसई जिनके शेयरों का कारोबार किया गया, के पिछले पांच वर्षों के बाजार पूंजीकरण की प्रवृत्ति को एस एंड पी बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी बीएसई-सीपीएसई सूचकांक की तुलना में चार्ट 1.4 में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.4: एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और सीपीएसई सूचकांक की तुलना में बाजार पूंजीकरण की प्रवृत्ति

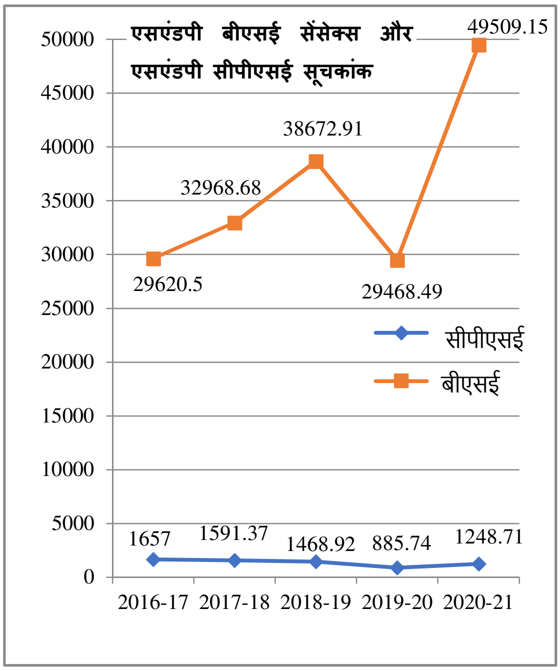

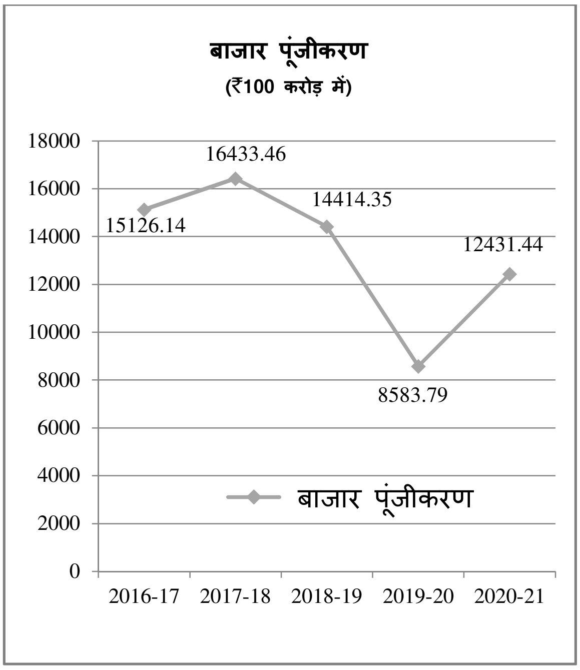

---

[26] एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स 30 घटक शेयरों का बेंचमार्क सूचकांक है जो बड़ी, लिक्विड और रिप्रेजेंटेटिव कंपनियों के सैंपल का प्रतिनिधित्व करता है।

[27] एसएंडपी बीएसई सीपीएसई सूचकांक बीएसई में सूचीबद्ध सीपीएसई के प्रदर्शन को मापता है।

यह देखा गया कि 2018-19 से 2020-21 के दौरान सूचीबद्ध सीपीएसई, जिनके शेयरों का कारोबार किया गया, की बाजार पूंजीकरण की प्रवृत्ति समान थी जब इनकी तुलना एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स और एसएंडपी सीपीएसई सूचकांक से की गई। 2017-18 से 2018-19 तक, इन सीपीएसई के शेयरों का बाजार मूल्य 12.29 प्रतिशत (₹16,43,346 करोड़ से ₹14,41,435 करोड़) घट गया, जबकि एसएंडपी बीएसई सेंसेक्स में 17.30 प्रतिशत (32,968.68 से 38,672.91) की वृद्धि हुई हालांकि इसी अवधि के दौरान एसएंडपी सीपीएसई सूचकांक 7.69 प्रतिशत (1,591.37 से 1,468.92) घट गया। 2020-21 में, बाजार पूंजीकरण के साथ-साथ दोनों सूचकांकों में भी वृद्धि की प्रवृत्ति देखी गई।

छह सहायक सरकारी कंपनियों के शेयरों का बाजार मूल्य, जिनके शेयरों का कारोबार 2020-21 के दौरान किया गया था, 31 मार्च 2021 तक ₹70,578 करोड़ था। 31 मार्च 2020 की तुलना में 31 मार्च 2021 तक इन छह सहायक सरकारी कंपनियों में शेयरों का कुल बाजार मूल्य ₹17,760 करोड़ से बढ़ गया था।

31 मार्च 2021 को, उच्चतम बाजार पूंजीकरण के साथ शीर्ष 10 सीपीएसई को तालिका 1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.8: उच्चतम बाजार पूंजीकरण के साथ सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बाज़ार पूंजीकरण
1	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	1,28,508
2	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1,12,819
3	एनटीपीसी लिमिटेड	1,03,221
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	92,833
5	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	86,422
6	कोल इंडिया लिमिटेड	80,362
7	गेल (इंडिया) लिमिटेड	60,189
8	एनएमडीसी लिमिटेड	39,636
9	कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	36,390
10	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	35,009

31 मार्च 2021 को 60 सूचीबद्ध सरकारी कंपनियों में से तीन सीपीएसई में बाजार पूंजीकरण में गिरावट दर्ज हुई थी। बाजार पूंजीकरण में गिरावट दर्ज करने वाली सीपीएसई को तालिका 1.9 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.9: 31 मार्च 2021 तक बाजार पूंजीकरण में गिरावट दर्ज करने वाली सीपीएसई

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	31 मार्च 2020 को बाजार पूंजीकरण	31 मार्च 2021 को बाजार पूंजीकरण	पूंजीकरण में अंतर
1	कोल इंडिया लिमिटेड	86,278.20	80,361.98	5,916.22
2	राईट्स लिमिटेड	6,148.75	5,782.86	365.89
3	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	3,350.58	3,310.30	40.28

1.3 सीपीएसई से प्रतिफल

1.3.1 सीपीएसई द्वारा अर्जित लाभ

2019-20 में 224 की तुलना में 2020-21 में लाभ अर्जित करने वाली सरकारी कंपनियों तथा निगमों की संख्या 251 थी (49 सीपीएसई को शामिल कर और 22 सीपीएसई को छोड़ कर)। इन 49 सीपीएसई में से, 10 सीपीएसई नई थी तथा उनके संचालन के प्रथम वर्ष में लाभ प्राप्ति हुई तथा 39 सीपीएसई ***(अनुलग्नक-IV)*** ने गत वर्ष में निवल हानि उठाने के बाद लाभ कमाया। 39 में से केवल 15 सीपीएसई ने संचालन लाभ[28] के कारण लाभ अर्जित किया। 22 सीपीएसई ***(अनुलग्नक-V)*** जिन्हें गत वर्ष में लाभ कमाने के बाद हानि हुई, 19 सीपीएसई को मुख्यत: संचालन हानि के कारण हानि हुई।

दो वर्षों अर्थात 2019-20 और 2020-21 के लिए लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई का निम्नलिखित मानदंडों को अपनाते हुए वर्गीकरण तालिका 1.10 में दिया गया है:

- 100 करोड़ से अधिक के लाभ वाले सीपीएसई को उच्च लाभ कमाने वाले सीपीएसई माना गया है
- ₹10 करोड़ से ₹100 करोड़ के लाभ वाले सीपीएसई को मध्यम लाभ कमाने वाला सीपीएसई माना गया है।
- 10 करोड़ से कम लाभ वाले सीपीएसई को कम लाभ कमाने वाले सीपीएसई माना गया है।

---

[28] *अन्य आय (खर्चों को घटाकर) को छोड़ कर कुल आय।*

तालिका 1.10: सूचीबद्ध सीपीएसई का वर्गीकरण

विवरण	2020-21	2019-20	उभय निष्ठ सीपीएसई
उच्च लाभ कमाने वाले सीपीएसई	89	79	68
मध्यम लाभ कमाने वाले सीपीएसई	66	73	46
कम लाभ कमाने वाले सीपीएसई	96	72	51
कुल	**251**	**224**	**165**

अर्जित लाभ 2019-20 में ₹1,41,144 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹1,95,677 करोड़ हो गया। तदनुसार 2019-20 में 224 सीपीएसई के 13.54 प्रतिशत की तुलना में, 2020-21 में 251 सीपीएसई का इक्विटी पर प्रतिफल[29] (आरओई) 16.34 प्रतिशत था। घाटे में चल रही 173 हानि वाली तथा 27 शून्य लाभ/हानि वाली कंपनियों सहित सभी 451 सरकारी कंपनियों और निगमों[30] में 2020-21 में इक्विटी पर प्रतिफल 12.40 प्रतिशत था। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की संख्या को चार्ट-1.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट-1.5: लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की संख्या

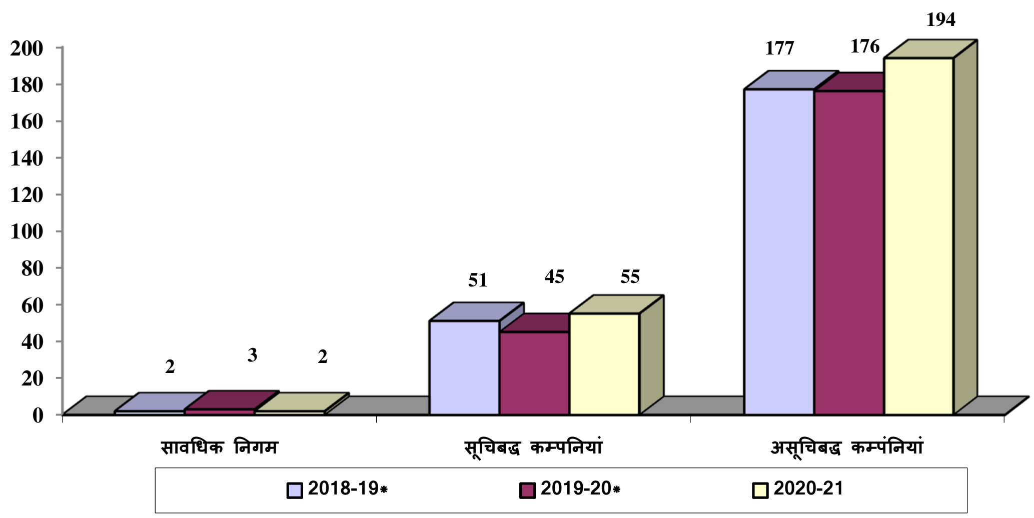

* पिछले वर्षों के आंकड़े 2020-21 के दौरान अपडेट किए गए, जब उस वर्ष के लेखा प्राप्त हुए थे

2020-21 के दौरान अधिकतम लाभ अर्जित करने वाले शीर्ष तीन क्षेत्रों का विवरण तालिका 1.11 में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

---

*[29] इक्विटी पर प्रतिफल = (कर के बाद निवल लाभ तथा वरीयता लाभांश/इक्विटी) * 100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + मुक्त भंडार - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय।*

[30] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर जिन्हें शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनके नुकसान समायोजित हैं जैसा कि फुटनोट 4 में दिया गया है।

तालिका 1.11: शीर्ष 3 क्षेत्र जिन्होंने वर्ष 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित करने में अधिकतम योगदान दिया

क्षेत्र	लाभ कमाने वाले सीपीएसई की संख्या	अर्जित निवल लाभ (₹ करोड़ में)	कुल सीपीएसई लाभ के प्रति लाभ का प्रतिशत
पेट्रोलियम			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	7	69,657	35.60
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	15	6,380	3.26
उप-योग (क)	**22**	**76,037**	**38.86**
विद्युत			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	4	30,572	15.62
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	40	8,056	4.12
सांविधिक निगम	1	302	0.15
उप-योग (ख)	**45**	**38,930**	**19.89**
वित्तीय सेवाएँ			
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	5	22,885	11.70
गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां	25	2,231	1.14
उप-योग (ग)	**30**	**25,116**	**12.84**
कुल (क+ख+ग)	**97**	**1,40,083**	**71.59**

इन क्षेत्रों में 2019-20 के दौरान 59.14 प्रतिशत योगदान की तुलना में 2020-21 के दौरान 97 सीपीएसई द्वारा सीपीएसई के कुल लाभ में ₹1,40,083 करोड़ यानी 71.59 प्रतिशत का योगदान दिया गया था।

28 सीपीएसई, जो बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए खुले नहीं थे, द्वारा ₹66,413 करोड़ के निवल लाभ का योगदान दिया गया था । 2020-21 के दौरान, सभी 251 सीपीएसई द्वारा अर्जित ₹1,95,677 करोड़ के कुल लाभ में इसका योगदान 33.94 प्रतिशत था। प्रतिस्पर्धी माहौल में कार्य करने वाले 223 सीपीएसई में 17.21 प्रतिशत की तुलना में इन 28 सीपीएसई का वर्ष 2020-21 में इक्विटी पर प्रतिफल 14.88 प्रतिशत था।

वर्ष 2020-21 के दौरान ₹5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की सूची तालिका 1.12 में दर्शायी गई है:

तालिका 1.12: ₹5,000 करोड़ से अधिक का लाभ अर्जित करने वाले सीपीएसई की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	21,836
2	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19,042
3	एनटीपीसी लिमिटेड	13,770
4	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	11,936
5	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड	11,246
6	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10,664
7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8,444
8	ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड	8,362
9	कोल इंडिया लिमिटेड	7,640
10	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	6,872
11	एनएमडीसी लिमिटेड	6,253
कुल		**1,26,065**

यह देखा जा सकता है कि 2020-21 के दौरान 251 सीपीएसई द्वारा अर्जित कुल लाभ में इन 11 सीपीएसई ने 64.43 प्रतिशत का योगदान दिया।

180 सरकार नियंत्रित अन्य कंपनियों[31] में से 120 सीपीएसई ने 31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹10,911 करोड़ का लाभ अर्जित किया जो 2019-20 में ऐसे 118 सीपीएसई द्वारा अर्जित ₹9,925 करोड़ के लाभ की तुलना में ₹986 करोड़ (9.93 प्रतिशत) की वृद्धि थी। तदनुसार, 2019-20 में 118 सीपीएसई के 13.48 प्रतिशत की तुलना में 2020-21 में 120 सीपीएसई का आरओई 13.18 प्रतिशत था। सभी 180 सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों में इक्विटी पर प्रतिफल 2020-21 में 10.65 प्रतिशत था।

सरकारी कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ 2020-21 के दौरान ₹54,533 करोड़ (38.64 प्रतिशत) बढ़ा जो 2019-20 में ₹1,95,677 करोड़ से बढ़ कर 2020-21 में ₹1,41,144 करोड़ हो गया, जबकि सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ 2020-21 में ₹986 करोड़ (9.93 प्रतिशत) बढ़ा जो, 2019-20 में ₹9,925 करोड़ से बढ़कर 2020-21 में ₹10,911 करोड़ हो गया।

[31] *सरकार द्वारा नियंत्रित एक अन्य कंपनी अर्थात् एनआरटीयू फाउंडेशन ने कोई लाभ अर्जित नहीं किया है और न ही कोई हानि हुई है क्योंकि परिचालन अभी शुरू होना बाकी है।*

1.3.2 हानि उठाने वाली सीपीएसई

वर्ष 2020-21 के दौरान, 173 सरकार कंपनियों[32] ने हानि उठाई। घाटे में चल रही इन 173 सीपीएसई में से 100 सीपीएसई को पिछले 5 साल में 3 से 5 साल तक घाटा हुआ है जबकि 62 सीपीएसई को 5 साल से लगातार घाटा हुआ है।, सीपीएसई द्वारा उठाई गई हानि 2019-20 के दौरान ₹67,845 करोड़ से घट कर 2020-21 में ₹42,876 करोड़ हो गई, जैसा कि तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: 2018-19 से 2020-21 के दौरान, हानि उठाने वाले सीपीएसई की संख्या

सूचीबद्ध/असूचीबद्ध वर्ष	हानि उठाने वाले सीपीएसई की संख्या	वर्ष के लिए निवल हानि (₹ करोड़ में)	संचित हानि (₹ करोड़ में)	निवल मूल्य[33] (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम				
2018-19	1	1,115	0	11,370
2019-20	0	0	0	0
2020-21	1	1,962	0	12,869
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ				
2018-19	12	5,476	35,149	-18,946
2019-20	18	11,987	39,239	1,20,571
2020-21	12	8,324	40,971	-2423
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ				
2018-19	132	34,153	88,688	1,12,452
2019-20	158	55,858	1,14,467	1,31,351
2020-21	160	32,590	1,31,758	97,336
जोड़				
2018-19	**145**	40,744	1,23,837	1,04,876
2019-20	**176**	67,845	1,53,706	2,51,922
2020-21	**173**	42,876	1,72,729	1,07,782

[32] भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, जिन्हें शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनके नुकसान समायोजित हैं जैसा कि फुटनोट 4 में दिया गया है।

[33] निवल मूल्य का अर्थ है प्रदत्त शेयर पूंजी और मुक्त भंडार और संचित हानि व आस्थगित राजस्व व्यय घटा कर अधिशेष का योग। मुक्त भंडार का अर्थ है लाभ से बने सभी भंडार और प्रीमियम खाता लेकिन परिसंपत्तियों के पुनर्मूल्यांकन से बने भंडार और वापिस लिखे मूल्यह्रास प्रावधान को शामिल किए बिना।

2020-21 में 173 सीपीएसई द्वारा उठाई गई ₹42,876 करोड़ की कुल हानि में से, ₹7,079 करोड़ की हानि का योगदान 19 सीपीएसई द्वारा दिया गया था, जो बाजार की प्रतिस्पर्धा के लिए खुले नहीं थे। तालिका 1.14 में सूचीबद्ध सीपीएसई को वर्ष 2020-21 के दौरान ₹1,000 करोड़ से अधिक की हानि हुई।

तालिका 1.14: सीपीएसई जिनको 2019-20 के दौरान ₹1,000 करोड़ से अधिक की हानि हुई

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	सीपीएसई का नाम	निवल हानि
1	भारत संचार निगम लिमिटेड	7,441
2	एयर इंडिया लिमिटेड[34]	7,017
3	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	2,717
4	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	2,462
5	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2,369
6	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण	1,962
7	आईएफसीआई लिमिटेड	1,958
8	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड	1,797
9	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1,525
10	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	1,202
11	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,120

वर्ष 2020-21 के दौरान, सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य 180 कंपनियों में से 59 कंपनियों को ₹1,706 करोड़ कि हानि हुई जो 2019-20 में 53 सीपीएसई द्वारा उठाई गई ₹2,567 करोड़ हानि की तुलना में ₹861 करोड़ (33.54 प्रतिशत) कम थी।

1.3.3 सरकारी कंपनियों में पूंजी का क्षरण

31 मार्च 2021 को ₹2,00,419 करोड़ की संचित हानि के साथ 198 सरकारी कंपनियां[35] थी। 198 सीपीएसई में से, 135 सीपीएसई को वर्ष 2020-21 में ₹20,747 करोड़ का हानि हुई, 63 सीपीएसई को वर्ष 2020-21 में हानि (शून्य लाभ सहित) नहीं हुई, यद्यपि उनकी संचित हानि ₹27,690 करोड़ है। 198 में से 20 सीपीएसई समापन/ बंद/ परिसमापन/ नीतिगत विनिवेश के तहत थी।

---

[34] *जनवरी 2022 में विनिवेश किया गया।*

[35] *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, जिन्हें शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनके नुकसान समायोजित हैं जैसा कि फुटनोट 4 में दिया गया है।*

198 सीपीएसई में से 88 की निवल संपत्ति, संचित हानि से पूरी तरह से क्षय हो गयी थी और उनकी निवल संपत्ति या तो शून्य या नकारात्मक थी। इन 88 सीपीएसई की निवल संपत्ति, 31 मार्च 2021 को इन सीपीएसई में ₹46,584 करोड़ के इक्विटी निवेश के मुकाबले (-) ₹1,13,894 करोड़ थी (***अनुलग्नक-VI***)। इसमें सात सूचीबद्ध कंपनियाँ शामिल थीं, जिनकी निवल संपत्ति ₹6592 करोड़ के इक्विटी निवेश के मुकाबले (-) ₹43,727 करोड़ थी। 88 सीपीएसई में से, जिनकी पूंजी क्षय हो गई थी (शून्य या ऋणात्मक निवल संपत्ति होने के नाते), 20 सीपीएसई ने वर्ष 2020-21 के दौरान, ₹973 करोड़ का लाभ अर्जित किया था ***(अनुलग्नक-VI)***।

88 सीपीएसई जिनकी पूंजी क्षय हो गई थी, में से 18 में, 31 मार्च 2021 को बकाया सरकारी ऋण ₹8,193 करोड़ था। इसमें ₹554 करोड़ के बकाया सरकारी ऋण वाली एक सूचीबद्ध कंपनी (मद्रास फर्टीलाइज़ेर्स लिमिटेड) शामिल थी।

365 सीपीएसई, जिनकी निवल सम्पत्ति 31 मार्च 2021 के अंत में सकारात्मक थी, में से 37 के संबंध में उनका निवल मूल्य प्रदत्त पूंजी के आधे से भी कम था, जो उनकी संभावित वित्तीय बिमारी का संकेतक है। कुल मिलाकर, सभी 453 सरकारी कंपनियों तथा निगमों का निवल मूल्य उनकी ₹7,16,055 करोड़ की प्रदत्त पूंजी के मुकाबले ₹18,93,714 करोड़ था।

1.3.4 सीपीएसई द्वारा लाभांश भुगतान

सरकारी कंपनियों तथा निगमों द्वारा अर्जित लाभ और घोषित लाभांश का विवरण तालिका 1.15 में दिया गया है:

तालिका 1.15: अर्जित लाभ और घोषित लाभांश

श्रेणी	सीपीएसई का नाम	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
सांविधिक निगम	1	68	438	131
सूचीबद्ध कंपनियां	43	93,714	1,54,862	62,797
असूचीबद्ध कंपनियाँ	68	65,717	31,675	17,177
जोड़	112	1,59,499	1,86,975	80,105

453 सरकारी कंपनियो तथा निगमों में से, 112 सीपीएसई ने 2020-21 में लाभांश घोषित किया। इन 112 लाभ कमाने वाले सीपीएसई के शुद्ध लाभ के प्रतिशत के रूप में घोषित लाभांश 2019-20 में 57.07 प्रतिशत से घटकर 2020-21 में 42.84 प्रतिशत हो गया।

निरपेक्ष रूप से, सीपीएसई द्वारा 2020-21 में घोषित लाभांश में पिछले वर्ष की तुलना में ₹6,618 करोड़ की वृद्धि हुई। चार्ट-1.6 में उन सीपीएसई के अर्जित निवल लाभ और प्रदत्त पूंजी के सापेक्ष घोषित लाभांश को दर्शाया गया है जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभांश घोषित किया।

चार्ट 1.6 : अर्जित निवल लाभ और प्रदत्त पूंजी की तुलना में घोषित लाभांश

(₹ करोड़ में)

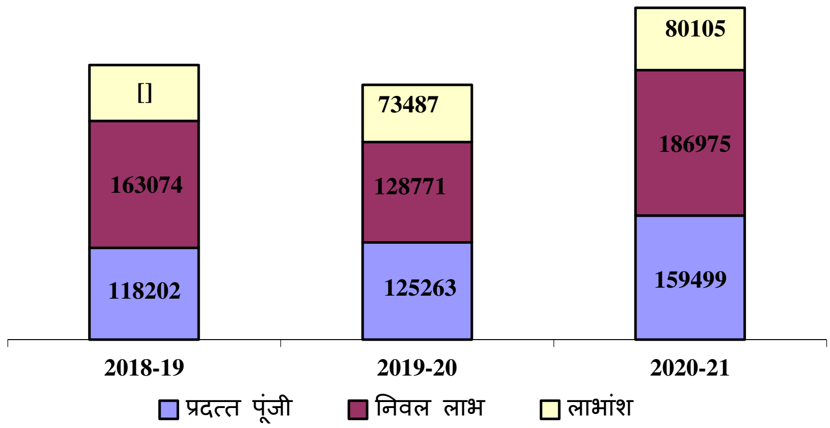

वर्ष 2020-21 के लिए 112 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹80,105 करोड़ के कुल लाभांश में से, केंद्र सरकार द्वारा प्राप्त/प्राप्य लाभांश, ₹83,556 करोड़ के इक्विटी निवेश वाले 71 सीपीएसई[36] में ₹36,982 करोड़ (₹60,049 करोड़ घोषित कुल लाभांश का 61.59 प्रतिशत), था। 453 सीपीएसई की इक्विटी पूंजी में केंद्र सरकार द्वारा किए गए ₹5,12,547 करोड़ के कुल निवेश पर लाभांश के रूप में प्रतिफल वर्ष 2019-20 में 7.72 प्रतिशत की तुलना में 7.22 प्रतिशत था। इसी तरह, 52 सीपीएसई को अन्य सीपीएसई में इक्विटी धारिता पर वर्ष 2020-21 में ₹44,345 करोड़ की प्रदत्त पूंजी पर लाभांश के रूप में ₹20,746 करोड़ प्राप्त हुए। पेट्रोलियम क्षेत्र के अधीन 10 सीपीएसई ने ₹28,388 करोड़ की लाभांश राशि घोषित की जो कि 2020-21 में 112 सीपीएसई द्वारा घोषित ₹80,105 करोड़ के कुल लाभांश का 35.44 प्रतिशत था।

मई 2016 में, निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों में यह परिकल्पना की गई थी कि प्रत्येक सीपीएसई, कर के बाद लाभ का 30

[36] 71 सीपीएसई 201 सीपीएसई (195 सरकारी कंपनियाँ + 6 सांविधिक निगम) में से हैं जहां केन्द्र सरकार की प्रत्यक्ष धारिता है।

प्रतिशत या निवल मूल्य के पांच प्रतिशत, जो अधिक हो, के न्यूनतम वार्षिक लाभांश का भुगतान करेगा, मौजूदा कानूनी प्रावधानों के तहत अनुमत अधिकतम लाभांश के अधीन। तथापि, 20 सरकारी कंपनियों (छह सूचीबद्ध सीपीएसई सहित), जिनके पास पर्याप्त निधि (प्रतिधारित आय और सामान्य भंडार) थी, ने सरकार द्वारा निर्धारित लाभांश के अनुसार घोषणा नहीं की थी जैसा कि ***अनुलग्नक-VII*** में दिया गया है। इस खाते में कुल कमी 2020-21 में ₹9,449 करोड़ थी। (49 सरकारी कंपनियों द्वारा 2019-20 के दौरान ₹11,488 करोड़ की कमी)।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8/पूर्ववर्ती कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 25 के तहत कोई कंपनी अपने सदस्यों को किसी भी लाभांश के भुगतान पर प्रतिबंध लगा सकती है यदि उसके उद्देश्यों में कला, विज्ञान, खेल, शिक्षा, अनुसंधान, समाज कल्याण, धर्म, दान, पर्यावरण की सुरक्षा या ऐसी कोई अन्य उद्देश्य हैं। 31 मार्च 2021 को, 21 ऐसे सीपीएसई थे, जिनमें से 16 सीपीएसई ने ₹855 करोड़ का लाभ अर्जित किया, तीन सीपीएसई को ₹85 करोड़ की हानि हुई और दो सीपीएसई का 2020-21 के दौरान अभी परिचालन शुरू करना है जैसा कि ***अनुलग्नक-VII क*** में दर्शाया गया है।

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के दौरान ₹10,911 करोड़ का लाभ अर्जित करने वाली 120 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों में से, 36 ने ₹2,699 करोड़ के लाभांश की घोषणा की, जो ₹13,636 करोड़ की उनकी प्रदत्त पूंजी का 19.80 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है। सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य 36 कंपनियों जिन्होने वर्ष 2020-21 के दौरान लाभांश घोषित किया था, के क्षेत्र वार वर्गीकरण को तालिका 1.16 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.16: सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश

क्षेत्र	कंपनियों की संख्या	प्रदत्त पूंजी (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	घोषित लाभांश (₹ करोड़ में)
अनुबंध और निर्माण सेवाएं	3	448	260	55
वित्तीय सेवाएं	19	3978	3796	1169
बीमा	3	1475	2065	282
पेट्रोलियम	4	257	187	24
विद्युत	5	7379	1557	1154
दूरसंचार सेवाएं	1	58	125	3
ट्रेडिंग और मार्केटिंग	1	41	19	12
कुल	**36**	**13,636**	**8,009**	**2,699**

1.4 सरकारी कंपनियों और निगमों की प्रचालन दक्षता

1.4.1 उत्पादन का मूल्य

तीन वर्षों की अवधि के दौरान 453 सरकारी कंपनियों और निगमों के उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियों तथा नियोजित पूंजी[37] के सारांश को चार्ट 1.7 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.7: उत्पादन का मूल्य, परिसंपत्तियां तथा नियोजित पूंजी

(₹ करोड़ में)

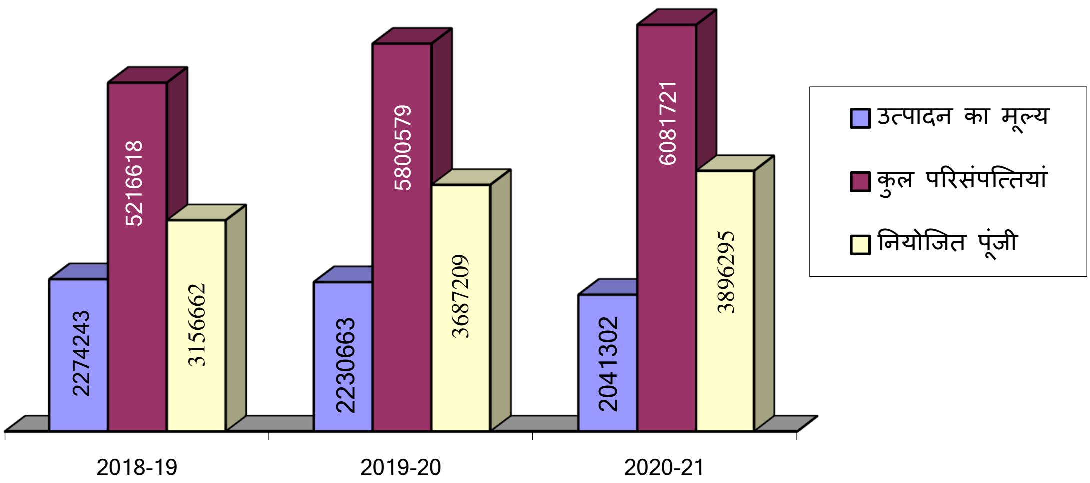

पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020-21 में उत्पादन के मूल्य में कमी और कुल परिसंपत्ति तथा नियोजित पूंजी में वृद्धि हुई थी। उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्ति तथा नियोजित पूंजी का सीपीएसई वार विवरण ***अनुलग्नक-VIII*** में दिया गया है।

एकाधिकार[38], और गैर एकाधिकार सीपीएसई के संबंध में 2020-21 को समाप्त हुए पिछले तीन वर्षों के लिए उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियां तथा नियोजित पूंजी का विवरण तालिका 1.17 में दिया गया है।

---

[37] *नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त भंडार और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानि - आस्थगित राजस्व व्यय*

[38] *एकाधिकार का अर्थ है एक बाजार संरचना जो एक एकल विक्रेता की विशेषता वाली है, जो बाजार में एक अद्वितीय उत्पाद बेचती है। एकाधिकार बाजार में, विक्रेता को किसी प्रतिस्पर्धा का सामना नहीं करना पड़ता है, क्योंकि वह बिना किसी करीबी विकल्प के माल का एकमात्र विक्रेता है। यदि जिस भौगोलिक क्षेत्र में यह संचालित होता है, उस में कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है तो सीपीएसई को एकाधिकार के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पेट्रोलियम क्षेत्र के अंतर्गत सीपीएसई को एकाधिकार श्रेणी में शामिल किया गया है क्योंकि पेट्रोलियम उत्पादों का मूल्य निर्धारण तंत्र प्रभावी रूप से सरकारी नियंत्रण में होता है, सरकार के स्वामित्व वाली और नियंत्रित पेट्रोलियम उत्पाद कंपनियाँ आभासी एकाधिकार के रूप में कार्य करती हैं।*

तालिका 1.17: एकाधिकार बनाम गैर-एकाधिकार सीपीएसई के उत्पादन का मूल्य, परिसंपत्तियां तथा नियोजित पूंजी

(₹ करोड़ में)

टाइप/वर्ष	सीपीएसई की संख्या	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
एकाधिकार सीपीएसई				
2018-19	48	13,42,423	18,53,389	12,07,782
2019-20	51	12,69,362	20,88,73	14,34,015
2020-21	54	10,90,124	20,46,551	14,22,414
गैर-एकाधिकार सीपीएसई				
2018-19	356	9,31,820	33,63,229	19,48,880
2019-20	374	9,61,301	37,11,845	22,53,194
2020-21	399	9,51,178	40,35,170	24,73,881
कुल				
2018-19	**404**	**22,74,243**	**52,16,618**	**31,56,662**
2019-20	**425**	**22,30,663**	**58,00,579**	**36,87,209**
2020-21	**453**	**20,41,302**	**60,81,721**	**38,96,295**

सरकारी कंपनियों तथा निगमों के संबंध में उत्पादन का मूल्य 2019-20 में ₹22,30,663 करोड़ से 2020-21 के दौरान ₹1,89,361 करोड़ (8.49 प्रतिशत) से घटकर 2020-21 में ₹20,41,302 करोड़ हुआ, जबकि इसी अवधि में कुल परिसंपत्तियां और नियोजित पूंजी क्रमश: ₹2,81,142 करोड़ (4.85 प्रतिशत) तथा ₹2,09,086 करोड़ (5.67 प्रतिशत) से बढ़ गई।

1.4.2 नियोजित पूंजी पर प्रतिफल (आरओसीई)

आरओसीई एक ऐसा अनुपात है जो कंपनी की लाभ प्रदता और दक्षता को मापता है जिसके साथ इसकी पूंजी नियोजित होती है। आरओसीई की संगणना को ब्याज और करों (ईबीआईटी) से पहले कंपनी की आय को नियोजित पूंजी[39] के द्वारा विभाजित करके किया जाता है। आरओसीई का सीपीएसई वार विवरण ***अनुलग्नक-IX*** में दिया गया हैं। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 451 सरकारी कंपनियों और निगमों[40] के समेकित आरओसीई का ब्यौरा तालिका 1.18 में दिया गया है।

---

[39] *नियोजित पूंजी = प्रदत्त शेयर पूंजी + मुक्त आरक्षित निधि और अधिशेष + दीर्घकालिक ऋण - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय।*

[40] *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, जिन्हें शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनके नुकसान समायोजित हैं जैसा कि फुटनोट 4 में दिया गया है।*

तालिका 1.18: नियोजित पूंजी पर प्रतिफल

वर्ष	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (प्रतिशत में)
2018-19	3,21,215	27,69,544	11.60
2019-20	2,15,271	32,02,591	6.72
2020-21	3,16,798	33,11,159	9.57

सरकारी कंपनियों और निगमों का आरओसीई 2019-20 में 6.72 प्रतिशत से बढ़कर 2020-21 में 9.57 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2020-21 में आरओसीई में वृद्धि ईबीआईटी में उल्लेखनीय वृद्धि के कारण हुई है।

एकाधिकार तथा गैर-एकाधिकार सीपीएसई के संबंध में आरओसीई तालिका 1.19 में दी गई है।

तालिका 1.19: एकाधिकार बनाम गैर एकाधिकार सीपीएसई के आरओसीई

वर्ष	एकाधिकार				गैर-एकाधिकार			
	सीपीएसई की संख्या	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%में)	सीपीएसई की संख्या	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	नियोजित पूंजी (₹ करोड़ में)	आरओसीई (%में)
2018-19	46	1,16,966	8,20,664	14.25	356	2,04,249	19,48,880	10.48
2019-20	49	61,832	9,49,397	6.51	374	1,53,439	22,53,194	6.81
2020-21	52	1,18,829	8,37,278	14.19	399	1,97,969	24,73,881	8.00

यह पाया गया कि 2018-19 और 2020-21 के दौरान एकाधिकार सरकारी कंपनियों तथा निगमों की आरओसीई गैर-एकाधिकार सरकारी कंपनियों तथा निगमों से अधिक था। वर्ष 2020-21 में एकाधिकार सरकारी कंपनियों तथा निगमों की आरओसीई वर्ष 2019-20 की तुलना में उल्लेखनीय रूप से बढ़ा जो मुख्यतया ईबीआईटी में वृद्धि के कारण थी।

1.4.3 सीपीएसई की इक्विटी पर रिटर्न (आरओई)

आरओई[41] निवल आय को शेयरधारकों की इक्विटी द्वारा विभाजित करके गणना की गई कंपनियों के वित्तीय प्रदर्शन का एक माप है। आरओई का सीपीएसई वार विवरण ***अनुलग्नक-X*** में दिया गया है। 2018-19 से 2020-21 की अवधि के दौरान 451 सरकारी कंपनियों और निगमों का समेकित आरओई तालिका 1.20 में दिया गया है।

[41] *इक्विटी पर प्रतिफल = (कर और वरीयता लाभांश/इक्विटी के बाद निवल लाभ) *100 जहां इक्विटी = प्रदत्त पूंजी + निर्बाध आरक्षित निधियां - संचित हानियां - आस्थगित राजस्व व्यय*

तालिका 1.20: इक्विटी पर प्रतिफल

वर्ष	कर और वरीयता लाभांश के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	इक्विटी (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2018-19	1,37,109	11,40,186	12.03
2019-20	72,943	11,25,531	6.48
2020-21	1,52,735	12,31,744	12.40

यह देखा गया कि वर्ष 2018-19 की तुलना में वर्ष 2019-20 में 451 सरकारी कंपनियों तथा निगमों[42] का आरओई घट गया था। हालांकि, वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में सरकारी कंपनियों तथा निगमों की आरओई में उल्लेखनीय वृद्धि हुई जो कि मुख्यत: निवल लाभ में वृद्धि के कारण थी।

एकाधिकार तथा गैर-एकाधिकार सीपीएसई के संबंध में आरओई तालिका 1.21 में दी गई है।

तालिका 1.21: एकाधिकार बनाम गैर-एकाधिकार सीपीएसई की आरओई

वर्ष	एकाधिकार				गैर-एकाधिकार			
	सीपीएसई की संख्या	इक्विटी (₹ करोड़ में)	कर तथा वरीयता लाभांश के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)	सीपीएसई की संख्या	इक्विटी (₹ करोड़ में)	कर तथा वरीयता लाभांश के बाद निवल लाभ (₹ करोड़ में)	आरओई (प्रतिशत में)
2018-19	46	4,69,276	61,558	13.12	356	6,70,910	75551	11.26
2019-20	49	4,64,462	25,133	5.41	374	6,61,069	47810	7.23
2020-21	52	5,09,642	59,738	11.72	399	7,22,102	92,997	12.88

यह पाया गया कि गैर-एकाधिकार सरकारी कंपनियों तथा निगमों का आरओई 2019-20 से 2020-21 वर्षों के दौरान एकाधिकार सरकारी कंपनियों तथा निगमों से अधिक था। एकाधिकार सरकारी कंपनियों तथा निगमों का आरओई वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में उल्लेखनीय रूप से अधिक था जो निवल लाभ में वृद्धि के कारण था।

सरकारी कंपनियों तथा निगमों, जहां क्षेत्र की कुल इक्विटी वर्ष 2020-21 के दौरान ₹10,000 करोड़ से अधिक है, का क्षेत्र वार आरओई तालिका 1.22 में दर्शाया गया है।

---

[42] *भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण को छोड़कर, जिन्हें शून्य लाभ/हानि सीपीएसई माना गया है क्योंकि उनके नुकसान समायोजित हैं जैसा कि फुटनोट 4 में दिया गया है।*

तालिका 1.22: ₹10,000 करोड़ और अधिक की कुल इक्विटी के साथ क्षेत्रों का आरओई

(प्रतिशत में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2020-21 के दौरान आरओई	2019-20 के दौरान आरओई	2018-19 के दौरान आरओई
1	पेट्रोलियम	14.26	3.24	14.14
2	विद्युत	12.92	11.22	12.14
3	वित्तीय सेवाएं	20.09	16.77	21.36
4	कोयला और लिग्नाइट	35.20	53.61	62.60
5	खनिज और धातु	18.63	9.42	16.65
6	परिवहन सेवाएँ	-26.03	-15.88	-14.82
7	बीमा	1.07	-17.96	-1.63
8	इस्पात	7.46	-3.48	5.80
9	भारी उद्योग	-10.76	-6.19	3.78
10	परिवहन उपकरण	19.45	20.42	20.38
11	अनुबंध और निर्माण सेवाएं	12.35	12.62	15.03
12	औद्योगिक विकास	24.78	36.69	51.07

1.4.4 सरकारी निवेशों पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)

आरओआरआर उस लाभप्रदता और दक्षता को मापती है जिसके साथ इक्विटी और इसी तरह की गैर-ब्याज वहन करने वाली पूंजी को नियोजित किया गया है, उनके समय मूल्य के लिए उन्हें समायोजित करने के बाद और पारंपरिक प्रतिफल की दर (आरओआर) की तुलना में महत्वपूर्ण हो जाता है जो कि पीएटी को इस तरह के सभी निवेशों का ऐतिहासिक लागत पर योग से विभाजित करके गणना की जाती है।

इस प्रतिवेदन में शामिल 633 सीपीएसई में से 195 सरकारी कंपनियों में केन्द्र सरकार का प्रत्यक्ष निवेश हैं। इन 195 सीपीएसई में से लेखापरीक्षा ने 173 सीपीएसई (58 सूचीबद्ध सीपीएसई तथा 115 गैर सूचीबद्ध सीपीएसई) के संबंध में आरओआरआर की जांच की।

इन सीपीएसई में केन्द्रीय सरकार के निवेश के आरओआरआर की निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर संगणना की गई थी:

- इक्विटी के रूप में सीपीएसई में केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक आधान के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा सीपीएसई को दिए गए परिचालन और प्रशासनिक व्ययों के लिए ब्याज मुक्त ऋण और अनुदान/सब्सिडी, केंद्र सरकार द्वारा निवेश आधान के रूप में माना जाता है।
- उन मामलों में जहां सीपीएसई को दिए गए ब्याज मुक्त ऋण बाद में इक्विटी में

बदल दिए गए थे, इक्विटी में परिवर्तित ऋण की राशि ब्याज मुक्त ऋण की राशि से कम कर ली गई है और उस वर्ष की इक्विटी में जोड़ दी गई है।

- वर्ष के अंत में कुल निवेश की गणना करते समय विनिवेश को घटा दिया गया है।
- संबंधित वित्तीय वर्ष[43] के लिए केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों पर भारित औसत ब्याज दर को वर्तमान मूल्य (पीवी) पर पहुंचने के लिए चक्रवर्ती दर के रूप में अपनाया गया था क्योंकि वे वर्ष के लिए निधियों के निवेश के प्रति सरकार द्वारा व्यय की लागत का द्योतक हैं और इसलिए सरकार द्वारा किए गए निवेश पर प्रतिफल की न्यूनतम प्रत्याशित दर के रूप में माना गया है।
- केन्द्र सरकार के निवेश के आरओआरआर की गणना के उद्देश्य हेतु 2000-01 से 2020-21 तक की अवधि को लिया गया है जो 31 मार्च 2021 तक इन 173 सीपीएसई में केन्द्र सरकार के निवेश को 2000-01 की शुरूआत में केन्द्र सरकार के निवेश के वर्तमान मूल्य के रूप में मानते हुए लिया हैं।
- 195 सीपीएसई में से 173 सीपीएसई के संबंध में आरओआरआर की गणना की गई थी जबकि 22 सीपीएसई से संबंधित डेटा उपलब्ध नहीं कराए जा सके।

तालिका 1.23: केन्द्र सरकार द्वारा निवेश तथा 2000-01 से 2020-21 तक सरकारी निधि के आरओआरआर की वर्ष-वार विवरण

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरूआत में केन्द्र सरकार के कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा डाली गई इक्विटी	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुदित ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान ब्याज मुक्त ऋण का इक्विटी में परिवर्तन	केन्द्र सरकार द्वारा परिचालन और प्रशासनिक व्यय हेतु दी गई सहायता / अनुदान	अंकित मूल्य पर वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	ब्याज की औसत दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष की कुल आय	आरओआरआर (प्रतिशत में)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच= सी+डी-ई+एफ-जी	आई = बी+एच	जे	के = आई*(1+जे/100)	एल = I*जे/100	एम	एन = एम*100/के
2000-01	5853017	1599232	75369	4053	16213	12971	1673789	7526805	10.95	8350991	824185	1682206	20.14
2001-02	8350991	276285	40320	0	26295	0	342900	8693890	9.44	9514594	820703	2375624	24.97
2002-03	9514594	204133	14238	4175	33761	30702	217255	9731849	7.34	10446167	714318	2990829	28.63

[43] *सरकारी प्रतिभूतियों पर भारित औसत ब्याज की दर को भारतीय रिजर्व बैंक की सरकारी प्रतिभूति बाजार रिपोर्ट/सरकारी ऋण पर वित्त मंत्रालय के प्रास्थिति दस्तावेज से लिया गया है।*

वित्तीय वर्ष	वर्ष की शुरूआत में केन्द्र सरकार के कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा डाली गई इक्विटी	वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा अनुदित ब्याज मुक्त ऋण	वर्ष के दौरान ब्याज मुक्त ऋण का इक्विटी में परिवर्तन	केन्द्र सरकार द्वारा परिचालन और प्रशासनिक व्यय हेतु दी गई सहायता / अनुदान	अंकित मूल्य पर वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विनिवेश	वर्ष के दौरान कुल निवेश	वर्ष के अंत में कुल निवेश	ब्याज की औसत दर	वर्ष के अंत में कुल निवेश का वर्तमान मूल्य	वर्ष के लिए धन की लागत की वसूली के लिए न्यूनतम अपेक्षित रिटर्न	वर्ष की कुल आय	आरओआरआर (प्रतिशत में)
ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच= सी+डी-ई+एफ-जी	आई = बी+एच	जे	के = आई*(1+जे/100)	एल = I*जे/100	एम	एन = एम*100/के
2003-04	10446167	272789	36081	24962	29613	140080	173440	10619607	5.71	11225986	606380	4536323	40.41
2004-05	11225986	282203	9210	0	84028	43292	332150	11558136	6.11	12264338	706202	5822390	47.47
2005-06	12264338	262913	90140	0	36888	0	389941	12654280	7.34	13583104	928824	5986339	44.07
2006-07	13583104	1152048	77060	0	87255	0	1316363	14899467	7.89	16075034	1175568	7709522	47.96
2007-08	16075034	646136	95503	103320	78908	21605	695621	16770655	8.12	18132432	1361777	7462111	41.15
2008-09	18132432	395864	77794	0	47636	-23530	544824	18677257	7.69	20113538	1436281	8049428	40.02
2009-10	20113538	600566	51114	0	306023	375112	582590	20696128	7.23	22192458	1496330	8496684	38.29
2010-11	22192458	532727	73901	-1400	88553	156826	539754	22732212	7.92	24532603	1800391	8005396	32.63
2011-12	24532603	564703	62875	6721	18668	26760	612765	25145368	8.52	27287754	2142385	8215093	30.11
2012-13	27287754	712092	59509	-3000	31775	138187	668190	27955943	8.36	30293060	2337117	10223227	33.75
2013-14	30293060	545773	81945	-1800	58527	190979	497067	30790127	8.45	33391893	2601766	11086892	33.20
2014-15	33391893	441243	90063	-1800	38679	84329	487456	33879349	8.51	36762481	2883133	9084184	24.71
2015-16	36762481	771072	121874	176444	77473	150871	643104	37405585	7.89	40356886	2951301	9929249	24.60
2016-17	40356886	1032856	165254	7999	88483	294662	983932	41340819	7.16	44300821	2960003	9992538	22.56
2017-18	44300821	1538559	172051	0	119542	183214	1646938	45947759	6.97	49150318	3202559	11069880	22.52
2018-19	49150318	1322240	218450	0	380337	436793	1484234	50634552	7.78	54573920	3939368	10831896	19.85
2019-20	54573920	2200364	186019	0	1047831	830827	2603388	57177308	6.85	61093954	3916646	6269266	10.26
2020-21	60954318	1629194	92602	0	1622812	163061	3181547	64275501	5.79	67997052	3721552	11915381	17.52
							19617248	569112598					

आरओआरआर ने 2006-07 तक एक बढ़ती प्रवृत्ति को दिखाया जब यह 47.96 प्रतिशत तक पहुंच गया जिसके बाद इसमें गिरावट शुरू हो गई और 2016-17 से 2020-21 तक पिछले पांच वर्षों के दौरान 22.56 प्रतिशत और 10.26 प्रतिशत के बीच रही।

तालिका 1.24: वर्ष 2020-21 के लिए केन्द्र सरकार के निवेश पर समेकित आरओआरआर की दर

2020-21 के लिए कुल आय (लाख में)	केंद्र सरकार द्वारा 2020-21 तक निवेश (₹ लाख में)	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)	2020-21 के अंत में केंद्र सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (₹ लाख में)	निवेश के वर्तमान मूल्य (प्रतिशत में) पर विचार करते हुए केंद्र सरकार के निवेश पर आरओआरआर
क	ख	ग	घ	ङ
उपरोक्त तालिका के स्तम्भ एम का मूल्य	उपरोक्त तालिका के स्तम्भ एच का कुल + 2000-01 के शुरू में सरकारी निवेश	क*100/ख	उपरोक्त तालिका के स्तम्भ के का मूल्य	क*100/**घ**
1,19,15,381	2,54,70,265 (1,96,17,248 + 58,53,017)	46.78	6,79,97,052	17.52

पिछले तीन वर्षो का कंपनी वार आरओआरआर ***अनुलग्नक-XI*** में दिया गया है।

2018-19 से 2020-21 के दौरान 58 सूचीबद्ध और 115 असूचीबद्ध सीपीएसई के समेकित आरओआरआर को तालिका 1.25 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.25: सूचीबद्ध और असूचीबद्ध सीपीएसई के लिए केंद्र सरकार के निवेश पर आरओआरआर

(प्रतिशत में)

विवरण	2018-19	2019-20	2020-21
सूचीबद्ध सीपीएसई का समेकित आरओआरआर	50.86	32.56	43.67
असूचीबद्ध सीपीएसई का समेकित आरओआरआर	-5.89	-7.54	-3.36

उपरोक्त के अवलोकन से प्रकट होता है कि सूचीबद्ध कंपनियों ने पूर्ववर्ती तीन वर्षों 2018-19 से 2020-21 के दौरान 32.56 प्रतिशत और 50.86 प्रतिशत के बीच आरओआरआर दिया है, जब कि असूचीबद्ध सीपीएसई ने इसी अवधि के दौरान (-)3.36 प्रतिशत तथा (-)7.54 प्रतिशत के बीच नकारात्मक प्रतिफल दिया है।

केन्द्र सरकार के निवेश पर आरओआरआर की तुलना एकाधिकार तथा गैर एकाधिकार कंपनियों के तहत 173 सूचीबद्ध तथा असूचीबद्ध सीपीएसई के लिए निवेश के एतिहासिक मूल्य के आधार पर प्रतिफल से की गई थी। वर्ष 2020-21 के परिणाम तालिका 1.26 में दिए गए है:

तालिका 1.26: वर्ष 2020-21 के लिए एकाधिकार और गैर-एकाधिकार सीपीएसई के लिए केंद्र सरकार के निवेश पर आरओआरआर

विवरण	2020-21 में कुल आय/हानि (₹ लाख में)	2020-21 तक केंद्र सरकार द्वारा किए गए निवेश (₹ लाख में)	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर रिटर्न (प्रतिशत में)	2020-21 के अंत में केंद्र सरकार के निवेश का वर्तमान मूल्य (₹ लाख में)	निवेश के वर्तमान मूल्य पर केंद्र सरकार के निवेश पर आरओआरआर (प्रतिशत में)
सूचीबद्ध एकाधिकार सीपीएसई	54,05,564	16,98,424	318.27	32,63,850	165.62
सूचीबद्ध गैर-एकाधिकार सीपीएसई	77,79,994	77,79,513	100.01	269,28,380	28.89
समेकित सूचीबद्ध	131,85,558	94,77,936	139.12	30192230	43.67
असूचीबद्ध एकाधिकार सीपीएसई	-3,92,321	71,57,638	-5.48	126,58,338	-3.10
असूचीबद्ध गैर-एकाधिकार सीपीएसई	-8,77,856	88,34,691	-9.94	251,46,484	-3.49
समेकित असूचीबद्ध	-12,70,177	159,92,329	-7.94	378,04,822	-3.36

यह पाया गया कि सूचीबद्ध सीपीएसई के मामले में केन्द्र सरकार के निवेश का आरओआरआर असूचीबद्ध सीपीएसई की तुलना में अधिक था। कुल मिलाकर, एकाधिकार सीपीएसई के मामले में केंद्र सरकार के निवेश का आरओआरआर गैर-एकाधिकार सीपीएसई की तुलना में अधिक था। सभी 58 सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में आरओआरआर की सीपीएसई-वार तुलना ***अनुलग्नक-XII*** में दी गई है। यह देखा गया कि 58 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 56 सीपीएसई के संबंध में ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर प्रतिफल की तुलना में केंद्र सरकार के निवेश का आरओआरआर कम था। शेष दो सीपीएसई के संबंध में, ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर केन्द्र सरकार के निवेश पर प्रतिफल की तुलना में केन्द्र सरकार के निवेश का आरओआरआर अधिक था क्योंकि विनिवेश आय समय-समय पर केन्द्र सरकार द्वारा किए गए निवेश के ऐतिहासिक मूल्य से अधिक थी।

1.4.5 सूचीबद्ध सीपीएसई के निवेश पर प्रतिफल (आरओआई)

58 सीपीएसई में केंद्र सरकार द्वारा किए गए निवेश से प्राप्त लाभ का निर्धारण करने के लिए स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध इन सीपीएसई के निवेश पर प्रतिफल (वार्षिक औसत दर)[44] की गणना 2000-2001 से की गई है। आरओआई एक निष्पादन माप है जिसका उपयोग किसी निवेश की दक्षता का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है। इन सीपीएसई के आरओआई (वार्षिक औसत दर) की निम्नलिखित मान्यताओं के आधार पर संगणना की गई थी:

- इक्विटी के रूप में सीपीएसई में केंद्र सरकार द्वारा वास्तविक आधान के अलावा, केंद्र सरकार द्वारा सीपीएसई को दिए गए परिचालन और प्रशासनिक व्ययों के लिए अनुदान/सब्सिडी, शुरुआत में उनके मूल्यों की पुन: गणना द्वारा केंद्र सरकार द्वारा निवेश आधान अथवा आउटफ्लो के रूप में माना जाता है।
- वर्ष के अंत में सीपीएसई के बाजार पूंजीकरण और स्थापना के बाद से लाभांश प्राप्तियों और विनिवेश प्राप्तियों के वर्तमान मूल्य को अंतर्प्रवाह माना गया है।
- वित्त वर्ष 2000-01 को आरंभिक वर्ष के रूप में माना गया है। सीपीएसई के डेटा की उपलब्धता के कारण 2000-01 को आरंभिक वर्ष के रूप में माना जाता है।

आरओआई (वार्षिक औसत दर) के अलावा, इन सीपीएसई की सीपीएसई वार चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर[45] (सीएजीआर) की भी गणना निवेश पर प्रतिफल में वार्षिक वृद्धि दर निर्धारित करने के लिए की गई है।

सीपीएसई में केंद्र सरकार के ऐसे निवेश के आरओआई (वार्षिक औसत दर) तथा आरओआई (सीएजीआर) की समेकित स्थिति को तालिका 1.27 में दर्शाया गया है।

---

[44] *{(वित्तीय वर्ष के 31 मार्च को कंपनी के बाजार पूंजीकरण का सरकारी हिस्सा + वित्त वर्ष के 31 मार्च को सरकार के लाभांश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य + वित्त वर्ष के 31 मार्च को सरकार के विनिवेश प्राप्तियों का वर्तमान मूल्य) - (स्थापना पर सरकार की प्रदत्त इक्विटी + स्थापना पर सरकार के द्वारा इनफ्यूज्ड इक्विटी का रियायती मूल्य + स्थापना पर परिचालन तथा प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए इनफ्यूज्ड आर्थिक सहायता/अनुदान का रियायती मूल्य)}/(स्थापना पर सरकार की प्रदत्त इक्विटी + स्थापना पर सरकार के द्वारा इनफ्यूज्ड इक्विटी का रियायती मूल्य + स्थापना पर परिचालन तथा प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति के लिए इनफ्यूज्ड आर्थिक सहायता/अनुदान का रियायती मूल्य)*100/बीच की वार्षिक अवधि की संख्या।*

[45] *चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर ज्यामितीय प्रगति अनुपात को इंगित करता है जो कि समय अवधि पर प्रतिफल की निरंतर दर प्रदान करता है।*

तालिका 1.27: वर्ष 2000-01 से 2020-21 के दौरान केंद्र सरकार द्वारा अंतर्प्रवाह और केंद्र सरकार को बहिर्प्रवाह तथा आरओआई (वार्षिक औसत दर) और आरओआई (सीएजीआर) का वर्षवार विवरण

(₹ लाख में)

वर्ष	केंद्र सरकार द्वारा धारित इक्विटी	केंद्र सरकार द्वारा जोड़ी गई इक्विटी	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/सब्सिडी	केंद्र सरकार द्वारा लाभांश प्राप्तियां	केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश प्राप्तियां	वर्षों की संख्या	ब्याज दर (आर)	1+ आर	जोड़ी गई इक्विटी का आरंभिक मूल्य	अनुदान सब्सिडी का आरंभिक मूल्य \	विनिवेश प्राप्तियों का पीवी	लाभांश प्राप्तियों का पीवी	निवेश की लागत	शेयर का बाजार मूल्य	निवेश का वर्तमान मूल्य	आरओआई (वार्षिक औसत दर)	आरओआई (सीएजीआर)
क	ख	ग	घ	ङ	च	छ	ज	झ	ञ	त	थ	द	ध	न	प	फ	ब
								(1+ज)	ग / स्थापना के बाद से (छ-1) वर्ष के मूल्य का झ से गुणनफल	घ / स्थापना के बाद से (छ-1) वर्ष के मूल्य का झ से गुणनफल	वर्ष से पिछले वर्ष तक झ का गुणनफल * च	वर्ष से पिछले वर्ष तक झ का गुणनफल * ङ	ख+ ञ + त		न+ थ + द	(ब-ध)/ध)/छ*100	((प/ध)^1/छ-1)*100
2000-01	1123309	41010	0	260949	12792	1	0.1095	1.1095	41010	0	60847	1241216	1164319	3698737	5000801	329.50	329.50
2001-02	1123309	8615	0	353168	0	2	0.0944	1.0944	7765	0	0	1514069	1172084	5141421	7957553	289.46	160.56
2002-03	1132332	4981	0	648409	0	3	0.0734	1.0734	4102	0	0	2540016	1185208	5515692	10871841	272.43	109.33
2003-04	1132332	38649	384	683554	1216976	4	0.0571	1.0571	29653	295	4441280	2494588	1215156	14046223	26338240	516.87	115.77
2004-05	1913587	22550	59110	1154740	268407	5	0.0611	1.0611	16367	42902	926626	3986523	2055680	23016293	40221459	371.32	81.26
2005-06	1913587	13578	2000	1134864	0	6	0.0734	1.0734	9287	1368	0	3692306	2066336	36851808	57749280	449.13	74.20
2006-07	2016632	151848	9277	1334669	0	7	0.0789	1.0789	96763	5912	0	4045440	2272055	38702557	63645470	385.89	60.98
2007-08	2399254	26085	39652	1429807	99482	8	0.0812	1.0812	15406	23420	279483	4016876	2693504	78860843	108100114	489.17	58.65
2008-09	2399254	68391	13180	1340456	0	9	0.0769	1.0769	37360	7200	0	3483031	2738064	57815312	90537614	356.29	47.51

वर्ष	केंद्र सरकार द्वारा धारित इक्विटी	केंद्र सरकार द्वारा जोड़ी गई इक्विटी	केंद्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदान/सब्सिडी	केंद्र सरकार द्वारा लाभांश प्राप्तियां	केंद्र सरकार द्वारा विनिवेश प्राप्तियां	वर्षों की संख्या	ब्याज दर (आर)	1+ आर	जोड़ी गई इक्विटी का आरंभिक मूल्य	अनुदान सब्सिडी का आरंभिक मूल्य \	विनिवेश प्राप्तियों का एफवी	लाभांश प्राप्तियों का एफवी	निवेश की लागत	शेयर का बाजार मूल्य	निवेश का वर्तमान मूल्य	आरओआई (वार्षिक औसत दर)	आरओआई (सीएजीआर)
क	ख	ग	घ	ड	च	छ	ज	झ	ञ	त	थ	द	ध	न	प	फ	ब
								(1+ज)	ग / स्थापना के बाद से (छ-1) वर्ष के मूल्य का झ से गुणनफल	घ / स्थापना के बाद से (छ-1) वर्ष के मूल्य का झ से गुणनफल	वर्ष से पिछले वर्ष तक झ का गुणनफल * च	वर्ष से पिछले वर्ष तक झ का गुणनफल * ड	ख+ ञ + त		न+ थ + द	(ब-ध)/ध)/छ*100	((प/ध)^1/छ-1)*100
2009-10	3538503	125038	282000	1571232	2267040	10	0.0723	1.0723	63428	143050	5470018	3791140	4083791	100640308	142623768	339.24	42.66
2010-11	4492004	225217	18000	2065446	2214954	11	0.0792	1.0792	106543	8515	4984000	4647583	5152350	117267448	168882491	288.89	37.33
2011-12	4492004	8671	0	2540757	1389405	12	0.0852	1.0852	3801	0	2896945	5297542	5156151	88476618	148286148	231.33	32.30
2012-13	4604204	49199	13000	2785930	2404814	13	0.0836	1.0836	19873	5251	4620437	5352686	5293475	71191349	140974002	197.17	28.72
2013-14	4604204	73364	0	3752151	1423613	14	0.0845	1.0845	27348	0	2524205	6652928	5320823	66214638	145174424	187.74	26.64
2014-15	4613789	19200	16500	2855537	2432259	15	0.0851	1.0851	6600	5671	3976608	4668645	5342679	80797181	168402220	203.47	25.87
2015-16	4613789	12003	55202	3369753	1850317	16	0.0789	1.0789	3802	17486	2787914	5077282	5363968	64959270	160429504	180.68	23.66
2016-17	4613789	477947	60881	3649950	2952040	17	0.0716	1.0716	140327	17875	4122630	5097285	5522169	87475931	192166079	198.82	23.22
2017-18	4999490	431016	55437	3736271	4344269	18	0.0697	1.0697	118092	15189	5661558	4869201	6041152	96830604	212051511	189.45	21.86
2018-19	5266779	71324	368453	3421956	4031110	19	0.0778	1.0778	18269	94373	4911136	4168998	6421083	78761971	203063013	161.18	19.94
2019-20	5282779	175698	697555	3015678	1243307	20	0.0685	1.0685	41754	165770	1405392	3408821	6644607	49331450	178446704	129.28	17.88
2020-21	7237067	27126	1569271	3183073	2087553	21	0.0579	1.0579	6033	349021	2208422	3367373	8953948	82515427	217206477	110.75	16.40

वर्ष 2017-18 के बाद से आरओआई (वार्षिक औसत दर) निरंतर गिरावट दर्शा रहा है जैसे 2017-18 में आरओआई 189.45 प्रतिशत था, जो 2020-21 में घटकर 110.75 प्रतिशत रह गया।

एकाधिकार और गैर-एकाधिकार कंपनियों की श्रेणी के तहत सूचीबद्ध सीपीएसई के आरओआई (वार्षिक औसत दर) और आरओआई (सीएजीआर) की गणना की गई और घटती प्रवृत्ति पाई गई। इसके अलावा, सूचीबद्ध एकाधिकार सीपीएसई का आरओआई (वार्षिक औसत दर) और आरओआई (सीएजीआर) सूचीबद्ध गैर-एकाधिकार सीपीएसई की तुलना में अधिक था। पिछले तीन वर्षों के परिणाम तालिका 1.28 में दर्शाया गए हैं:

तालिका 1.28: वर्ष 2018-19 से 2020-21 के दौरान एकाधिकार और गैर-एकाधिकार सूचीबद्ध सीपीएसई के लिए आरओआई (औसत वार्षिक दर) और आरओआई (सीएजीआर)

(प्रतिशत में)

	आरओआई (औसत वार्षिक दर)			आरओआई (सीएजीआर)		
	2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
सूचीबद्ध एकाधिकार सीपीएसई	541.14	461.59	404.09	27.68	25.46	23.62
सूचीबद्ध गैर-एकाधिकार सीपीएसई	120.61	93.37	82.63	18.18	16.06	14.86

पिछले तीन वर्षों के लिए सूचीबद्ध सीपीएसई वार आरओआई (औसत वार्षिक दर) और आरओआई (सीएजीआर) तालिका 1.29 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.29: 2018-19 से 2020-21 के दौरान सीपीएसई के आरओआई (औसत वार्षिक दर) और आरओआई (सीएजीआर)

क्र. सं.	सीपीएसई	आरओआई (औसत वार्षिक दर)			आरओआई (सीएजीआर)		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
1.	एंड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	15.85	3.32	14.98	7.58	2.58	7.01
2.	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	392.09	339.72	435.60	28.13	25.79	26.24
3.	बीईएमएल लिमिटेड	684.07	373.05	741.55	29.25	24.14	27.21
4.	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	1474.95	761.78	867.43	452.26	187.86	144.43
5.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1377.42	1207.18	1461.93	34.07	31.59	31.37

क्र. सं.	सीपीएसई	आरओआई (औसत वार्षिक दर)			आरओआई (सीएजीआर)		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
6.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	700.73	476.09	549.10	29.41	25.65	25.42
7.	भारत इम्यूनोलोजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1.03	-1.96	17.88	-1.14	-2.46	7.71
8.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	716.12	620.98	736.95	29.56	27.31	27.18
9.	कोल इंडिया लिमिटेड	565.16	453.87	414.73	55.07	46.77	41.80
10.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	2166.97	1092.20	1088.72	565.88	223.22	158.35
11.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	1670.01	1178.72	1666.12	35.43	31.44	32.19
12.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	543.84	449.10	453.49	27.71	25.29	24.29
13.	द फर्टीलाइज़ेर्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	19.59	15.10	39.23	8.51	7.20	11.17
14.	गेल (इंडिया) लिमिटेड	431.82	214.60	233.89	26.19	20.82	20.49
15.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एवं इंजीनियर्स लिमिटेड	653.09	490.45	449.90	653.09	228.77	143.83
16.	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	3256.85	898.54	995.29	713.25	203.50	152.75
17.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं[46]	लागू नहीं	1272.00	लागू नहीं	लागू नहीं	1272.00
18.	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	2908.65	1448.90	1733.61	669.24	254.28	189.61
19.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	93.38	64.23	144.30	16.68	14.04	17.82
20.	हिंदुस्तान ऑर्गनिक्स केमिकल्स लिमिटेड	-3.00	-4.07	-1.24	-4.35	-8.08	-1.42
21.	एचएमटी लिमिटेड	13.53	8.02	17.72	6.93	4.90	7.67
22.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	159.57	51.82	98.39	104.73	36.70	49.05
23.	आईएफसीआई लिमिटेड	16.28	1.98	10.96	11.48	1.85	7.93
24.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	399.76	305.20	203.23	25.68	22.92	19.70

[46] *लागू नहीं यह दर्शाता है कि सीपीएसई को उस वर्ष में सूचीबद्ध नहीं किया गया था बल्कि बाद के वर्ष में सूचीबद्ध किया गया था।*

क्र. सं.	सीपीएसई	आरओआई (औसत वार्षिक दर)			आरओआई (सीएजीआर)		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
25.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लागू नहीं	2273.42	1944.40	लागू नहीं	2273.42	531.57
26.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	486.94	लागू नहीं	लागू नहीं	486.94
27.	इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	391.36	165.23	413.57	61.29	39.35	49.90
28.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	4331.77	1969.36	1688.22	4331.77	535.51	272.40
29.	आईटीआई लिमिटेड	7.69	3.25	9.63	4.85	2.53	5.41
30.	केआईओसीएल लिमिटेड	679.41	186.64	349.16	281.94	87.57	96.69
31.	मद्रास फर्टीलाइज़ेर्स लिमिटेड	21.10	3.82	21.85	15.50	3.50	14.18
32.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	34.53	29.84	34.50	11.23	10.19	10.57
33.	मज़गाँव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	419.43	लागू नहीं	लागू नहीं	419.43
34.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	1337.18	869.12	581.98	1337.18	328.75	164.28
35.	एमएमटीसी लिमिटेड	680.19	406.29	814.42	32.31	27.02	30.43
36.	एमओआईएल लिमिटेड	543.52	443.56	446.76	54.42	46.44	42.75
37.	एमएसटीसी लिमिटेड	1173.92	473.55	854.12	1173.92	223.59	198.60
38.	नेशनल अल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	178.70	156.12	164.52	20.57	18.96	18.54
39.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	49.50	40.51	52.42	13.12	11.67	12.57
	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	1014.93	311.94	556.24	84.24	50.24	54.81
41.	एनएचपीसी लिमिटेड	32.39	27.39	27.50	15.54	13.46	12.92
	एनएलसी (इंडिया) लिमिटेड	88.07	77.35	76.21	16.34	15.04	14.45
43.	एनएमडीसी लिमिटेड	2102.22	1910.65	2020.29	37.08	34.64	33.41
44.	एनटीपीसी लिमिटेड	196.14	159.72	161.14	25.57	22.75	21.75
45.	ऑइल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	644.82	606.27	620.38	28.85	27.16	26.14
46.	ऑइल इंडिया लिमिटेड	653.02	512.54	506.10	52.11	44.51	41.00
47.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	202.49	168*.85	179.50	28.97	25.72	24.85
48.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	122.29	95.19	109.55	25.78	22.08	22.08
49.	रेल विकास निगम लिमिटेड	लागू नहीं	25.22	70.53	लागू नहीं	22.65	46.06

क्र. सं.	सीपीएसई	आरओआई (औसत वार्षिक दर)			आरओआई (सीएजीआर)		
		2018-19	2019-20	2020-21	2018-19	2019-20	2020-21
50.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	लागू नहीं	लागू नहीं	276.14	लागू नहीं	लागू नहीं	276.14
51.	राष्ट्रीय केमिकल्स एवं फर्टीलाइज़ेर्स लिमिटेड	53.13	6.58	4.02	13.50	4.29	2.96
52.	राईट्स लिमिटेड	2537.79	1362.57	937.78	2537.79	431.52	207.70
53.	स्कूटर इंडिया लिमिटेड	18.58	10.57	18.15	8.28	5.84	7.77
54.	एसजेवीएन लिमिटेड	41.21	36.54	39.64	18.79	16.62	16.49
55.	एसटीसी लिमिटेड	149.81	71.21	94.56	21.25	15.71	16.75
56.	स्टील ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	65.91	48.32	68.96	14.69	12.56	13.94
57.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4550.94	2139.15	1964.48	859.26	302.43	198.68
58.	द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	148.51	140.88	132.07	19.44	18.37	17.34

यह पाया गया कि सीपीएसई के आरओआई (वार्षिक औसत दर) तथा आरओआई (सीएजीआर) में बड़ी विविधता है। बड़ी विविधता के मुख्य कारण निम्न है:

- सीपीएसई की वर्तमान सूचीबद्धता;
- सीपीएसई के शेयर के बाजार मूल्य में उतार-चढ़ाव
- सीपीएसई से केन्द्र सरकार को प्राप्त लाभांश और विनिवेश राशियों में उतार-चढ़ाव
- सीपीएसई को केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई इक्विटी संचार तथा अनुदान/सब्सिडी।
- वर्षों की संख्या जिसमें सीपीएसई में केन्द्र सरकार की निधि निवेशित रहा।

58 सूचीबद्ध सीपीएसई में से, 2018-19 में दो सीपीएसई[47] सूचीबद्ध नहीं थी जबकि चार सीपीएसई[48] केवल 2020-21 के दौरान सूचीबद्ध की गई थी। 58 सूचीबद्ध सीपीएसई के आरओआई (औसत वार्षिक दर) तथा आरओआई (सीएजीआर) की समीक्षा से, यह पाया गया कि 2018-19 से 2020-21 तक विगत तीन वर्षों के दौरान 13 सीपीएसई के आरओआई (औसत वार्षिक दर) तथा 31 सीपीएसई के आरओआई (सीएजीआर) घट गए हैं।

---

[47] *इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड*

[48] *इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, मज़गांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हेमिस्फेयर प्रोपर्टीज इंडिया लिमिटेड*

1.4.6 बिक्री और विपणन

2020-21 के दौरान, 453 सरकारी कंपनियों और निगमों की कुल बिक्री 2019-20 के दौरान 425 सीपीएसई में ₹24,73,539 करोड़ की तुलना में ₹23,09,743 करोड़ थी। इन 453 सीपीएसई में से, 127 सीपीएसई ने अपनी ₹13,88,768 करोड़ की बिक्री में से सरकारी क्षेत्र को ₹2,53,944 करोड़ की कीमत का माल बेचा/सेवाएं प्रदान की। सरकारी क्षेत्र को इन 127 सीपीएसई की बिक्री का कुल प्रतिशत उनकी कुल बिक्री के संदर्भ में 18.29 प्रतिशत था। 453 सीपीएसई में से, 57 सीपीएसई ने ₹94,190 करोड़ (उनकी कुल बिक्री की राशि ₹17,35,528 करोड़ का 5.43 प्रतिशत) की कीमत के माल / सेवाओं का निर्यात किया जबकि 56 सीपीएसई ने ₹3,11,945 करोड़ की कीमत के माल / सेवाओं का आयात किया जिसके परिणामस्वरूप सीपीएसई द्वारा निवल आयात ₹2,17,755 करोड़ का था।

एकाधिकार तथा गैर-एकाधिकार सीपीएसई के संबंध में कुल बिक्री, सरकारी क्षेत्र को बिक्री तथा निर्यात का विवरण तालिका 1.30 में दिया गया है।

तालिका 1.30: एकाधिकार बनाम गैर-एकाधिकार सीपीएसई का बिक्री विवरण

(₹ करोड़ में)

प्रकार/वर्ष	सीपीएसई की सं.	कुल बिक्री	सरकारी क्षेत्र को बिक्री	निर्यात बिक्री
एकाधिकार सीपीएसई				
2018-19	47	14,42,548	42,351	34,125
2019-20	50	13,66,651	25,546	21,960
2020-21	53	12,23,901	18,141	29,819
गैर-एकाधिकार सीपीएसई				
2018-19	357	10,91,709	2,02,159	78,781
2019-20	375	11,06,888	2,27,205	75,148
2020-21	400	10,85,842	2,35,803	64,371
कुल				
2018-19	**404**	**25,34,257**	**2,44,510**	**1,12,906**
2019-20	**425**	**24,73,539**	**2,52,751**	**97,108**
2020-21	**453**	**23,09,743**	**2,53,944**	**94,190**

453 सीपीएसई द्वारा, ₹23,09,743 करोड़ की कुल बिक्री के प्रति, 57 सीपीएसई द्वारा निर्यात बिक्री 4.08 प्रतिशत (₹94,190 करोड़) थी। जिन सीपीएसई की निर्यात बिक्री ₹5,000 करोड़ से अधिक थी उन्हें तालिका 1.31 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.31: 2020-21 के दौरान ₹5,000 करोड़ से अधिक निर्यात बिक्री वाले सीपीएसई

क्र.सं.	सीपीएसई	निर्यात बिक्री (₹करोड़ में)
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16,778
2	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	9,468
3	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	8,913
4	स्टील ऑथोरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	6,149
5	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5,328
6	नेशनल एल्यूमीनियम कंपनी लिमिटेड	5,163
	कुल	**51,799**

इन छः सीपीएसई की निर्यात बिक्री सभी 57 सीपीएसई के कुल निर्यात का 55 प्रतिशत है।

1.4.7 अनुसंधान एवं विकास

प्रौद्योगिकी, उत्पाद या आविष्कार का पेटेंट किसी कंपनी के अधिकार को दूसरों को बनाने, उपयोग करने या बेचने से वर्जित करने में सक्षम बनाता है। यह विकास लागत को पुन: प्राप्त करने और पेटेंट प्रौद्योगिकी के विकास में निवेश का प्रतिफल प्राप्त करने में भी मदद करता है। पेटेंट का पंजीकरण उसी विचार पर विकसित प्रौद्योगिकी, उत्पाद या आविष्कार के किसी अन्य कंपनी द्वारा हासिल करने के जोखिम को सीमित करने में मदद करता है। तालिका 1.32 पिछले तीन वर्षों के दौरान पंजीकृत पेटेंट की तुलना में सीपीएसई वार अनुसंधान एवं विकास के व्यय को दर्शाती है।

तालिका 1.32 अनुसंधान एवं विकास व्यय और पंजीकृत पेटेंट

2018-19		2019-20		2020-21	
आरएण्डडी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट की संख्या	आरएण्डडी व्यय (₹ करोड़ में)	पेटेंट पंजीकृत	आरएण्डडी व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट की संख्या
5,435	371	4,816	1,061	5,267	1,164

यह पाया गया था कि अनुसंधान एवं विकास व्यय 2019-20 में ₹4,816 करोड़ से ₹451 करोड़ बढ़कर 2020-21 में ₹5,267 करोड़ हुआ जबकि उसी अवधि में पंजीकृत पेटेंट बढ़कर 103 हो गए।

2020-21 के दौरान पंजीकृत 1164 पेटेंट में से, केवल 30 पेटेंट का पाँच सीपीएसई द्वारा वाणिज्यिकरण किया गया है और वर्ष 2020-21 के दौरान ₹16.15 करोड़ का राजस्व अर्जित हुआ जिसे नीचे दी गई तालिका 1.33 में वर्णित किया गया है।

तालिका 1.33: वाणिज्यीकृत पेटेंट की संख्या और अर्जित राजस्व

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	आरएण्डडी पर कुल व्यय (₹ करोड़ में)	पंजीकृत पेटेंट	पेटेंट का वाणिज्यीकरण	पेटेंट के वाणिज्यीकरण पर अर्जित राजस्व (₹ करोड़ में)
1	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	509	180	7	0
2	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	26	36	17	1.45
3	भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड	873	3	1	5.00
4	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	87	20	4	2.20
5	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	6	5	1	7.50
	कुल	**1,501**	**244**	**30**	**16.15**

इसके अलावा, 2020-21 के दौरान वे सीपीएसई जिन्होंने अनुसंधान एवं विकास व्यय ₹500 करोड़ से अधिक किया था उन्हें तालिका 1.34 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.34: ₹500 करोड़ से अधिक आरएंडडी व्यय वाली सीपीएसई

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कुल आरएंडडी व्यय (₹ करोड़ में)	निवल लाभ (₹ करोड़ में)	आरएंडडी व्यय से निवल लाभ का प्रतिशत
1	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1,687	3,233	52.18
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	873	2,065	42.28
3	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	554	11,246	4.93
4	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	509	21,836	2.33

यह पाया गया था कि हिंदुस्तान एयरोनोटिक्स लिमिटेड ने 2020-21 के दौरान अनुसंधान एवं विकास व्यय पर ₹1,687 करोड़ की सर्वोच्च राशि खर्च की थी। इसके अलावा, कंपनी द्वारा पंजीकृत तथा वाणिज्यिकृत पेटेंट की संख्या 104 थी। इसी तरह, भारत इलैक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड तथा ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ने 2020-21 के दौरान अनुसंधान एवं विकास पर क्रमश ₹873 करोड़ तथा ₹554 करोड़ व्यय किए थे, जिसमें पंजीकृत पेटेंट क्रमश: केवल तीन और नौ थे। तथापि, भारत इलेक्ट्रोनिक्स लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिकृत किए गए पेटेंट की संख्या एक और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा वाणिज्यिकृत किए गए पेटेंट की संख्या शून्य थी।

डीपीई ने अपने उत्तर (जून 2022) में कहा कि वे सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण सालाना करते हैं जिसमें केवल वे सीपीएसई शामिल होते हैं जो उनके द्वारा अपनाई गई सीपीएसई की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं। चूंकि सीएजी रिपोर्ट और सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण में अपनाई गई कार्यप्रणाली में मूलभूत अंतर है, इसलिए उनके पास देने के लिए कोई टिप्पणी नहीं है।

अध्याय II

नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की निगरानी भूमिका

2.1 सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की लेखापरीक्षा

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सीएजी) कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 139(5) एवं (7) के अन्तर्गत सरकारी कंपनी एवं सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति करते हैं। सीएजी के पास अनुपूरक लेखापरीक्षा करने तथा सांविधिक लेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर टिप्पणी जारी करने या उस पर अनुपूरक प्रतिवेदन जारी करने का अधिकार है। कुछ निगमों को शासित करने वाली संविधियों में अपेक्षित है कि उनके लेखाओं की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाए तथा संसद को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाए।

2.2 सीएजी द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति

वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति अगस्त 2020 में की गई थी।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) में प्रावधान है कि सरकारी कंपनी या सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी के मामले में सांविधिक लेखापरीक्षक वित्तीय वर्ष प्रारंभ होने से 180 दिनों की अवधि के अन्दर सीएजी द्वारा नियुक्त किये जाने हैं। वर्ष 2020-21 के लिए इन कंपनियों के सांविधिक लेखापरीक्षकों की नियुक्ति सीएजी द्वारा अगस्त 2020 में की गई थी।

2.3 सीपीएसई द्वारा लेखाओं का प्रस्तुतीकरण

2.3.1 समय पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 394 के अनुसार, सरकारी कंपनी के कार्यचालन और कार्यों पर वार्षिक रिपोर्ट इसकी वार्षिक सामान्य बैठक के तीन महीने के अन्दर तैयार की जानी है। ऐसी तैयारी के बाद यथा शीध्र वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति और सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर की गई कोई टिप्पणी अथवा अनुपूरक रिपोर्ट के साथ वार्षिक प्रतिवेदन संसद के दोनों सदनों के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। सांविधिक निगमों को विनियमित करने वाले संबंधित अधिनियमों में लगभग समान प्रावधान विद्यमान हैं। यह तंत्र भारत की समेकित निधि से कंपनियों में निवेश की गई सार्वजनिक निधियों के उपयोग पर आवश्यक संसदीय नियंत्रण उपलब्ध कराता है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 96 प्रत्येक कंपनी से प्रत्येक कलेंडर वर्ष में एक बार शेयर धारकों की वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की अपेक्षा करती है। यह भी कहा गया है कि एक वार्षिक सामान्य बैठक और अगले एजीएम की तारीख के बीच 15 महीने से अधिक का समय नहीं बीतना चाहिए। इस धारा में आगे प्रावधान है कि पहली वार्षिक सामान्य बैठक के मामले में यह कंपनी के पहले वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से नौ महीने की अवधि के भीतर और किसी अन्य मामले में, वित्तीय वर्ष के समापन की तारीख से छः महीने की अवधि के भीतर आयोजित की जाएगी। इस धारा में यह भी अनुबद्ध है कि रजिस्ट्रार किसी विशेष कारण से उस समय का विस्तार कर सकता है जिसके भीतर पहली वार्षिक सामान्य बैठक के अलावा कोई भी वार्षिक सामान्य बैठक तीन महीने की अवधि तक आयोजित की जाएगी।

इसके अतिरिक्त, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 में अनुबद्ध है कि वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरण को उक्त एजीएम में उनके विचार करने के लिए प्रस्तुत किया जाना है। धारा में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के प्रावधानों के अननुपालन के लिए जिम्मेदार कंपनी के निदेशकों सहित व्यक्तियों पर जुर्माना और कारागार जैसी शास्ति लगाने का भी प्रावधान है।

कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए कई कंपनियों के सामने आने वाली कठिनाइयों के कारण, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय (एमसीए) ने सितम्बर 2021 में जारी परिपत्र द्वारा कंपनियों के रजिस्ट्रार को सलाह दी कि वे नियत तिथि अर्थात 30 नवम्बर 2021 जब कंपनियों को वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए अपनी वार्षिक सामान्य बैठकें आयोजित करनी थी, से आगे दो महीने की अवधि के लिए समय बढ़ाने के लिए अनुमोदन दें।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए और कंपनी अधिनियम के तहत सीएजी को किसी कंपनी के वित्तीय विवरण की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के लिए दी गई 60 दिनों की समय सीमा और वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने के लिए दिए गए 21 दिनों की नोटिस अवधि पर विचार करने के बाद, आदर्श रूप से सीपीएसई को 10 सितम्बर 2021 तक इस कार्यालय में अपने वित्तीय विवरण प्रस्तुत किया जाना आवश्यक था। तथापि, बहुत सारे सीपीएसई ने 10 सितम्बर 2021 तक अनुपूरक लेखापरीक्षा हेतु अपने वार्षिक लेखों को प्रस्तुत नहीं किया। कुछ सीपीएसई ने 30 नवम्बर 2021 तक, जो वार्षिक सामान्य बैठक आयोजित करने की बढ़ाई गई अंतिम तिथि थी, सीएजी को अपना वित्तीय विवरण प्रस्तुत नहीं किया। इस संबंध में विवरण आगामी पैराग्राफ में दिया गया है।

2.3.2 सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

31 मार्च 2021 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र में 508 सरकारी कंपनियां तथा 203 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां थी। इनमें से 23 सरकारी कंपनियों और पांच सरकारी नियंत्रित अन्य कंपनियों, जो कि नई थी, के लेखे देय नहीं थे।

711 कंपनियों में से 86 कंपनियों के लेखे बकाया थे।

वर्ष 2020-21 के लिए 485 सरकारी कंपनियों और 198 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखें देय थे। इनमें से, केवल 320 सरकारी कंपनियों (65.98 प्रतिशत) तथा 141 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (71.21 प्रतिशत) ने 10 सितम्बर 2021 तक सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा के लिए अपने लेखे प्रस्तुत किए। इसके अतिरिक्त, 30 नवम्बर 2021 तक, केवल 421 सरकारी कंपनियों (86.80 प्रतिशत) और 176 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (88.89 प्रतिशत) से लेखे प्राप्त हुए थे। 64 सरकारी (13.20 प्रतिशत) कंपनियों तथा 22 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (11.11 प्रतिशत) के लेखे विभिन्न कारणों से बकाया थे। सरकारी कंपनियों तथा सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखें प्रस्तुत करने में बकाया के ब्यौरे नीचे तालिका 2.1 में दिये गये हैं:

तालिका 2.1: लेखाओं को प्रस्तुत करने में बकाया का विवरण

विवरण	सरकारी कंपनियाँ/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ					
	सरकारी कंपनियाँ		सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ		कुल	
31 मार्च 2021 को सीएजी के लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र के तहत कंपनियों की कुल संख्या	508		203		711	
	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध	सूचीबद्ध	असूचीबद्ध
सूचीबद्ध/असूचीबद्ध	67	441	9	194	76	635
घटाएं: नई कंपनियाँ जिनके लेखे 2020-21 के लिए देय नहीं थे	0	23	0	5	0	28
कंपनियों की संख्या जिनके लेखे 2020-21 के लिए देय थे	67	418	9	189	76	607
उन कंपनियों की संख्या जिन्होंने 10 सितम्बर 2021 तक सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु लेखा प्रस्तुत किए	64	256	9	132	73	388

विवरण		सरकारी कंपनियाँ/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ					
		सरकारी कंपनियाँ		सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियाँ		कुल	
उन कंपनियों की संख्या जिन्होंने 30 नवम्बर 2021 तक सीएजी की लेखापरीक्षा हेतु लेखे प्रस्तुत किए		67	354	9	167	76	521
बकाया लेखाओं की संख्या		0	64	0	22	0	86
बकाया का विवरण	**(i) परिसमापनाधीन**	0	22	0	13	0	35
	(ii) अप्रचलित	0	0	0	0	0	0
	(iii) अन्य	0	42	0	9	0	51
अन्य श्रेणी के प्रति बकाया का अवधि वार विश्लेषण	**एक वर्ष (2020-21)**	0	19	0	3	0	22
	दो वर्ष (2019-20 तथा 2020-21)	0	7	0	1	0	8
	तीन वर्ष और अधिक	0	16	0	5	0	21

अनुलग्नक-II क* और *अनुलग्नक-II ख में इन कंपनियों के नाम दर्शाए गए हैं।

2.3.3 सांविधिक निगमों द्वारा लेखाओं को तैयार करने में सामयिकता

छ: सांविधिक निगमों की लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है। पाँच सांविधिक निगमों, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, में से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, भारतीय खाद्य निगम, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण और दामोदर घाटी निगम के लेखे 30 नवम्बर 2021 से पहले लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत किए गए थे। वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के लेखे 30 नवम्बर 2021 को प्रतीक्षित थे। सेन्ट्रल वेयरहाऊसिंग कार्पोरेशन के मामले में, अनुपूरक लेखापरीक्षा सीएजी द्वारा की जाती है तथा लेखे 30 नवम्बर 2021 से पहले प्राप्त हुए थे।

2.4 सीएजी का निरीक्षण - लेखाओं की लेखापरीक्षा और अनुपूरक लेखापरीक्षा

2.4.1 वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचा

कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निर्धारित प्रपत्र में और लेखाकंन मानकों की राष्ट्रीय सलाहकार समिति के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित अनिवार्य लेखाकरण मानकों के अनुपालन में वित्तीय विवरण तैयार करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक निगमों से सीएजी के परामर्श से बनाए गए नियमों तथा ऐसे निगमों

को शासित करने वाले अधिनियम में लेखाओं से संबंधित किसी अन्य विशेष प्रावधान के अन्तर्गत निर्धारित प्रपत्र में अपने लेखे तैयार करने की अपेक्षा की जाती है।

2.4.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक सरकारी कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा करते हैं और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अनुसार उन पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

सीएजी इस समग्र उद्देश्य के साथ कि सांविधिक लेखापरीक्षक उनको आवंटित कार्यों का उचित प्रकार तथा प्रभावी रूप से निर्वहन करते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा में सांविधिक लेखापरीक्षकों के निष्पादन की निगरानी द्वारा निरीक्षण भूमिका निभाते हैं। इस कार्य का निर्वहन निम्न शक्तियों का उपयोग करते हुए किया जाता हैं:

- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षकों को निर्देश जारी करना और
- कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट को अनुपूरक करना या टिप्पणी करना।

2.4.3 सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा

कंपनी अधिनियम, 2013 अथवा अन्य सुसंगत अधिनियम के अन्तर्गत निर्धारित वित्तीय रिर्पोटिंग ढाँचे के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार करने की मुख्य जिम्मेदारी एक कंपनी के प्रबंधन की है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत सीएजी द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आईसीएआई) के मानक लेखापरीक्षण पद्धतियों तथा सीएजी द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार स्वतंत्र लेखापरीक्षा के आधार पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार हैं। सांविधिक लेखापरीक्षकों से कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सीएजी को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है। सांविधिक लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन के साथ चुनी गई सरकारी कंपनियों के प्रमाणित लेखाओं की समीक्षा अनुपूरक लेखापरीक्षा के माध्यम से सीएजी द्वारा की जाती है। ऐसी समीक्षा के आधार पर महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा आपत्तियाँ, यदि कोई है, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के अन्तर्गत वार्षिक सामान्य बैठक के समक्ष प्रस्तुत की जानी है।

2.5 सीएजी की निगरानी भूमिका के परिणाम

2.5.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 के अन्तर्गत सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं की लेखापरीक्षा

सीएजी ने वर्ष 2020-21 के लिए 338 कंपनियों और 5 सांविधिक निगमों के लेखाओं की समीक्षा की।

वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरण 421 सरकारी कंपनियों (67 सूचीबद्ध कंपनियों सहित), 176 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों (नौ सूचीबद्ध कंपनियों सहित) तथा पांच सांविधिक निगमों से 30 नवम्बर 2021 तक प्राप्त हुए थे। इनमें से 261 सरकारी कंपनियों और 77 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों तथा पांच सांविधिक निगमों के लेखाओं की सीएजी द्वारा लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

कुल मिलाकर, सीएजी ने 30 नवम्बर 2021 तक प्राप्त लेखाओं में से 62 *प्रतिशत* सरकारी कंपनियों और 44 *प्रतिशत* सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के लेखाओं की समीक्षा की। समीक्षा के परिणाम के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:

2.5.1.1 वित्तीय विवरणों का संशोधन

सीएजी द्वारा वित्तीय विवरणों कि की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, चार सरकारी कंपनियों और दो सरकार द्वारा नियंत्रित कंपनियों जैसा कि ***अनुलग्नक-XIII*** में वर्णित है, ने एजीएम में इसे प्रस्तुत करने से पहले अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया था।

2.5.1.2 सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट का परिशोधन

31 मार्च 2021 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों की सीएजी द्वारा की गई अनुपूरक लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप, 54 सरकारी कंपनियों और 13 सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों, जैसा कि ***अनुलग्नक-XIV*** में वर्णित है, के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने वार्षिक सामान्य बैठक में इन कंपनियों के वित्तीय विवरण को प्रस्तुत करने से पहले अपनी रिपोर्ट संशोधित की थी।

2.5.1.3 सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों पर सांविधिक लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अनुपूरक के रूप में जारी की गयी सीएजी की महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ

सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा वर्ष 2020-21 के लिए वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के पश्चात, सीएजी द्वारा चयनित सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा की गई। 67 सीपीएसई, जिनके

संबंध में टिप्पणियाँ जारी की गई, की सूची ***अनुलग्नक-XV*** में दी गई है। सरकारी कंपनियों और सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों के वित्तीय विवरणों पर जारी की गयी कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियों, जिनका लाभप्रदत्ता पर वित्तीय प्रभाव ₹2,645.06 करोड़ था और परिसम्पत्तियों/देयताओं पर ₹61,739.01 करोड़ था, को नीचे तालिका में दर्शाया गया है। पूर्व में इंगित किए जाने के बावजूद, कुछ कंपनियों जैसे फ़र्टिलाइज़र और केमिकल लिमिटेड त्रावनकोर (क.iv.1) आईएफसीआई लिमिटेड (पैरा क.i.2), आईटीआई लिमिटेड (पैरा क.i.3), तथा उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड (ग.i.1) ने सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की, जिनका विवरण नीचे दी गई तालिका में भी दर्शाया गया है:

क. सूचीबद्ध सरकारी कंपनियाँ

क. i. लाभ प्रदता पर टिप्पणी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	कंपनी के प्रति दावों जिनको ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया था (आकस्मिक देयताएं) में ₹62.72 करोड़ की राशि शामिल थी जोकि उड़ीसा के माननीय उच्च न्यायालय में मैसर्स एस एस अग्रवाल (₹1.90 करोड़) के साथ न्यायाधीन मामलों के संबंध में लंबित वाणिज्यिक दावों के रूप में और माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में मैसर्स जेआरएमईएचएल और जेआरएमएमईआई (₹60.82 करोड़) के साथ संविदागत मामलों के रूप में लंबित थी। कंपनी एक मामला मध्यस्थ के साथ-साथ जिला अदालत के समक्ष और एक मामला मध्यस्थ के समक्ष भी हार गई थी। चूंकि कंपनी के पास केवल पुरानी कानूनी राय है और उसने मामले के संबंध में स्वयं द्वारा निर्धारित कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है, इसलिए कंपनी को इंड एएस 37 के अनुपालन में प्रावधान बनाना चाहिए था। इसके लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹62.72 करोड़ की राशि से 'लाभ' को अधिक बताने के अलावा 'आकस्मिक देयताओं' को अधिक और 'प्रावधानों' को कम बताया गया था।
2.	आईएफसीआई लिमिटेड (स्टैंड अलोन और	निम्नलिखित कारणों से ऋण को अधिक बताया गया और वर्ष के लिए हानि को ₹415.88 करोड़ से कम बताया गया था:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
	समेकित वित्तीय विवरण)	• मधुकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दिए गए ऋण के संबंध में ₹123.07 करोड़ की शेष ऋण राशि को बट्टे खाते में न डालना। इसके परिणामस्वरूप ₹52.19 करोड़ (₹70.88 करोड़ के क्षति हानि भत्ते के समायोजन के बाद) की हानि को कम करके बताया गया और उसी राशि के समान ऋण को अधिक बताया गया। • राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) के दिए गए आदेशों के अनुसार ग्रैन इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (जीईपीएल), जो परिसमापन के अधीन है, को दिए गए ऋण के संबंध में ₹125.44 करोड़ की शेष राशि को बट्टे खाते में न डालना। इसके परिणामस्वरूप ₹53.20 करोड़ (₹72.24 करोड़ के अनर्जक हानि भत्ते के समायोजन के बाद) की हानि को कम करके बताया गया है और उसी राशि के समान ऋण को अधिक बताया गया। • एनसीएलटी के निर्णय और समाधान योजना के अनुसार, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड से ₹650.36 करोड़ के कुल बकाया के संबंध में आईएफसीआई का दावा ₹70.31 करोड़ तक सीमित था। वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड से अधिकतम वसूली योग्य राशि को केवल ₹74.71 करोड़ ही आंका गया था। ₹575.65 करोड़ की शेष राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप ₹244.13 करोड़ (₹331.52 करोड़ के अनर्जक हानि भत्ते के समायोजन के बाद) की हानि को कम करके बताया गया है और उसी राशि के समान ऋण को अधिक बताया गया। • मैसर्स सी एंड सी प्रोजेक्ट्स लिमिटेड को दी गई ₹75.90 करोड़ की ऋण राशि के संबंध में ₹75.73 करोड़ की शेष राशि को बट्टे खाते में न डालना, जिसके प्रति समाधान योजना समाप्त हो गई थी और मामला परिसमापन में चला गया था। परिसमापन मूल्य ₹234 करोड़ था और परिसमापन के मामले में आईएफसीआई का हिस्सा केवल ₹0.17 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप ₹32.12 करोड़ (₹43.61 करोड़ के अनर्जक हानि भत्ते के समायोजन के

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		बाद) की हानि को कम करके बताया गया है और उसी राशि के समान ऋण को अधिक बताया गया। • एनएचएआई परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए आईएलएंडएफएस समूह के तहत गठित एक एसपीवी मैसर्स खेड़ सिन्नर एक्सप्रेसवे लिमिटेड से ₹105.58 करोड़ की ऋण राशि को प्राप्य राशि माना गया है। इस परियोजना को एनएचएआई द्वारा समाप्त कर दिया गया है। आईएलएंडएफएस समूह ने एनसीएलटी में समाधान योजना दायर की, जिसे मार्च 2020 में अनुमोदित किया गया था और अनुमोदित समाधान योजना के अनुसार, आईएफसीआई का हिस्सा केवल ₹63 करोड़ था। तथापि, अन्य संघीय ऋणदाताओं ने एनसीएलटी द्वारा अनुमोदित राशि की तुलना में अधिक वसूली प्राप्त करने के लिए माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील फाइल की थी। यहां तक कि अगर उच्चतम न्यायालय में मामले का निर्णय संघीय ऋणदाताओं के पक्ष में दिया जाता है, तो आईएफसीआई की वसूली लगभग ₹75 करोड़ तक बढ़ सकती है। चूंकि अधिकतम अपेक्षित वसूली ₹75 करोड़ है, इसलिए ₹30.58 करोड़ (₹105.58- ₹75 करोड़) की शेष राशि को बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था। इसे बट्टे खाते में नहीं डाले जाने के परिणामस्वरूप ₹12.97 करोड़ (₹17.61 करोड़ के अनर्जक हानि भत्ते के समायोजन के बाद) की हानि को कम करके बताया गया है और उसी राशि के समान ऋण को अधिक बताया गया। • पिछले वर्षों में इंगित किए जाने के बावजूद, कंपनी ने आईएल एंड एफएस ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क लिमिटेड से देय ₹24.62 करोड़ की बकाया राशि, जो किसी भी जमानत के तहत शामिल नहीं थी, को बट्टे खाते में नहीं डाला। इसके परिणामस्वरूप ₹10.44 करोड़ (₹14.18 करोड़ के अनर्जक हानि भत्ते के समायोजन के बाद) के ऋण को अधिक बताया गया है उसी राशि के समान हानि को कम बताया गया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		• कंपनी ने मैसर्स केएसके एनर्जी वेंचर्स लिमिटेड से ₹45 करोड़ की बकाया राशि की वसूली के लिए एनसीएलटी से संपर्क किया। समाधान योजनाओं के आधार पर और परिसमापक द्वारा मैसर्स केएसके एनर्जी वेंचर लिमिटेड की परिसमापन प्राप्तियों से कंपनी को आवंटित राशि पर विचार करते हुए, वसूली योग्य अधिकतम राशि ₹19.46 करोड़ आंकी गई। ₹25.54 करोड़ की शेष राशि को बट्टे खाते में न डालने के परिणामस्वरूप ₹10.83 करोड़ (₹14.71 करोड़ के अनर्जक हानि भत्ते के समायोजन के बाद) की हानि को कम करके बताया गया है और उसी राशि के समान ऋण को अधिक बताया गया।
3.	आईटीआई लिमिटेड	लाभ और हानि लेखा के विवरण के बजाय सुरक्षा प्रीमियम लेखा में वापस लिए गए 'आगामी सार्वजनिक प्रस्ताव' के लिए व्यय को प्रभारित करने के परिणामस्वरूप ₹11.98 करोड़ तक व्यय को कम बताया गया और लाभ को अधिक बताया गया। पिछले वर्ष में इंगित किए जाने के बावजूद, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई
4.	एमएमटीसी लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	• 31 मार्च 2021 को नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड से प्राप्य राशि के रूप में कंपनी द्वारा किए गए निर्धारण के अनुसार, ₹946.33 करोड़[49] की संभावित आय पर ₹330.69 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्तियां सृजित की गई थीं। चूंकि नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड से प्राप्य आय अनिश्चित थी और सामान्यतया मान्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार नहीं थी, इसलिए इसके परिणामस्वरूप ₹330.69 करोड़ की आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ को अधिक बताया गया और हानि को कम बताया गया। • मैसर्स एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीई लिमिटेड के साथ विवादित मामले के संबंध में पूर्व-मध्यस्थता अवधि के लिए देय ब्याज का प्रावधान नहीं करने के परिणामस्वरूप ₹103.11 करोड़ से प्रावधानों एवं हानि को

[49] *वि.व. 2019-20 एवं 2020-21 के लिए ₹547.87 करोड़ और वि.व. 2021-22 के लिए ₹398.46 करोड़*

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		कम बताया गया। इसके परिणामस्वरूप आकस्मिक देयताओं को ₹103.11 करोड़ तक अधिक बताया गया। • कंपनी ने निष्पादन से संबंधित भुगतान (पीआरपी) के लिए ₹17.08 करोड़ का प्रावधान किया, जिसमें से ₹13.99 करोड़ वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 से संबंधित हैं और पिछले वर्षों में ₹3.09 करोड़ का अतिरिक्त प्रावधान बुक किया गया था। कंपनी ने पीआरपी प्राप्त करने के लिए 2017-18 और 2018-19 के दौरान अपनी संयुक्त उद्यम कंपनी, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड से प्राप्त ब्याज बुक किया, जबकि कंपनी वास्तव में नकद आधार पर लाभ अर्जित नहीं कर रही थी। इसके अलावा, पीआरपी के प्रयोजनार्थ जेवी कंपनी से प्राप्य ब्याज पर विचार करना डीपीई दिशानिर्देशों (18 सितंबर 2013) का भी उल्लंघन है। इसके अलावा, पीआरपी को वित्तीय वर्ष 2017-18 और 2018-19 के लिए निदेशकों की पारिश्रमिक समिति द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था और अत्यधिक नकदी की कमी को देखते हुए, कंपनी पीआरपी की सिफारिश करने की स्थिति में नहीं थी। उपर्युक्त की दृष्टि में और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि कंपनी ने अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन (नवंबर 2020) के अनुरूप पीआरपी की वसूली भी शुरू की है, पीआरपी के लिए बनाए गए प्रावधान को भी उलट दिया जाना चाहिए था। गैर-उत्क्रमण के परिणामस्वरूप प्रावधानों को अधिक और हानि को ₹17.08 करोड़ तक कम बताया गया।
5.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	**(क)** वर्ष के लिए लाभ को निम्नलिखित के कारण ₹99.61 करोड़ की राशि से अधिक बताया गया था: • अगस्त 2010 में चालू किए गए गैस होल्डर, जो नवंबर 2012 से निष्क्रिय हो गया था और क्रियाशील नहीं था, के लिए प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्ययों - प्रावधानों और अचल परिसंपत्तियों को ₹38.26 करोड़ से अधिक बताया गया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		• जनवरी 2009 में चालू किए गए पाइप कोटिंग प्लांट, जो 2016-17 के बाद से निष्क्रिय और अनुत्पादी हो गया था के लिए प्रावधान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप अन्य व्ययों - प्रावधानों और अचल परिसंपत्तियों को ₹25.20 करोड़ से अधिक बताया गया। • प्रबंधन द्वारा शटडाउन में विलंब के लिए ब्लास्ट फर्नेस -2 के संबंध में संविदाकार को भुगतान की गई प्रवर्धन राशि (₹17.13 करोड़) को प्रभारित नहीं किए जाने और माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय पर कोल्ड रोलिंग मिल परियोजना के लिए किसी अन्य संविदाकार को भुगतान किए गए शास्तिक ब्याज (₹5.01 करोड़), जो परिसंपत्तियों की लागत से संबंधित नहीं थे और इंड एएस 16 के पैरा 16 के मानदंडों को भी पूरा नहीं करते थे, के परिणामस्वरूप प्रगति पर पूंजीगत कार्य को अधिक बताया गया और अन्य व्ययों को ₹22.14 करोड़ से कम बताया गया। • प्रत्यक्ष कर विवाद से विश्वास अधिनियम, 2020, करदाता को विवादित कर का भुगतान करके लंबित विवाद से राहत पाने और ब्याज और शास्ति के भुगतान से छूट प्राप्त करने की अनुमति देता है। अधिनियम की धारा 7 में यह निर्धारित किया गया है कि उक्त योजना के तहत भुगतान की गई राशि वापसी योग्य नहीं होगी। कंपनी ने उक्त योजना के तहत एक मामले के निपटारे के लिए ₹14.01 करोड़ का भुगतान किया और इसको सरकारी अधिकारियों के पास जमा के रूप में दर्शाया। चूंकि, उपर्युक्त मामले को योजना के तहत निपटाया गया था, इसलिए राशि वापस प्राप्त करने योग्य नहीं थी। लाभ और हानि खाते में इसको प्रभारित न करने के परिणामस्वरूप अन्य व्ययों को कम बताया गया और साथ ही अन्य चालू परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया। **(ख)** बोकारो इस्पात संयंत्र की ऑक्सीजन संयंत्र में एयर टर्बो कंप्रेसर और ऑक्सीजन टर्बो कंप्रेसर और स्टील मेल्टिंग शॉप-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		II के लिए हॉट मेटल डीसल्फ़राइज़ेशन परियोजनाओं, जिसमें 2020-21 के दौरान कोई सक्रिय विकास नहीं हुआ था, से संबंधित निर्माण अवधि (2020-21) के दौरान अर्जित ब्याज का प्रभार, को लाभ और हानि के विवरण के लिए वित्त लागत के रूप में प्रभारित करने के बजाय प्रगति पर पूंजीगत कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) को स्थानांतरित कर दिया गया था, जो इंड एएस 23 के प्रावधानों का अनुपालन नहीं था, के परिणामस्वरूप सीडब्ल्यूआईपी और लाभ को अधिक बताया गया और वित्त लागत राशि को ₹11.32 करोड़ तक कम बताया गया।

क. ii. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	वर्तमान देयताएं-वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2019-20 के लिए लाइसेंस फीस और स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क के अनंतिम निर्धारण पर दूरसंचार विभाग (डीओटी) द्वारा प्रस्तुत की गई मांग के लिए प्रावधान नहीं किए जाने के कारण अल्पकालिक प्रावधानों को ₹3,565.53 करोड़ की राशि से कम बताया गया। इसके अलावा, माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपने दिनांक 01.09.2020 के आदेश के माध्यम से एजीआर मामले का निपटान किया और दूरसंचार विभाग ने सभी टेलीफोन सेवा प्रदाताओं को निर्देश दिया कि लाइसेंस करार(ओं) में निर्धारित अपने स्वयं के निर्धारण के बाद लाइसेंस फीस और अन्य बकाया का भुगतान करने की जिम्मेदारी लाइसेंसधारकों की थी। इसके लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹3,565.53 करोड़ की हानि को कम बताया गया और आकस्मिक देयताओं को अधिक बताया गया।

क. iii. नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	आईएफसीआई लिमिटेड	• ₹11.34 करोड़ की सहायक कंपनियों में निवेश में अनर्जक हानि को गलत तरीके से 'सहायक कंपनियों में निवेश' के रूप में दर्शाया गया था, जिसमें निवेश गतिविधियों के तहत निवेश की बिक्री को दर्शाया गया था। इसके

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		परिणामस्वरूप ₹11.34 करोड़ तक के निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अधिक बताया गया है और परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह को कम बताया गया है। *(केवल स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू)।* • कंपनी ने शेयरों/प्रतिभूतियों की बिक्री से ₹(-)101.73 करोड़ की आय निवेश गतिविधियों के तहत दर्शाने के बजाय परिचालन गतिविधियों के तहत सूचित की। इसके परिणामस्वरूप ₹101.73 करोड़ के परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह को कम बताया गया और निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह को अधिक बताया गया।

क. iv. प्रकटन पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	भारत सरकार ने फैक्ट आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड (एफआरबीएल) की इक्विटी शेयर पूंजी में ₹29.25 करोड़ के अतिरिक्त निवेश के लिए कंपनी को मंजूरी (16 नवंबर 2018) दी। एफआरबीएल फैक्ट लिमिटेड और आरसीएफ लिमिटेड का एक संयुक्त उद्यम है। अनुमोदन के विरुद्ध, एफआरबीएल ने 2010 और 2013 के बीच कंपनी द्वारा आपूर्ति किए गए जिप्सम और अन्य सेवाओं के लिए ₹15.18 करोड़ के इक्विटी शेयर जारी किए। 2014 से 2020 के दौरान प्रदान किए गए जिप्सम / अन्य सेवाओं के विरुद्ध ₹11.68 करोड़ के इक्विटी शेयर एफआरबीएल द्वारा आवंटन के लिए लंबित थे। इसके अलावा, अतिरिक्त निवेश को पूरा करने के लिए कंपनी द्वारा ₹2.39 करोड़ की जिप्सम की आपूर्ति 31.03.2021 तक लंबित थी। इन महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटन वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में नहीं किया गया था। इस टिप्पणी को 2019-20 के दौरान भी उजागर किया गया था, तथापि, कंपनी द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।
2.	आईएफसीआई लिमिटेड	• कंपनी के समेकित वित्तीय विवरणों (सीएफएस) की लेखाकरण नीति संख्या 2 (एफ) (क) (i) में अन्य बातों के

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		साथ-साथ यह निर्धारित किया गया है कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कंपनी ने कुछ चरण 3 परिसंपत्तियों पर आय को अमान्य कर दिया। तथापि, कंपनी के स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों (एसएफएस) में या इसकी किसी भी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों में ऐसी कोई लेखाकरण नीति नहीं पाई गई थी। इसलिए, कंपनी के सीएफएस की महत्वपूर्ण लेखाकरण नीति कंपनी के एसएफएस या इसकी किसी भी सहायक कंपनी के एसएफएस के अनुरूप नहीं थी। *(केवल समेकित वित्तीय विवरणों पर लागू)।* • वित्तीय विवरणों के नोट संख्या 40 के संदर्भ में जिसमें कहा गया है कि "कंपनी ने आय मान्यता और परिसंपत्ति वर्गीकरण मानदंडों के अनुसार सी 3 और डी के रूप में वर्गीकृत मामलों पर चरण 3 आय की मान्यता रद्द कर दी है। तदनुसार, लाभ और हानि खाते में ₹613.71 करोड़ (₹833.38 करोड़ के ईसीएल अनर्जक भत्ते का निवल) की राशि ली गई है। इस प्रकार, वर्ष के लिए हानि ₹613.71 करोड़ से अधिक है और सकल ऋण परिसंपत्तियां ₹1,447.08 करोड़ से कम हैं।" तथापि, कंपनी ने पूरे वर्ष 2020-21 के दौरान सी 3 और डी के रूप में वर्गीकृत मामलों पर ₹2,535.84 करोड़ की चरण 3 आय को बट्टे खाते में डाला था। ₹1,447.08 करोड़ की राशि (उपरोक्त नोट में प्रकटन किया गया है) केवल वित्त वर्ष 2020-21 की चौथी तिमाही के दौरान बट्टे खाते में डाली गई राशि से संबंधित थी। उपर्युक्त राशि के अलावा, कुछ धोखाधड़ी और एनसीएलटी मामलों पर भी चरण 3 आय की मान्यता रद्द कर दी गई थी, जिसके लिए खातों के लिए नोट्स में कोई प्रकटीकरण नहीं किया गया था। इसलिए, वित्तीय विवरणों में खातों की टिप्पणियों में इस सीमा तक कमी थी।
3.	आईटीआई लिमिटेड	निम्नलिखित तथ्यों को कंपनी द्वारा खातों की टिप्पणियों के रूप में प्रकट नहीं किया गया था:

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		• भारत सरकार से प्राप्त ₹300 करोड़ के ऋणों पर देय ब्याज को बही-खातों में नहीं लिखा गया है क्योंकि ऋण की अदायगी और उस पर ब्याज का मामला मंत्रालय के साथ पत्राचार के अधीन है। • कंपनी ने धन की वसूली के लिए एक विक्रेता मैसर्स मिंडारे के विरुद्ध न्यायालय में मामला दर्ज करने के लिए कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी है और कंपनी ने पुलिस प्राधिकारियों के पास शिकायत दर्ज कराई है। मैसर्स मिंडारे ने कंपनी की ओर से संदिग्ध छलपूर्ण पावती प्रदान करके आईटीआई लिमिटेड द्वारा ₹12.07 करोड़ के अग्रिम बीजक के प्रति प्रदान की गई एलसी को छूट दी।
4.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची-III में यह निर्धारित किया गया है कि पूंजीगत खाते पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि का धन मूल्य और इसके लिए प्रदान नहीं किया जाना है, का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों के नोट्स में किया जाना चाहिए। 31.03.2021 पूंजीगत लेखा पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि को ₹3.31 करोड़ थी। तथापि, ₹3.31 करोड़ की अपेक्षा, कंपनी ने वित्तीय विवरणों के लिए नोट्स में ₹44.38 करोड़ का प्रकटीकरण किया [नोट -30 (1)(ए)], जो वर्ष 2021-22 के लिए पूंजीगत व्यय का बजट अनुमान है। इसके परिणामस्वरूप पूंजीगत लेखा पर निष्पादित किए जाने वाले अनुबंधों की अनुमानित राशि पर प्रकटीकरण अतिकथन किया गया है और ₹41.07 करोड़ का प्रकटीकरण नहीं किया गया है।
5.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	वर्ष 2008-09 से 2017-18 से संबंधित लीज सर्किट (पीसीएम लिंक बिल) के लिए भारत संचार निगम लिमिटेड से प्राप्त दावों को शामिल नहीं किए जाने के कारण लंबित मुकदमेबाजी की आकस्मिक देनदारियों को ₹23.26 करोड़ की राशि का अल्पकथन किया गया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
6.	एमएमटीसी लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	• संपदा अधिकारी, कोलकाता द्वारा अप्रैल 2014 से अप्रैल 2019 की अवधि के लिए भवन पर अनधिकृत कब्जे के लिए पारित आदेश के अनुसार आकस्मिक देनदारियों में एनआईसी भवन के लिए नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (एनआईसी) को देय बकाया किराए और ब्याज के कारण ₹7.29 करोड़ की राशि शामिल नहीं की गई थी। चूंकि मामला अभी भी लंबित है और न्यायाधीन है, इनको आकस्मिक देनदारियों के तहत दर्शाया जाना चाहिए था। • संदर्भ नोट नंबर 3 (सी) में कहा गया है कि, "*एमएमटीसी की अचल संपत्तियों का मूल्यांकन किया गया और नवीनतम मूल्यांकन रिपोर्ट के अनुसार, मई 2019 में ₹1,389 करोड़ के पिछले मूल्यांकन की तुलना में 31.03.2021 को उचित मूल्य ₹1,642 करोड़ था, (नोट 32 (ii) देखें)*" तथापि, नोट 32 (ii) में मूल्यांकन के बारे में ऐसा कोई विवरण नहीं था। इस प्रकार, लेखे की टिप्पणियाँ उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थीं। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने एंग्लो अमेरिकन मेटलर्जिकल कोल पीटीई लिमिटेड की निष्पादन याचिका पर सुनवाई के बाद (मार्च 2021) कंपनी को उक्त आदेश की तारीख से दो महीने के भीतर ₹585.94 करोड़ जमा करने का निर्देश दिया। वित्तीय संकट के कारण, कंपनी आदेश का पालन नहीं कर सकी। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 27.08.2021 को ₹1.02 करोड़ की राशि के दो बैंक खातों को कुर्क करने के लिए एक आदेश पारित किया। तथापि, कंपनी ने इंड एएस-10 की आवश्यकताओं के अनुसार, लेखा अभ्युक्तियों में उपर्युक्त तथ्य का खुलासा नहीं किया था, इस प्रकार, टिप्पणियाँ उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थीं।
7.	मॉयल लिमिटेड	कंपनी ने इंडएएस 19 (कर्मचारी लाभ) के तहत आवश्यक निम्नलिखित का प्रकटीकरण नहीं किया: क. जैसा कि अनुच्छेद 139 (ख) के अंतर्गत यथा योजना आवश्यक जोखिम का विवरण जिसके लिए ₹217.56 करोड़ की ग्रेच्युटी की योजना परिसंपत्तियों और ₹67.16

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		करोड़ की अवकाश नकदीकरण के लिए इकाई को उजागर करती है । ख. पैरा 145 (ख) के अनुसार दायित्वों को तैयार करने में उपयोग की जाने वाली विधियों और मान्यताओं की सीमाएं।

क. v. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	आई एफ सी आई लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	• स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के संबंध में कंपनी (लेखापरीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2016 की रिपोर्ट में निम्नलिखित विसंगतियों को देखा गया था: (i) बिंदु संख्या (vii)(बी) - (क) निर्धारण वर्ष 2015-16 से संबंधित शास्ति (₹1.23 करोड़ रुपए) का विवादित मामला आईटीएटी, नई दिल्ली के स्थान पर सीआईटी (ए) में लंबित है और (ख) निर्धारण वर्ष 2016-17 के लिए आयकर मांग, विवादित राशि ₹2.61 करोड़ के बजाय ₹43.40 करोड़ थी। *(केवल स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों पर लागू)।* (ii) बिंदु संख्या (xiv) - यह कहा गया कि कंपनी ने 21.05.2020 को विशेषाधिकार आधार पर भारत के राष्ट्रपति (भारत सरकार) को 20 करोड़ इक्विटी शेयर ₹10 की दर से आवंटित किए। तथापि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 42 के अनुपालन में कि क्या जुटाई गई राशि का उपयोग उन उद्देश्यों के लिए किया गया था जिनके लिए धन जुटाया गया था के बारे में रिपोर्ट मौन थी। (iii) बिंदु नं (i)(बी) - लेखा परीक्षक ने बताया कि प्रबंधन ने अचल परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन किया और इस तरह के सत्यापन पर कोई महत्वपूर्ण विसंगतियां नहीं पाई गईं। तथापि, वित्तीय विवरणों पर हस्ताक्षर करने की तारीख से पहले वर्ष के दौरान किए गए भौतिक सत्यापन के लिए कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। • कंपनी ने वर्ष के दौरान ₹3,038.03 करोड़ की ब्याज आय (चरण 3 आय) बट्टे खाते में डाल दी जबकि भाग-

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		क की क्रम संख्या 02-निदेश (अनुलग्नक ख) में स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा उल्लेख किया गया है कि कंपनी ने ₹1,424.07 करोड़ की ब्याज आय (चरण 3 आय) को बट्टे खाते में डाल दिया। इसलिए स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी।
2.	एमएमटीसी लिमिटेड	• कंपनी के वित्तीय विवरणों पर अभ्युक्तियों के प्रभाव पर विचार करते हुए, वर्ष के लिए हानि (₹769.69 करोड़) जैसा कि लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है, 53.67 प्रतिशत बढ़कर ₹1,182.82 करोड़ तक पहुंच गई। इसलिए कंपनी के वित्तीय विवरणों में 'सच्चा और निष्पक्ष दृष्टिकोण' प्रस्तुत नहीं किया गया और यह स्वतंत्र लेखापरीक्षक की ओर से यह आश्वासन प्रदान किया जाना कि वित्तीय विवरण एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं, उचित नहीं था। • सांविधिक लेखापरीक्षक ने क्र.सं. 1 (पैराग्राफ प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के अंतर्गत) में कहा कि "कंपनी के 5 क्षेत्रीय कार्यालय हैं" जबकि कंपनी के पास 31 मार्च 2021 को छह क्षेत्रीय कार्यालय थे जिसका प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों में सामान्य सूचना के अंतर्गत किया गया था। इसलिए, स्वतंत्र लेखापरीक्षक द्वारा रिपोर्टिंग उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी।

क. गैर-सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां

ख. i. लाभप्रदता पर टिप्पणियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	**एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड**	मैसर्स जीई इंजन सर्विसेज, एलएलसी के साथ समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए संचालन से प्राप्त होने वाले राजस्व को ₹93.84 करोड़ की राशि से बढ़ा कर बताया गया था। केवल समझौते पर हस्ताक्षर करने मात्र से राजस्व और व्यय की बुकिंग समुचित नहीं थी और इसके परिणामस्वरूप ₹6.74 करोड़ से अधिक राजस्व (₹93.84 करोड़ का बुक किया गया राजस्व और ₹87.10 करोड़ का बुक किया गया

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		व्यय), ₹93.84 करोड़ से व्यापार प्राप्य और ₹87.10 करोड़ द्वारा व्यापार देयता का अतिकथन किया गया है।
2.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	इंड एएस 37 के प्रावधानों के अनुरूप कोलकाता में कार्यालय परिसर के संबंध में मैसर्स स्क्वायर फोर एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी को किराया और अन्य शुल्क के कारण ₹16.76 करोड़[50] की देय राशि अल्पकालिक प्रावधानों में शामिल नहीं थी। इसके परिणामस्वरूप हानि को भी उसी सीमा तक कम बताया गया है।
3.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	• 31.03.2021 को आस्थगित कर परिसंपत्ति के रूप में कंपनी ने ₹70.90 करोड़ की राशि (पूर्व अवधि के लिए ₹45.22 करोड़ और वर्तमान अवधि के लिए ₹25.68 करोड़) को मान्यता दी। कंपनी के पिछले रिकॉर्ड को देखते हुए और ठोस सबूत के अभाव में यह मान लेना कि भविष्य में लाभ होगा, आस्थगित कर परिसंपत्तियों की मान्यता सही नहीं है। इसके परिणामस्वरूप हानि को ₹70.90 करोड़ से कम बताया गया। • परिचालन से अर्जित राजस्व में ₹25.28 करोड़ की राशि शामिल है, जो फ्लीट सपोर्ट जहाजों के निर्माण के लिए सहयोग से संबंधित व्यय करने पर मान्यता प्राप्त टर्नओवर है। चूंकि कंपनी ने केवल 30.03.2021 को ग्राहक को बोली जमा की है और इन जहाजों के निर्माण और वितरण के लिए अनुबंध को अभी अंतिम रूप दिया जाना बाकी है, ₹25.28 करोड़ के टर्नओवर की मान्यता सही नहीं थी, जैसा कि एएस 7 के तहत अनिवार्य है। इसके परिणामस्वरूप राजस्व और व्यय को ₹25.28 करोड़ से अधिक बताया गया।
4.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी	• कंपनी द्वारा आईएलएंडएफएस फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड को दिए गए ऋण के संबंध में जोकि 31.12.2018 को अनर्जक परिसम्पत्ति हो चुका है तथा

[50] *ईपीआईएल के पूर्वी क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा अनुमानित दिनांक 01.10.2015 से 31.03.2021 तक की अवधि के लिए प्रावधान.*

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
	लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	2020-21 के वित्तीय विवरणों में बट्टे खाते में डाला गया, में अपने हिस्से के ₹122.80 करोड़ की 09.04.2021 को प्राप्ति को मान्यता नहीं दी, जिसके परिणामस्वरूप 21.06.2021 को अंतिम रूप दिए गए वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए 'कर और अन्य इक्विटी से पहले लाभ' को कम दिखाया गया था। • एकबारगी निपटान के तहत एचकेआर रोडवेज लिमिटेड को दिए गए ऋण के संबंध में अपने हिस्से के लिए 13.05.2021 तक कंपनी द्वारा प्राप्त ₹95.04 करोड़ के ऋण की वसूली को मान्यता नहीं दी गई इसके परिणामस्वरूप 21.06.2021 को अंतिम रूप दिए गए वित्तीय विवरणों में दर्शाए गए प्रावधान और कर पूर्व लाभ को ₹13.54 करोड़ से कम करके दर्शाया गया।
5.	नेशनल इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड	• पहले ही समाप्त हो चुकी पॉलिसियों पर अनर्जित प्रीमियम रिजर्व के सृजन के परिणामस्वरूप प्रावधानों के तहत अनर्जित प्रीमियम रिजर्व और वर्ष के लिए हानि को ₹105.71 करोड़ तक अधिक बताया गया। • आईआरडीए के विनियम और अपनी नीति के विपरीत, कंपनी ने ₹358.84 करोड़ के दावों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया, जिनके बारे में 31.03.2021 से पहले परिचालन कार्यालयों को सूचित किया गया था। इन दावों के लिए प्रावधान न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹358.84 करोड़ के वर्तमान देयताओं और दावों (निवल) को कम बताया गया और उसी सीमा तक हानि को कम बताया गया। • कंपनी ने ₹46.48 करोड़ के प्रीमियम को सौंपने के बजाय, अनजाने में ₹12.65 करोड़ की राशि का प्रीमियम बुक किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹59.13 करोड़ (₹46.48 करोड़ + ₹12.65 करोड़) की राशि से सौंपे गए प्रीमियम का कम लेखांकन हुआ। इसके परिणामस्वरूप ₹59.13 करोड़ के वर्तमान देयताओं को कम एवं समरूपी अर्जित प्रीमियम (निवल) को अधिक बताया गया। हानि को भी उस सीमा तक कम बताया गया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
6.	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	बीएसएनएल को दी जाने वाली सेवाओं से प्राप्त राजस्व का लेखांकन न किए जाने के परिणामस्वरूप ₹25.44 करोड़ तक 'परिचालनों से राजस्व' (अंतरिक्ष विभाग को देय निवल शेयर) को कम बताया गया और समरूपी 'वर्ष के लिए लाभ' को कम बताया गया। इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्यों को कम बताया गया जो कि क्रमश: बीएसएनएल से वसूली योग्य राशि ₹267.07 करोड़ से, अंतरिक्ष विभाग को 'व्यापार देयता' ₹228.91 करोड़ से और अन्य वर्तमान देनदारियां-जीएसटी ₹12.72 करोड़ से कम थी।
7.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड (स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	• वर्ष 2019-20 तक की अवधि के लिए जारी की गई पॉलिसियों और 2020-21 के दौरान जारी की गई अल्पकालिक पॉलिसियों पर अनर्जित प्रीमियम रिजर्व के सृजन के परिणामस्वरूप प्रावधानों (अनुसूची 14), असमाप्त जोखिम के लिए रिज़र्व में परिवर्तन के समायोजन (अनुसूची 1) और वर्ष के लिए हानि को ₹201.47 करोड़ तक अधिक बताया गया। • प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) के तहत मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खरीफ-2020 और रबी-2020-21 मौसम के लिए 10 प्रतिशत की दर से सह-बीमा हिस्सेदारी के कारण देयता के कंपनी के हिस्से के संबंध में 27.05.2021 को एग्रीकल्चर इंश्योरंस कंपनी लिमिटेड से प्राप्त सूचना को लेखांकन नीति संख्या 6 (ख) के उल्लंघन में मान्यता नहीं दी गई, जिसके परिणामस्वरूप वर्तमान देनदारियों को और वर्ष के लिए हानि को ₹181.58 करोड़ तक कम बताया गया। • 'बकाया दावों' में लेखांकन नीति संख्या 6 (क) के उल्लंघन में 31.03.2021 से पहले पॉलिसीधारकों से प्राप्त ₹86.11 करोड़ के मूल्य के दावों की सूचनाएं शामिल नहीं थीं। इसके परिणामस्वरूप वर्ष के लिए बकाया दावों और हानि को ₹86.11 करोड़ तक कम बताया गया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
8.	पीईसी लिमिटेड	• कंपनी ने चार बैंकों[51] से लिए गए नकद क्रेडिट/कार्यशील पूंजी ऋण सुविधा के संबंध में ब्याज और ऋण के भुगतान में चूक की। कंपनी के खाते को इन बैंकों द्वारा सितंबर 2018 से मार्च 2019 तक गैर-निष्पादित परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में घोषित किया गया था। कंपनी ने बैंक विवरण के आधार पर देय ब्याज के प्रति देयता का प्रावधान किया और वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, वित्त लागत के रूप में ₹114.34 करोड़ बुक किए। ऐसे मामलों में, जहां बैंकों ने ब्याज नहीं लिया था, कंपनी ने इसे आकस्मिक देयता के रूप में ही बुक किया था। हालांकि, विभिन्न बैंकों के स्वीकृति पत्रों के अनुसार, कंपनी को बकाया राशि पर ब्याज का भुगतान करना होगा और इसलिए, उसे 31.03.2021 तक आकस्मिक देयता के बजाय ₹59.35 करोड़ की फर्म देयता का प्रावधान करना चाहिए था इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयता और हानि को ₹59.35 करोड़ तक कम बताया गया और आकस्मिक देनदारियों को अधिक बताया गया। • गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों में असुरक्षित ऋणों के अंतर्गत दर्शाई गई मैसर्स व्हाइटफील्ड ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड से प्राप्त होने योग्य ₹51.20 करोड़ की राशि शामिल थी और संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान पूरी सीमा तक किया गया था। हालांकि, यह देखा गया कि कंपनी के पास उपर्युक्त ऋण के संबंध में ₹35.96 करोड़ मूल्य की दो गिरवी रखी गई संपत्तियों की संपार्श्विक प्रतिभूति थी। इसलिए, इस ऋण को 'सुरक्षित ऋण' के तहत दिखाया जाना चाहिए था और संपार्श्विक प्रतिभूति की राशि के बराबर प्रावधान को भी उलट देना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप न केवल ऋण का गलत वर्गीकरण हुआ, बल्कि संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधानों को अधिक बताया गया और गैर-वर्तमान परिसंपत्तियों को ₹35.96

[51] *बैंक ऑफ़ बड़ौदा (पूर्व में विजय बैंक), केनरा बैंक (पूर्व में सिंडिकेट बैंक), पंजाब नेशनल बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (पूर्व में यूनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया)।*

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		करोड़ तक कम बताया गया। परिणामस्वरूप, वर्ष के लिए हानि को ₹35.96 करोड़ तक अधिक बताया गया।
9.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	सेवानिवृत्ति के बाद की नवीन चिकित्सा योजना, जिसे 01.04.2021 से शुरू किया जाना था, के शुरू होने के कारण पुनर्आकलित परिभाषित लाभ दायित्वों से संबंधित असाधारण मदों में ₹223.06 करोड़ की राशि शामिल थी। नई योजना के शुरू होने से पहले इसे मान्यता देने के परिणामस्वरूप कर से पहले हानि को ₹223.06 करोड़ से कम करके आंका गया।

ख. ii. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियां

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	माल सूची में स्थायी परिसंपत्तियों शीर्ष उचंत लेखा के अंतर्गत उपकरण के लिए ₹17.03 करोड़ की राशि शामिल थी। कंपनी ने राजस्व उपकरण (इन्वेंट्री) और पूंजी उपकरण (फिक्स्ड एसेट) के तहत उपकरणों को वर्गीकृत नहीं किया इस प्रकार, पूंजी उपकरण पर मूल्यह्रास और राजस्व उपकरणों के लाभ हानि के विवरण पर प्रभार के प्रभाव और मुनाफे पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।
2.	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	क्षेत्रीय कनेक्टिविटी योजना (आर सी एस) के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए ए आई) के साथ बैंक गारंटी (बीजी) के रूप में ₹16.42 करोड़ की प्रतिभूति जमा ऋण में शामिल थी जो सावधि जमाओं के प्रति जारी किए गए थे जो बैंक के साथ ग्रहणाधिकार के अधीन थे। i. ₹0.92 करोड़ मूल्य की दो मूल बैंक गारंटी को एएआई द्वारा 31.07.2020 को वापस कर दिया गया था। इसलिए, ₹0.92 करोड़ की सीमा तक की सावधि जमा के रूप में आसानी से उपलब्ध थी और नकद प्रवाह विवरण पर इंड एएस 7 के पैरा 7 के अनुसार इसे 'नकदी और नकद समतुल्य' के तहत दर्शाया जाना चाहिए था। ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III के अनुसार ₹15.50 करोड़ के लिए प्रतिभूति जमा को 'नकद और नकद

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		समतुल्य के अलावा अन्य बैंक शेष' शीर्ष के तहत 'उधार, गारंटी, अन्य प्रतिबद्धताओं के प्रति आयोजित सीमा तक मार्जिन मनी या प्रतिभूति के रूप में बैंकों के साथ शेष राशि' में दर्शाया जाना चाहिए था। उपर्युक्त के परिणामस्वरूप ऋणों को ₹16.42 करोड़ से अधिक दिखाया गया और नकद और नकद समतुल्य को छोड़कर अन्य बैंक शेष राशियों को ₹15.50 करोड़ और नकद और नकद समतुल्य को ₹0.92 करोड़ तक कम करके दिखाया गया है।
3.	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	• अधीनस्थ ऋण के रूप में ₹294.49 करोड़ के राज्य करों और शुल्कों की प्रतिपूर्ति के लिए लेखांकन भारत सरकार, कर्नाटक सरकार और कंपनी के बीच हस्ताक्षरित मूल समझौता ज्ञापन (24.02.2017) की शर्तों के उल्लंघन के परिणामत: देनदारियों और प्रगति पर पूंजीगत कार्यों को ₹294.49 करोड़ से अधिक दिखाया गया। कर्णाटक सरकार से दावा किए गए, प्राप्त किए गए और लंबित रसीदों के ब्यौरे के संबंध में पर्याप्त प्रकटीकरण भी नहीं किए गए हैं। • बैंगलोर विकास प्राधिकरण (बीडीए) ने 31.08.2019 को कंपनी को 12 एकड़ 13 गुंटा भूमि हस्तांतरित की थी। कंपनी ने भूमि का मूल्य ₹61.63 करोड़ लगाया और बीडीए को 50 प्रतिशत, अर्थात् ₹30.81 करोड़ का भुगतान किया और वही अन्य चालू परिसंपत्तियों के तहत बीडीए के लिए अग्रिम के रूप में लेखांकित किया गया था। चूंकि कंपनी पहले ही भूमि पर अधिग्रहण कर चुकी है और वित्तीय विवरणों को उपार्जन के आधार पर तैयार किया जाता है, भूमि मूल्य को बहियों में ₹61.63 करोड़ के लिए लेखांकित किया जाना चाहिए था और शेष ₹30.82 करोड़ का देयता के रूप में लेखांकित होना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप भूमि को ₹61.63 करोड़ से कम करके आंका गया, अन्य चालू देनदारियों को ₹30.82 करोड़ से कम करके आंका गया है और अन्य चालू परिसंपत्तियों को ₹30.81 करोड़ से अधिक बताया गया है।

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>कंपनी का नाम</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td>4.</td><td>भारत संचार निगम लिमिटेड</td><td>
वित्तीय परिसंपत्ति - व्यापार प्राप्य को अधिक बताया किया गया और हानि को ₹533.45 करोड़ की राशि से कम कर के बताया गया:
(₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>2-10 वर्ष से अधिक पुराने/निजी निष्क्रिय कंपनियों से देय इंटरकनेक्शन उपयोग प्रभार को शामिल करना, जो कि कंपनी की घोषित लेखांकन नीति का उल्लंघन था।</td><td>478.42</td></tr>
<tr><td>टेलीफोन, ब्रॉड बैंड, निजी डाटा नेटवर्क से संबंधित सेवाओं और कोर नेटवर्क टी एक्स- उत्तर सर्कल के संबंध में विलंब शुल्क के कारण प्राप्य राशि को शामिल करना, जिसकी प्राप्ति की संभावनाएं बहुत कम हैं।</td><td>55.03</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>533.45</td></tr>
</table>
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों को ₹245.80 करोड़ की राशि से अधिक बताया गया था:
(₹ करोड़ में)
<table>
<tr><th>विवरण</th><th>राशि</th></tr>
<tr><td>कोर नेटवर्क टी एक्स- उत्तर सर्कल के संबंध में टेलीफोन, ब्रॉड बैंड, टेलीफोन पट्टाधीन लाइन, अन्य शुल्क आधारित सेवाओं पर प्राप्य सेवा शुल्क राशि को शामिल करना, जिसकी प्राप्ति की संभावनाएं बहुत कम हैं| इस प्रकार इन प्राप्यों के लिए लेखा पुस्तकों में एक प्रावधान किया जाना चाहिए था।</td><td>127.29</td></tr>
<tr><td>यूएसओएफ-एलडब्ल्यूई परियोजना के संबंध में दूरसंचार विभाग से वसूली योग्य दावों का अशुद्ध /गलत समावेशन, जो दूरसंचार विभाग द्वारा पहले ही प्राप्त/समायोजित किया जा चुका था।</td><td>118.51</td></tr>
<tr><td>कुल</td><td>245.80</td></tr>
</table>
प्रावधान के साथ-साथ हानि को निम्नलिखित के कारण ₹3,904.89 करोड़ से कम करके आंका गया था:
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>क्र.सं.</th><th>कंपनी का नाम</th><th>टिप्पणी</th></tr>
<tr><td></td><td></td><td>

(₹ करोड़ में)

विवरण	**राशि**
वित्तीय वर्ष 2012-13 से 2017-18 के लिए लाइसेंस शुल्क के अनंतिम मूल्यांकन पर दूरसंचार विभाग द्वारा उठाई गई मांग के लिए मूल राशि का प्रावधान न करना।	3,043.14
ब्याज सहित 2018-19 तक विभिन्न वर्षों के लिए स्पेक्ट्रम उपयोग शुल्क की मूल राशि के लिए प्रावधान न किया जाना जैसा कि सीसीए द्वारा मांग की गई।	861.75
कुल	**3,904.89**

</td></tr>
<tr><td>5.</td><td>डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड</td><td>(i) कंपनी ने 30 साल की रियायत अवधि के लिए एक परियोजना को लागू करने और नए रेलवे कॉरिडोर के परिचालन और रखरखाव के लिए रेल मंत्रालय के साथ एक रियायत करार किया। करार के अनुसार, रेल मंत्रालय नेटवर्क का उपयोग करेगा और कंपनी को ट्रैक एक्सेस शुल्क का भुगतान करेगा।
इंड एएस 115 के पैरा 11 के अनुसार सेवा रियायत करार के तहत सृजित की गई ऐसी अवसंरचना को संपत्ति संयंत्र और उपस्कर के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती है। हालांकि, कंपनी ने इंड एएस 115 के उल्लंघन में रियायत करार के तहत सृजित की गई ऐसी अवसंरचना को 'संपत्ति संयंत्र और उपस्कर/पूंजीगत चालू कार्य के रूप में मान्यता दी है।
इसके परिणामस्वरूप क्रमशः 'संपत्ति संयंत्र और उपस्कर' को ₹13,666.51 करोड़ और 'कार्यशील पूंजीगत कार्य को' ₹38,015.20 करोड़ तक अधिक बताया गया है और 'अमूर्त परिसंपत्तियों/वित्तीय परिसंपत्तियों (विकासाधीन)' को ₹51,681.71 करोड़ से कम बताया गया है।
(ii) कर्मचारी लाभ व्यय, रोकी गई परियोजनाओं और पट्टा किराया के लिए देय ₹77.91 करोड़ की राशि को "अन्य वित्तीय देयताओं" के बजाय "व्यापार देय" के रूप में दर्शाया गया है। इसके परिणामस्वरूप ₹77.91 करोड़ की सीमा तक "व्यापार देय" को अधिक और "अन्य वित्तीय देयताओं" को कम बताया गया।</td></tr>
</table>

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
6.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	व्यापार प्राप्यों में एनटीपीसी लिमिटेड से सितंबर 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए 0-3 किमी की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु भूतल परिवहन प्रभार (एसटीसी) के कारण ₹132.30 करोड़ की प्राप्य राशि शामिल है। 0-3 किमी की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए एसटीसी प्रभारित करने के लिए किसी भी करार के अभाव में, ₹132.30 करोड़ की वसूली की संभावना बहुत कम है और इसके लिए उपयुक्त प्रावधान बनाए जाने चाहिए थे। इस प्रकार, प्रावधानों को न बनाए जाने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्यों (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए नियत राशि से निवल) और उस सीमा तक वर्ष के लिए लाभ को अधिक बताया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन भी उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।
7.	एचपीसीएल-बायोफ्यूल्स लिमिटेड	चीनी मिलों को व्यय के लिए सहायता प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा अधिसूचित योजना के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर दस्तावेज जमा न करने पर कंपनी द्वारा प्राप्य ₹13.86 करोड़ की सहायता संदेहजनक हो गई है। इसके लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप चालू परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया और हानि को ₹13.86 करोड़ तक कम बताया गया।
8.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	व्यापार प्राप्यों में एनटीपीसी लिमिटेड से प्राप्य सितंबर 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए 0-3 किमी की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु भूतल परिवहन प्रभार (एसटीसी) के कारण ₹221.79 करोड़ की राशि शामिल है। 0-3 किमी की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए एसटीसी प्रभारित करने के लिए किसी भी करार के अभाव में, ₹221.79 करोड़ की वसूली की संभावना नगण्य है और इसके लिए उपयुक्त प्रावधान बनाए जाने चाहिए थे। इस प्रकार, प्रावधानों के न बनाए जाने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्यों (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए नियत राशि से निवल) और उस सीमा तक उस वर्ष के लिए लाभ को अधिक बताया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन भी उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
9.	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	पूंजीगत चालू कार्य (सीडब्ल्यूआईपी) को बैंक गारंटी (बीजी) के लिए ₹154.44 करोड़ तक अधिक बताया गया है, जिसे कोयला मंत्रालय द्वारा कंपनी की बनहरडीह कोयला खदान आवंटन करार के अनुसार मानदंडों के अनुपालन न किए जाने के विरूद्ध विनियोजित किया गया है। बीजी राशि का उक्त विनियोग कुछ निर्धारित दक्षता मापदंडों को प्राप्त करने में विफलता के कारण कंपनी को एक असामान्य हानि है और इसलिए, इंड एएस 16 के तहत परिभाषित चालू पूंजीगत कार्य का हिस्सा नहीं हो सकता। इसके परिणामस्वरूप चालू पूंजीगत कार्य और अन्य व्यय को ₹154.44 करोड़ से अधिक बताया गया और उसी सीमा तक की हानि को कम बताया गया है।
10.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	व्यापार प्राप्यों में एनटीपीसी लिमिटेड से प्राप्य सितंबर 2017 से जुलाई 2020 तक की अवधि के लिए 0-3 किमी की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति हेतु भूतल परिवहन प्रभार (एसटीसी) के कारण ₹102.47 करोड़ की राशि शामिल है। 0-3 किमी की लीड दूरी के लिए कोयले की आपूर्ति के लिए एसटीसी प्रभारित करने के लिए किसी भी करार के अभाव में, ₹102.47 करोड़ की वसूली की संभावना नगण्य है और इसके लिए उपयुक्त प्रावधान बनाया जाना चाहिए था। इस प्रकार, प्रावधानों को न बनाए जाने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्तियों (अशोध्य और संदिग्ध ऋणों के लिए नियत निवल राशि) और उस सीमा तक उस वर्ष के लिए लाभ को अधिक बताया गया। सांविधिक लेखापरीक्षकों की प्रतिवेदन भी उस सीमा तक त्रुटिपूर्ण है।

ख. III नकदी प्रवाह विवरण पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	वर्ष के दौरान कंपनी ने ₹301.53 करोड़ के दीर्घकालिक ऋणों की चुकौती की है। हालांकि, कंपनी ने कार्यशील पूंजी में संचलन के तहत ₹121.35 करोड़ के दीर्घकालिक ऋणों की केवल निवल वृद्धि को लेखांकित किया। जैसा कि इंड एएस 7 के पैराग्राफ 17 (ग) और 17 (घ) द्वारा निर्धारित किया गया है, नकद प्राप्तियां जो डिबेंचर, ऋण, नोट, बांड,

		गिरवी और अन्य अल्पकालिक या दीर्घकालिक उधार और उधार ली गई राशि के नकद भुगतान से उत्पन्न होती है उन्हें, वित्तीय गतिविधियों के रूप में दर्शाया जाना चाहिए। चालू वर्ष के दौरान प्राप्त कुल ऋण राशि ₹3,572.72 करोड़ थी, लेकिन शीर्ष वित्तपोषण गतिविधियों के तहत नकदी प्रवाह विवरण में शामिल ऋण राशि ₹3149.85 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप नकदी प्रवाह विवरण में वित्तपोषण गतिविधियों की गलत प्रस्तुति हुई।

ख. iv. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	इक्विटी में परिवर्तन के विवरण को इस तथ्य के बावजूद वित्तीय विवरणों में शामिल नहीं किया गया है कि इक्विटी शेयर पूंजी को वर्ष के दौरान 31.03.2020 को ₹5 करोड़ से बढ़ाकर 31.03.2021 को ₹21.98 करोड़ कर दिया गया था।
2.	फेक्ट आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट लिमिटेड	कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची III के प्रावधानों के विपरीत सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों और सूक्ष्म उद्यमों और लघु उद्यमों के अलावा अन्य को देय 'व्यापार देय राशि' का कंपनी द्वारा प्रकटीकरण नहीं किया गया था।
3.	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	• कंपनी ने 31.03.2020 को समाप्त होने वाली पिछली रिपोर्टिंग अवधि के लिए इक्विटी शेयर पूंजी और अन्य इक्विटी के लिए 'इक्विटी में परिवर्तन के विवरण' का प्रकटीकरण नहीं किया है, जो इंडएएस 1 और कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची III में निहित प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। • प्रति शेयर मूल आय (ईपीएस) को गलत तरीके से ₹1.28 के बजाय ₹0.22 के रूप में दर्शाया गया है जो इंडएएस 33 के प्रावधानों के अनुपालन में नहीं है। मिश्रित ईपीएस को भी गलत तरीके से ₹1.16 के बजाय ₹0.22 के रूप में दर्शाया गया था।
4.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी 31 'लेखांकन मानक 15 (संशोधित)' के लिए संदर्भ आमंत्रित किया गया है जिसमें लाभ और हानि खाते और तुलन पत्र में स्वीकृत कर्मचारियों

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
	(स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय विवरण)	के लाभों की संक्षेप स्थिति का प्रकटीकरण किया गया था। टिप्पणी नीचे बताई गई सीमा तक त्रुटिपूर्ण थी: 1. परिभाषित लाभ दायित्वों (पेंशन) विवरण के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन में, 2019-20 के लिए 'भुगतान किए गए लाभ' के आंकड़े को निधि विवरण में दर्शाए गए ₹1,208.41 करोड़ के वास्तविक आंकड़े के बजाय गलत तरीके से ₹680.22 करोड़ के रूप में प्रकट किया गया था। 2. परिभाषित लाभ दायित्वों (ग्रेच्युटी) विवरण के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन में, 2019-20 के लिए 'भुगतान किए गए लाभ' के आंकड़े को योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन के विवरण में प्रकट किए गए ₹149.27 करोड़ के तद्नुरूपी आंकड़े के बजाय ₹156.85 करोड़ के रूप में प्रकट किया गया था। 3. लाभ और हानि खाते (पेंशन) विवरण में मान्यता प्राप्त व्यय में, चालू वर्ष के दौरान व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त पेंशन की राशि को ₹1,244.73 करोड़ की वास्तविक बुकिंग के बजाय गलत तरीके से ₹1,249.09 करोड़ के रूप में प्रकट किया गया था। 4. योजना परिसंपत्तियों (ग्रेच्युटी) विवरण के उचित मूल्य में परिवर्तन में, 2019-20 के अंत में (2020-21 के लिए प्रारंभिक शेष राशि) योजना परिसंपत्तियों (कंपनी/निधि द्वारा प्रदान की गई जानकारी/डेटा के आधार पर निर्धारित) के आंकड़े को गलत तरीके से ₹884.45 करोड़ के रूप में प्रकट किया गया था, जबकि 2019-20 के लिए निधि विवरण की लेखापरीक्षित वित्तीय स्थिति और साथ ही साथ 2020-21 के लिए अनंतिम विवरण के अनुसार तदनुरूप आंकड़ा ₹952.26 करोड़ था।

ख. v. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	कंपनी के लाभ और हानि का विवरण ₹11.94 करोड़ का लाभ दर्शा रहा है। हालांकि, सांविधिक लेखापरीक्षक ने कंपनी के लाभ के बजाय कंपनी की हानि पर अपनी राय दी। यह आईसीएआई द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षण मानक (एसए) 700 के अनुरूप नहीं था और स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में उस सीमा तक कमी थी।
2.	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस	'वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की उतरदायित्वों' के पैराग्राफ के तहत स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने अन्य बातों के साथ-साथ कहा कि, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी उतरदायी हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता है"। "अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर प्रतिवेदन" के उप-पैरा 2 (एफ) में कहा गया है कि, "कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत दी जाने वाली आवश्यक टिप्पणियों के लिए कंपनी को छूट दी गई है"। चूंकि, यह स्वतंत्र लेखापरीक्षक का कर्तव्य था कि वह पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर अपनी राय दे और कंपनी या स्वतंत्र लेखापरीक्षक को ऐसी कोई छूट उपलब्ध नहीं थी, इसलिए आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर राय की अभिव्यक्ति नहीं करने के साथ-साथ अपने प्रतिवेदन में विरोधाभासी विवरण प्रदान करने के परिणामस्वरूप स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में उस सीमा तक कमी आई।
3.	**एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड**	स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के बिंदु संख्या 8 में कहा गया है कि की अंतर परियोजनाओं की असंगत शेष राशि ₹85.15 लाख (पिछले वर्ष: ₹228.14 लाख) थी। तथापि, पिछले वर्ष की अंतर-परियोजनाओं की असंगत शेष की राशि

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
		₹228.14 लाख के स्थान पर ₹22.81 लाख थी। स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में उस सीमा तक कमी थी।

ग. सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य सूचीबद्ध कंपनियाँ

ग. i. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	(क) खान और खनिज विकास विनियमन अधिनियम, 1957 के तहत देय मुआवजे के लिए दिसंबर 2017 और नवंबर 2018 में ओडिशा सरकार के पास जमा ₹27.15 करोड़ की राशि का प्रावधान नहीं बनाया गया था, जब कि इसे ओडिशा सरकार द्वारा आंशिक भुगतान के रूप में विनियोजित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹27.15 करोड़ तक अन्य चालू परिसंपत्तियों को अधिक बताया गया और वर्ष के लिए हानि को कम करके बताया गया। यह मामला 2019-20 के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था। तथापि, कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई। (ख) कंपनी ने फरवरी 2020 में ओडिशा सरकार द्वारा नवीनीकृत तीन खनन पट्टों नामत: बागीबुरू, बेलकुंडी और भद्रासही के पूरक पट्टा विलेखों के निष्पादन के लिए देय ₹50.97 करोड़ की राशि के स्टांप शुल्क और पंजीकरण शुल्क के लिए प्रावधान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप वर्तमान देयताओं को ₹50.97 करोड़ तक कम बताया गया। इसके अलावा, संबंधित पट्टों के उपयोगी काल ध्यान में रखते हुए, परिशोधन व्यय के लेखा-जोखा नहीं होने के परिणामस्वरूप हानि को ₹33.68 करोड़ से कम बताया गया। यह मामला 2019-20 के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के दौरान भी उठाया गया था, तथापि,कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई।

घ. सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य असूचीबद्ध कंपनियां

घ. i. लाभप्रदता पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	• कंपनी ने विनियामक स्थगित खाता शेष में लेन-देन को छोड़कर प्रति शेयर आय (मूल और मिश्रित) को नहीं पहचाना और न ही मापा था, जिसके कारण इंडएएस 33 और इंडएएस 114 का उल्लंघन हुआ। • प्रति शेयर आय पर लेखांकन नीति और विनियामक स्थगित खाते के संबंध में प्रकटीकरण में भी कमी थी।

घ. ii. वित्तीय स्थिति पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	अमूर्त परिसंपत्तियों (मैसूर में स्याही विनिर्माण इकाई की स्थापना के संबंध में तकनीकी जानकारी का हस्तांतरण) को कम राशि से परिशोधित करने के कारण अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों को ₹29.30 करोड़ की राशि तक अधिक बताया गया। कंपनी ने वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की तिथि अर्थात अगस्त 2018 के बजाय करार के चरण-। के पूरा होने की तिथि अर्थात दिसंबर 2020 से परिसंपत्तियों को परिशोधित कर दिया। इसके परिणामस्वरूप परिशोधन व्यय को कम बताया गया है और लाभ को अधिक बताया गया है।
2.	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल) के साथ सेवा स्तरीय करार के अभाव में अनुमान के आधार पर राजस्व की बुकिंग के कारण परिचालनों से प्राप्त राजस्व को इंड एएस 115 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए ₹231.75 करोड़ की राशि से अधिक बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य को भी कम बताया गया है और लाभ को अधिक बताया गया है।
3.	ग्रीन गैस लिमिटेड	अन्य वित्तीय देयताओं में 'गैर-वर्तमान देयताओं' के तहत घरेलू पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) उपभोक्ताओं से प्रतिभूति जमा के रूप में प्राप्त ₹28.37 करोड़ की राशि शामिल थी। ये प्रतिभूतियां मांग पर प्रतिदाय योग्य हैं, इसलिए इसे

		उपभोक्ताओं से सुरक्षा जमा के रूप में इंडएएस 32 के अनुपालन में 'वर्तमान देयताओं' के तहत दर्शाया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप 'गैर-वर्तमान देयताओं' को अधिक और 'वर्तमान देयताओं' को ₹28.37 करोड़ तक कम बताया गया है।
4.	हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड	• संशोधित परियोजना लागत के बजाय पुरानी परियोजनाओं की लागत पर उद्यम सामाजिक प्रतिबद्धता के लिए किए गए प्रावधान के परिणामस्वरूप 'गैर-वर्तमान देयताएं-प्रावधान' और 'प्रगति पर पूंजीगत कार्य' को ₹98.87 करोड़ तक कम बताया गया। • 'अन्य वित्तीय देनदारियां-वर्तमान' में 2020-21 के दौरान एकीकृत माल और सेवा कर (आईजीएसटी) के भुगतान के लिए संविदाकार द्वारा किए गए प्रतिपूर्ति दावे के रूप में ₹17.80 करोड़ की राशि शामिल नहीं थी। संविदाकार द्वारा बीजक लेखा वर्ष 2020-21 के अंत से पहले जमा किए गए थे। हालांकि उपरोक्त राशि देय रही और वर्ष के दौरान संव्यवहार के लिए कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 'अन्य गैर-चालू परिसंपत्तिया-आईजीएसटी इनपुट' को ₹17.80 करोड़ तक कम बताया गया है। • 'अन्य वित्तीय देनदारियां- वर्तमान' में ₹15.51 करोड़ की राशि शामिल नहीं थी, जो संविदाकारों द्वारा किए गए काम और सामग्री और उपस्करों की आपूर्ति का मूल्य था। संविदाकारों द्वारा उसके लिए बीजक लेखा वर्ष 2020-21 के अंत से पहले जमा किए गए थे। हालांकि उपरोक्त राशि देय रही और संव्यवहार के लिए वर्ष के दौरान कोई लेखा प्रविष्टि नहीं की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 'प्रगति पर पूंजीगत कार्य' को ₹13.14 करोड़ और 'अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों-आईजीएसटी इनपुट' को ₹2.37 करोड़ तक कम करके बताया गया है।
5.	कामराजर पोर्ट लिमिटेड	• ड्रेजिंग के रखरखाव के लिए खर्च की गई ₹59.08 करोड़ की राशि को संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के तहत पूंजीकृत किया गया था, जिसमें से ₹31.11 करोड़ का मूल्यह्रास किया गया था। इस तरह के व्यय राजस्व

		प्रकृति का होने के कारण लाभ और हानि खाते में प्रभारित किया जाना अपेक्षित था। ड्रेजिंग रखरखाव व्यय के गलत पूंजीकरण के परिणामस्वरूप पोर्ट बेसिन और एंट्रेंस चैनल परिसंपत्ति और लाभ को ₹27.97 करोड़ (₹59.08 करोड़ - ₹31.11 करोड़) की सीमा तक अधिक बताया गया। • मैसर्स सिकल आरन ओर टर्मिनल्स लिमिटेड से प्राप्य ₹28.22 करोड़ की राशि के लिए प्रावधान न करने के परिणामस्वरूप व्यापार प्राप्य और लाभ को उसी सीमा तक अधिक बताया गया। • मैसर्स हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड से प्राप्य ₹45.09 करोड़ की राशि के लिए प्रावधान न करना, जिसके प्रति कंपनी मध्यस्थता कार्यवाही हार गयी थी और माननीय मद्रास उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं को भी खारिज कर दिया गया है, के परिणामस्वरूप पूंजीगत व्यय के लिए अग्रिम और लाभ को ₹45.09 करोड़ तक अधिक बताया गया।
6.	कृष्णपट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	टिप्पणी 39 (ग) के संदर्भ में जिसमें यह कहा गया है कि रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) द्वारा परियोजना लागत के पांच प्रतिशत की दर से दावा नहीं किए गए विभागीय प्रभारों के संबंध में आकस्मिक देयता ₹114.12 करोड़ पर अनुमानित है। चूंकि निर्माण करार (सितंबर 2011) के खंड 10.3 के संदर्भ में कंपनी द्वारा आरवीएनएल को विभागीय प्रभार देय थे, इसलिए "अन्य वित्तीय देयता" के बजाय आकस्मिक देयता के रूप में प्रकटीकरण उचित नहीं था। इसके परिणामस्वरूप "अन्य वित्तीय देयता" को ₹114.12 करोड़ और "अन्य अमूर्त परिसंपत्तियों" को भी उसी राशि तक कम बताया गया था।
7.	तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों (परिचालन-पूर्व व्यय) में ₹17.20 करोड़ की राशि शामिल थी, जो अरखपाल (उत्तरी भाग) कोयला खान में खानों की खोज पर किए गए पूर्व-परिचालनत्मक व्यय के रूप में थी। चूंकि कोयला खान को ऋणात्मक आईआरआर के कारण सलाहकार द्वारा अव्यवहार्य पाया गया था, इसलिए कंपनी के अनुरोध पर,

		प्रशासनिक मंत्रालय ने कोयला खान के आवंटन को समाप्त कर दिया (10.05.2021)। इस प्रकार, उस पर किए गए प्रचालन-पूर्व व्यय को इंडएएस-10 के प्रावधानों के अनुसार लाभ और हानि विवरण पर प्रभारित किया जाना चाहिए था। लाभ और हानि विवरण में प्रचालन-पूर्व व्यय को प्रभारित न करने के परिणामस्वरूप 'अन्य वर्तमान परिसंपत्तियों' और 'वर्ष के लिए लाभ' को ₹17.20 करोड़ तक अधिक बताया गया था।

घ. iii. प्रकटीकरण पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	• संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर के संदर्भ में राजस्व सहभाजन के आधार पर ₹1 की टोकन राशि पर 30 वर्षों की अवधि के लिए खराब होने वाले कार्गो के लिए केंद्र के संचालन और प्रबंधन के लिए कंपनी और सिलीगुड़ी जलपाईगुड़ी विकास प्राधिकरण के बीच किए गए लाइसेंस करार का प्रकटीकरण नहीं किया। • वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी में 02.11.2020 को हैंडिग ओवर और टेकिंग ओवर नोट के आधार पर कंपनी द्वारा अडानी लखनऊ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड को हस्तांतरित की गई परिसंपत्तियों के विवरण का प्रकटीकरण नहीं किया गया था।
2.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	कंपनी की लेखांकन नीति में कर्मचारियों को उनकी सेवानिवृत्ति पर/सेवा के दौरान क्षतिपूर्ति की गई अनुपस्थिति (अवकाश नकदीकरण सुविधा) के लिए लाभों पर नीति शामिल नहीं थी जैसा कि इंडएएस 1 के तहत आवश्यक है।
3.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	• आकस्मिक देयताओं में मैसर्स अंकुर ड्रग्स एंड फार्मा लिमिटेड के साथ विवाद में ₹5.02 करोड़ की राशि शामिल नहीं थी। • कंपनी ने 27.05.2016 को निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन में निर्धारित लाभांश के भुगतान से छूट के लिए प्रशासनिक मंत्रालय को लिखा था। मंत्रालय का उत्तर प्रतीक्षित है। इन तथ्यों

		का प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी में नहीं किया गया।
4.	रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	कंपनी ने कतिपय परिसंपत्तियों के संबंध में कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट उपयोगी काल की तुलना में विभिन्न उपयोगी काल को अपनाया है, हालांकि कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत अपेक्षित इसके औचित्य का प्रकटीकरण नहीं किया है।

घ. iv. स्वतंत्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदन पर टिप्पणियाँ

क्र.सं.	कंपनी का नाम	टिप्पणी
1.	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	स्वतंत्र लेखापरीक्षक ने "अन्य मामले (ई)" शीर्षक के तहत अपने प्रतिवेदन में कहा कि कंपनी द्वारा या उसके प्रति विभिन्न मंचों पर दायर 18 कानूनी मामले लंबित थे। हालांकि, कंपनी द्वारा प्रदान किए गए ब्यौरे के अनुसार, कानूनी मामलों की संख्या 45 थी जो 31.03.2021 लंबित थे, जिससे लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन में उस सीमा तक कमी थी।
2.	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	स्वतंत्र लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'क' के पैरा 1(ग) में सभी मुक्त अचल संपत्तियों की स्थिति दी गयी है, लेकिन इसमें तमिलनाडु में एक एकीकृत टीका परिसर की स्थापना के लिए मैसर्स एचएलएल लाइफ केयर लिमिटेड से पट्टे पर ली गई भूमि की स्थिति शामिल नहीं है। इस प्रकार लेखापरीक्षक के प्रतिवेदन के अनुलग्नक 'क' के पैरा 1(ग) के अंतर्गत दिए गए विवरण में उस सीमा तक कमी है।
3.	तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	कंपनी के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, वर्ष के लिए कर के बाद लाभ (₹6.57 करोड़) जैसा कि लाभ और हानि के विवरण में दर्शाया गया है, 261.75 प्रतिशत की कमी के साथ ₹10.63 करोड़ की हानि में बदल गया। इसलिए, कंपनी के वित्तीय विवरणों ने "सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण" प्रस्तुत नहीं किया और स्वतंत्र लेखापरीक्षक की ओर से यह आश्वासन देना उचित नहीं था कि वित्तीय विवरणों ने "सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण" प्रस्तुत किया है।

2.5.2 सांविधिक निगम जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है

सांविधिक निगमों, जहां सीएजी एकमात्र लेखापरीक्षक है, के लेखाओं पर सीएजी द्वारा जारी की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों का विवरण नीचे दिया गया है:

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (वर्ष 2019-20 के वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां)

- टोल संग्रहण गतिविधियों पर व्यय में, पूंजी से कटौती होने के कारण, पूंजीगत अवसंरचना के सृजन की लागत के आधार पर दर्ज की गई ₹123.03 करोड़ की राशि शामिल थी। चूंकि यह व्यय पूंजीगत प्रकृति का था, इसलिए इसे परियोजना व्यय के रूप में डेबिट किया जाना चाहिए था। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की ओर से धारित पूंजी और परिसंपत्तियों को ₹123.03 करोड़ तक कम बताया गया है। यह मामला पहले भी लेखापरीक्षा द्वारा उठाया गया था, तथापि, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई है।

- रखरखाव अनुदान और राजमार्गों के रखरखाव पर किए गए व्यय के लाभ और हानि लेखा के बजाय पूंजीगत लेखा के प्रति समायोजन के कारण, वर्ष के लिए हानि के साथ-साथ शेयरधारक की निधि-पूंजी को ₹1,493.35 करोड़ तक कम बताया गया था।

- 31 मार्च 2020 को, एनएचएआई द्वारा विभिन्न ऋणों के लिए ₹2,48,831.66 करोड़ की राशि भुगतान के लिए देय थी। तथापि, अपने स्वयं के नियमों के विपरीत, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने पिछले वर्षों में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के लेखाओं पर इसी प्रकार की टिप्पणी करने के बावजूद इन ऋणों की चुकौती के लिए आरक्षित निधि का सृजन नहीं किया था।

- 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों' को दूसरे कार्यालय के भवन, जो एनएचएआई की परिसंपत्तियां थीं, पर किए गए व्यय को शामिल करने के कारण ₹128.82 करोड़ की राशि तक अधिक बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रगतिशील पूंजीगत कार्य को कम बताया गया। पिछले वर्षों में उजागर किए जाने के बावजूद सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

- आठ विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) कंपनियों को वितरित ऋण राशि पर वर्ष 2019-20 के दौरान अर्जित ब्याज की ₹144.81 करोड़ की राशि को 'अचल परिसंपत्तियां भारत सरकार की ओर से धारित संपत्ति' से कटौती की गयी थी, जिसे वास्तव में, लाभ और हानि लेखा में एनएचएआई की आय के रूप में दर्शाया जाना चाहिए था। इसके

परिणामस्वरूप 'भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियां' और वर्ष की आय को ₹144.81 करोड़ तक कम बताया गया। पिछले वर्षों में उजागर किए जाने के बावजूद सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

- विभिन्न राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं के लिए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के निर्देशों के अनुसार, एनएचएआई द्वारा किए गए भुगतान के कारण एमओआरटीएच से वसूली योग्य के रूप में दर्ज की गई 'चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों' को ₹11,225.40 करोड़ की राशि तक अधिक बताया गया। एमओआरटीएच ने इस वसूली योग्य राशि की पूर्ति करने से सीधा इंकार (जून 2018) कर दिया और स्पष्ट किया कि ऐसी वसूली योग्य राशि के लिए एनएचएआई को कोई अलग से निधि जारी नहीं की जाएगी और इसे एनएचएआई द्वारा अपने समग्र संसाधनों से पूरा किया जाना चाहिए, लेकिन एमओआरटीएच से कोई और आश्वासन प्राप्त नहीं होने के बावजूद ये राशि एनएचएआई की लेखा बही में वसूली योग्य दिखाई दे रही है।

- 'चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों' को ₹297.18 करोड़ की राशि तक अधिक बताया गया था, तीन विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) अर्थात् अहमदाबाद-वडोदरा एक्सप्रेसवे कंपनी लिमिटेड (एवीईएक्ससीएल), मुरादाबाद टोल रोड कंपनी लिमिटेड (एमटीआरसीएल) और कोचीन पोर्ट रोड कंपनी लिमिटेड (सीपीआरसीएल) को वितरित की गई ऋण राशि, जिन्हें सैद्धांतिक रूप से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। इसके परिणामस्वरूप तुलन पत्र में दर्शाए गए घाटे को कम करके बताया गया है। इसके अलावा, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण द्वारा 21 मई 2019 के अपने आदेश के माध्यम से अनुमोदित किए जा रहे एमटीआरसीएल को बंद करने के मद्देनजर, एनएचएआई द्वारा इसमें निवेश के प्रति किए गए ₹32.36 करोड़ के प्रावधान को लेखा बही से बट्टे खाते में डाल दिया जाना चाहिए था।

- आईएचएमसीएल द्वारा एनएचएआई को प्रदान की गई विभिन्न सेवाओं के लिए आईएचएमसीएल को देय राशि के लिए प्रावधान न किए जाने के कारण वर्तमान देयताओं और प्रावधानों को ₹43.05 करोड़ की राशि तक कम बताया गया। इसके परिणामस्वरूप टोल संग्रहण गतिविधियों के व्यय को भी उसी सीमा तक कम बताया गया है।

- उपयोगकर्ता शुल्क के संग्रहण के लिए इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रहण और टोल प्रबंधन प्रणाली की योजना के तहत आईएचएमसीएल के माध्यम से एनएचएआई द्वारा सृजित पूंजीगत अवसंरचना के प्रति आईएचएमसीएल को देय राशि को शामिल नहीं किए जाने के

कारण वर्तमान देयताओं और प्रावधानों को ₹68.36 करोड़ की राशि तक कम बताया गया था। इसके परिणामस्वरूप भारत सरकार की ओर से धारित परिसंपत्तियों को भी उसी सीमा तक कम बताया गया था। पिछले वर्षों में उजागर किए जाने के बावजूद सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की गई थी।

- पांच परियोजनाओं से संबंधित दावों और भूमि मुआवजे के दावों के कारण आकस्मिक देयता को ₹806.74 करोड़ तक कम बताया गया था। इस प्रकार, आकस्मिक देयता के प्रकटीकरण से संबंधित टिप्पणी संख्या 26 में उस सीमा तक कमी थी।

- भारत सरकार की ओर से सड़क और पुल परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 8535.90 हेक्टेयर भूमि के अधिग्रहण के प्रति आठ परियोजना कार्यान्वयन इकाइयों के संबंध में, 31 मार्च 2020 तक केवल 2900.96 हेक्टेयर भूमि (अर्थात 33.98 प्रतिशत) का उत्परिवर्तन किया गया था। एनएचएआई द्वारा भूमि अधिग्रहण और उसके उत्परिवर्तन के डेटा के साथ इन तथ्यों का प्रकटीकरण वित्तीय विवरण की टिप्पणियों में नहीं किया गया।

- 31 मार्च, 2010 तक ₹6,183.56 करोड़ की पूंजी-निवल टोल संग्रहण**,** ऋणात्मक अनुदान आदि को वित्त मंत्रालय और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय का अनुमोदन प्राप्त किए बिना एनएचएआई के पूंजी खाते में अंतरित कर दिया गया है। उपर्युक्त तथ्यों का उपयुक्त प्रकटीकरण वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों में किया जाना था।

2.6 लेखांकन मानकों / इंड एएस के प्रावधानों का अनुपालन न करना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 (1), धारा 132 और धारा 133 के साथ पठित, उक्त अधिनियम की धारा 469 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार ने लेखांकन मानक 1 से 7 और 9 से 29 निर्धारित किए। इनके अलावा, केंद्र सरकार ने कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) नियम, 2015 और कंपनी (भारतीय लेखांकन मानक) (संशोधन) नियम, 2016 के माध्यम से 41 भारतीय लेखांकन मानकों (इंड एएस) को अधिसूचित किया।

सांविधिक लेखापरीक्षकों ने बताया कि ***अनुलग्नक-XVI*** में विवरण के अनुसार 20 कंपनियों ने अनिवार्य लेखांकन मानकों/इंड एएस का अनुपालन नहीं किया।

अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान सीएजी ने यह भी पाया कि कुछ कंपनियों ने भी लेखांकन मानकों/इंड एएस का अनुपालन नहीं किया था जिसकी सूचना उनके सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा नहीं दी गई थी जैसाकि तालिका 2.2 में दिया गया है:

तालिका 2.2: लेखांकन मानकों / इंड एएस का गैर-अनुपालन

लेखांकन मानक / इंड एएस		कंपनी का नाम	विचलन
एएस -3	नकदी प्रवाह विवरण	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस	कंपनी ने तुलन पत्र में बताई गई समतुल्य मदों के साथ अपने नकदी प्रवाह विवरण में राशियों के मिलान के साथ नकद और नकद समकक्षों के घटकों का प्रकटीकरण नहीं किया।
इंड एएस -1	वित्तीय विवरणों की प्रस्तुति	पीईसी लिमिटेड	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण वित्तीय विवरणों के भाग के रूप में दर्शाने के बजाय, लेखाओं की टिप्पणियाँ शीर्ष के तहत संलग्न किया गया था। इसके अलावा, इक्विटी में परिवर्तन के विवरण के तहत अन्य इक्विटी को ₹1,969.21 करोड़ के बजाय शून्य के रूप में दर्शाया गया था।
इंड एएस -7	नकदी प्रवाह विवरण	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	• नकदी और नकदी समकक्षों में ₹0.92 करोड़ शामिल नहीं थे, क्योंकि इसे परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत शामिल किया गया था, इस प्रकार, नकदी प्रवाह विवरण में इस सीमा तक कमी थी। • भुगतान नहीं किए गए ब्याज को परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की गणना करते समय अल्पकालिक उधार के तहत परिचालन देयताओं में समायोजित नहीं किया जाना चाहिए था एवं साथ ही वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह के तहत भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए था। • ₹6.55 करोड़ के अनुद्‌ग्रहीत विदेशी मुद्रा विनिमय लाभ को परिचालन परिसंपत्तियों/देयताओं में वृद्धि/कमी के लिए समायोजन पर तदनुरूपी प्रभाव के

लेखांकन मानक / इंड एएस		कंपनी का नाम	विचलन
			साथ कर से पहले निवल लाभ या हानि से समायोजित नहीं किया गया था।
		पीईसी लिमिटेड	नकदी और नकदी समतुल्य के घटकों के साथ-साथ इसके मिलान को नकदी प्रवाह विवरण में प्रस्तुत नहीं किया गया था।
इंड एएस - 8	लेखांकन नीतियां, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन और त्रुटियां	आईएफसीआई लिमिटेड	चूक की संभाव्यता (पीडी) की गणना के लिए मानदण्ड/अनुमान में परिवर्तन का न तो प्रकटीकरण किया गया है और न ही इंड एएस 8 की आवश्यकता के अनुसार परिमाणित किया गया है।
		एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	अनुमान विधि में परिवर्तन के कारण हुए प्रभाव के परिणामस्वरूप अनर्जक हानि में ₹91 करोड़ की वृद्धि हुई। तथापि, कंपनी ने न तो ₹91 करोड़ के वित्तीय प्रभाव की मात्रा निर्धारित की और न ही कहा कि भविष्य के वर्षों में प्रभाव का अनुमान लगाना अव्यावहारिक है जिसके परिणामस्वरूप इंड एएस 8 के पैरा 39 और 40 का गैर-अनुपालन हुआ।
इंड एएस -16	संपत्ति, संयंत्र और उपस्कर	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	• आनुषंगिक व्यय को राजस्व व्यय पर प्रभारित करने के बजाय पूंजीकृत किया गया था। • परिसंपत्तियों के घटकीकरण पर त्रुटिपूर्ण लेखांकन नीति।
		पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	बीजी राशि का विनियोग कतिपय निर्धारित कार्य कुशलता मानकों को प्राप्त करने में विफलता के कारण कंपनी को एक असामान्य हानि है और इसलिए इसे इंड एएस 16 के अनुसार प्रगतिशील पूंजीगत कार्य को स्थानांतरित करने के बजाय लाभ और हानि के विवरण में प्रभारित किया जाना चाहिए था।

लेखांकन मानक / इंड एएस		कंपनी का नाम	विचलन
		स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	संविदाकार को भुगतान की गई दीर्घीकरण लागत और शास्तिक ब्याज इंड एएस 16 के पैरा 16 के मानदंडों को पूरा नहीं करता है क्योंकि यह परिसंपत्ति की लागत से संबंधित नहीं है। इसलिए, भुगतान की गई राशि को परिसंपत्तियों के साथ पूंजीकरण करने के बजाय लाभ और हानि के विवरण पर प्रभारित किया जाना चाहिए था।
इंड एएस - 23	उधार की लागत	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	ऑक्सीजन संयंत्र में एयर टर्बो कंप्रेसर और ऑक्सीजन टर्बो कंप्रेसर से संबंधित परियोजनाओं और बोकारो इस्पात संयंत्र के स्टील मेल्टिंग शॉप-II परियोजनाओं के लिए हॉट मेटल डीसल्फराइजेशन में कोई सक्रिय विकास नहीं हुआ था। इसलिए, परियोजनाओं से संबंधित निर्माण के दौरान ब्याज को इंड एएस 23 के अनुसार प्रगतिशील पूंजीगत कार्य में हस्तांतरित करने के बजाय लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में प्रभारित किया जाना चाहिए था।
इंड एएस - 36	परिसंपत्तियों की हानि	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	सूचना के बाहरी स्रोत की उपस्थिति में भी परिसंपत्तियों के मूल्य की गणना में हानि का निर्धारण नहीं किया जाना।
इंड एएस -105	बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियां एवं समाप्त परिचालन	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा निपटान के लिए अनुमोदित कंपनी की संयंत्र और मशीनरी और चल परिसंपत्तियों को इंड एएस 105 के अनुपालन में 'बिक्री के लिए धारित गैर-चालू परिसंपत्तियों' के रूप में नहीं दर्शाया गया है।
इंड एएस - 109	वित्तीय साधन	आईएफसीआई लिमिटेड	वित्तीय विवरणों की लेखांकन नीति संख्या 6 (क) (i) में निर्धारित किया गया है कि कंपनी ने अपनी लेखांकन नीति में परिवर्तन किया जिससे चरण 3 परिसंपत्तियों पर आय

लेखांकन मानक / इंड एएस		कंपनी का नाम	विचलन
			को 1 अप्रैल, 2021 से लेखा बही में मान्यता नहीं दी जाएगी। तथापि, इंड एएस 109 के पैरा संख्या 5.4.1(ख) और 5.4.2 के अनुसार, कंपनी अनर्जक वित्तीय परिसंपत्तियों पर आय को स्वीकार करेगी। इस प्रकार, कंपनी द्वारा बनाई गई लेखांकन नीति में इंड एएस 109 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया।
इंड एएस -115	संविदाओ से राजस्व	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	कंपनी ने सेवा स्तर करार के अभाव में अनुमान के आधार पर राजस्व बुक किया।
		डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	कंपनी ने रियायत करार के तहत सृजित अवसंरचना को 'अमूर्त परिसंपत्तियों/वित्तीय परिसंपत्तियों (विकास के अधीन)' के बजाय 'संपत्ति संयंत्र और उपस्कर/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य' के रूप में मान्यता दी।
इंड एएस 116	पट्टे	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के बारे में गुणात्मक और मात्रात्मक जानकारी का प्रकटीकरण नहीं किया गया था।

2.7 प्रबंधन पत्र

वित्तीय लेखापरीक्षा के उद्देश्यों में से एक लेखापरीक्षक और कॉर्पोरेट इकाई के शासन की जिम्मेदारी के साथ प्रभारित लोगों के बीच वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा से उत्पन्न लेखापरीक्षा मामलों पर संवाद को स्थापित करना है।

सीपीएसई के वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण अभ्युक्तियों को सीएजी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) के तहत टिप्पणियों के रूप में सूचित किया गया था। इन टिप्पणियों के अलावा, वित्तीय प्रतिवेदनों या रिपोर्टिंग प्रक्रिया में सीएजी द्वारा देखी गई अनियमितताओं या त्रुटियों को भी सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए एक 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से प्रबंधन को सूचित किया गया था। सामान्यतया ये त्रुटियां निम्नलिखित से संबंधित थीं:

- लेखांकन नीतियों और प्रथाओं को लागू करना और उनकी व्याख्या करना,

- लेखापरीक्षा से उत्पन्न समायोजन जिसका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव हो सकता था और
- कुछ सूचनाओं का अपर्याप्त होना या प्रकटीकरण न करना जिस पर संबंधित पीएसई के प्रबंधन ने आश्वासन दिया कि बाद के वर्षों में सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

वर्ष 2019-20 के लिए जारी प्रबंधन पत्रों के आधार पर, सीपीएसई के प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण सुधारों को ***अनुलग्नक-XVII*** उजागर किया गया है।

वर्ष के दौरान, सीएजी ने 214 सीपीएसई, को 'प्रबंधन पत्र' जारी किए ***(अनुलग्नक-XVIII)*****।**

अध्याय III

निगमित अभिशासन

3.1 प्रस्तावना

3.1.1 कंपनी अधिनियम, 2013 में यथासम्मिलित प्रावधान

कंपनी अधिनियम, 1956 को प्रतिस्थापित करते हुए 29 अगस्त 2013 को कंपनी अधिनियम, 2013 अधिनियमित किया गया था। इसके अलावा, कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय ने प्रबन्धन और प्रशासन, निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता, बोर्ड की बैठक और उसकी शक्तियों और लेखाओं पर भी कंपनी नियमावली, 2014 अधिसूचित (31 मार्च 2014) की थी। कंपनी नियमावली के साथ कंपनी अधिनियम, 2013 निगमित अभिशासन के लिए एक मजबूत ढांचा प्रदान करता है। अपेक्षाओं में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित का प्रावधान है:

- व्यवसायिक आचरण के लिए कर्तव्यों और दिशानिर्देशों के साथ स्वतंत्र निदेशकों के लिए योग्यताएं {कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति और योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 5 के साथ पठित धारा 149(6) एवं (8) और अनुसूची IV}।
- सूचीबद्ध कंपनियों के बोर्ड पर एक महिला निदेशक की अनिवार्य नियुक्ति {धारा 149(1)}।
- लेखापरीक्षा समिति {धारा 177 (1)}, नामांकन और पारिश्रमिक समिति {धारा 178(1)}, और पणधारक संबंध समिति {धारा 178(5)} जैसी कुछ समितियों का अनिवार्य रूप से गठन।
- निदेशक मंडल की प्रति वर्ष कम से कम चार बैठकें इस प्रकार से आयोजित करना कि बोर्ड की लगातार दो बैठकों के बीच 120 दिन से अधिक का अन्तराल नहीं होगा {धारा 173(1)}।

3.1.2 निगमित अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देश

कंपनी अधिनियम, 2013 के अधिनियमन के उपरान्त, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) ने सूचीबद्धता करार के खण्ड 49 को संशोधित किया (अप्रैल और सितम्बर 2014) ताकि उसे कंपनी अधिनियम, 2013 में विनिर्दिष्ट निगमित अभिशासन प्रावधानों के साथ संरेखित किया जा सके। सेबी ने पुराने प्रावधानों को निरस्त करके सेबी (सूचीबद्धता

बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 को अधिसूचित किया (2 सितम्बर 2015), जो 1 दिसम्बर 2015 से लागू हुई।

सेबी ने सभी प्रकार की प्रतिभूतियों के लिए एक एकीकृत सूचीबद्धता करार प्रपत्र जारी किया (13 अक्टूबर 2015) जिसके अनुसार सूचीबद्ध कंपनियों को सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के प्रावधानों का पालन करना आवश्यक था। ये विनियम 22 दिसम्बर 2015, 25 मई 2016, 8 जुलाई 2016, 4 जनवरी 2017, 15 फरवरी 2017, 3 मई 2018, 09 मई 2018, 06 सितम्बर 2018, 16 नवम्बर 2018, 29 मार्च 2019, 26 दिसम्बर 2019, 10 जनवरी 2020, 5 अगस्त 2020, 8 अक्तूबर 2020 और 8 जनवरी 2021 को संशोधित किए गए। सेबी ने अपने विनियमों को संशोधित (09 मई 2018) किया कि शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में 1 अप्रैल 2020 तक कम से कम एक स्वतंत्र महिला निदेशक होनी चाहिए। सेबी ने आगे कहा कि शीर्ष 2000 सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में 1 अप्रैल 2020 से छह से कम निदेशक नहीं होने चाहिए।

3.1.3 केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के लिए निगमित अभिशासन पर डीपीई दिशानिर्देश

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) ने निदेशक मंडल में गैर आधिकारिक निदेशकों को शामिल करने पर नवम्बर, 1992 में निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश जारी किए थे। डीपीई ने निदेशक मंडल में स्वतंत्र निदेशकों को शामिल करने के लिए नवम्बर, 2001 में पुनः दिशानिर्देश जारी किए। केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के कार्यचालन में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए संघ सरकार ने सीपीएसई के लिए निगमित अभिशासन पर दिशानिर्देश (जून 2007) जारी किए। ये दिशानिर्देश स्वरूप में स्वैच्छिक थे और इन्हें एक वर्ष की प्रयोगात्मक अवधि के लिए लागू किया गया था। इस अवधि के दौरान प्राप्त अनुभव के आधार पर, मई 2010 में डीपीई दिशानिर्देशों को संशोधित करने एवं पुनः जारी करने का निर्णय लिया गया था जिन्हें सभी सीपीएसई के लिए अनिवार्य बनाया गया है और उन पर लागू किया गया है। डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों में निदेशक मंडल के संयोजन, मंडल समितियों जैसे लेखापरीक्षा समिति, पारिश्रमिक समिति के संयोजन एवं कार्य, सहायक कंपनियों का विवरण, प्रकटीकरण, प्रतिवेदनों और कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम के क्षेत्र शामिल किए गए हैं। इस अध्याय में डीपीई दिशानिर्देशों के सभी संदर्भ मई, 2010 में जारी डीपीई दिशानिदेशों से संदर्भित है जो सभी सीपीएसई के लिए अनिवार्य है। डीपीई ने सभी सीपीएसई के समझौता ज्ञापन (एमओयू) में निष्पादन मापदंड के रूप में 'निगमित अभिशासन' को भी शामिल किया है। जहां तक सूचीबद्ध सीपीएसई का संबंध है,

उन्हें डीपीई दिशानिर्देशों में दिए गए प्रावधानों के अनुपालन के अतिरिक्त निगमित अभिशासन पर सेबी के दिशानिर्देशों/विनियमों का अनुपालन करना अपेक्षित हैं।

3.1.4 सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा निगमित अभिशासन प्रावधानों के अनुपालन की समीक्षा

31 मार्च 2021 को सीएजी के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत 717 सीपीएसई थे जिनमें से विभिन्न मंत्रालयों के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन 72 कंपनियों[52] जिनके शेयर स्टॉक एक्सचेजों में सूचीबद्ध है, की जांच लेखापरीक्षा द्वारा की गई थी। 72 सूचीबद्ध सीपीएसई की सूची ***अनुलग्नक-XIX*** में दी गई है। सीपीएसई को अधिक स्वायत्तता प्रदान करने की सरकार की नीति के संदर्भ में निगमित अभिशासन और अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। महारत्न योजना के अंतर्गत, सीपीएसई से अन्तर्राष्ट्रीय प्रचालनों को बढ़ाने और वैश्विक पहचान बनाने की उम्मीद की जाती है जिसके लिए प्रभावी निगमित अभिशासन अत्यावश्यक है।

समीक्षा के उद्देश्य से कंपनी अधिनियम, 2013 में निहित प्रावधानों, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 (जैसाकि 31 मार्च 2021 तक संशोधित किया गया है) और निगमित अभिशासन पर डीपीई द्वारा जारी दिशानिर्देशों (मई 2010) तथा विभिन्न स्टॉक एक्सचेंजों में सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा इनके अनुपालन के आधार पर एक मूल्यांकन रूपरेखा तैयार की गई थी। वर्ष 2020-21 के दौरान इन प्रावधानों के अनुपालन को मूल्यांकन रूपरेखा में दर्शाया गया था।

3.2 निदेशक मंडल का गठन

क. बोर्ड में गैर-कार्यकारी निदेशक

बोर्ड निगमित अभिशासन का सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(ए) में अनुबंधित है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी एवं गैर-कार्यकारी निदेशकों का इष्टतम संयोजन होना चाहिए जिनमें से गैर कार्यकारी निदेशक, निदेशक मंडल के 50 प्रतिशत से कम नहीं होने चाहिए। निदेशक मंडल के गठन की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.1 में सूचीबद्ध सीपीएसई में गैर-कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या (कुल मंडल सदस्य संख्या के 50 प्रतिशत से कम) नहीं थी।

---

[52] *76 सूचीबद्ध कंपनियों में से 4 कंपनियों नामत: स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन्स लिमिटेड, हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड और हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी लिमिटेड को बाहर रखा गया है।*

तालिका 3.1: सीपीएसई, जिनमे गैर-कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं है

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अपेक्षित गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	गैर-कार्यकारी निदेशकों की वास्तविक सं.	कमी	कमी का प्रतिशत
1	एनएमडीसी लिमिटेड	6	3	2	1	33
2	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	6	3	2	1	33
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	10	5	3	2	40
4	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	6	3	2	1	33
5	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	9	5	4	1	20
6	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	3	2	1	1	50
7	माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	5	3	1	2	67
8	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8	4	3	1	25
9	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	5	3	1	2	67
10	रेल विकास निगम लिमिटेड	9	5	4	1	20
11	राइट्स लिमिटेड	7	4	3	1	25
12	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	6	3	2	1	33
13	कोल इंडिया लिमिटेड	6	3	2	1	33
14	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	8	4	3	1	25
15	गेल (इंडिया) लिमिटेड	8	4	3	1	25
16	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	5	4	1	20
17	मॉयल लिमिटेड	8	4	3	1	25
18	एनएचपीसी लिमिटेड	6	3	1	2	67
19	एनटीपीसी लिमिटेड	10	5	4	1	20

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	बोर्ड में निदेशकों की संख्या	अपेक्षित गैर-कार्यकारी निदेशकों की संख्या	गैर-कार्यकारी निदेशकों की वास्तविक सं.	कमी	कमी का प्रतिशत
20	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	3	2	1	33
21	आरईसी लिमिटेड	5	3	2	1	33
22	एसजेवीएन लिमिटेड	9	5	4	1	20
23	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	3	2	1	33
24	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	6	3	2	1	33
25	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	3	2	1	33
26	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	7	4	3	1	25
27	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	6	3	2	1	33
28	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	9	5	4	1	20
29	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	6	3	2	1	33
30	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	11	6	5	1	17
31	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	4	3	1	25
32	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10	5	3	2	40

जैसाकि उपरोक्त तालिका में देखा गया, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 32 (44 प्रतिशत) में, गैर-कार्यकारी निदेशकों की आवश्यक संख्या बोर्ड में नहीं थी। कमी की प्रतिशतता 17 और 67 प्रतिशत के बीच रही।

ख स्वतंत्र निदेशक

बोर्ड में प्रबन्धन के निर्णयों पर स्वतन्त्र विचार देने में समर्थ स्वतंत्र प्रतिनिधियों की उपस्थिति को व्यापक रूप में शेयरधारकों और अन्य पणधारकों के हितों की रक्षा करने का

साधन माना जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(4), कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) नियमावली, 2014 के नियम 4, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(1)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 3.1.4 के अनुसार जहां बोर्ड का अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक है, वहां बोर्ड में कम से कम एक तिहाई स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए और यदि वह एक कार्यकारी निदेशक है तो बोर्ड के कम से कम आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक होने चाहिए। सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 16 (1) (बी) के अनुसार, 'स्वतंत्र निदेशक' का अर्थ सूचीबद्ध कंपनी के नामित निदेशक के अलावा एक गैर-कार्यकारी निदेशक होगा।

निदेशक मंडल के संयोजन की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.2 में सूचीबद्ध सीपीएसई के बोर्ड में स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी:

तालिका: 3.2 सीपीएसई, जहां स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या नहीं थी

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का स्तर	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
1	एनएमडीसी लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	शून्य	6	100
2	केआईओसीएल लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	4	2	33
3	बीईएमएल लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	3	2	40
4	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	शून्य	6	100
5	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	9	कार्यकारी	9	1	8	89
6	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	1	4	80
7	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	2	5	71
8	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	3	कार्यकारी	3	शून्य	3	100

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का स्तर	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
9	माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	शून्य	5	100
10	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	2	4	67
11	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	शून्य	4	100
12	इंडियन रेलवे फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	1	3	75
13	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	शून्य	5	100
14	रेल विकास निगम लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	2	5	71
15	राइट्स लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	2	3	60
16	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	2	4	67
17	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	1	4	80
18	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	शून्य	6	100
19	नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	1	4	80
20	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	3	3	50
21	कोल इंडिया लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	शून्य	6	100
22	ऑयल इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	3	4	57

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का स्तर	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
23	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	3	4	57
24	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	1	6	86
25	गेल (इंडिया) लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	1	6	86
26	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	2	6	75
27	मॉयल लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	2	4	67
28	एनएचपीसी लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	शून्य	6	100
29	एनटीपीसी लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	2	6	75
30	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	1	3	75
31	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	3	4	57
32	आरईसी लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	शून्य	5	100
33	एसजेवीएन लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	2	5	71
34	आईएफसीआई लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	शून्य	6	100
35	इंडिया टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	2	2	50
36	एमएमटीसी लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	2	4	67
37	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	शून्य	5	100
38	आईटीआई लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	4	2	33
39	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	शून्य	6	100

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का स्तर	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
40	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	शून्य	5	100
41	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	1	5	83
42	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	3	कार्यकारी	3	शून्य	3	100
43	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	3	1	25
44	एमएसटीसी लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	1	4	80
45	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	शून्य	6	100
46	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	3	कार्यकारी	3	शून्य	3	100
47	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	3	2	40
48	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3	कार्यकारी	3	2	1	33
49	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	4	कार्यकारी	4	2	2	50
50	दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड	4	गैर-कार्यकारी	2	शून्य	2	100
51	दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	4	गैर-कार्यकारी	2	1	1	50
52	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	2	5	71
53	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	6	कार्यकारी	6	शून्य	6	100

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों के अलावा निदेशकों की संख्या	अध्यक्ष का स्तर	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की वास्तविक संख्या	कमी	कमी की प्रतिशतता
54	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	8	गैर-कार्यकारी	4	1	3	75
55	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	8	कार्यकारी	8	3	5	62
56	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	1	4	80
57	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7	कार्यकारी	7	1	6	86
58	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9	कार्यकारी	9	1	8	89
59	तमिलनाडु टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड	5	कार्यकारी	5	शून्य	5	100

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 59 (82 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों के पद रिक्त थे। कमी का प्रतिशत 25 से 100 प्रतिशत के बीच था।

ग महिला निदेशक

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(1), कंपनी (निदेशकों की नियुक्ति तथा योग्यता) नियमावली, 2014 के अध्याय XI का नियम 3 तथा सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 का विनियम 17(1)(ए) अनुबंधित करता है कि कंपनी के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला निदेशक होगी। सेबी विनियम, 2015 (संशोधन दिनांक 09 मई 2018) आगे अनुबंधित करता है कि शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम एक महिला स्वतंत्र निदेशक होगी। निदेशक मंडलों के संयोजन की समीक्षा से पता चला कि तालिका 3.3 में सूचीबद्ध सीपीएसई के मंडल में महिला निदेशक नहीं थी और तालिका 3.4 में सूचीबद्ध कंपनियों के मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी।

तालिका 3.3: सीपीएसई जिनके मंडल में महिला निदेशक नहीं है

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	केआईओसीएल लिमिटेड
3	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
4	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
5	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
6	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
7	माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
8	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
11	रेल विकास निगम लिमिटेड
12	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
13	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
14	नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
15	कोल इंडिया लिमिटेड
16	ऑयल इंडिया लिमिटेड
17	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
18	एनएचपीसी लिमिटेड
19	एनटीपीसी लिमिटेड
20	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
21	आरईसी लिमिटेड
22	एसजेवीएन लिमिटेड
23	आईएफसीआई लिमिटेड
24	इंडिया टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
25	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
26	आईटीआई लिमिटेड
27	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
28	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
29	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
30	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
31	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
32	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
33	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
34	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
35	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
36	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
37	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

जैसा कि उपर्युक्त तालिका में देखा गया है, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 37 (51 प्रतिशत) के मंडलों में कोई महिला निदेशक नहीं थी।

तालिका 3.4: शीर्ष 1,000 सूचीबद्ध कंपनियों में शामिल सीपीएसई, जिनके मंडल में महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं हैं

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2	मॉयल लिमिटेड
3	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
4	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
5	दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
6	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
8	ऑयल एण्ड नैचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

64 सीपीएसई में से 8 (13 प्रतिशत) के पास कोई महिला स्वतंत्र निदेशक नहीं थी।

घ मंडल में निदेशकों की निर्धारित न्यूनतम संख्या

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (1) (सी) में यह निर्धारित किया गया है कि शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध कंपनियों के निदेशक मंडल में कम से कम छह निदेशक शामिल होंगे। तथापि, तालिका 3.5 में सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में, इस आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

तालिका 3.5: शीर्ष 2000 कंपनियों में शामिल सीपीएसई जहां मंडल में छह से कम निदेशक थे

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
2	माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
3	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज़्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	इंडियन रेलवे फाइनेन्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
6	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
7	आरईसी लिमिटेड
8	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
11	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
12	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
13	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14	दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
15	तमिलनाडु टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड

बोर्ड में न्यूनतम छह निदेशकों के मानदंड को 70 सूचीबद्ध सीपीएसई (शीर्ष 2000 सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में से 15 (21 प्रतिशत) में पूरा नहीं किया गया था।

ड़. निदेशक मंडल की बैठकों में गणपूर्ति

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17 (2ए) में अनुबंधित किया गया है कि निदेशक मंडल की प्रत्येक बैठक के लिए अपेक्षित संख्या इसकी कुल संख्या का एक तिहाई या तीन निदेशक होगी, जो भी अधिक हो, जिसमें शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक भी शामिल है। तथापि, तालिका 3.6 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में मंडल की बैठकों में अपर्याप्त गणपूर्ति थी।

तालिका 3.6: सीपीएसई जहां बोर्ड की बैठकों में अपर्याप्त गणपूर्ति थी

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें स्वतंत्र निदेशक अनुपस्थित थे	कमी (प्रतिशत)
1	एनएमडीसी लिमिटेड	8	1	13
2	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	5	3	60
3	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	7	4	57
4	कोल इंडिया लिमिटेड	19	10	53
5	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	5	5	100
6	एनएचपीसी लिमिटेड	11	6	55
7	आरईसी लिमिटेड	10	10	100

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	आयोजित बैठकों की संख्या	बैठकों की संख्या जिसमें स्वतंत्र निदेशक अनुपस्थित थे	कमी (प्रतिशत)
8	आईएफसीआई लिमिटेड	9	9	100
9	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8	8	100
10	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	4	2	50
11	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9	9	100
12	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	8	8	100
13	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	8	6	75
14	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	5	5	100
15	दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	5	3	60
16	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	6	5	83
17	तमिलनाडु टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड	5	5	100

70 सूचीबद्ध सीपीएसई (शीर्ष 2000 सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में से 17 (24 प्रतिशत) में, कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित, मंडल की बैठक में निदेशकों की अपर्याप्त गणपूर्ति पायी गयी थी और यह कमी 13 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक थी।

निदेशक मंडल के गठन के संबंध में देखे गए अननुपालन के मामलों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- *72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 32 सीपीएसई (44 प्रतिशत) के पास गैर-कार्यकारी निदेशकों की अपेक्षित संख्या (कुल बोर्ड संख्या के 50 प्रतिशत से कम) नहीं थी;*
- *72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 59 (82 प्रतिशत) में, स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई थी;*

- *72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 37 (51 प्रतिशत) के मंडल में महिला निदेशक नहीं हैं और 64 सीपीएसई (शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में से 8 सीपीएसई (13 प्रतिशत) के मामले में, महिला स्वतंत्र निदेशक मंडल में अनुपस्थित थीं;*
- *70 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 15 (21 प्रतिशत) (शीर्ष 2000 सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में मंडल में न्यूनतम छह निदेशकों के मानदंडों को पूरा नहीं किया है।*
- *70 सूचीबद्ध सीपीएसई (शीर्ष 2000 सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में से 17 (24 प्रतिशत) में मंडल की बैठक में निदेशकों की अपर्याप्त गणपूर्ति थी, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक भी शामिल था, और कमी 13 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक थी।*

3.3 स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एवं कार्यचालन पद्धति

क स्वतंत्र निदेशकों का प्रशिक्षण

क.1 कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV (पैरा-(III)(1) (स्वतंत्र निदेशकों के कर्त्तव्य) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 25(7) में प्रावधान है कि कंपनी प्रशिक्षणों के माध्यम से स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी के बारे में, कंपनी में उनकी भूमिकाएं, अधिकार, उत्तरदायित्वों, उद्योग की प्रकृति जिसमें कंपनी संचालित होती है, कंपनी के व्यापार मॉडल इत्यादि विषयों से अवगत करायेगी। तथापि, यह पाया गया कि 72 सीपीएसई में से 2 (3 प्रतिशत) (ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड और फर्टिलाइज़र्स और केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड) सीपीएसई में उन स्वतंत्र निदेशकों के लिए ऐसा कोई प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया जो वर्ष 2020-21 के दौरान मंडल में थे।

क.2 इसके अतिरिक्त, सेबी (सूचीबद्ध बाध्यताएं तथा प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 46(2)(i) और अनुसूची V(सी)(2)(जी) के उल्लंघन में वेबसाइट पर प्रशिक्षण का विवरण प्रकट नहीं किया गया था और 72 सीपीएसई में से एक (1 प्रतिशत) (दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड) के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट में उनका कोई वेब लिंक नहीं दिया गया था।

ख निदेशक मंडल और मंडल समितियों की बैठक

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची IV(III)(3) में वर्णित है कि स्वतंत्र निदेशकों को निदेशक मंडल और मंडल समितियों की सभी बैठकों में भाग लेने का प्रयास करना चाहिए, जिनके वे सदस्य हैं। तथापि, कुछ स्वतंत्र निदेशकों ने कुछ बैठकों में भाग नहीं लिया। तालिका 3.7 ऐसे स्वतंत्र निदेशकों की संख्या दर्शाती है जिन्होने केवल 80 प्रतिशत तक बैठकों में भाग लिया था।

तालिका 3.7: स्वतंत्र निदेशक जिन्होने मंडल/मंडल समिति की केवल 80 प्रतिशत तक बैठकों में भाग लिया था

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होने मंडल की केवल 80 प्रतिशत तक बैठकों में भाग लिया	स्वतंत्र निदेशकों की संख्या जिन्होने मंडल समिति की केवल 80 प्रतिशत तक बैठकों में भाग लिया
1	रेल विकास निगम लिमिटेड	2	1
2	इंडिया टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1	1
3	एमएमटीसी लिमिटेड	1	1
4	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1	1
5	दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	1	1
6	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1	1
7	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	1	-

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 7 (10 प्रतिशत) में, स्वतंत्र निदेशकों ने मंडल/मंडल समिति की केवल 80 प्रतिशत तक बैठकों में भाग लिया।

ग कंपनी की सामान्य बैठकों में भाग लेना

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची (**IV**)(**III**)(5) में प्रावधान है कि स्वतंत्र निदेशकों को कंपनी की सामान्य बैठकों में भाग लेने का प्रयत्न करना चाहिए। तालिका 3.8 में ऐसे सूचीबद्ध सीपीएसई हैं, जिनके एक या अधिक स्वतंत्र निदेशकों ने कंपनी की आम बैठकों में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.8: सीपीएसई, जिनके स्वतंत्र निदेशकों ने आम बैठकों में भाग नहीं लिया

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	बीईएमएल लिमिटेड
3	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
4	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
5	आईटीआई लिमिटेड
6	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड
8	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
9	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से नौ (13 प्रतिशत) में, स्वतंत्र निदेशकों (1 या अधिक) ने आम बैठकों में भाग नहीं लिया।

घ कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 173 (3) में प्रावधान है कि निदेशक मंडल की बैठकें कम से कम सात दिनों का लिखित नोटिस देकर बुलाई जानी थीं। तालिका 3.9 में दर्शाया गया है कि निदेशक मंडल की बैठकों (एक/या अधिक) के लिए सात दिनों से कम अवधि का नोटिस दिया गया था।

तालिका 3.9: सीपीएसई जहां 7 दिनों से कम समय का नोटिस देकर बोर्ड की बैठक बुलाई गई थी

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	बोर्ड की बैठकों की कुल संख्या	7 दिनों से कम समय के नोटिस के साथ बुलाई गई बैठकों की संख्या	7 दिनों से कम समय के नोटिस में कमी का प्रतिशत
1	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10	1	10
2	एनएमडीसी लिमिटेड	8	1	13
3	बीईएमएल लिमिटेड	11	5	45
4	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	9	2	22
5	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10	1	10
6	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	12	3	25
7	कोल इंडिया लिमिटेड	19	2	11
8	ऑयल इंडिया लिमिटेड	9	2	22
9	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	8	1	13
10	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	7	1	14
11	आरईसी लिमिटेड	10	2	20
12	एमएमटीसी लिमिटेड	6	3	50
13	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	10	1	10
14	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	14	3	21
15	आईटीआई लिमिटेड	9	2	22
16	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	7	1	14
17	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	8	1	13
18	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	8	1	13
19	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	5	2	40
20	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	6	6	100
21	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11	2	18
22	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9	2	22

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 22 (31 प्रतिशत) में, सात दिनों से भी कम समय का नोटिस देकर मंडल की बैठकें बुलाई गई थीं। कमी की प्रतिशतता 10 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

ङ. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची II के विनियम 17(7) और भाग ए में यह निर्धारित किया गया है कि कंपनी के परिचालन की समीक्षा के लिए निदेशक मंडल को आवश्यक सूचनाओं का विवरण प्रदान किया जाएगा। तालिका 3.10 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में निदेशक मंडल को उपर्युक्त विनियम के अनुसार सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई थी।

तालिका 3.10: सीपीएसई जहां निदेशक मंडल को विस्तृत जानकारी प्रदान नहीं की गई थी

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	बोर्ड को नहीं दी गई सूचना
1	एनएमडीसी लिमिटेड	• मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव की नियुक्ति या पदच्युति सहित बोर्ड स्तर से ठीक नीचे के स्तर के वरिष्ठ अधिकारियों की भर्ती और पारिश्रमिक के बारे में जानकारी; • कोई भौतिक रूप से महत्वपूर्ण बहिःस्राव या प्रदूषण की समस्या; • महत्वपूर्ण श्रम समस्याएं और उनके प्रस्तावित समाधान; तथा • मानव संसाधन और औद्योगिक संबंधों के क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण विकास।
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	• विदेशी मुद्रा जोखिम का त्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए उपाय।
3	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	• किसी भी संयुक्त उद्यम या सहयोग करार का विवरण; तथा • विदेशी मुद्रा जोखिम का त्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए उपाय।
4	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	• लेखापरीक्षा समिति और मंडल की अन्य समितियों की बैठकों का कार्यवृत्त
5	एमएमटीसी लिमिटेड	• भौतिक रूप से महत्वपूर्ण कारण बताओ, मांग, अभियोजन और शास्ति नोटिस; तथा • कोई भी मुद्दा जिसमें महत्वपूर्ण प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं।

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	बोर्ड को नहीं दी गई सूचना
6	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	• कोई भी मुद्दा जिसमें महत्वपूर्ण प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं; • संव्यवहार जिसमें गुडविल, ब्रांड इक्विटी या बौद्धिक संपदा के लिए सारभूत भुगतान शामिल है; तथा • किसी भी नियामक, वैधानिक प्रकृति या सूचीबद्धता अपेक्षाएं और शेयरधारकों की सेवा का गैर-अनुपालन जैसे लाभांश का भुगतान न करना, शेयर हस्तांतरण में देरी आदि।
7	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	• कंपनी को और उसके द्वारा वित्तीय दायित्वों में कोई महत्वपूर्ण प्रासंगिक चूक या कंपनी द्वारा बेचे गए माल के लिए सारभूत भुगतान न होना; तथा • कोई भी मुद्दा जिसमें महत्वपूर्ण प्रकृति के संभावित सार्वजनिक या उत्पाद देयता दावे शामिल हैं।
8	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	• निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण प्रकृति की बिक्री, जो व्यवसाय में सामान्य नहीं है; तथा • विदेशी मुद्रा जोखिम का त्रैमासिक विवरण और प्रतिकूल विनिमय दर के उतार-चढ़ाव के जोखिमों को सीमित करने के लिए प्रबंधन द्वारा किए गए उपाय।
9	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	• निवेश, सहायक कंपनियों, परिसंपत्तियों की महत्वपूर्ण प्रकृति की बिक्री, जो व्यवसाय के सामान्य क्रम में नहीं है।

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 9 (13 प्रतिशत) में, यथानिर्धारित विस्तृत जानकारी बोर्ड को प्रदान नहीं की गई थी।

च. निगमित अभिशासन रिपोर्ट में चार्ट/मैट्रिक्स के माध्यम से निदेशक मंडल के मूल कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं का प्रकटीकरण

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम भाग सी(2)(एच) अनुसूची V में यह अनुबंधित किया गया है कि वार्षिक प्रतिवेदन में शामिल निगमित अभिशासन प्रतिवेदन में एक चार्ट या मैट्रिक्स के माध्यम से प्रकटीकरण किया जाएगा, जिसमें निदेशक मंडल द्वारा निर्धारित मूल कौशल/विशेषज्ञता/दक्षताओं की सूची को निर्दिष्ट करते हुए निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता, क्षमता को निर्धारित किया गया हो, जैसा कि इसके व्यवसाय (ओं) और क्षेत्र (ओं) के संदर्भ में प्रभाविकता से कार्य करने के लिए आवश्यक है और वास्तव में जो बोर्ड के पास उपलब्ध है। तालिका 3.11 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में निदेशक मंडल के कौशल/विशेषज्ञता, क्षमता को निर्दिष्ट करते हुए मैट्रिक्स के माध्यम से प्रकटीकरण नहीं किया गया था।

तालिका 3.11: सीपीएसई जिन्होंने निगमित अभिशासन प्रतिवेदन में चार्ट/मैट्रिक्स के माध्यम से निदेशक मंडल के मूल कौशल/विशेषज्ञता/क्षमताओं को उजागर नहीं किया था

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	केआईओसीएल लिमिटेड
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
5	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	एसजेवीएन लिमिटेड
7	एमएमटीसी लिमिटेड
8	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9	दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
10	दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
11	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
12	तमिलनाडु टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 12 में (17 प्रतिशत), निगमित अभिशासन प्रतिवेदन में चार्ट/मैट्रिक्स के माध्यम से निदेशक मंडल के मूल कौशल/विशेषज्ञता/क्षमता को निगमित अभिशासन प्रतिवेदन के हिस्से के रूप में शामिल नहीं किया गया था।

स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति और कामकाज के संबंध में देखे गए गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

- *72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 2 (3 प्रतिशत) के मामले में उन स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था जो मंडल में थे;*
- *72 में से 1 (1 प्रतिशत) सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में वेबसाइट पर प्रशिक्षण के ब्यौरे को उजागर नहीं किया गया था और वार्षिक प्रतिवेदन में इसका कोई वेब लिंक नहीं दिया गया था;*
- *72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 7 (10 प्रतिशत) में, स्वतंत्र निदेशकों ने केवल 80 प्रतिशत तक मंडल/मंडल समिति की बैठकों में भाग लिया।*
- *72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 9 (13 प्रतिशत) में, स्वतंत्र निदेशकों (1 या अधिक) ने आम बैठक में भाग नहीं लिया;*
- *72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 22 (31 प्रतिशत) में, 7 दिनों से कम समय का नोटिस देकर मंडल की बैठकें बुलाई गईं। कमी का प्रतिशत 10 से 100 प्रतिशत के बीच था;*

- *72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से नौ (13 प्रतिशत) में, यथा निर्धारित विस्तृत जानकारी मंडल को उपलब्ध नहीं कराई गई थी; तथा*
- *72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 12 (17 प्रतिशत) में, निदेशक मंडल के मूल कौशल/ विशेषज्ञता/क्षमता को निगमित अभिशासन रिपोर्ट में चार्ट/मैट्रिक्स के माध्यम से प्रदर्शित नहीं किया गया था।*

3.4 लेखापरीक्षा समिति

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(1) और (2) तथा सेबी (बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(ए)(बी) में यह अनुबंधित किया गया है कि एक लेखापरीक्षा समिति होगी जिसमें कम से कम तीन निदेशक सदस्य होंगे, जिनमें से दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक होंगे। तथापि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 3 (4 प्रतिशत) (दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और ईस्टर्न इनवेस्टमेंट्स लिमिटेड) में लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था।

ख. इसके अलावा, तालिका 3.12 में दर्शाए गए सीपीएसई के सम्बन्ध में लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

तालिका 3.12: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशक की वास्तविक संख्या	कमी	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में प्रतिशत कमी
1	एनएमडीसी लिमिटेड	3	2	1	1	50
2	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	3	2	1	1	50
3	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	3	2	शून्य	2	100
4	माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	3	2	1	1	50
5	इंडियन रेलवेज कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	3	शून्य	3	100
6	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	2	1	1	50

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशक की वास्तविक संख्या	कमी	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में प्रतिशत कमी
7	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	3	2	1	1	50
8	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	4	3	1	2	67
9	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	4	3	शून्य	3	100
10	नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	3	2	1	1	50
11	कोल इंडिया लिमिटेड	2	2	शून्य	2	100
12	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	3	2	1	1	50
13	गेल (इंडिया) लिमिटेड	3	2	1	1	50
14	एनएचपीसी लिमिटेड	3	2	शून्य	2	100
15	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	2	1	1	50
16	आरईसी लिमिटेड	4	3	शून्य	3	100
17	आईएफसीआई लिमिटेड	3	2	शून्य	2	100
18	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4	3	शून्य	3	100
19	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	3	2	शून्य	2	100
20	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	2	शून्य	2	100
21	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	4	3	1	2	67
22	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	3	2	शून्य	2	100
23	एमएसटीसी लिमिटेड	3	2	1	1	50

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	लेखापरीक्षा समिति में निदेशकों की कुल संख्या	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या	स्वतंत्र निदेशक की वास्तविक संख्या	कमी	स्वतंत्र निदेशकों की अपेक्षित संख्या में प्रतिशत कमी
24	नेशनल एल्युमिनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3	2	शून्य	2	100
25	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	3	2	शून्य	2	100
26	दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	4	3	1	2	67
27	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	3	2	शून्य	2	100
28	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	9	6	1	5	83
29	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4	3	1	2	67
30	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2	2	1	1	50
31	तमिलनाडु टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड	4	3	शून्य	3	100

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 31 (43 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे और यह कमी 50 से 100 प्रतिशत के बीच थी।

ग. लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष द्वारा एजीएम में उपस्थिति

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(डी) में यह अनुबंधित किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति का अध्यक्ष स्वतंत्र निदेशक होगा और शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक (एजीएम) में मौजूद रहेगा। तथापि, तालिका 3.13 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं लिया।

तालिका 3.13: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं लिया

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएमएल लिमिटेड
2	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
3	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
4	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
5	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
6	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
7	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
8	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से आठ (11 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं लिया।

घ. लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

घ.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18(2)(ए) में यह अनुबंधित किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति वर्ष में कम से कम चार बार और किसी भी दो बैठकों के बीच 120 दिनों के अधिकतम समय अंतराल के साथ बैठक करेगी। हालांकि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 3 (4 प्रतिशत) के संबंध में (भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिश्र धातू निगम लिमिटेड और हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड), इकाई ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में चार लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित नहीं कीं।

घ.2 इसके अलावा, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 6 (8 प्रतिशत) (भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, आरईसी लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के संबंध में दो लेखापरीक्षा समिति की बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतर था।

ङ. लेखापरीक्षा समिति की बैठकों की गणपूर्ति

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18(2)(बी) और डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.4 में बैठक की गणपूर्ति की आवश्यकता (अर्थात लेखापरीक्षा समिति के दो सदस्य या एक तिहाई सदस्य, जो भी अधिक हो, कम से कम दो स्वतंत्र निदेशकों के साथ) अनुबंधित की गई है। लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अपर्याप्त गणपूर्ति वाली सीपीएसई को तालिका 3.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 3.14: लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अपर्याप्त गणपूर्ति वाले सीपीएसई

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
2	माझगाव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
3	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
5	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
6	नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
7	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
8	गेल (इंडिया) लिमिटेड
9	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10	आरईसी लिमिटेड
11	आईएफसीआई लिमिटेड
12	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
14	एनबीसीसी लिमिटेड
15	एमएसटीसी लिमिटेड
16	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
17	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
18	दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
19	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
20	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
21	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 21 (29 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए अपर्याप्त गणपूर्ति थी।

च. लेखापरीक्षा समिति के सदस्यों की साक्षरता

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18(1)(सी) व्याख्या (2) और दिनांक 14 मई 2010 के डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 4.1.3 यह अनुबंधित करते हैं कि एक सदस्य के पास 'लेखा या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता' होनी चाहिए। हालांकि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 6 (आठ प्रतिशत) (बीईएमएल लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, नेशनल एल्युमीनियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और एनएलसी लिमिटेड) के संबंध में, यह आवश्यकता पूरी नहीं की गई थी।

छ लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना/दस्तावेजों की समीक्षा:

छ.1 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची-II के विनियमन भाग सी (ए)(7), भाग सी(ए)(11 से 14) और विनियम 18(3) में यह अनुबंधित किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति (i) आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों का मूल्यांकन करने के संबंध में सूचना/दस्तावेजों की, (ii) प्रबंधन, वैधानिक, आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की, (iii) आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के प्रमुख अधिकारी की स्टाफिंग और वरिष्ठता, आंतरिक लेखापरीक्षा की रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आवृत्ति की, (iv) लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता और निष्पादन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करेगी, और (v) आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण निष्कर्षों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा करेगी। तथापि, तालिका 3.15 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में उपर्युक्त विनियमों (एक/या अधिक) का पालन नहीं किया गया था।

तालिका 3.15: सीपीएसई जहां कॉलम 3 में दर्शाए गए विनियमों का पालन नहीं किया गया था

क्र.सं.	सेबी विनियम संख्या	लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना/दस्तावेजों की समीक्षा	सीपीएसई का नाम जो विनियमों का पालन करने में विफल रही
1	2	3	4
1	अनुसूची II का भाग सी(ए)(11)	आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों और जोखिम प्रबंधन प्रणालियों का मूल्यांकन करना।	1) फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड; 2) मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड; 3) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड; 4) एसजेवीएन लिमिटेड; तथा 5) न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड।
2	अनुसूची II का भाग सी(ए)(12)	सांविधिक, आंतरिक लेखापरीक्षकों के प्रदर्शन और आंतरिक नियंत्रण प्रणालियों की पर्याप्तता की प्रबंधन के साथ समीक्षा करना।	1) फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड; 2) मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड; 3) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड; 4) एसजेवीएन लिमिटेड; 5) आईएफसीआई लिमिटेड; तथा 6) हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड।
3	अनुसूची II का भाग सी(ए)(13)	आंतरिक लेखापरीक्षा विभाग की संरचना, विभाग के प्रमुख अधिकारी की स्टाफिंग और	1) फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड; 2) मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड;

क्र.सं.	सेबी विनियम संख्या	लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना/दस्तावेजों की समीक्षा	सीपीएसई का नाम जो विनियमों का पालन करने में विफल रही
1	2	3	4
		वरिष्ठता, रिपोर्टिंग संरचना कवरेज और आंतरिक लेखापरीक्षा की आवृत्ति सहित आंतरिक लेखापरीक्षा कार्य की पर्याप्तता की समीक्षा करना।	3) एनएचपीसी लिमिटेड; 4) एसजेवीएन लिमिटेड; तथा 5) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
4	अनुसूची II के विनियम 18(3) और भाग सी(ए)(7)	लेखापरीक्षक की स्वतंत्रता और प्रदर्शन और लेखापरीक्षा प्रक्रिया की प्रभावशीलता की समीक्षा और निगरानी करना।	1) एनएमडीसी लिमिटेड; 2) फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड; 3) मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड; 4) राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड; 5) एनएचपीसी लिमिटेड; 6) पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड; 7) एसजेवीएन लिमिटेड; 8) आईएफसीआई लिमिटेड; 9) इंडिया टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड; 10) एमएमटीसी लिमिटेड ; तथा 11) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
5	अनुसूची II का भाग सी(ए)(14)	आंतरिक लेखापरीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण निष्कर्षों और उन पर अनुवर्ती कार्रवाई पर चर्चा करना।	1) फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड; 2) मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड; 3) एसजेवीएन लिमिटेड; 4) स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; तथा 5) ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

72 सूचीबद्ध सीपीएसई, में से 14 (19 प्रतिशत) में सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के कुछ विनियमों {अनुसूची-।। के भाग सी(ए)(7), भाग सी(ए) (11 से 14) और विनियम 18(3)} का पालन नहीं किया गया।

छ.2 सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची-II के विनियम 18(3) और भाग सी(बी) में यह प्रावधान किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति अनिवार्य रूप से इस सूचना की समीक्षा करेगी: (i) प्रबंधन चर्चा और वित्तीय स्थिति और परिचालन की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण, (ii) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन के विवरण (जैसा कि लेखापरीक्षा समिति द्वारा परिभाषित किया गया है), (iii) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित पत्र, (iv) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों के संबंध में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, (v) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन, पारिश्रमिक शर्तें और (vi) स्टॉक एक्सचेंज को प्रस्तुत विचलन/निगरानी एजेंसी के प्रतिवेदन का त्रैमासिक विवरण और प्रस्तावित दस्तावेजों/प्रोस्पेक्टस/नोटिस में दर्शाए गए उद्देश्यों के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली निधि के वार्षिक विवरण। तथापि, लेखापरीक्षा समिति ने तालिका 3.16 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में विनियमों के उपरोक्त अनुबंधों में से एक/या अधिक की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.16: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति एक/या अधिक अनुबंधों की समीक्षा करने में विफल रही

क्र.सं.	सेबी विनियम संख्या	लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा	सीपीएसई का नाम जो विनियमों का पालन करने में विफल रही
1	विनियमों का विनियम 18(3) और अनुसूची II का भाग सी (बी)	क) वित्तीय स्थिति और संचालनों के परिणामों की प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण	1. एनएमडीसी लिमिटेड; 2. मिश्र धातु निगम लिमिटेड; 3. फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड; 4. मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड; 5. एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड; 6. बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड; 7. ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
2	विनियमों का विनियम 18(3) और अनुसूची II का भाग सी (बी)	ख) प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेन का विवरण	1. एनएमडीसी लिमिटेड; 2. मिश्र धातु निगम लिमिटेड; 3. फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड; 4. मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड।
3	विनियमों का विनियम 18(3)	ग) सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन	1. एनएमडीसी लिमिटेड; 2. मिश्र धातु निगम लिमिटेड;

क्र.सं.	सेबी विनियम संख्या	लेखापरीक्षा समिति द्वारा सूचना की समीक्षा	सीपीएसई का नाम जो विनियमों का पालन करने में विफल रही
	और अनुसूची II का भाग सी(बी)	पत्र/आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित पत्र	3. फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड; 4. मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड; 5. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड; 6. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; 7. न्यू इंडिया एश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड।
4	विनियमों का विनियम 18(3) और अनुसूची II का भाग सी (बी)	घ) आंतरिक नियंत्रण कमजोरियों से संबंधित आंतरिक लेखापरीक्षा रिपोर्ट	1. एनएमडीसी लिमिटेड; 2. मिश्र धातु निगम लिमिटेड; 3. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।
5	विनियमों का विनियम 18(3) और अनुसूची II का भाग सी (बी)	ड) मुख्य आंतरिक लेखापरीक्षक की नियुक्ति, निष्कासन, पारिश्रमिक की शर्तें।	1. एनएमडीसी लिमिटेड; 2. मिश्र धातु निगम लिमिटेड; 3. फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड; 4. मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड; 5. एनएचपीसी लिमिटेड; 6. भारतीय साधारण बीमा निगम।
6	विनियमों का विनियम 18(3) और अनुसूची II का भाग सी (बी)	च) सेबी के विनियम (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) 2015 की अनुसूची II के भाग सी (बी) (6) के तहत उल्लिखित विचलनों का विवरण।	1. कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; 2. इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड; 3. रेल विकास निगम लिमिटेड; 4. राइट्स लिमिटेड; 5. रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; 6. स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; 7. जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड; 8. एनएलसी इंडिया लिमिटेड।

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 18 (25 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18(3) और अनुसूची II के भाग सी(बी) की समीक्षा करने में विफल रही।

ज. सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची-II के भाग सी(ए)(16) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति को लेखापरीक्षा की प्रकृति और कार्यक्षेत्र पर लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा करनी चाहिए और साथ ही साथ किसी भी मामले का पता लगाने के लिए लेखापरीक्षा के बाद चर्चा करनी चाहिए। तथापि, तालिका 3.17 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में लेखापरीक्षा समितियों ने ऐसी कोई चर्चा नहीं की थी।

तालिका 3.17: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति ने लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ चर्चा नहीं की और लेखापरीक्षा के बाद चर्चा नहीं की

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	पूर्व लेखापरीक्षा चर्चा	लेखापरीक्षा के बाद की चर्चा
1	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-	आयोजित नहीं की गई
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आयोजित नहीं की गई	आयोजित नहीं की गई
3	फ़र्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	आयोजित नहीं की गई	आयोजित नहीं की गई
4	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	आयोजित नहीं की गई	आयोजित नहीं की गई
5	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	आयोजित नहीं की गई	आयोजित नहीं की गई
6	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	आयोजित नहीं की गई	-
7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	आयोजित नहीं की गई	-
8	एसजेवीएन लिमिटेड	आयोजित नहीं की गई	-
9	एमएमटीसी लिमिटेड	-	आयोजित नहीं की गई
10	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आयोजित नहीं की गई	-
11	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	आयोजित नहीं की गई	आयोजित नहीं की गई
12	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	-	आयोजित नहीं की गई
13	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	आयोजित नहीं की गई	आयोजित नहीं की गई

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 13 (18 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति ने सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले या लेखापरीक्षा के बाद चर्चा नहीं की या दोनों ही कार्य करने में विफल रही।

झ. सभी सीपीएसई सांविधिक अधिदेश के अनुसार भारत के सीएजी की लेखापरीक्षा के अधीन हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6), सीएजी को सरकारी कंपनियों के लेखाओं की अनुपूरक लेखापरीक्षा करने के लिए अधिकृत करती है। इसके अलावा, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(4)(iii) में प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों और उन पर लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन की जांच करेगी। इस प्रकार, सीपीएसई के मामले में, सीएजी द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों सहित सीएजी के निष्कर्षों की समीक्षा करना लेखापरीक्षा समिति की जिम्मेदारी है। तथापि, तालिका 3.18 में दर्शाई गई सीपीएसई के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति ने सीएजी के निष्कर्षों और प्रबंधन पत्रों की समीक्षा नहीं की।

तालिका 3.18: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति ने सीएजी के निष्कर्षों और प्रबंधन पत्रों की समीक्षा नहीं की थी

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
5	रेल विकास निगम लिमिटेड
6	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	फ़र्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
8	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
9	कोल इंडिया लिमिटेड
10	ऑयल इंडिया लिमिटेड
11	एमएमटीसी लिमिटेड
12	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
14	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
15	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 15 (21 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति ने सीएजी के निष्कर्षों और प्रबंधन पत्रों की समीक्षा नहीं की।

ञ. दिनांक 14 मई 2010 के डीपीई दिशानिर्देश के पैरा 4.2.13 और 4.2.14 में यह भी प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति सीएजी की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और संसद के कमिटी ऑन पब्लिक अन्डरटेकिंग (सीओपीयू) की सिफारिशों की समीक्षा करेगी। तथापि,

लेखापरीक्षा समिति ने तालिका 3.19 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में सीएजी की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और सीओपीयू की सिफारिशों की समीक्षा नहीं की थी।

तालिका 3.19: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति ने सीएजी की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और सीओपीयू की सिफारिश की समीक्षा नहीं की थी

क्र.सं.	उन सीपीएसई का नाम जिसकी लेखापरीक्षा समिति ने सीएजी की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की समीक्षा नहीं की थी	सीपीएसई का नाम जिसकी लेखापरीक्षा समिति ने सीओपीयू की सिफारिश की समीक्षा नहीं की
1	एनएमडीसी लिमिटेड	एनएमडीसी लिमिटेड
2	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
3	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-
4	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-
5	रेल विकास निगम लिमिटेड	-
6	फ़र्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड	-
7	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड	-
8	-	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9	दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	-
10	-	एनएलसी इंडिया लिमिटेड

72 सीपीएसई में से 8 (11 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति ने सीएजी की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की समीक्षा नहीं की और 72 सीपीएसई में से 4 (6 प्रतिशत) में, इसने सीओपीयू की सिफारिशों की समीक्षा नहीं की।

ट. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची-II के भाग (सी)ए(19) और विनियम 18(3) में अनुबंधित है कि लेखापरीक्षा समिति की भूमिका में उम्मीदवार की योग्यता, अनुभव और पृष्ठभूमि इत्यादि का आंकलन करने के बाद मुख्य वित्तीय अधिकारी की नियुक्ति का अनुमोदन शामिल होगा। तथापि, तालिका 3.20 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में, मुख्य वित्तीय अधिकारी को लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के बिना नियुक्त किया गया था।

तालिका 3.20: सीपीएसई जहां मुख्य वित्तीय अधिकारी को लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के बिना नियुक्त किया गया था

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
3	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
5	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
6	एनएचपीसी लिमिटेड
7	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
9	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
10	दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

72 सीपीएसई में से दस (14 प्रतिशत) में, मुख्य वित्तीय अधिकारी को लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के बिना नियुक्त किया गया था।

लेखापरीक्षा समिति के संबंध में देखे गए गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 3 (4 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति का गठन नहीं किया गया था;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 31 (43 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति के दो-तिहाई सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे और यह कमी 50 से 100 प्रतिशत के बीच थी;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 8 (11 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष ने वार्षिक आम बैठक में भाग नहीं लिया;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से तीन (4 प्रतिशत) ने वित्तीय वर्ष 2020-21 में 4 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें नहीं कीं;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 6 (8 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति की दो बैठकों के बीच 120 दिनों से अधिक का अंतर था;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 21 (29 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करने के लिए अपर्याप्त गणपूर्ति थी।
- एक सदस्य के पास 'लेखाकरण या संबंधित वित्तीय प्रबंधन विशेषज्ञता' होनी चाहिए। हालांकि, 72 सीपीएसई में से छह (8 प्रतिशत) के संबंध में यह आवश्यकता पूरी

नहीं हुई थी;

- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 14 (19 प्रतिशत) में, सेबी (बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के कुछ विनियमों {अनुसूची-।। का भाग सी(ए)(7), भाग सी(ए)(11 से 14) और विनियम 18(3)} का पालन नहीं किया गया;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 18 (25 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 18(3) और अनुसूची II के भाग सी(बी) की समीक्षा करने में विफल रही;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 13 (18 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति ने सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ लेखापरीक्षा शुरू होने से पहले या लेखापरीक्षा के बाद चर्चा नहीं की या दोनों कार्य करने में विफल रही;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 15 (21 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति ने सीएजी के निष्कर्षों और प्रबंधन पत्रों की समीक्षा नहीं की;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 8 (11 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति ने सीएजी की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की समीक्षा नहीं की और 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से चार (छः प्रतिशत) में, सीओपीयू की सिफारिशों की समीक्षा नहीं की और
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 10 (14 प्रतिशत) में, मुख्य वित्तीय अधिकारी को लेखापरीक्षा समिति के अनुमोदन के बिना नियुक्त किया गया था।

3.5 विसल ब्लोअर तंत्र

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9), कंपनी (मंडलों की बैठक और उसकी शक्तियां) नियमावली, 2014 के नियम 7, सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियम 18(3) और अनुसूची-II के भाग सी(ए)(18) में यह प्रावधान है कि लेखापरीक्षा समिति विसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा करेगी। यह देखा गया कि

लेखापरीक्षा समिति ने तालिका 3.21 में सूचीबद्ध सीपीएसई में विसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा नहीं की थी।

तालिका 3.21: सीपीएसई जहां लेखापरीक्षा समिति ने विसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा नहीं की

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
3	फ़र्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
4	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
5	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
6	एनटीपीसी लिमिटेड
7	एमएमटीसी लिमिटेड
8	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 8 (11 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति ने विसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा नहीं की।

ख. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 22 (2) में प्रावधान है कि सतर्कता तंत्र निदेशकों या कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति जो तंत्र का लाभ उठाते हैं, को उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करता है और उपयुक्त या अपवाद मामलों में लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक सीधी पहुंच भी प्रदान करता है। तथापि, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष तक ऐसी पहुंच 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 2 (3 प्रतिशत) (हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड और न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड) सीपीएसई में प्रदान नहीं की गई थी।

चेतावनी तंत्र के संबंध में देखे गए गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 8 (11 प्रतिशत) में, लेखापरीक्षा समिति ने विसल ब्लोअर मैकानिज़्म के कामकाज की समीक्षा नहीं की;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 2 (3 प्रतिशत) में, निदेशकों या कर्मचारियों या किसी अन्य व्यक्ति के उत्पीड़न के खिलाफ पर्याप्त सुरक्षा उपायों पर सतर्कता तंत्र की जानकारी लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष को प्रदान नहीं की गई थी।

3.6 संबंधित पार्टी लेनदेन

क. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 23(2) में प्रावधान है कि सभी संबंधित पक्षों के लेनदेनों के लिए लेखापरीक्षा समिति के पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता होगी। तथापि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से एक (1 प्रतिशत) (फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड) के संबंध में, प्रमुख प्रबंधकीय कर्मियों को पारिश्रमिक से संबंधित लेनदेन के लिए लेखापरीक्षा समिति द्वारा पूर्व अनुमोदन नहीं दिया गया था।

ख. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 23(9) में अनुबंधित है कि सूचीबद्ध कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को अपने स्टैंडअलोन और समेकित वित्तीय परिणामों के प्रकाशन की तारीख से 30 दिनों के भीतर संबंधित पार्टी लेनदेन के प्रकटीकरण प्रस्तुत करेगी और इसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी। तथापि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 2 (3 प्रतिशत) (फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड और मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड) के संबंध में, यद्यपि वर्ष के लिए संबंधित पार्टी लेन-देन का प्रकटीकरण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को प्रदान किया गया था, फिर भी इसे वेबसाइट पर प्रकाशित/प्रकट नहीं किया गया था।

संबंधित पार्टी लेनदेन के संबंध में गैर-अनुपालन के मामलों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है:

- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 1 (1 प्रतिशत) में, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को पारिश्रमिक से संबंधित लेनदेन के लिए लेखापरीक्षा समिति द्वारा पूर्व अनुमोदन नहीं दिया गया था;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 2 (3 प्रतिशत) में, यद्यपि वर्ष के लिए संबंधित पार्टी लेनदेन का प्रकटीकरण नेशनल स्टॉक एक्सचेंज को प्रदान किया गया था, फिर भी इसे वेबसाइट पर प्रकाशित/प्रकट नहीं किया गया था।

3.7 वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों और प्रमोटरों सहित कर्मचारियों के संबंध में दायित्व

निम्नलिखित सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 अनुबंधित करता है कि:

- विनियम 26(3): कंपनी द्वारा अपने निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से दर्ज आचार संहिता के अनुपालन पर वार्षिक पुष्टि;
- विनियम 26(4): गैर-कार्यकारी निदेशक उस सूचीबद्ध कंपनी में उसके द्वारा धारित या किसी अन्य व्यक्तियों के लिए लाभप्रद आधार पर धारित उनके शेयर धारिता को उजागर करेंगे जिसमें उन्हें निदेशक की नियुक्ति के लिए बुलाई गई आम बैठक में ऐसे निदेशकों के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव रखा गया है;
- विनियम 26(5): वरिष्ठ प्रबंधन निदेशक मंडल को सभी सामग्री, वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेनों से संबंधित प्रकटीकरण करेगा, जहां उनका व्यक्तिगत हित है;

- विनियम 26(6): सूचीबद्ध कंपनी के प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या निदेशक या प्रमोटर सहित कोई भी कर्मचारी ऐसी सूचीबद्ध कंपनी की प्रतिभूतियों में लेनदेन के संबंध में अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति की ओर से, किसी भी शेयरधारक या किसी अन्य तीसरे पक्ष के साथ मुआवजे या लाभ के सहभाजन के संबंध में कोई करार नहीं करेगा, जब तक कि एक सामान्य संकल्प द्वारा निदेशक मंडल के साथ-साथ सार्वजनिक शेयरधारकों का पूर्वानुमोदन प्राप्त नहीं किया जाता है। 04 जनवरी 2017 की तारीख से पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज किए गए ऐसे करारों (अस्तित्व में है या समाप्त हो गए) को सार्वजनिक प्रसार के लिए स्टॉक एक्सचेंजों को प्रकट किया जाना था;
- विनियम की अनुसूची V(डी): वार्षिक प्रतिवेदन में कोड के अनुपालन की पुष्टि पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित घोषणा शामिल होती है;
- विनियम 17(5)(बी): आचार संहिता में कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित स्वतंत्र निदेशकों के कर्त्तव्य शामिल किए जाएंगे; तथा
- विनियम अनुसूची V(ए) एवं (सी)(10)(ए): नवीनतम वार्षिक रिपोर्ट में महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेनदेनों को उजागर किया गया है जो बड़े पैमाने पर सूचीबद्ध कंपनी के हितों के साथ विरोधाभासी हो सकती है।

तथापि, तालिका 3.22 में दर्शाए गए सीपीएसई वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों निदेशकों, और प्रोमोटरों सहित कर्मचारियों के संबंध में दायित्वों/आचार संहिता पर एक/या अधिक अनुबंधों का पालन करने में विफल रहे।

तालिका 3.22: सीपीएसई जो कर्मचारियों के संबंध में दायित्वों/आचार संहिता पर एक या अधिक अनुबंधों का पालन करने में विफल रहे

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
2	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
3	फ़र्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
4	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
5	कोल इंडिया लिमिटेड
6	ऑयल इंडिया लिमिटेड
7	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
8	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड
9	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
10	एनएलसी इंडिया लिमिटेड

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से दस (14 *प्रतिशत*) में वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों, निदेशकों और प्रमोटरों सहित कर्मचारियों के संबंध में दायित्वों/आचार संहिता पर एक या अधिक अनुबंधों का पालन करने में विफल रहे।

3.8 नामांकन और पारिश्रमिक समिति

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(1), कंपनी (बोर्ड की बैठकें और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 6 और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 19(1) और (2) में कहा गया है कि प्रत्येक सीपीएसई एक नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करेगा जिसमें कम से कम तीन निदेशक शामिल होंगे, वो सभी गैर-कार्यकारी निदेशक होने चाहिए और कम से कम आधे स्वतंत्र निदेशक होंगे। समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, तालिका 3.23 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन नहीं किया गया था।

तालिका 3.23: सीपीएसई जो नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने में विफल रहे

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	एनएमडीसी लिमिटेड
2	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
3	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
4	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	एनएचपीसी लिमिटेड
6	आरईसी लिमिटेड
7	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
8	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
9	दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
10	दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
11	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
12	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 12 (17 प्रतिशत) नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने में विफल रहे।

ख. इसके अलावा, यद्यपि नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया था, फिर भी तालिका 3.24 में दर्शाए गए सीपीएसई में तीन गैर-कार्यकारी निदेशकों और उनमें से आधे को स्वतंत्र निदेशकों के रूप में नियुक्त करने की आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

तालिका 3.24: सीपीएसई जहां नामांकन और पारिश्रमिक समिति के आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
2	इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	फ़र्टिलाइज़र एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
4	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
5	नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
6	गेल इंडिया लिमिटेड
7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
8	आईएफसीआई लिमिटेड
9	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
10	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
11	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
12	तमिलनाडु टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 12 (17 प्रतिशत) में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे।

ग. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(7) और सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 19(2) और (3) में अनुबंधित है कि समिति का अध्यक्ष एक स्वतंत्र निदेशक होगा और वह एजीएम में उपस्थित रहेगा। हालांकि, तालिका 3.25 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं थे।

तालिका 3.25: सीपीएसई जिनमें नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष वार्षिक आम बैठक में उपस्थित नहीं थे

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	बीईएमएल लिमिटेड
2	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
3	इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
4	कोल इंडिया लिमिटेड
5	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 6 (8 प्रतिशत) में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष वार्षिक आम बैठक में उपस्थित नहीं थे।

घ. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 19(2)(2ए) में अनुबंधित है कि समिति की गणपूर्ति में या तो दो सदस्य या समिति के एक-तिहाई सदस्य, जो भी अधिक हो, शामिल होंगे, जो भी अधिक हो, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक भी शामिल होगा। 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 4 (6 प्रतिशत) (आईएफसीआई लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड) के संबंध में इस आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था।

ङ. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 19(3ए) में कहा गया है कि नामांकन और पारिश्रमिक समिति वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी। 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 3 (4 प्रतिशत) (इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड और तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड) के संबंध में इस आवश्यकता का पालन नहीं किया गया था।

च. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V (सी) के विनियम (5) (बी) में यह अनुबंधित किया गया है कि गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान के लिए मानदंडों को कंपनी की वेबसाइट पर डाला जाएगा और वार्षिक प्रतिवेदन में उसके संदर्भ का उल्लेख किया जाएगा। तथापि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 3 (4 प्रतिशत) (एनएमडीसी लिमिटेड, फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड और मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड) के संबंध में इस आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

नामांकन और पारिश्रमिक समिति के संबंध में देखे गए गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 12 (17 प्रतिशत) नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन करने में विफल रहे;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 12 (17 प्रतिशत) में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के आधे सदस्य स्वतंत्र निदेशक नहीं थे;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से छह (आठ प्रतिशत) में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष वार्षिक आम बैठक में उपस्थित नहीं थे;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से चार (छह प्रतिशत) समिति की गणपूर्ति को बनाए रखने में विफल रहे, जिसमें कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित समिति के दो सदस्य या समिति के एक तिहाई सदस्य, जो भी अधिक हो, शामिल होंगे।

- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से तीन (चार प्रतिशत) में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति की वर्ष में कम से कम एक बार भी बैठक नहीं हुई; तथा
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से तीन (चार प्रतिशत) में, गैर-कार्यकारी निदेशकों को भुगतान के मानदंड को कंपनी की वेबसाइट पर नहीं डाला गया था और वार्षिक प्रतिवेदन में इसका संदर्भ नहीं दिया गया था।

3.9 पणधारक संबंध समिति

क. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) और सेबी (सूचीबद्धता; बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 20(1) में अपेक्षित है कि प्रत्येक सूचीबद्ध कंपनी एक पणधारक संबंध समिति का गठन करेगी। हालांकि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 3 (4 प्रतिशत) (दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड) के संबंध में, पणधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया था।

ख. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178(5) और सेबी (सूचीबद्धता, बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 20(2) में अनुबंधित है कि समिति का अध्यक्ष एक गैर-कार्यकारी निदेशक होगा। हालांकि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 3 (4 प्रतिशत) (हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और तमिलनाडु टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड) के संबंध में यह आवश्यकता पूरी नहीं की गई थी।

ग. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 20(2ए) में अनुबंधित है कि पणधारक संबंध समिति में कम से कम तीन निदेशक होते हैं, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होता है। हालांकि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 7 (10 *प्रतिशत*) (आरईसी लिमिटेड, आईएफसीआई लिमिटेड, स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड और तमिलनाडु टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड) के संबंध में, गठित समिति में एक भी स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

घ. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के 20(3) में अनुबंधित है कि समिति का अध्यक्ष पणधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए वार्षिक आम बैठक में उपस्थित रहेगा। हालांकि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 4 (6 प्रतिशत) (ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड और महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड) के संबंध में पणधारक संबंध समिति के अध्यक्ष वार्षिक आम बैठक में उपस्थित नहीं थे।

ड. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के 20(3ए) में अनुबंधित है कि समिति की वर्ष में कम से कम एक बैठक होगी। हालांकि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 7 (10 प्रतिशत) (भारत डायनामिक्स लिमिटेड, मिश्र धातु निगम लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड और तमिलनाडु टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड) के संबंध में वर्ष 2020-21 के दौरान समिति की बैठक नहीं हुई।

च. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 20(4) के अंतर्गत अनुसूची-II के भाग डी में अनुबंधित है कि शेयरों के हस्तांतरण/प्रसारण आदि से संबंधित शिकायतों सहित प्रतिभूति धारकों की शिकायतों का समाधान किया जाएगा। हालांकि, तालिका 3.26 में 10 सूचीबद्ध सीपीएसई (14 *प्रतिशत*) के संबंध में, पणधारकों द्वारा दायर शिकायतों का समाधान नहीं किया गया था जो 31 मार्च 2021 तक लंबित थी।

तालिका 3.26: सीपीएसई जहां पणधारकों द्वारा दायर शिकायतें लंबित थी

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	लंबित शिकायतों की संख्या
1	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	20
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	12
3	एनएचपीसी लिमिटेड	02
4	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16
5	एमएमटीसी लिमिटेड	06
6	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	28
7	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	01
8	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	02
9	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	01
10	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	01

पणधारक संबंध समिति के संबंध में देखे गए गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 3 (4 प्रतिशत) में, पणधारक संबंध समिति का गठन नहीं किया गया था;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 3 (4 प्रतिशत) में, समिति के अध्यक्ष गैर-कार्यकारी निदेशक नहीं थे;

- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 7 (10 प्रतिशत) में, पणधारक संबंध समिति में कम से कम तीन निदेशक नहीं थे, जिनमें से कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक होना चाहिए था;
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से चार (6 प्रतिशत) के मामले में पणधारक संबंध समिति के अध्यक्ष वार्षिक आम बैठक में उपस्थित नहीं थे।
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 7 (10 प्रतिशत) में, पणधारक संबंध समिति ने वर्ष में कम से कम एक बार भी बैठक नहीं की; तथा
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से दस (14 प्रतिशत) में पणधारकों द्वारा दायर शिकायतें लंबित थीं।

3.10 सहायक कंपनियां

क. सेबी (सूचीबद्धता, बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24(1) में अनुबंधित है कि सूचीबद्ध कंपनी का अपनी असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में एक स्वतंत्र निदेशक होगा। तथापि, तालिका 3.27 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में, इसकी असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में इनका कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

तालिका 3.27: सीपीएसई जहां इसकी असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में इनका कोई स्वतंत्र निदेशक उपलब्ध नहीं था

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	एचएमटी लिमिटेड
2	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
3	राइट्स लिमिटेड
4	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
5	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
6	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
7	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से सात (10 प्रतिशत) में इसकी असूचीबद्ध महत्वपूर्ण सहायक कंपनी के निदेशक मंडल में इनका कोई स्वतंत्र निदेशक नहीं था।

ख. सेबी (सूचीबद्धता, बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24 (2) में यह किया गया है कि लेखापरीक्षा समिति वित्तीय विवरणों, विशेष रूप से, असूचीबद्ध सहायक कंपनी द्वारा किए गए निवेश की समीक्षा करेगी। तथापि, 72 सूचीबद्ध

सीपीएसई में से दो (तीन प्रतिशत) (न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और एनएलसी इंडिया लिमिटेड) के संबंध में लेखापरीक्षा समिति ने असूचीबद्ध सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा नहीं की।

3.11 जोखिम प्रबंधन समिति

क. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 21(1) और 21(5) में अपेक्षित है कि शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियाँ एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन करेंगी। हालांकि, 49 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 1 (दो प्रतिशत) (शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा), (नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड) के संबंध में, जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया गया था।

ख. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 17(9), 21(2), 21(3) और 21(4) में यह अनुबंधित किया गया है कि (i) सूचीबद्ध कंपनी बोर्ड को जोखिम निर्धारण और इसके न्यूनीकरण की प्रक्रिया के बारे में सूचित करने के लिए प्रक्रियाएं निर्धारित करेगी; (ii) जोखिम प्रबंधन समिति का अध्यक्ष निदेशक मंडल का सदस्य होगा; (iii) निदेशक मंडल जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित करेगा और जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा को प्रत्यायोजित कर सकता है; और (iv) समिति के कार्यों में अनिवार्य रूप से 'साइबर सुरक्षा' शामिल है। तालिका 3.28 में दर्शाए गए सीपीएसई के संबंध में, इनमें से एक या अधिक अनुबंधों का पालन नहीं किया गया था।

तालिका 3.28: सीपीएसई जहां जोखिम प्रबंधन समिति एक या अधिक अनुबंधों की समीक्षा करने में विफल रही

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
2	रेल विकास निगम लिमिटेड
3	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
4	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
5	एनएचपीसी लिमिटेड
6	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
7	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
8	जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
9	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड

49 सूचीबद्ध सीपीएसई (शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में से 9 (18 प्रतिशत) के मामले में जोखिम प्रबंधन समिति उपर्युक्त एक या अधिक अनुबंधों की समीक्षा करने में विफल रही।

ग. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियम, 2015 के विनियम 21(3ए) में अनुबंधित है कि जोखिम प्रबंधन समिति वर्ष में कम से कम एक बार बैठक करेगी। हालांकि, 49 सूचीबद्ध सीपीएसई (शीर्ष 500 सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में से तीन सीपीएसई (छः प्रतिशत) (फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड और हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड) के संबंध में यह आवश्यकता पूरी नहीं हुई थी।

जोखिम प्रबंधन समिति के संबंध में देखे गए गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

- 49 सूचीबद्ध सीपीएसई (शीर्ष 500 रैंकिंग सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में से एक (दो प्रतिशत) ने जोखिम प्रबंधन समिति का गठन नहीं किया।
- 49 (शीर्ष 500 रैंकिंग सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में से सूचीबद्ध सीपीएसई से नौ (18 प्रतिशत) में जोखिम प्रबंधन समिति सेबी के एक/या अधिक विनियमों (सेबी का विनियम 17(9), 21(2), 21(3) और 21(4)) की समीक्षा करने में विफल रही।
- 49 सूचीबद्ध सीपीएसई (शीर्ष 500 रैंकिंग सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में से तीन (छह प्रतिशत) के मामले में जोखिम प्रबंधन समिति की वर्ष में कम से कम एक बार भी बैठक नहीं हुई।

3.12 अनुपालन प्रतिवेदन

क. सेबी (सूचीबद्धता, बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 27 (2) (ए) से 27 (2) (सी) में यह अनुबंधित किया गया है कि प्रत्येक कंपनी को प्रत्येक तिमाही के अंत से 15 दिनों के भीतर स्टॉक एक्सचेंजों को एक त्रैमासिक अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना होगा। दो सीपीएसई (कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड) के संबंध में तिमाही प्रगति प्रतिवेदन स्टॉक एक्सचेंजों को प्रस्तुत नहीं किए गए थे।

ख. इसके अलावा, डीपीई दिशानिर्देशों के पैरा 8.3 में अपेक्षित है कि प्रत्येक कंपनी प्रत्येक तिमाही के खातों को बंद करने के 15 दिनों के भीतर संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों को निर्धारित प्रारूप में तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी। तालिका 3.29 में दर्शाए गए

सीपीएसई के संबंध में तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक तिमाही के खातों के बंद होने के 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

तालिका 3.29: सीपीएसई जहां तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की गई

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड
4	मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड
5	कोल इंडिया लिमिटेड
6	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
8	दि बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड
9	दि उड़ीसा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड

72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से नौ (13 प्रतिशत) में, तिमाही प्रगति प्रतिवेदन प्रत्येक तिमाही के खातों के बंद होने के 15 दिनों के भीतर प्रशासनिक मंत्रालय को प्रस्तुत नहीं की गई थी।

डीपीई ने कहा (जुलाई 2022) कि -

- डीपीई उन सीपीएसई के आंकडे नहीं रखता है जिन्होंने अपने प्रशासनिक मंत्रालयों को अनुपालन प्रतिवेदन को अग्रेषित नहीं किया है। इसलिए, इस मुद्दे को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ उठाया जाना चाहिए।
- डीपीई के पास निदेशक मंडल द्वारा समितियों की विभिन्न बैठकों में भाग लेने/न लेने के बारे में कोई तथ्यात्मक आंकड़े नहीं हैं।
- सीपीएसई द्वारा दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन का निरीक्षण/ निगरानी संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के पास है जो अपने संबंधित प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सीपीएसई के निदेशक मंडल की समय पर नियुक्ति के लिए भी उत्तरदायी हैं।

डीपीई के उत्तर निम्नलिखित को ध्यान में रखते हुए देखे जा सकते हैं कि मई, 2010 के डीपीई दिशानिर्देश के पैरा 8.3 के अनुसार प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सीपीएसई से प्राप्त सूचना को समेकित करेंगे और अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सीपीएसई द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान निगमित अभिशासन दिशानिर्देशों के अनुपालन की स्थिति पर प्रत्येक वित्तीय वर्ष की 31 मई तक डीपीई को एक व्यापक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। डीपीई सभी सीपीएसई के लिए नोडल विभाग है और सार्वजनिक उद्यमों के प्रदर्शन का निरंतर मूल्यांकन

करता है। इस प्रकार, डीपीई को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि उसके द्वारा जारी किए गए दिशानिर्देशों का सीपीएसई और उनके संबंधित मंत्रालयों द्वारा अनुपालन किया जा रहा है।

3.13 साचिविक लेखापरीक्षा

सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के विनियम 24ए में यह अनुबंधित है कि सूचीबद्ध कंपनी और भारत में निगमित इसकी महत्वपूर्ण असूचीबद्ध सहायक कंपनियों को साचिविक लेखापरीक्षा करनी होगी और पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा जारी साचिविक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन को वार्षिक प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाना चाहिए। हालांकि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 1 (1 प्रतिशत) सीपीएसई (एमएमटीसी लिमिटेड) के संबंध में इस आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

3.14 लेखापरीक्षकों/कंपनी सचिव द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र

क. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V(ई) यह अनुबंधित करती है कि निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों या पेशेवर कंपनी सचिव से अनुपालन प्रमाणपत्र वार्षिक प्रतिवेदन में निदेशक के प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाएगा। तथापि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 1 (1 प्रतिशत) सीपीएसई (फर्टिलाइज़र्स एंड केमिकल्स ट्रावनकोर लिमिटेड) के संबंध में यह आवश्यकता पूरी नहीं की गई थी।

ख. सेबी (सूचीबद्धता, बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 की अनुसूची V(सी) के खंड 10(i) में यह अनुबंधित है कि निगमित अभिशासन प्रतिवेदन में पेशेवर कंपनी सचिव का प्रमाण पत्र शामिल होगा कि कंपनी के निदेशक मंडल में से किसी भी निदेशक को मंडल/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या किसी ऐसे सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने से विवर्जित नहीं किया गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है। हालांकि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 1 (एक प्रतिशत) (पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के संबंध में इस आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

ग. सेबी (सूचीबद्धता बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के अनुसूची V(सी) के खंड 10(के) में कहा गया है कि कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक को सभी सेवाओं के लिए भुगतान किया गया कुल शुल्क का समेकित आधार पर विवरण निगमित अभिशासन प्रतिवेदन में उजागर किया जाएगा। तथापि, 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से चार (6 प्रतिशत) सीपीएसई (कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया

लिमिटेड, मद्रास फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड) के संबंध में इस आवश्यकता को पूरा नहीं किया गया था।

लेखापरीक्षकों/कंपनी सचिव द्वारा अनुपालन प्रमाणपत्र के संबंध में देखे गए गैर-अनुपालन के मामलों का सारांश नीचे दिया गया है:

- निगमित अभिशासन की शर्तों के अनुपालन के संबंध में लेखापरीक्षकों या पेशेवर कंपनी सचिव से अनुपालन प्रमाणपत्र 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से एक (एक प्रतिशत) के मामले में वार्षिक प्रतिवेदन में निदेशक के प्रतिवेदन के साथ संलग्न नहीं किया गया था;
- कंपनी के निदेशक मंडल में से किसी भी निदेशक को मंडल/कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय या ऐसे किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी के निदेशकों के रूप में नियुक्त या जारी रखने से विवर्जित नहीं किया गया है या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है, इससे संबंधित निगमित अभिशासन प्रतिवेदन पर प्रमाण-पत्र को 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से एक (एक प्रतिशत) में उजागर नहीं किया गया था।
- 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से चार (6 प्रतिशत) में, कंपनी और उसकी सहायक कंपनियों द्वारा सांविधिक लेखापरीक्षक को सभी सेवाओं के लिए भुगतान किया गया कुल शुल्क का समेकित आधार पर विवरण निगमित अभिशासन प्रतिवेदन में प्रकट नहीं किया गया है।

3.15 निष्कर्ष

अध्याय में शामिल 72 सूचीबद्ध सीपीएसई के संबंध में**,** यह पाया गया था कि **72** सूचीबद्ध सीपीएसई में से केवल दो सीपीएसई अर्थात् चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड और इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड ने डीपीई/ सेबी दिशानिर्देशों/विनियमों और निगमित अभिशासन पर कंपनी अधिनियम**, 2013** के प्रासंगिक प्रावधानों में निर्धारित सभी आवश्यकताओं का अनुपालन किया था जिसका विश्लेषण लेखापरीक्षा द्वारा किया गया था। गैर-अनुपालन के मामलों को नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है**:**

(i) 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 32 (44 प्रतिशत) में, गैर-कार्यकारी निदेशक मंडल की कुल संख्या के 50 प्रतिशत से कम थे; 59 सीपीएसई (82 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति नहीं की गई थी और कमी 25 से 100 प्रतिशत के बीच थी;

(ii) 72 सूचीबद्ध सीपीएसई में से 37 सीपीएसई (51 प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशक हैं लेकिन उनके मंडल में महिला निदेशक नहीं हैं। इसके अलावा, 64 सूचीबद्ध सीपीएसई (शीर्ष

1000 सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में से आठ (13 प्रतिशत) में स्वतंत्र महिला निदेशक नहीं हैं;

(iii) न्यूनतम छह निदेशकों का मानदंड 70 सूचीबद्ध सीपीएसई (शीर्ष 2000 सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में से 15 (21 प्रतिशत) में पूरा नहीं किया गया था।

(iv) 70 सीपीएसई (शीर्ष 2000 सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में से, 17 सीपीएसई (24 प्रतिशत) में निदेशक मंडल की बैठक में कम से कम एक स्वतंत्र निदेशक सहित निदेशकों की अपर्याप्त गणपूर्ति है और कमी 13 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक थी।

(v) 72 सीपीएसई में से, दो सीपीएसई (तीन प्रतिशत) में स्वतंत्र निदेशकों के लिए प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया गया था; स्वतंत्र निदेशक सात सीपीएसई (10 प्रतिशत) में मंडल की और मंडल समिति की केवल 80 प्रतिशत बैठकों में भाग ले सके; नौ सीपीएसई (13 प्रतिशत) के संबंध में, कंपनी की सामान्य बैठकों में स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं हुए; और 22 सीपीएसई (31 प्रतिशत) के संबंध में, मंडल की बैठकें सात दिनों से कम समय का नोटिस देकर बुलाई गईं।

(vi) 72 सीपीएसई में से, तीन सीपीएसई (चार प्रतिशत) में कोई लेखापरीक्षा समिति नहीं थी। 31 सीपीएसई (43 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति में दो-तिहाई स्वतंत्र निदेशक शामिल नहीं थे; आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) के संबंध में, लेखापरीक्षा समिति के अध्यक्ष वार्षिक आम बैठक में शामिल नहीं हुए। 21 सीपीएसई (29 प्रतिशत) में लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में अपर्याप्त गणपूर्ति थी। लेखापरीक्षा समिति ने 14 सीपीएसई (19 प्रतिशत) में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और जोखिम प्रबंधन प्रणाली, लेखापरीक्षकों की स्वतंत्रता, आंतरिक लेखापरीक्षा कार्यों की पर्याप्तता आदि का मूल्यांकन नहीं किया; लेखापरीक्षा समिति ने 15 सीपीएसई (21 प्रतिशत) में सीएजी के प्रबंधन पत्रों की समीक्षा नहीं की और आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) में सीएजी की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों और चार सीपीएसई (6 प्रतिशत) में सीओपीयू की सिफारिशों की भी समीक्षा नहीं की; लेखापरीक्षा समिति ने 13 सीपीएसई (18 प्रतिशत) में सांविधिक लेखापरीक्षकों के साथ पूर्व-लेखापरीक्षा/लेखापरीक्षा के बाद चर्चा नहीं की; और लेखापरीक्षा समिति ने आठ सीपीएसई (11 प्रतिशत) में विसल ब्लोअर तंत्र के कामकाज की समीक्षा नहीं की।

(vii) 72 सीपीएसई में से, 10 सीपीएसई (14 प्रतिशत) वरिष्ठ प्रबंधन, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और निदेशकों सहित कर्मचारियों के संबंध में दायित्वों/आचार संहिता का पालन करने में विफल रहे। 12 सीपीएसई (17 प्रतिशत) में कोई नामांकन और पारिश्रमिक समिति

नहीं थी; छह सीपीएसई (8 प्रतिशत) के संबंध में, नामांकन और पारिश्रमिक समिति के अध्यक्ष एजीएम में उपस्थित नहीं थे; तीन सीपीएसई (4 प्रतिशत) के मामले में कोई पणधारक संबंध समिति नहीं थी। चार सीपीएसई (6 प्रतिशत) के संबंध में एजीएम में पणधारक संबंध समिति के अध्यक्ष उपस्थित नहीं थे; और 10 सीपीएसई (14 प्रतिशत) के संबंध में, पणधारकों द्वारा दायर शिकायतें 31 मार्च 2021 तक लंबित थीं।

(viii) 49 सीपीएसई (500 शीर्ष रैंकिंग सूचीबद्ध कंपनियों का हिस्सा) में से, नौ सीपीएसई (18 प्रतिशत) के मामले में, जोखिम प्रबंधन समिति या तो मंडल को जोखिम मूल्यांकन और इसके न्यूनीकरण प्रक्रिया के बारे में सूचित करने में विफल रही या जोखिम प्रबंधन समिति की भूमिका और जिम्मेदारी को परिभाषित करने में विफल रही या जोखिम प्रबंधन योजना की निगरानी और समीक्षा को प्रत्यायोजित करने में विफल रही या समिति के कार्यों के तहत अनिवार्य रूप से 'साइबर सुरक्षा' को शामिल करने में विफल रही।

डीपीई ने कहा (जुलाई 2022) कि इसने पहले ही कदम उठाए हैं और समझौता ज्ञापन पर 10 मार्च 2022 के समेकित दिशा निर्देशों के माध्यम से निगमित अभिशासन के अनुपालन पर डीपीई दिशा निर्देश जारी किए हैं।

3.16 अनुशंसा

प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग सूचीबद्ध सीपीएसई द्वारा डीपीई/सेबी दिशानिर्देशों/विनियमों में निर्धारित तिमाही अनुपालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करना भी सुनिश्चित करें। लेखापरीक्षा अनुशंसा करता है कि सूचीबद्ध सीपीएसई के निदेशक मंडल को भी सीपीएसई के कामकाज में बेहतर पारदर्शिता और जवाबदेही लाने के लिए इन दिशानिर्देशों/विनियमों और अधिनियम का अनुपालन सुनिश्चित करना चाहिए।

अध्याय IV

विनिवेश प्रक्रिया

4.1 भारत सरकार की विनिवेश नीति

विनिवेश नीति के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम राष्ट्र की संपदा होते हैं और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह संपदा लोगों के हाथों में रहे, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम (सीपीएसई) के सार्वजनिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया जाना चाहिए, जो निम्नलिखित तरीकों से किया जाता है:

अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री: कुछ सूचीबद्ध सीपीएसई में, सरकार भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा अनुमोदित विभिन्न तरीकों के माध्यम से प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के बिना अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री करती है, ताकि मूल्य को खोला जा सके, सार्वजनिक स्वामित्व को बढ़ावा दिया जा सके, सेबी के न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों को पूरा किया जा सके और जवाबदेही के उच्च स्तर को सुनिश्चित किया जा सके। सूचीबद्ध सीपीएसई में अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री के माध्यम से विनिवेश करते हुए, सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों की बहुमत शेयरधारिता अर्थात कम से कम 51 प्रतिशत शेयरधारिता और प्रबंधन नियंत्रण बनाए रखेगी। नवंबर 2019 में, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने प्रबंधन नियंत्रण को बनाए रखते हुए चयनित सीपीएसई में भारत सरकार की प्रदत्त शेयर पूंजी को 51 प्रतिशत से कम करने के लिए 'सैद्धांतिक' मंजूरी प्रदान कर दी है। जिन सीपीएसई में भारत सरकार (भा.स.) की इक्विटी 51 प्रतिशत से कम हो जाएगी, वैकल्पिक तंत्र[53] की सिफारिशों पर सीसीईए द्वारा मामला-दर-मामला के आधार पर निर्णय/अनुमोदित किया जाएगा। भारत सरकार द्वारा प्रदत्त शेयर पूंजी को किस सीमा तक कम किया जा सकता है, यह भी वैकल्पिक तंत्र द्वारा तय किया जाएगा।

नीतिबद्ध विनिवेश: नीतिबद्ध विनिवेश का तात्पर्य निर्धारित किए गए सीपीएसई में 50 प्रतिशत या उससे अधिक सरकारी शेयरधारिता के संपूर्ण या सारभूत हिस्से की बिक्री

[53] इसमें वित्त मंत्री, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री और संबंधित सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय के मंत्री शामिल हैं।

के साथ-साथ प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण से है। जनवरी 2021 में, आत्मनिर्भर भारत हेतु नई सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम नीति को मंजूरी दी गई थी, जिसमें (i) राष्ट्रीय सुरक्षा, (ii) ऊर्जा सुरक्षा, (iii) अत्यंत महत्वपूर्ण मूलभूत अवसंरचना और (iv) वित्तीय सेवाओं का प्रावधान और महत्वपूर्ण खनिजों की उपलब्धता के मानदंडों के आधार पर चार रणनीतिक कार्यक्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई थी। होल्डिंग कंपनी स्तर पर वर्तमान सार्वजनिक क्षेत्र के वाणिज्यिक उद्यमों की न्यूनतम उपस्थिति को रणनीतिक क्षेत्रों में सरकारी नियंत्रण के तहत रखा जाएगा। शेष हेतु निजीकरण या विलय या किसी अन्य पीएसई की सहायक कंपनी बनाने या बंद करने के लिए विचार किया जाएगा। गैर- रणनीतिक क्षेत्रों में सभी पीएसई हेतु, जहां तक संभव हो, निजीकरण करने, अन्यथा ऐसे उद्यमों को बंद करने के लिए विचार किया जाएगा। तथापि, यह नीति सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों के कतिपय वर्गों जैसे गैर-लाभकारी कंपनियों या कमजोर समूहों को सहायता प्रदान करने वाले अथवा विकासात्मक/संवर्धनात्मक भूमिकाओं आदि वाले सीपीएसई पर लागू नहीं होती है।

निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) वह विभाग है जो सीपीएसई में इक्विटी के विनिवेश सहित इक्विटी में केंद्र सरकार के निवेश के प्रबंधन से संबंधित सभी मामलों को देखता है। इस विभाग को 10 दिसंबर 1999 को विनिवेश विभाग नामक एक अलग विभाग के रूप में स्थापित किया गया था, जिसे बाद में 06 सितंबर 2001 से विनिवेश मंत्रालय के रूप में बदल दिया गया था। 27 मई 2004 से, इसे फिर से विनिवेश विभाग के रूप में बदल दिया गया, और यह वित्त मंत्रालय के तहत विभागों में से एक बन गया। 14 अप्रैल 2016 से विनिवेश विभाग का नाम बदलकर निवेश और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) कर दिया गया था।

4.2 विनिवेश के तरीके

सरकार विनिवेश के लिए विभिन्न मार्ग अपनाती है, जो इस प्रकार हैं

प्रारंभिक/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव: जब कोई असूचीबद्ध कंपनी जनता को पहली बार बिक्री के लिए नये शेयरों को जारी करती है तो उसे प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है। यह स्टाक एक्सचेंज पर जारीकर्ता के शेयरों की लिस्टिंग और ट्रेडिंग के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। जब एक पहले से ही सूचीबद्ध कंपनी या तो जनता के लिए नये शेयरों को जारी करती है या जनता को बिक्री के लिए एक प्रस्ताव करती है, इसे एक अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव कहा जाता है।

बिक्री के लिए प्रस्ताव: बिक्री के लिए प्रस्ताव सूचीबद्ध कंपनियों के लिए एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के माध्यम से शेयर बिक्री का एक सरल तरीका है। इस तंत्र को सबसे पहले सेबी ने 2012 में प्रारम्भ किया था, ताकि सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कंपनियों के प्रमोटरों के लिए अपनी हिस्सेदारी में कटौती करना और जून 2013 तक न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारिता मानदंडों का पालन करना आसान हो सके।

शेयरों की पुनर्खरीद: पुनर्खरीद मौजूदा शेयरधारकों से एक कंपनी द्वारा अपने शेयरों की फिर से खरीद है जिससे खुले बाजार में इसके शेयरों की संख्या में कमी होती है।

सीपीएसई की रणनीतिक बिक्री: रणनीतिक विनिवेश प्रबंधन नियंत्रण के अंतरण के साथ-साथ निर्धारित सीपीएसई में सरकारी शेयरधारिता के संपूर्ण या एक बड़े हिस्से की बिक्री है।

विनिमय व्यापारित निधि: एक्सचेंज ट्रेडेड फंड स्टाकों की एक बास्केट है जो निफ्टी 50 जैसे सूचकांक की संरचना को दर्शाती है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड कारोबार मूल्य उन अंतर्निहित स्टाकों के निवल परिसंपत्ति मूल्य पर आधारित होता है जिसका यह द्योतक है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड को किसी भी स्टाक की तरह पूरे कारोबारी दिवस में खरीदा और बेचा जा सकता है।

विनिवेश के अन्य तरीकों के अलावा, वर्ष 2018-19 के दौरान, पहली बार, संघीय मंत्रिमंडल ने शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8ए की उप-धारा 1 के अनुसार भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक की अभिरक्षा में रखे गए शत्रु शेयरों[54] (विभिन्न कंपनियों में) की बिक्री के लिए दीपम को प्राधिकृत किया। इसके बाद, 26 फरवरी 2019 के कैबिनेट नोट ने सीपीएसई/पीएसयू/अन्य सरकारी संगठनों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए एक प्रक्रिया और तंत्र निर्धारित किया, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ शत्रु संपत्ति अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा 6 के अनुसार भारत के लिए शत्रु संपत्ति के अभिरक्षक के साथ निहित अचल शत्रु संपत्तियों[55] का मुद्रीकरण शामिल था।

---

[54] ***शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 के अनुसार, 'शत्रु संपत्ति' का अर्थ किसी ऐसी संपत्ति से है जो किसी शत्रु, शत्रु विषय या शत्रु फर्म की ओर से उस समय की किसी संपत्ति से संबंधित हो या धारित हो या प्रबंधित की गई हो। शत्रु शेयर उन व्यक्तियों के हैं जो 1962 और 1965 में युद्धों के बाद भारत छोड़कर चीन या पाकिस्तान में बस गए थे। शत्रु शेयरों की बिक्री पर पैरा 4.9 में चर्चा की गई है।***

[55] ***भारत के लिए शत्रु संपत्ति के संरक्षक द्वारा प्रदान की गई सूचना के अनुसार, भारत के लिए शत्रु संपत्ति के संरक्षक के पास निहित 21 राज्यों के 123 जिलों में फैली 9,406 अचल शत्रु संपत्तियां थीं।***

4.3 विनिवेश की प्रक्रिया

प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव/बिक्री के लिए प्रस्ताव की विनिवेश प्रक्रिया में निम्नलिखित चरण शामिल हैं:

- संबंधित सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा सैद्धांतिक सहमति।
- सीसीईए द्वारा विनिवेश के प्रस्ताव का अनुमोदन।
- विनिवेश प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने और निगरानी रखने के लिए वित्त मंत्री के अनुमोदन से अंतर-मंत्रालयी समूह[56] का गठन।
- संव्यवहार के लिए अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा सलाहकारों[57] की नियुक्ति।
- उच्च स्तरीय समिति[58] के समक्ष बुक रनिंग लीड मैनेजर्स द्वारा मूल्यांकन पर प्रस्तुति।
- बुक रनिंग लीड मैनेजर्स की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए, 'वैकल्पिक तंत्र' को उच्च स्तरीय समिति द्वारा मूल्य बैंड/ न्यूनतम मूल्य पर अनुशंसा।
- अनुशंसित मूल्य बैंड/ न्यूनतम मूल्य, विनिवेश की विधि, खुदरा निवेशकों और कर्मचारियों के लिए मूल्य छूट आदि का वैकल्पिक तंत्र द्वारा अनुमोदन।

रणनीतिक विनिवेश के संबंध में, पूर्ववर्ती प्रक्रिया के अनुसार नीति आयोग को रणनीतिक विनिवेश के लिए सीपीएसई की पहचान करने के लिए अधिदेशित किया गया था। कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता में विनिवेश पर सचिवों के मुख्य दल द्वारा नीति आयोग की अनुशंसाओं की जांच की गई। विनिवेश पर सचिवों का मुख्य दल प्रशासनिक मंत्रालय, नीति आयोग, दीपम और अन्य संगत मंत्रालयों जैसे कानूनी कार्य विभाग, लोक उद्यम विभाग, कारपोरेट कार्य मंत्रालय आदि से प्राप्त जानकारी पर विचार करता है। जहां विनिवेश संबंधी सचिवों के मुख्य दल ने विस्तृत विचार-विमर्श के बाद सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश की अनुशंसा की थी, वहां दीपम ने सीसीईए से उक्त सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश के लिए "सैद्धांतिक अनुमोदन" लिया।

आत्मनिर्भर भारत के लिए नई सार्वजनिक क्षेत्र की उद्यम नीति (जनवरी 2021 में अनुमोदित) के अनुसार, नीति आयोग को चार व्यापक रणनीतिक क्षेत्रों में सीपीएसई के

---

[56] इस समूह की अध्यक्षता दीपम के सचिव और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव द्वारा की जाती है और इसमें नौ सचिव या उनके प्रतिनिधि (संयुक्त सचिव के पद से नीचे नहीं) शामिल होते हैं।

[57] व्यापार बैंकरों/बुक रनिंग लीड मैनेजरों/कानूनी सलाहकारों सहित।

[58] इसमें दीपम के सचिव, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव, संयुक्त सचिव और वित्तीय सलाहकार शामिल हैं।

संबंध में अनुशंसा करनी थी। विनिवेश पर सचिवों के मुख्य दल द्वारा इसकी जांच की जानी थी जिसके बाद वैकल्पिक तंत्र का अनुमोदन मांगा जाना था। तत्पश्चात्, सीसीईए का सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त किया जाना था (i) दीपम द्वारा उन मामलों के लिए जहां वैकल्पिक तंत्र ने पहचान किए गए सीपीएसई के निजीकरण या विलय/सहायक कंपनियां बनाने के लिए निर्णय लिया था और (ii) प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा उन मामलों में जहां वैकल्पिक तंत्र ने बंद करने का निर्णय लिया गया था। गैर-रणनीतिक क्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले सीपीएसई के संबंध में, लोक उद्यम विभाग को रणनीतिक विनिवेश या समापन के लिए सीपीएसई की पहचान करने का अधिदेश दिया गया था। एक बार सीसीईए सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश के लिए सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान कर दे तो उसके बाद दो-स्तरीय नीलामी प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसका नेतृत्व अंतर-मंत्रालयी समूह के स्तर पर किया जाता है, जिसकी अनुशंसाओं की जांच विनिवेश पर सचिवों के मुख्य दल द्वारा की जाती है, जो प्रत्येक चरण में वैकल्पिक तंत्र को प्रस्ताव प्रस्तुत करता है।

4.4 पिछले पांच वर्षों के लिए सीपीएसई के विनिवेश का लक्ष्य और प्राप्ति

एक वित्तीय वर्ष में विनिवेश के माध्यम से प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान आर्थिक मामलों के विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ये दीपम द्वारा प्रदान की गई जानकारी पर आधारित होते हैं। वर्ष के दौरान की गई प्रगति और संभावित संव्यवहार के आधार पर, दीपम आर्थिक कार्य विभाग को संशोधित अनुमान सूचित करता है।

वर्ष 2016-17 से 2020-21 के लिए बजट अनुमान, संशोधित अनुमान और विनिवेश प्रक्रिया के माध्यम से किए गए वास्तविक प्राप्ति नीचे तालिका 4.1 और चार्ट 4.1 में दी गई है:

तालिका 4.1: वास्तविक प्राप्ति की तुलना में विनिवेश का लक्ष्य

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	प्राप्ति	संशोधित अनुमान और वास्तविक प्राप्तियों के बीच प्रतिशत अंतर
2016-17	56,500	40,000	46,247	15.62
2017-18	72,500	1,00,000	1,00,057	0.01
2018-19	80,000	80,000	84,972	6.22
2019-20	1,05,000	65,000	50,299	(-) 22.62
2020-21	2,10,000	32,000	32,886	2.77

चार्ट 4.1: वास्तविक वसूली की तुलना में विनिवेश का लक्ष्य

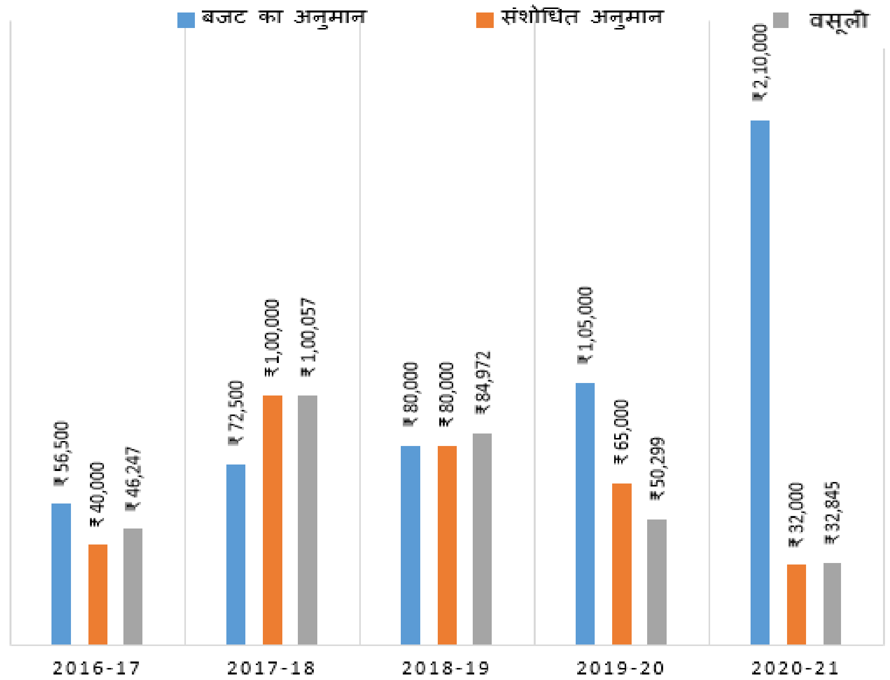

उपर्युक्त तालिका से, निम्नलिखित अवलोकन किए गए:

- विनिवेश के माध्यम से प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान प्रति वर्ष निरंतर बढ़ रहा है, विशेष रूप से 2020-21 में जहां यह 2019-20 के लिए ₹1,05,000 करोड़ के बजट अनुमानों की तुलना में 100 प्रतिशत से बढ़कर ₹2,10,000 करोड़ हो गया। तथापि, संशोधित अनुमान चरण में ₹2,10,000 करोड़ के बजट अनुमानों को घटाकर ₹32,000 करोड़ कर दिया गया था, अर्थात् बजट अनुमानों का केवल 15 प्रतिशत। 2019-20 में भी, विनिवेश से अनुमानित प्राप्तियों को बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमान चरण में 38 प्रतिशत से कम कर दिया गया था।

- वास्तविक प्राप्तियां, 2019-20 को छोड़कर पिछले पांच वर्षों के दौरान संशोधित अनुमान चरण में अनुमानित प्राप्तियों को पार कर गईं। तथापि, यह मुख्य रूप से बजट अनुमानों की तुलना में संशोधित अनुमानों में कमी के कारण था। 2019-20 में, बजट अनुमान चरण पर निर्धारित लक्ष्यों में गिरावट के बावजूद संशोधित अनुमानों पर निर्धारित लक्ष्यों को भी प्राप्त नहीं किया गया था।

दीपम ने उत्तर दिया (अप्रैल 2022) कि संशोधित अनुमान चरण में ₹2,10,000 करोड़ के बजट अनुमानों को काफी हद तक कम कर दिया गया था क्योंकि देश में कोविड-19 स्थिति के कारण अधिकांश संव्यवहारों को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा था। आगे

कहा गया कि संशोधित अनुमान 2020-21 के लिए विनिवेश प्राप्तियों के रूप में आंतरिक रूप से ₹32,786 करोड़ का अनुमान लगाया गया था और आर्थिक मामलों के विभाग को ₹32,000 करोड़ का पूर्ण अंकों में आंकड़ा दिया गया था। दीपम ने यह भी कहा कि बजट अनुमानों और संशोधित अनुमानों के आंकड़ों को अंतिम रूप देने का विशेषाधिकार आर्थिक मामलों के विभाग के पास है।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि संशोधित अनुमान चरण में अनुमानित प्राप्तियों में गिरावट 2019-20 के दौरान भी पाई गई थी। इस प्रकार, यह आवश्यक है कि बजट अनुमान वित्तीय वर्ष में केवल प्राप्त किए जाने योग्य संव्यवहारों को ध्यान में रखते हुए तैयार किए जाएं। चूंकि लेखापरीक्षा को बजट अनुमानों के घटकों का विवरण प्रदान नहीं किया गया, इसलिए यह निर्धारण नहीं किया जा सका कि क्या बजट अनुमानों को वैध जानकारी और प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के आधार पर अंतिम रूप दिया गया था।

वास्तविक प्राप्ति ₹32,886 करोड़ थी जो आर्थिक मामलों के विभाग को दिए गए ₹32,000 करोड़ के संशोधित अनुमानों से मामूली रूप से अधिक थी। विधि-वार वास्तविक प्राप्ति और अनुमानित प्राप्तियों (संशोधित अनुमान चरण पर) का विवरण नीचे तालिका 4.2 में दिया गया है-

तालिका 4.2: अनुमानित प्राप्तियों की तुलना में विधि-वार वास्तविक विनिवेश प्राप्तियां

विधि	संशोधित अनुमान चरण पर अनुमानित प्राप्तियां (₹ करोड़ में) (कंपनियों की संख्या)	2020-21 में वास्तविक प्राप्ति (₹ करोड़ में) (कंपनियों की संख्या)	प्राप्ति (*प्रतिशत में*)
प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव	2,719(5)	2,801(3)	3.02
बिक्री के लिए प्रस्ताव	19,227 (11)	22,983(7)	19.53
शेयरों की पुनर्खरीद	5,375(8)	3,936(7)	-26.77
सीपीएसई की रणनीतिक बिक्री	4,465(6)	0	-100.00
एक्सचेंज ट्रेडेड फंड	0	0	लागू नहीं
यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया का निर्दिष्ट उपक्रम (प्रेषण)	1,000	3,125	212.5
शत्रु शेयर बिक्री[59]	0	41	लागू नहीं

[59] ***2020-21 में शत्रु शेयरों की बिक्री से ₹41 करोड़ की प्राप्तियों को दीपम द्वारा विनिवेश प्राप्तियों में शामिल नहीं किया गया था, जैसा कि इसकी वेबसाइट पर बताया गया है।***

विधि	संशोधित अनुमान चरण पर अनुमानित प्राप्तियां (₹ करोड़ में) (कंपनियों की संख्या)	2020-21 में वास्तविक प्राप्ति (₹ करोड़ में) (कंपनियों की संख्या)	प्राप्ति (*प्रतिशत में*)
कुल	**32,786** **32,000** करोड़ के पूर्ण अंक के आंकड़े को आर्थिक मामलों के विभाग को सूचित किया गया था	**32,886**	**2.77***

****चूंकि आर्थिक कार्य विभाग को सूचित किया गया आंकड़ा ₹32,000 करोड़ था, इसलिए उस आंकड़े के साथ तुलना की गई है।***

उन कंपनियों के नाम जहां विनिवेश का अनुमान लगाया गया था और जहां यह वास्तव में किया गया था, ***अनुलग्नक-XX*** में दिए गए हैं।

तालिका 4.2 से यह स्पष्ट है कि संशोधित अनुमान चरण में निर्धारित प्राप्तियों के लिए समग्र लक्ष्य प्राप्त किए गए थे; हालांकि, लेखापरीक्षा में निम्नलिखित का खुलासा हुआ:

- **प्रारंभिक/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव:** प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव विधि के माध्यम से प्राप्तियों के लिए समग्र लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था लेकिन संशोधित अनुमानित चरण में निर्धारित किए गए गए दो[60] सीपीएसई में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव पूरे नहीं हो सके।

- **बिक्री के लिए प्रस्ताव:** संशोधित अनुमान चरण में निर्धारित किए गए छ:[61] सीपीएसई में बिक्री के लिए प्रस्ताव का निष्पादन न किए जाने के बावजूद बिक्री के लिए प्रस्ताव विधि के माध्यम से प्राप्तियों के लिए समग्र लक्ष्य प्राप्त किया गया था क्योंकि बिक्री के लिए प्रस्ताव को संशोधित अनुमानित चरण पर योजनाबद्ध नहीं किए गए दो सीपीएसई में निष्पादित किया गया था।

- **शेयरों की पुनर्खरीद:** संशोधित अनुमान चरण पर निर्धारित एक सीपीएसई कोल इंडिया लिमिटेड[62] में पुनर्खरीद के मूर्त नहीं होने के कारण 27 प्रतिशत की कमी थी।

---

60 वाप्कोस लिमिटेड और केआईओसीएल लिमिटेड (अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव)।

61 मिश्र धातु निगम लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फ़र्टिलाइज़र्स लिमिटेड, नेशनल फ़र्टिलाइज़र्स लिमिटेड एंड एनएमडीसी लिमिटेड।

62 बाद में यह निर्णय लिया गया (नवंबर 2020) कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शेयरों की वापसी खरीद पर संव्यवहार से उत्पन्न प्रतिकूल कराधान के मद्देनजर 2020-21 में विचार नहीं किया जा सकता है

- **सीपीएसई की रणनीतिक बिक्री:** वास्तविक प्राप्ति 'शून्य' थी क्योंकि संशोधित अनुमान चरण पर निर्धारित किए गए छः[63] सीपीएसई की बिक्री पूरी नहीं हो सकी थी।
- **यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के निर्दिष्ट उपक्रम से प्रेषण:** वास्तविक प्रेषण अनुमानित प्राप्ति से ₹2,125 करोड़ से अधिक था।

अनुशंसा संख्या 1: आर्थिक मामलों का विभाग वर्ष के दौरान प्राप्त किए प्राप्त करने योग्य लक्ष्यों के संबंध में दीपम से जानकारी लेने के बाद वास्तविक रूप से बजट अनुमान निर्धारित कर सकता है। इससे वर्ष के दौरान विनिवेश से प्राप्तियों का वास्तविक अनुमान और एक कुशल तथा प्रभावी बजट प्रक्रिया हो सकेगी।

4.5 पिछले पांच वर्षों के दौरान विनिवेश से विधि-वार वसूली

पिछले पांच वर्षों के दौरान विनिवेश की विभिन्न विधियों से प्राप्त विनिवेश आय का उल्लेख चार्ट 4.2 में किया गया है।

चार्ट 4.2: पिछले पांच वर्षों के दौरान विधि वार प्राप्ति

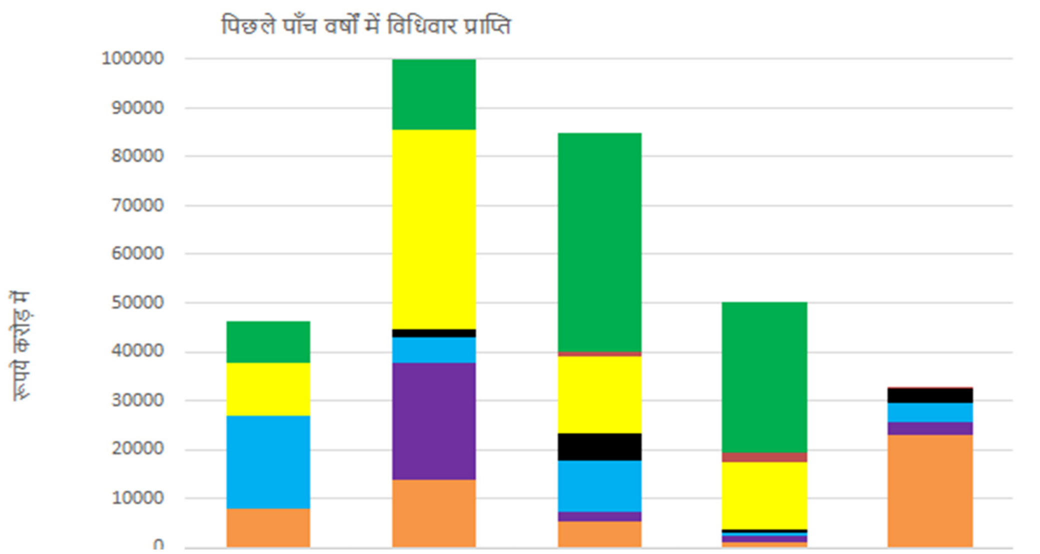

	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	कुल
ई.टी.एफ.	8500	14500	45080	30869	0	98949
शत्रु अंश बिक्री	0	0	779	1881	41	2701
एस यू यू टी आई से प्रेषण	0	1400	5379	600	3125	10504
रणनीतिक विनिवेश	10779	41069	15914	13883	0	81644
शेयरों की पुनर्खरीद	18963	5338	10671	822	3936	39730
ओ एफ एस	8004	13711	5236	1130	22983	51063
आई पी ओ	0	24040	1914	1114	2801	29869

[63] *एसजेवीएन लिमिटेड, इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के दो संयंत्र, सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की नयागांव इकाई और सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड।*

पिछले पांच वर्षों में विनिवेश से होने वाली प्राप्ति का अधिकांश हिस्सा एक्सचेंज ट्रेडेड फंड (31 प्रतिशत) और रणनीतिक विनिवेश (26 प्रतिशत) से हुआ है। हालांकि, 2020-21 में इस प्रवृत्ति से विचलन देखा गया क्योंकि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और रणनीतिक विनिवेश माध्यम से 'शून्य' प्राप्ति हुई थी। इसके बजाय, बिक्री के लिए प्रस्ताव, वापसी खरीद और प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव माध्यम द्वारा संचयी रूप से विनिवेश से प्राप्ति में 90 प्रतिशत अंशदान दिया गया था।

दीपम ने 2020-21 के दौरान 19 संव्यवहारों[64] के माध्यम से ₹32,886 करोड़ की राशि प्राप्त की, जिन पर चार श्रेणियों के तहत आगामी पैराग्राफ में चर्चा की गई है, अर्थात् (i) अल्पसंख्यक स्टेक बिक्री के माध्यम से विनिवेश - प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और बिक्री के लिए प्रस्ताव, (ii) सीपीएसई द्वारा शेयरों की वापसी-खरीद, (iii) रणनीतिक विनिवेश, और (iv) परिसंपत्ति मुद्रीकरण - शत्रु शेयरों की बिक्री।

2020-21 के दौरान कुल 19 संव्यवहारों में से, 10 संव्यवहार प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से और 7 संव्यवहार शेयरों के वापसी-खरीद के माध्यम से अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री से संबंधित थे। इन 17 संव्यवहारों[65] ने 2020-21 के दौरान विनिवेश से प्राप्त कुल आय का ₹29,720 करोड़ अर्थात 90.48 प्रतिशत का अंशदान दिया। एसयूयूटीआई से प्रेषण से ₹3,125 करोड़ की प्राप्तियां हुईं। शेष एक संव्यवहार अर्थात शत्रु के शेयरों की बिक्री से ₹40.68 करोड़ की प्राप्ति हुई।

4.6 अल्पसंख्यक हिस्सेदारी की बिक्री - प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और बिक्री के लिए प्रस्ताव

4.6.1 प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव

4.6.1.1 प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विनिवेश प्राप्तियों की तुलना में अनुमानित प्राप्तियां

आईपीओ विधि के माध्यम से 2020-21 के बजट अनुमान चरण में सीपीएसई-वार अनुमानित प्राप्तियां लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थीं। 2020-21 के संशोधित अनुमान

---

[64] *शत्रु शेयरों की बिक्री को एक संव्यवहार मानते हुए।*

[65] ***<u>आईपीओ:</u>** मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, बिक्री के लिए प्रस्ताव: हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, भारत डायनामिक्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन कंपनी, टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड, वापसी-खरीद: राइट्स लिमिटेड, केआईओसीएल लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड और गेल (इंडिया) लिमिटेड।*

चरण में, दीपम ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से निर्धारित किए गए पांच सीपीएसई में विनिवेश से ₹2,719 करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान लगाया था। अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्ति का विवरण नीचे तालिका 4.3 में दिया गया है:

तालिका 4.3: 2020-21 के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों से प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	संशोधित अनुमान चरण में अनुमानित प्राप्तियां	2020-21 के दौरान प्राप्तियां
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	444	442.79
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1,200	1,541.37
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	650	817.6
वाप्कोस लिमिटेड	25	0
केआईओसीएल लिमिटेड (अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव)	400	0
कुल	**2,719**	**2,801.76**

इस प्रकार, दीपम ने 2020-21 के संशोधित अनुमान चरण में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव/अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए पांच सीपीएसई निर्धारित किए थे, हालांकि, इन पांच सीपीएसई में से केवल तीन का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव पूर्ण हो सका। इन तीन सीपीएसई अर्थात् मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड और रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विनिवेश के बारे में और अधिक विवरण नीचे तालिका 4.4 में दर्शाया गया है:

तालिका 4.4: 2020-21 के दौरान प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों का विवरण

सीपीएसई	भारत सरकार के विनिवेशित शेयरों का प्रतिशत	निर्गम मूल्य (₹ प्रति शेयर)	विनिवेश के बाद भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत
मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	15.17	145	84.83
इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.55	26	86.36
रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	27.16	94	72.84

जैसा कि तालिका 4.3 में देखा गया है, मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्तावों के माध्यम से विनिवेश से ₹2,801.76 करोड़ की राशि प्राप्त की गई थी, जिन्हें क्रमशः

157.41 गुना, 20.68 गुना और 3.49 गुना तक अति अभिदत्त किया गया था। इसलिए, वाप्कोस लिमिटेड के लिए प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और केआईओसीएल लिमिटेड के अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव का निष्पादन न किए जाने के बावजूद प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के माध्यम से विनिवेश से प्राप्ति के लिए समग्र लक्ष्य प्राप्त किया गया।

जिन दो सीपीएसई का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव योजनाबद्ध होने के बावजूद पूरा नहीं हो पाया था उनके बारे में लेखापरीक्षा ने पाया कि, सीसीईए ने दिसंबर 2018 में क्रमशः वाप्कोस लिमिटेड और केआईओसीएल लिमिटेड के प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव और अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव को मंजूरी दे दी थी।

केआईओसीएल लिमिटेड के मामले में, जून 2019 में मर्चेंट बैंकर और कानूनी सलाहकार की नियुक्ति की गई थी। दिसंबर 2020 में, उच्च स्तरीय समिति की बैठक प्रस्तावित की गई थी, लेकिन केआईओसीएल लिमिटेड द्वारा देवदारी माइंस के लिए पहले चरण की वन विभाग की मंजूरी प्राप्त होने तक इसे स्थगित कर दिया गया था। अभिलेखों के अनुसार, एक उप-समिति[66] द्वारा मार्च 2021 में खानों का दौरा किया गया और इस प्रकार, अप्रैल 2021 में उच्च स्तरीय समिति की अगली बैठक प्रस्तावित की गई। लेखापरीक्षा ने उपलब्ध अभिलेखों से पाया कि अब तक (जून 2022) न तो उच्च स्तरीय समिति की बैठक आयोजित की गई थी और न ही इस संबंध में कोई अन्य कार्रवाई की गई थी।

दीपम ने उत्तर दिया (जून 2022) कि मर्चेंट बैंकरों और अन्य मध्यस्थों को केआईओसीएल के अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव के लिए नियुक्त किया गया है और जब भी बाजार की स्थिति उपयुक्त होगी, अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव को पूर्ण किया जाएगा।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखने की आवश्यकता है कि मध्यस्थों की नियुक्ति जून 2019 में ही की गई थी और तीन वर्षों की समाप्ति के बाद भी कोई महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई थी।

वाप्कोस लिमिटेड के संबंध में, मर्चेंट बैंकर और कानूनी सलाहकार को क्रमशः अक्टूबर 2019 और फरवरी 2020 में नियुक्त किया गया था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में 2020-21 के दौरान किसी भी प्रगति का संकेत नहीं दिया गया था। इसके बाद, उच्च स्तरीय समिति ने अनुशंसा (अगस्त 2021) की कि वाप्कोस लिमिटेड के विनिवेश को दो तिमाहियों तक स्थगित कर दिया जाए ताकि कंपनी के पास इस मामले

---

[66] ***वन सलाहकार समिति की सिफारिशों के अनुसार गठित।***

के बेहतर विपणन योग्य अनुमान हो सकें। जून 2022 तक, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव का संव्यवहार अभी तक पूरा नहीं हुआ था।

दीपम ने उत्तर (जून 2022) दिया कि प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव की प्रारंभिक प्रक्रिया चल रही थी।

तथ्य यह है कि वाप्कोस लिमिटेड का प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव सीसीईए के अनुमोदन (दिसंबर 2018) के तीन साल से अधिक समय के बाद भी लंबित था।

4.6.1.2 प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव लाने में समयबद्धता

सीसीईए ने अप्रैल 2017 में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड और दिसंबर 2018 में रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी थी। उनकी सूचीबद्धता क्रमशः सितंबर 2020, जनवरी 2021 और फरवरी 2021 में पूर्ण हुई थी। इस प्रकार, यह पाया गया कि ये प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव सीसीईए के अनुमोदन के बाद तीन से चार वर्षों की अवधि में पूरे किए गए थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि सीसीईए के अनुमोदन के बाद, प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव को पूरा करने के लिए दीपम द्वारा कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई थी।

4.6.2 बिक्री के लिए प्रस्ताव

4.6.2.1 बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से विनिवेश से प्राप्ति की तुलना में अनुमानित प्राप्तियां

बिक्री के लिए प्रस्ताव पद्धति के माध्यम से 2020-21 के बजट अनुमान चरण में सीपीएसई-वार अनुमानित प्राप्तियां लेखापरीक्षा को प्रदान नहीं की गई थीं। 2020-21 के संशोधित अनुमान चरण में, दीपम ने बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से निर्धारित 11 सीपीएसई में विनिवेश से ₹19,227 करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान लगाया। अनुमानों की तुलना में वास्तविक प्राप्ति नीचे तालिका 4.5 में दी गई है:

तालिका 4.5: 2020-21 के दौरान बिक्री के लिए प्रस्ताव से प्राप्तियां

(₹ करोड़ में)

सीपीएसई	संशोधित अनुमान चरण में विनिवेश से अनुमानित प्राप्तियां	विनिवेश से प्राप्त राशि
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	771	771.46
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	4,924	4,924.23
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4,000	4,474.38

सीपीएसई	संशोधित अनुमान चरण में विनिवेश से अनुमानित प्राप्तियां	विनिवेश से प्राप्त राशि
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	500	676.28
मिश्र धातु निगम लिमिटेड	400	0
गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	220	0
इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	200	0
राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	250	0
नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	130	0
एनएमडीसी लिमिटेड	1,832	0
टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड	6,000	8,846.72
रेल विकास निगम लिमिटेड	संशोधित अनुमान चरण में निर्धारित नहीं किए गए	551.96
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	संशोधित अनुमान चरण में निर्धारित नहीं किए गए	2,737.56
कुल	**19,227**	**22,982.59**

बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से सात सीपीएसई में अपनी शेयरधारिता का विनिवेश करने से ₹22,982.59 करोड़ की वास्तविक प्राप्तियों का अधिक विवरण तालिका 4.6 में दिया गया है:

तालिका 4.6: 2020-21 के दौरान पूरा किए गए बिक्री के लिए प्रस्ताव

कंपनी का नाम	भारत सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश का प्रतिशत	बिक्री के लिए प्रस्ताव का समय	प्रति शेयर आधार कीमत	विनिवेश से प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	विनिवेश के बाद भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	अंश धारण करने की संख्या
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	12.82	सितंबर 2020	330	771.46	74.93	0.93
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	14.82	अगस्त 2020	1,001	4,924.23	75.15	1.07
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म	20	दिसंबर 2020	1,367	4,474.38	67.40	1.49

कंपनी का नाम	भारत सरकार की शेयरधारिता के विनिवेश का प्रतिशत	बिक्री के लिए प्रस्ताव का समय	प्रति शेयर आधार कीमत	विनिवेश से प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	विनिवेश के बाद भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	अंश धारण करने की संख्या
कॉर्पोरेशन लिमिटेड						
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	16	मार्च 2021	88	676.28	73.18	2.06
टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड	26.12	मार्च 2021	1,161	8,846.72	NIL	1.36
रेल विकास निगम लिमिटेड	9.63	मार्च 2021	2,7.50	551.96	78.20	1.00
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	10	जनवरी 2021	64	2,737.56	65	2.07
कुल				**22,982.59**		

इस प्रकार, लेखापरीक्षा ने पाया कि बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से विनिवेश से हुई प्राप्तियों के लिए समग्र लक्ष्य ₹3,755.59 करोड़ से अधिक प्राप्त किया गया था, जिसमें दो संव्यवहारों अर्थात् स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड और रेल विकास निगम लिमिटेड से ₹3,289.52 करोड़ की राशि शामिल थी, जिन्हें पहले 2020-21 के संशोधित अनुमान चरण में विनिवेश के लिए निर्धारित नहीं किया गया था।

4.6.2.2 2020-21 के दौरान निष्पादित बिक्री के लिए प्रस्ताव के संव्यवहार में निवेशकों की भागीदारी

बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से विनिवेश में, प्रस्तावित बिक्री के लिए प्रस्ताव के कुछ शेयर[67] खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित है। खुदरा निवेशकों का विवरण नीचे तालिका 4.7 में दिया गया है:

[67] *2020-21 के दौरान निष्पादित सात सीपीएसई के बिक्री के लिए प्रस्ताव में 10-30 प्रतिशत के बीच था।*

तालिका 4.7: खुदरा निवेशकों की भागीदारी का प्रतिशत

सीपीएसई	बिक्री[68] के लिए प्रस्ताव में खुदरा निवेशकों की भागीदारी का प्रतिशत
भारत डायनामिक्स लिमिटेड	40
इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	206
इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	228
रेल विकास निगम लिमिटेड	6
हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	96
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	266
टाटा कम्युनिकेशंस लिमिटेड	106

तालिका 4.6 से यह स्पष्ट है कि 2020-21 के दौरान किए गए बिक्री के लिए सभी प्रस्ताव संव्यवहार रेल विकास निगम लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के संव्यवहार को छोड़कर, अति अभिदत्त किए गए थे। रेल विकास निगम लिमिटेड और भारत डायनामिक्स लिमिटेड के संव्यवहार के मामले में, खुदरा भागीदारी क्रमशः छह प्रतिशत और 40 प्रतिशत तक कम थी जैसा कि तालिका 4.7 में दर्शाया गया है। उपलब्ध अभिलेखों से, लेखापरीक्षा में पाया गया कि दीपम ने संव्यवहार में खुदरा निवेशकों की इतनी कम भागीदारी के कारणों का विश्लेषण नहीं किया जिससे भविष्य के संव्यवहार में सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके।

दीपम ने भारत डायनामिक्स लिमिटेड के संबंध में उत्तर (मई 2022) दिया कि निवेशकों की प्रतिक्रिया सरकार के नियंत्रण में नहीं है, और यह व्यक्तिगत निवेशकों की इच्छा और बाजार की स्थिति पर निर्भर करती है। इसके अलावा, यह कहा गया कि उक्त अवधि के दौरान समग्र बाजार का रुझान भी नकारात्मक था। रेल विकास निगम लिमिटेड के संबंध में दीपम की कोई प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं हुई थी।

तथ्य यह है कि भविष्य के संव्यवहार में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए असाधारण रूप से कम भागीदारी के कारणों का निर्धारण करने के लिए, कोई पद्धति मौजूद नहीं थी।

इसके अलावा, मर्चेंट बैंकरों और सेलिंग ब्रोकरों के नियुक्ति पत्रों में "जवाबदेही" पर एक खंड शामिल किया जाता है। इस खंड में अन्य बातों के साथ-साथ मर्चेंट बैंकरों से अपेक्षा

---

[68] बीडीएल, इरकॉन, आईआरसीटीसी, आरवीएनएल, एचएएल, सेल और टीसीएल के मामले में, खुदरा निवेशकों के लिए आरक्षित बिक्री के लिए प्रस्ताव का प्रतिशत क्रमशः 15, 30, 10, 10, 20, 12.5 और 10 था।

की जाती है कि वे बिक्री के लिए प्रस्ताव में खुदरा भागीदारी के बारे में जागरूकता पैदा करने के साथ-साथ मीडिया प्रबंधन और जनसंपर्क सुनिश्चित करने के लिए खुदरा निवेशकों तक पहुंचने के लिए एक विस्तृत कार्यनीति प्रस्तुत करें ताकि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अनुमत क्षेत्रों के भीतर बिक्री के प्रस्ताव के लिए पर्याप्त प्रचार किया जा सके। बिक्री के लिए प्रस्ताव के समाप्त होने के बाद, दीपम द्वारा स्वीकार की गई अंतिम कार्य योजना पर एक स्व-मूल्यांकन संव्यवहार की तिथि के 10 दिनों के भीतर बैंकरों द्वारा प्रस्तुत किया जाना होता है। वर्ष 2020-21 के दौरान निष्पादित सभी बिक्री प्रस्ताव संव्यवहारों के संबंध में बैंकर द्वारा प्रस्तुत स्व-मूल्यांकन और दीपम द्वारा इसके मूल्यांकन वाले अभिलेख दीपम द्वारा प्रदान नहीं किए गए थे। इन अभिलेखों के अभाव में, लेखापरीक्षा यह निर्धारण नहीं कर सकी कि क्या दीपम द्वारा 'जवाबदेही' खंड को ठीक से लागू किया जा रहा था, विशेषरूप से उन मामलों में जहां खुदरा भागीदारी अच्छी नहीं थी।

दीपम ने उत्तर दिया (जून 2022) कि नियुक्त मर्चेंट बैंकर/बुक रनिंग लीड मैनेजर आमतौर पर प्रारंभिक बैठक के बाद प्रत्येक निष्पादन संकेतकों के लिए मसौदा समयसीमा प्रस्तुत करते हैं, जिसका मूल्यांकन दीपम और प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसमें आगे कहा गया कि लेखापरीक्षा के सुझाव को दर्ज कर लिया गया है और भविष्य के कार्यों के लिए इसे ध्यान में रखा जाएगा।

अनुशंसा संख्या 2: दीपम मर्चेंट बैंकरों के प्रदर्शन के विनिवेश के बाद के मूल्यांकन को सुदृढ़ कर सकता है, जो भविष्य के विनिवेश कार्यक्रमों की अधिक प्रभावी योजना तैयार करने में मदद करेगा। दीपम यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि मर्चेंट बैंकरों से स्व-मूल्यांकन विधिवत प्राप्त किया जाए और उचित रूप से लागू किया जाए।

4.6.2.3 2020-21 के संशोधित अनुमान चरण पर नियोजित बिक्री के लिए प्रस्ताव संव्यवहार का निष्पादन न करना

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 2020-21 के दौरान संशोधित अनुमान चरण पर बिक्री के लिए प्रस्ताव के लिए निर्धारित किए गए छह सीपीएसई/कंपनियों अर्थात् मिश्र धातु निगम लिमिटेड, गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और एनएमडीसी लिमिटेड के लिए संव्यवहार पूरा नहीं हो सका। इन संव्यवहारों की स्थिति नीचे दी गई है:

- **राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड**

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए संशोधित अनुमान चरण में[69], दीपम ने बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड/नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के शेयरों के विनिवेश से भारत सरकार को ₹200 करोड़ की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाया था। वित्त वर्ष 2020-21 के संशोधित अनुमान चरण में, दीपम ने फिर से राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के शेयरों के विनिवेश से भारत सरकार को क्रमशः ₹250 करोड़ और ₹130 करोड़ की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान लगाया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बिक्री के लिए प्रस्ताव के लिए मर्चेंट बैंकरों को जुलाई 2021 में ही नियुक्त किया गया था और बिक्री के लिए प्रस्ताव के लिए आगे की औपचारिकताएं अभी तक पूरी नहीं की गई थीं, क्योंकि दीपम के अभिलेखों में मई 2022 तक कोई महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत नहीं दिया गया था। राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में भारत सरकार की वर्तमान शेयरधारिता क्रमश: 75 प्रतिशत और 74.71 प्रतिशत थी।

दीपम ने उत्तर दिया (जून 2022) कि कोरोना महामारी और बाजार में अस्थिरता के बावजूद, इसने राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बिक्री के लिए प्रस्ताव के लिए सभी मध्यस्थों (मर्चेंट बैंकरों और कानूनी सलाहकारों) की नियुक्ति पूरी कर ली है। यह भी कहा गया कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के संव्यवहार मर्चेंट बैंकरों की सिफारिशों के बाद किए जा सकते है, जिन्होंने इंगित किया है कि रूस-यूक्रेन संकट, तेल की कीमतों में वृद्धि, वित्तीय संस्थागत निवेशकों के भारतीय बाजारों को छोड़ने आदि के कारण बाजार में अनिश्चितता और अस्थिरता है। यह भी कहा गया कि मर्चेंट बैंकरों ने कहा है कि वर्तमान में बाजार का रुझान संव्यवहार के लिए अनुकूल नहीं हैं।

उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड की बिक्री के लिए प्रस्ताव को अप्रैल 2018 में अनुमोदित किया गया था, लेकिन मध्यस्थों को जुलाई 2021 में ही नियुक्त किया गया था, अर्थात तीन वर्षों से अधिक के विलंब के बाद। इसके अलावा, कोरोना महामारी और

---

[69] *20 दिसंबर 2019 को।*

बाजार में अस्थिरता मार्च 2020 के आसपास से आरंभ हुई थी। इस प्रकार, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड के ओएफएस में विलंब दीपम द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति में विलंब के कारण भी हुआ था।

- **एनएमडीसी लिमिटेड**

2020-21 के संशोधित अनुमान चरण में, दीपम ने भारत सरकार को बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से एनएमडीसी लिमिटेड के शेयरों के विनिवेश से ₹1832 करोड़ की पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान (अक्टूबर 2020) लगाया। यह भी पाया गया कि एनएमडीसी लिमिटेड के मामले में वापसी खरीद पर 2020-21 के दौरान अंतर-मंत्रालयी समूह द्वारा यह कहते हुए सहमति व्यक्त की गई थी (जुलाई 2020) कि एनएमडीसी लिमिटेड के शेयरों के लिए बिक्री के लिए प्रस्ताव को बाजार में लाए जाने पर इसके बेहतर परिणाम मिलेंगे। भारत सरकार ने 2020-21 के दौरान एनएमडीसी लिमिटेड द्वारा शेयरों की वापसी खरीद से ₹1375.65 की राशि प्राप्त की।

दीपम ने उत्तर दिया (जून 2022) कि जुलाई 2021 में एनएमडीसी लिमिटेड में भारत सरकार की इक्विटी को 7.49 प्रतिशत की सीमा तक बिक्री के लिए प्रस्ताव द्वारा विनिवेशित किया गया था, जिससे कुल विनिवेश प्राप्तियां ₹3,651.37 करोड़ हो गई थी।

- **मिश्र धातु निगम लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड**

2020-21 के संशोधित अनुमान चरण में, दीपम ने भारत सरकार को बिक्री प्रस्ताव के माध्यम से मिश्र धातु निगम लिमिटेड और गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के शेयरों के विनिवेश से क्रमशः ₹400 करोड़ और ₹220 करोड़ के रूप में पूंजीगत प्राप्ति का अनुमान (अक्टूबर 2020) लगाया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हालांकि इन दो सीपीएसई में बिक्री के लिए प्रस्ताव को 2019-20[70] में अनुमोदित किया गया था, दोनों संव्यवहार के लिए मर्चेंट बैंकरों और कानूनी सलाहकारों को अक्टूबर 2020 में ही नियुक्त किया गया था, अर्थात अनुमोदन के 10 महीने से अधिक समय के बाद। इन संव्यवहारों के लिए नामित स्टॉक एक्सचेंजों को जनवरी 2021 में नियुक्त किया गया था। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में

[70] ***मिश्र धातु निगम लिमिटेड के बिक्री के लिए प्रस्ताव को नवंबर 2019 में अनुमोदित किया गया था और गार्डन रीच शिपबिल्डर एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के बिक्री के लिए प्रस्ताव को दिसंबर 2019 में अनुमोदित किया गया था।***

इसके बाद से अब तक (जून 2022) किसी भी महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत नहीं दिया गया था।

दीपम ने उत्तर दिया (जून 2022) कि इन सीपीएसई के बिक्री के लिए प्रस्ताव निवेशक की रुचि और बाजार को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त समय पर किए जाएँगे। तथ्य यह है कि इन दो सीपीएसई में बिक्री के लिए प्रस्ताव के अनुमोदन के बाद, दीपम द्वारा मध्यस्थों की नियुक्ति में 10 महीने से अधिक का बहुत अधिक विलंब हुआ था।

- **इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड**

हालांकि बिक्री के प्रस्ताव के लिए इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड को 2020-21 के दौरान निर्धारित किया गया था, लेकिन पूर्ववर्ती इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (वर्तमान में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड) में अवशिष्ट सरकारी शेयरधारिता के निपटान के संबंध में सीसीईए का अनुमोदन 31 मार्च 2021 तक लंबित रहा। बाद में अक्टूबर 2021 के दौरान संव्यवहार पूरा कर लिया गया और इसमें ₹219.34 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी।

4.6.2.4 एलआईसी द्वारा रेल विकास निगम लिमिटेड के बिक्री के प्रस्ताव की 90 प्रतिशत की खरीद

रेल विकास निगम लिमिटेड में 20,85,02,010 शेयरों वाली प्रदत्त इक्विटी के 10 प्रतिशत के विनिवेश को वैकल्पिक तंत्र द्वारा अनुमोदित (अगस्त 2020) किया गया था, जिसमें अति अभिदान के मामले में प्रदत्त इक्विटी के 5 प्रतिशत तक अतिरिक्त शेयरों अर्थात, 10,42,51,005 शेयरों को बेचने का विकल्प था।

अभिलेखों के अनुसार, गैर-खुदरा श्रेणी (18,76,51,809 शेयरों के प्रस्ताव की तुलना में 19,75,62,294 शेयरों का अभिदान किया गया था) के तहत अति-अभिदान के मद्देनजर, दीपम ने संव्यवहार दिवस[71] अर्थात 24 मार्च, 2021 को अति-अभिदत्त किए गए शेयरों की संख्या के बराबर अति-अभिदान प्रस्ताव का उपयोग करने पर विचार किया। तदनुसार खुदरा बास्केट को 2,08,50,201 शेयरों से 2,19,51,366 शेयरों[72] में संशोधित कर दिया गया। गैर-खुदरा और खुदरा श्रेणी दोनों के लिए कुल प्रस्ताव की संख्या को तदनुसार 19,75,62,294.00 + 2,19,51,366.00 = 21,95,13,660 शेयरों में संशोधित किया गया।

---

[71] *संव्यवहार दिवस बिक्री के लिए प्रस्ताव को जारी करने का दिवस (संव्यवहार दिवस) है।*

[72] *गैर-खुदरा श्रेणी के तहत सब्सक्राइब किए गए शेयरों को निर्गम का 90 प्रतिशत मानते हुए इस पर काम किया गया।*

लेखापरीक्षा ने पाया कि दीपम ने 24 मार्च 2021 से 25 मार्च 2021 तक रेल विकास निगम लिमिटेड की बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से 20,09,33,926 इक्विटी शेयरों (9.64 प्रतिशत) का विनिवेश किया और ₹551.96 करोड़ की राशि प्राप्त की। लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिक्री के लिए प्रस्ताव की संख्या का 90.49 प्रतिशत एलआईसी को आवंटित किया गया था जिसने 20,09,33,926 शेयरों के कुल बिक्री के लिए प्रस्ताव की संख्या में से 18,18,18,180 शेयर (गैर-खुदरा श्रेणी का 91.09 प्रतिशत जिसमें 19,96,12,531 शेयर आवंटित किए गए थे) खरीदे । इस प्रकार, बिक्री के लिए लगभग पूरे प्रस्ताव को एलआईसी द्वारा समर्थित किया गया था, जो एक पूर्ण स्वामित्व वाला सरकारी निगम था। दूसरे शब्दों में, एक सरकारी कंपनी, रेल विकास निगम लिमिटेड के विनिवेश संव्यवहार में, शेयरों को मुख्य रूप से एक अन्य पूर्ण स्वामित्व वाले सरकारी इकाई द्वारा लिया गया था। इससे भारत सरकार के शेयरों का एक बड़ा हिस्सा (90.49 प्रतिशत) एक जेब से दूसरे जेब में स्थानांतरित हो गया जो विनिवेश के मूल उद्देश्य को पूरा नहीं करता है।

दीपम ने उत्तर दिया (जून 2022) कि एलआईसी और अन्य निवेशक एक्सचेंजों और बाजार नियामक के नियमों और विनियमों के अनुसार अपनी आंतरिक प्रक्रियाओं के संदर्भ में अपने स्वतंत्र निर्णय लेते हैं। उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि किसी अन्य सरकारी इकाई द्वारा बिक्री के प्रस्ताव की संख्या के बड़े हिस्से की खरीद विनिवेश के उद्देश्य को विफल कर देती है।

4.6.2.5 2019-20 के दौरान नियोजित बिक्री के लिए प्रस्ताव संव्यवहार के प्रसंस्करण में विलंब

केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों का सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन (सीएजी की 2021 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 12 - संघ सरकार (वाणिज्यिक)) में एक पैरा शामिल है जिसमें कहा गया है कि दीपम कोल इंडिया लिमिटेड, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड में बिक्री के लिए प्रस्ताव को मूर्त रूप नहीं दे सका, जिसे 2019-20 के संशोधित अनुमान चरण में निर्धारित किया गया था (पैरा संख्या 3.5.1)। 2020-21 के संशोधित अनुमान चरण के दौरान कोल इंडिया लिमिटेड और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड और एनएमडीसी लिमिटेड की चर्चा पैरा संख्या 4.6.2.3 में की गई) को छोड़कर

इन सीपीएसई को फिर से विनिवेश के लिए नियोजित किया गया था। कोल इंडिया लिमिटेड और जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के संबंध में स्थिति नीचे दी गई है:

- **कोल इंडिया लिमिटेड**: कोल इंडिया लिमिटेड के संबंध में, दीपम ने सूचित किया (अप्रैल 2022) कि दीपम के द्वारा मर्चेंट बैंकरों के साथ नियमित बैठकें आयोजित की जा रही हैं ताकि स्थिति की ध्यानपूर्वक निगरानी की जा सके। इसमें आगे कहा गया कि चूंकि समीक्षा बैठकें मर्चेंट बैंकरों से प्रतिपुष्टि और अद्यतित स्थिति लेने के उद्देश्य से होती हैं, इसलिए ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तैयार नहीं किए जाते हैं। 2020-21 के दौरान, महामारी के कारण व्यापार संचालन के प्रभावित होने के कारण स्टॉक की कीमत ₹170 से नीचे रही, जिसमें 2021-22 के दौरान सुधार हुआ है और कंपनी अच्छा मुनाफा दिखा रही है। दीपम ने यह भी आश्वासन दिया कि विनिवेश के लिए बाजार की स्थिति के अनुसार उपयुक्त समय पर ध्यानपूर्वक नजर रखी जा रही है।

विभिन्न मध्यस्थों के साथ हुई बैठकों के कार्यवृत्त के अभाव में, लेखापरीक्षा विलंब के कारणों का विश्लेषण नहीं कर सकी।

- **जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड**: लेखापरीक्षा ने उपलब्ध अभिलेखों से पाया कि जनवरी 2019 में मर्चेंट बैंकरों और कानूनी सलाहकारों को नियुक्त किया गया था। फरवरी 2021 में, उच्च स्तरीय समिति ने कंपनी के प्रबंधन को "निवेशकों से मिली प्रतिक्रिया पर काम करने और कंपनी के बारे में सकारात्मक वर्णन करने, इसकी पिछली और वर्तमान उपलब्धियों, इसके प्रदर्शन आदि को प्रभावित करने वाली समस्याओं से बाहर निकलने की अपनी योजनाओं का निर्माण करने और वेबसाइटों और निवेशकों के साथ संबंधित कार्यक्रमों के माध्यम से जागरूकता पैदा करने" की सलाह दी। लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए अभिलेखों में इस संबंध में आगे की प्रगति का संकेत नहीं दिया गया था। लेखापरीक्षा ने जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर मूल्य के उतार-चढ़ाव का भी विश्लेषण किया और पाया कि 18-19 फरवरी 2021 को भारी वृद्धि के बाद, इसमें लगातार गिरावट देखी गई है। इस प्रकार, प्रबंधन द्वारा कंपनी के बारे में सकारात्मक वर्णन करने हेतु कोई प्रयास, यदि किया भी गया हो तो उसने वांछित परिणाम नहीं दिए।

दीपम ने उत्तर दिया (जून 2022) कि बिक्री के लिए नियोजित प्रस्ताव 18.92 करोड़ शेयरों की संख्या का था, जबकि दैनिक व्यापार केवल 10 लाख शेयरों की सीमा में था, जो बाजार की बहुत कम समावेशन क्षमता को दर्शाता है। इस प्रकार, बिक्री के लिए प्रस्ताव के लिए

एक उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया गया। लेखापरीक्षा में पाया गया कि जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के शेयर की दैनिक ट्रेडिंग की मात्रा शेयर के सूचीबद्ध (अक्टूबर 2018) होने के बाद से 10 लाख शेयरों से नीचे रही है, जैसा कि नीचे चार्ट 4.3 में दर्शाया गया है। उत्तर का तात्पर्य यह है कि 18.92 करोड़ की योजनाबद्ध बिक्री के लिए प्रस्ताव की मात्रा यथार्थवादी नहीं थी और अति-महत्वाकांक्षी थी।

चार्ट 4.3: जीआईसी में दैनिक ट्रेडिंग की मात्रा

अनुशंसा संख्या 3: इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अल्पसंख्यक स्टेक बिक्री (आईपीओ और बिक्री के लिए प्रस्ताव) संव्यवहार गतिशील बाजार स्थितियों से प्रभावित होते हैं और अनुमोदन के बाद बहुत लंबा समय ले रहे थे, दीपम को आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति से अनुमोदन के बाद विनिवेश को पूरा करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने पर विचार करना चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मध्यस्थों की नियुक्ति आदि में कोई प्रक्रियात्मक विलंब न हो।

4.7 शेयरों की वापसी खरीद

सीपीएसई के पूंजीगत पुनर्गठन पर दिशानिर्देश (मई 2016) में कहा गया कि ऐसे मामलों में जहां सीपीएसई व्यवहार्य व्यवसाय विस्तार के लिए नकदी/बैंक शेष को विनियोजित करने में सक्षम नहीं हैं, वहाँ शेयरों के वापसी खरीद से कंपनी में निवेशकों के विश्वास में सुधार होता है और भविष्य में कंपनी को पूंजी जुटाने में मदद मिलने की संभावना होती है जब इसे विस्तार के लिए धन की आवश्यकता होती है। इन दिशानिर्देशों में आगे कहा गया कि प्रत्येक सीपीएसई अपने नकदी और बैंक शेष, पूंजीगत व्यय और व्यापार विस्तार, निवल संपत्ति, दीर्घकालिक ऋण, किसी भी अन्य वित्तीय प्रतिबद्धताओं, अन्य प्राप्यों और

आकस्मिक देनदारियों और शेयर के बाजार मूल्य का विश्लेषण करेगा। इस विश्लेषण के आधार पर, यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि सीपीएसई के पास अधिशेष नकदी और बैंक शेष राशि को वापसी खरीद के माध्यम से पूंजी के पुनर्गठन के लिए विचार किया जाएगा। हालांकि, प्रत्येक सीपीएसई जिसकी निवल संपत्ति कम से कम ₹2,000 करोड़ है और ₹1,000 करोड़ से अधिक का नकद शेष है, अपने शेयरों की वापसी खरीद के विकल्प का उपयोग करेगा।

2020-21 के दौरान, कुल सात सीपीएसई नामत: गेल (इंडिया) लिमिटेड, एनएमडीसी लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड, नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड, इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, केआईओसीएल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड ने शेयरों की वापसी खरीद की जिस से भारत सरकार को ₹3,936 करोड़ की राशि प्राप्त हुई, जिसका विवरण तालिका 4.8 में दिया गया है:

तालिका 4.8: 2020-21 के दौरान शेयरों की वापसी खरीद से प्राप्ति

सीपीएसई	वापसी खरीद के समय सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध	आरई चरण 2020-21 पर अनुमानित प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	2020-21 के दौरान वास्तविक प्राप्तियां (₹ करोड़ में)	वापसी खरीद से पहले भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत	वापसी खरीद के बाद भारत सरकार की शेयरधारिता का प्रतिशत
राइट्स लिमिटेड	सूचीबद्ध	180	173.16	72.02	72.2
केआईओसीएल लिमिटेड	सूचीबद्ध	190	155.72	99.06	99.03
एनटीपीसी लिमिटेड	सूचीबद्ध	1100	1,065.37	51.02	51.1
एनएमडीसी लिमिटेड	सूचीबद्ध	940	1,375.65	69.65	68.29
इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	सूचीबद्ध	97	309.97	51.5	51.32
नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	सूचीबद्ध	250	109.12	51.5	51.28
गेल (इंडिया) लिमिटेड	सूचीबद्ध	970	747	52.12	51.82
कोल इंडिया लिमिटेड[73]	सूचीबद्ध	1648	0	लागू नहीं	लागू नहीं
	कुल	**5375**	**3,935.99**		

---

[73] यह 2020-21 के संशोधित अनुमान चरण में अनुमानित किया गया था। तथापि, बाद में यह निर्णय लिया गया (नवंबर 2020) कि कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा शेयरों की वापसी खरीद पर संव्यवहार से उत्पन्न प्रतिकूल कराधान के मद्देनजर 2020-21 में विचार नहीं किया जा सकता।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपर्युक्त सीपीएसई के अलावा, 26 अन्य सीपीएसई (***अनुलग्नक-XXI***) ने वर्ष 2020-21 में शेयरों की वापसी खरीद के लिए उपर्युक्त मानदंडों को पूरा किया था। दो सीपीएसई (एसजेवीएन लिमिटेड और एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड) जिन्हें 2019-20 के संशोधित अनुमान चरण में शेयरों की वापसी खरीद के लिए नियोजित किया गया था, ने 2019-20 के दौरान वापसी खरीद नहीं की। बाद में, एसजेवीएन लिमिटेड को 2020-21 के संशोधित अनुमान चरण के दौरान रणनीतिक बिक्री के लिए नियोजित किया गया था, जो वर्ष 2020-21 के दौरान भी पूरा नहीं हुआ था।

दीपम ने उत्तर दिया (15 जून 2022) कि सीपीएसई के पूंजीगत पुनर्गठन से संबंधित सभी मामलों पर एक अंतर-मंत्रालयी समिति नामत: "सीपीएसई में पूंजी प्रबंधन और लाभांश की निगरानी के लिए समिति" में वर्ष-दर-वर्ष आधार पर चर्चा की जाती है और अंतिम रूप दिया जाता है। इसमें यह भी कहा गया कि सीपीएसई में पूंजीगत प्रबंधन और लाभांश की निगरानी के लिए समिति की बैठक उन सीपीएसई को निर्धारित करने के लिए की जाती है जो एक वित्तीय वर्ष में वापसी खरीद करने के मानदंडों को पूरा कर रहे हैं, जिसके बाद सभी निर्धारित सीपीएसई को वापसी खरीद की जांच करने और उचित माने जाने पर बोर्ड से अनुमोदित कराने के लिए कहा जाता है। तत्पश्चात्, उच्च स्तरीय समिति आगे की कार्रवाई के लिए वैकल्पिक तंत्र के लिए सीपीएसई के बोर्ड के प्रस्ताव की सिफारिश करती है। वित्त वर्ष 2020-21 के लिए, सीपीएसई में पूंजीगत प्रबंधन और लाभांश की निगरानी के लिए समिति की बैठक दिसंबर 2020 में बुलाई गई थी, जिसमें मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड द्वारा शेयरों की वापसी खरीद की संभावना पर विचार किया गया था, हालांकि इसे शेयरों की वापसी खरीद पर विचार करने के लिए उचित नहीं पाया गया था।

दीपम के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जा सकता है कि सीपीएसई में पूंजीगत प्रबंधन और लाभांश की निगरानी के लिए समिति की बैठक के कार्यवृत्त में उन सभी सीपीएसई पर विचार-विमर्श का संकेत नहीं दिया गया था जिन्होंने वापसी खरीद के मानदंडों को पूरा किया था। लेखापरीक्षा का विचार है कि वर्ष के दौरान वापसी खरीद के लिए सीपीएसई का निर्धारण अधिमानतः वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में किया जाना चाहिए न कि वर्ष[74] के अंत में।

---

[74] ***लेखापरीक्षा ने अभिलेखों से पाया कि वापसी खरीद पर चर्चा करने के लिए पहली बैठक वित्तीय वर्ष की शुरुआत के बजाय दिसंबर 2020 में आयोजित की गई थी।***

4.8 नीतिगत विनिवेश (सीपीएसई में भारत सरकार की बहुलांश शेयर की बिक्री)

वर्तमान विनिवेश नीति में निर्धारित किए गए सीपीएसई में प्रबंधन नियंत्रण के हस्तांतरण के साथ-साथ सरकारी शेयरधारिता के पूरे या एक बड़े हिस्से की बिक्री के माध्यम से रणनीतिक विनिवेश शामिल है।

सीसीईए ने 17 फरवरी 2016 को आयोजित अपनी बैठक में सीपीएसई के रणनीतिक विनिवेश के लिए प्रक्रिया और तंत्र से संबंधित दीपम के प्रस्ताव को मंजूरी दी। सीसीईए ने अक्टूबर 2019 और अक्टूबर 2021 में रणनीतिक विनिवेश की संशोधित प्रक्रिया और तंत्र को मंजूरी दी।

रणनीतिक विनिवेश संव्यवहारों की स्थिति जिसके लिए सीसीईए ने अप्रैल 2022 तक 'सैद्धांतिक' अनुमोदन दिया है, नीचे तालिका 4.9 में दी गई है। उपर्युक्त प्रत्येक चरण के अंतर्गत कंपनियों के नाम ***अनुलग्नक-XXII*** में दिए गए हैं।

तालिका 4.9: रणनीतिक विनिवेश संव्यवहारों की स्थिति

क्र. सं.	चरण	संख्या
1.	दीपम द्वारा संसाधित किए जा रहे चालू संव्यवहार	17
2.	संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा संसाधित किए जा रहे संव्यवहार	3
3.	मुकदमेबाजी के कारण रूके हुए संव्यवहार	2
4.	सीपीएसई के परिसमापन के लिए सिफारिश/अनुमोदित किए जाने के कारण या किसी अन्य कारण से रोके गए संव्यवहार	5
5.	पूर्ण किए गए संव्यवहार	9
6.	अब तक के कुल विचार किए गए रणनीतिक विनिवेश	**36**

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2020-21 के दौरान कोई रणनीतिक विनिवेश नहीं किया गया। इस विधि से अपेक्षित प्राप्ति ₹4,465 करोड़ थी। चालू रणनीतिक विनिवेशों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराए गए थे।

दीपम ने उत्तर दिया (जून 2022) कि फाइलों में निहित जानकारी की संवेदनशील और गोपनीय प्रकृति के कारण, इस प्रकार के संव्यवहार का प्रकटन संव्यवहार को प्रतिकूल रूप से बाधित कर सकता है। इस प्रकार, संव्यवहार के पूरा होने के बाद लेखापरीक्षा के लिए अभिलेख प्रदान किए जाएंगे।

4.9 शत्रु संपत्ति और परिसंपत्ति मुद्रीकरण

4.9.1 शत्रु संपत्ति-शत्रु शेयर

शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 में भारत की रक्षा नियमावली, 1962 और भारत की रक्षा नियमावली[75] 1971 के तहत भारत के लिए शत्रु संपत्ति के संरक्षक में निहित शत्रु संपत्ति को निरंतर निहित करने का प्रावधान है। अधिनियम में 'शत्रु संपत्ति' को "किसी भी संपत्ति के एक शत्रु, एक शत्रु विषय या एक शत्रु फर्म की ओर से संबंधित होने या रखने या प्रबंधित करने" के रूप में परिभाषित किया गया है। अधिनियम में यह विनिर्दिष्ट किया गया था कि भारत के लिए शत्रु संपत्ति के संरक्षक को केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

शत्रु संपत्ति (जब्त की गई संपत्ति) में चल और अचल दोनों संपत्तियां अर्थात प्रतिभूतियां, आभूषण, भूमि और इमारतें शामिल थीं। भारत सरकार (मार्च 2017) ने इस अधिनियम के संशोधन के माध्यम से अधिनियम में एक सक्षम प्रावधान किया, जो सरकार को इन संपत्तियों को बेचने की अनुमति प्रदान करता है। यह प्रावधान प्रत्याशा करता है कि बिक्री से प्राप्त आय का उपयोग विकास और सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों में किया जाएगा।

मंत्रिमंडल ने शत्रु संपत्ति के संरक्षक को अधिकृत शत्रु शेयरों की बिक्री/ निपटान के लिए एक तंत्र और प्रक्रिया को अनुमोदित किया (नवंबर 2018) और शत्रु संपत्ति अधिनियम, 1968 की धारा 8ए की उप-धारा 7 के प्रावधानों के तहत दीपम को इसे बेचने के लिए प्राधिकृत किया था।

सीसीईए ने शत्रु शेयरों की बिक्री के लिए मात्रा और कीमत बैंड और शेयरों की बिक्री के लिए सिद्धांत/तंत्र और प्रत्येक मामले में उनकी बिक्री की विधि तय करने के लिए वैकल्पिक तंत्र को शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। इसके अतिरिक्त, ऐसे शत्रु शेयरों की बिक्री आय को विनिवेश आय के रूप में वित्त मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित सरकारी खाते में जमा किया जाना था। शेयरों की बिक्री के लिए किए जाने वाले व्यय को दीपम द्वारा वहन किया जाना था।

कैबिनेट नोट (नवंबर 2018) के अनुसार, 996 कंपनियों में 20,323 शेयरधारकों के 6,50,75,877 शेयर शत्रु संपत्ति के संरक्षक के संरक्षण में थे। गृह मंत्रालय द्वारा दी गई वस्तुस्थिति के अनुसार, 996 कंपनियों में से 588 कंपनियां कार्य कर रही थीं, 394 कंपनियां निष्क्रिय अवस्था में थीं और शेष 14 कंपनियों के विवरण को गृह मंत्रालय द्वारा नियत समय पर साझा किया जाना था। इसके अलावा, 588 कार्यात्मक कंपनियों में से,

---

[75] *1977 के अधिनियम 40 द्वारा अंतःस्थापित (27.09.1977 से)*

139 सूचीबद्ध कंपनियां थीं जिनका बाजार मूल्य लगभग ₹2,291 करोड़ था। कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित समय सीमा के अनुसार, सीसीईए अनुमोदन (8 नवंबर 2018) से एक वर्ष के भीतर शत्रु शेयरों का निपटान बाजार की स्थिति के आधार पर किए जाने की संभावना थी। सीसीईए ने यह भी अनुमोदित किया कि शत्रु शेयरों की बिक्री से प्राप्त आय विनिवेश आय का हिस्सा बनने के लिए अर्हता प्राप्त करेगी।

दीपम ने एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड को सीमित निविदा के माध्यम से शत्रु शेयरों की बिक्री के लिए ब्रोकर/मध्यस्थ के रूप में नियुक्त किया (जनवरी 2019)। 182 कंपनियों के 7,50,99,134 शेयरों को वैकल्पिक तंत्र द्वारा अनुमोदित पद्धति के अनुसार बिक्री के लिए एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड को हस्तांतरित किया गया था।

दीपम ने यह सूचित किया (जून 2022) कि एसबीआई कैप सिक्योरिटीज लिमिटेड (मध्यस्थ) द्वारा कुल ₹2,708.77 करोड़ के 7,50,67,911 शेयर बेचे गए थे और शेष 0.1 प्रतिशत शेयरों को नियत समय पर बेचा जाएगा। इसमें वर्ष 2020-21 के दौरान प्राप्त ₹40.68 करोड़ की राशि शामिल थी, जिसे शीर्ष 4000-05- शत्रु संपत्तियां -101- वित्तीय परिसंपत्तियों की बिक्री के तहत दर्ज किया गया था।

संघ सरकार (वाणिज्यिक) पर 2021 की सीएजी की प्रतिवेदन संख्या 12 - केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों की सामान्य प्रयोजन वित्तीय प्रतिवेदन (पैरा 3.7.4) ने शत्रु संपत्ति के संरक्षक के साथ 45 सूचीबद्ध[76] कंपनियों और 145 असूचीबद्ध[77] कंपनियों में शत्रु शेयरों के अनुपलब्ध शेयर प्रमाण पत्रों और डुप्लीकेट शेयर जारी करने के बाद अभौतिकीकरण के लिए लंबित शेयरों से संबंधित मुद्दों को उठाया। हालांकि, इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

दीपम ने कहा (जून 2022) कि असूचीबद्ध कंपनी में शत्रु शेयरों की बिक्री के लिए पद्धति पर भारत की शत्रु संपत्ति के संरक्षक द्वारा कार्य किया जाएगा। ऐसे मामलों में जहां उनके पास शेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं हैं, वहाँ शत्रु संपत्ति का संरक्षक कारपोरेट कार्य मंत्रालय से डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त करने की प्रक्रिया में है और तत्पश्चात गृह मंत्रालय द्वारा अभौतिकीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। इन शेयरों की बिक्री प्रक्रिया को केवल

---

[76] ***45 सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में, शत्रु संपत्ति के संरक्षक के पास ₹19.51 लाख के कुल अंकित मूल्य वाले 1,25,081 इक्विटी शेयरों और 759 वरीयता शेयरों के लिए शेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे।***

[77] ***145 असूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में, शत्रु संपत्ति के संरक्षक के पास ₹34.99 लाख के कुल अंकित मूल्य वाले 2,01,804 इक्विटी शेयरों और 3,498 वरीयता शेयरों के शेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं थे।***

तभी आगे बढ़ाया जा सकता है जब अभौतिकीकरण कार्य सम्पूर्ण हो जाए, जिसे शत्रु संपत्ति के संरक्षक/गृह मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

तथ्य यह है कि डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र जारी करने और उनके अभौतिकीकरण का मामला अनसुलझा रहा। परिणामस्वरूप, असूचीबद्ध कंपनी में शेयरों की बिक्री के लिए पद्धति को अंतिम रूप देने में और डुप्लीकेट शेयर प्रमाण पत्र प्राप्त करने में देरी के कारण नवंबर 2019 तक पूरा किए जाने वाला नियोजित[78] शत्रु शेयरों का निपटान आज तक लंबित रहा।

अनुशंसा संख्या 4: एक निर्दिष्ट समय सीमा के भीतर शत्रु शेयरों की बिक्री के लिए डुप्लीकेट शेयरों को जारी करने और शेयरों के अभौतिकीकरण की प्रक्रिया को तेजी से अंतिम रूप देने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए।

4.9.2 संपत्ति मुद्रीकरण (अचल शत्रु संपत्ति की बिक्री सहित)

फरवरी 2019 में, सीसीईए ने सीपीएसई/ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पीएसयू)/ अन्य सरकारी संगठनों की गैर-मुख्य संपत्तियों और अचल शत्रु संपत्तियों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए प्रक्रिया और तंत्र को अनुमोदित किया। इसके बाद, वैकल्पिक तंत्र ने निर्णय किया (अक्टूबर 2020) कि ₹100 करोड़ और उससे अधिक मूल्य की परिसंपत्ति (अचल) को दीपम ढांचे द्वारा मुद्रीकृत किया जाएगा और ₹100 करोड़ के मूल्य से कम की परिसंपत्तियों को अधिकारी (प्रशासनिक मंत्रालय/ शत्रु संपत्ति के संरक्षक/ सीपीएसई) द्वारा उनकी मौजूदा प्रक्रिया का पालन करते हुए मुद्रीकृत किया जाएगा।

फरवरी 2021 में, दीपम ने सीपीएसई के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लेनदेन के लिए ई-बिडिंग पोर्टल के विकास के लिए एमएसटीसी लिमिटेड, कोलकाता को नियुक्त किया। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि फरवरी 2019 में नीति की शुरुआत के बाद से मार्च 2022 में सार्वजनिक उद्यम विभाग को परिसंपत्ति मुद्रीकरण के आवंटन तक दीपम द्वारा कोई बिक्री लेनदेन नहीं किया गया था।

4.9.2.1 अचल शत्रु संपत्तियों की बिक्री

गृह मंत्रालय/शत्रु संपत्ति के संरक्षक द्वारा प्रदान की गई सूचना[79] के अनुसार, 21 राज्यों में 123 जिलों में 9,406 अचल शत्रु संपत्तियां थीं जो शत्रु संपत्ति के संरक्षक के पास

[78] कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित समय सीमा के अनुसार, सीसीईए अनुमोदन (8 नवंबर 2018) से एक वर्ष के भीतर शत्रु शेयरों का निपटान बाजार की स्थिति के आधार पर किए जाने की संभावना थी।

[79] 26 फरवरी 2019 के कैबिनेट टिप्पणी के अनुसार

निहित थीं। इन संपत्तियों में अन्य के साथ-साथ मुकदमेबाजी के अधीन 2,381 संपत्तियां, 2,984 संपत्तियां जहां से किराया प्राप्त किया जा रहा था, अतिक्रमण आदि के अधीन 379 संपत्तियां शामिल थीं। 3,394 संपत्तियों की स्थिति ज्ञात नहीं थी।

दीपम ने कहा (जून 2022) कि शत्रु संपत्ति के संरक्षक ने 62 अचल शत्रु संपत्तियों को मुद्रीकरण के लिए उन्हें भेज दिया था। तथापि, चूंकि संपत्तियों का मूल्य ₹100 करोड़ से कम था, इसलिए दीपम ने मौजूदा प्रावधानों के तहत गृह मंत्रालय को संपत्तियों को वापस कर दिया। इसलिए, दीपम के माध्यम से आज तक कोई अचल शत्रु संपत्ति नहीं बेची गई।

4.9.2.2 सीपीएसई की गैर-मुख्य परिसंपत्तियों की बिक्री

दीपम ने मुद्रीकरण के लिए आठ[80] सीपीएसई से विभिन्न अचल परिसंपत्तियों की पहचान की थी और उन्हें प्राप्त किया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में पाया गया कि फरवरी 2019 में परिसंपत्ति मुद्रीकरण नीति की शुरुआत के बाद से सीपीएसई की गैर-मुख्य परिसंपत्तियों का कोई बिक्री लेनदेन नहीं हुआ है।

दीपम ने सूचित किया (अप्रैल 2022) कि उसने भारत सरकार द्वारा कार्य के पुन: आवंटन के परिणामस्वरूप सार्वजनिक उद्यम विभाग को परिसंपत्ति मुद्रीकरण से संबंधित सभी प्रासंगिक अभिलेख हस्तांतरित (21 मार्च 2022) कर दिए हैं। सार्वजनिक उद्यम विभाग से इस संबंध में वर्तमान स्थिति मांगी गई थी। उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

इस प्रकार, लेखापरीक्षा 2020-21 के दौरान सीपीएसई की गैर-मुख्य परिसंपत्तियों की बिक्री के संबंध में दीपम द्वारा की गई कार्रवाई की जांच नहीं कर सका।

4.10 अन्य मुद्दे: सीपीएसई एक्सचेंज ट्रेडेड फंड की वर्तमान स्थिति जैसी इक्विटी संबंधी बचत योजनाएं

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का कारोबार इक्विटी शेयरों की तरह ही स्टॉक एक्सचेंजों पर किया जाता है। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश से जुड़ी कोई समय अवरुद्धता अवधि या आयकर लाभ नहीं है। 2016-17 से 2020-21 तक पांच वर्षों की अवधि के दौरान, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, विनिवेश से प्राप्तियों में सबसे बड़ा (31 प्रतिशत) योगदानकर्ता था। एक्सचेंज ट्रेडेड फंड का अधिक विस्तार करने और सीपीएसई में दीर्घकालिक निवेश को प्रोत्साहित करने के

---

[80] *भारत संचार निगम लिमिटेड, महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड, ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया), भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड*

लिए यह घोषणा की गई थी (बजट भाषण 2019-20) कि सरकार इक्विटी संबंधी बचत योजना की तर्ज पर एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों में निवेश का विकल्प प्रदान करेगी। वर्तमान में, इक्विटी संबंधी बचत योजना में ₹1.50 लाख तक का निवेश आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के तहत कर कटौती हेतु पात्र है, जिसमें तीन वर्ष की लॉक-इन अवधि है।

उपलब्ध कराए गए अभिलेखों से, लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंडों को इक्विटी संबंधी बचत योजना जैसे लाभ प्रदान करने पर एक मसौदा योजना तैयार की गई थी तथा विचार करने और अधिसूचना के लिए राजस्व विभाग को भेजी गयी थी (जनवरी 2020), लेकिन इसे अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

दीपम ने उत्तर दिया (जून 2022) कि अधिसूचना जारी करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को मई 2020 में अर्ध शासकीय पत्र भेजा गया था और इस संबंध में उनसे कोई उत्तर नहीं मिला है। इसके अलावा, उक्त पर राजस्व विभाग को एक अनुस्मारक अर्ध शासकीय पत्र भी भेजा गया था।

दीपम इस मुद्दे के शीघ्र निपटान के लिए मंत्रालय के साथ इस मामले को आगे बढ़ाए।

4.11 निष्कर्ष

2020-21 के दौरान, विनिवेश के माध्यम से प्राप्तियों के लिए बजट अनुमान ₹2,10,000 करोड़ था। संशोधित अनुमान चरण में इसे घटाकर ₹32,000 करोड़ कर दिया गया था। तदनुसार, यह आवश्यक है कि आर्थिक मामलों का विभाग वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त किए जाने योग्य लक्ष्यों के लिए दीपम से आवश्यक जानकारी लेने के बाद बजट अनुमान निर्धारित करे। वर्ष 2020-21 के दौरान, संशोधित अनुमान चरण में प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव /अनुवर्ती सार्वजनिक प्रस्ताव और बिक्री के लिए प्रस्ताव के माध्यम से अनुमानित वसूली प्राप्त की गई थी, लेकिन शेयरों के वापस खरीदने के मामले में उपलब्धि में कमी थी। रणनीतिक विनिवेश के मामले में, 2020-21 के दौरान कोई नियोजित लेनदेन पूरा नहीं किया गया और इसलिए, इस स्रोत से कोई वसूली नहीं हुई थी। रेल विकास निगम लिमिटेड के बिक्री लेनदेन के लिए प्रस्ताव को मुख्य रूप से एलआईसी, एक अन्य सरकारी इकाई द्वारा समर्थित किया गया था, इस प्रकार, विनिवेश का उद्देश्य विफल हो गया। हालांकि, अचल संपत्तियों के परिसंपत्ति मुद्रीकरण के लिए नीति, फरवरी 2019 में तैयार की गई थी और दीपम द्वारा ₹100 करोड़ से अधिक की अचल शत्रु संपत्तियों का मुद्रीकरण करना अक्टूबर 2020 से अधिदेशित था, लेकिन मार्च 2022 में सार्वजनिक उद्यम विभाग को परिसंपत्ति मुद्रीकरण कार्य के आवंटन तक इस संबंध में कोई बिक्री लेनदेन नहीं किया गया है।

अध्याय V

प्रशासनिक मंत्रालयों और महारत्न/नवरत्न सीपीएसई के बीच समझौता ज्ञापन का विश्लेषण

5.1 प्रस्तावना

समझौता ज्ञापन (एमओयू) प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग और केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) के प्रबंधन के बीच पारस्परिक रूप से तय किया गया करार और अनुबंध है, जो आमतौर पर नए वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले चयनित मापदंडों पर लक्ष्य निर्धारित करने के लिए और वर्ष के अंत में निष्पादन के साथ-साथ इन लक्ष्यों को मापने के लिए परिणामों का मूल्यांकन करता है। इसमें सीपीएसई और सरकार के लक्ष्यों, इरादों, दायित्वों और पारस्परिक जिम्मेदारियों को शामिल किया जाता है और यह नियंत्रणों और प्रक्रियाओं द्वारा प्रबंधन के बजाय परिणामों और उद्देश्यों द्वारा सीपीएसई प्रबंधन को मजबूत करने की दिशा में निर्देशित करती है। सीपीएसई की सहायक कंपनियों को अपनी धारक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता होती है।

5.2 समझौता ज्ञापनों के कार्यान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था

सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई), सीपीएसई और प्रशासनिक मंत्रालयों के बीच एक सुविधाप्रदाता के रूप में कार्य करता है और सीपीएसई के प्रबंधन के निष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए एक तंत्र प्रदान करता है। यह एक ऐसी प्रणाली प्रदान करता है जिसके माध्यम से समझौता ज्ञापन के लक्ष्य निर्धारित किए जाते हैं और वर्ष के अंत में समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप देने के लिए आवश्यक तकनीकी इनपुटस में सुधार के अलावा दोनों पक्षों की प्रतिबद्धताओं का मूल्यांकन किया जा सकता है। संस्थागत व्यवस्थाएं और उनकी आपसी संबद्धताएं इस प्रकार हैं:

- **पूर्व- समझौता वार्ता समिति**: पूर्व- समझौता वार्ता समिति (पीएनसी) में डीपीई में समझौता ज्ञापन की देखरेख करने वाले संयुक्त सचिव/सलाहकार, सीपीएसई से संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के संयुक्त सचिव/सलाहकार, सीपीएसई के क्षेत्राधिकार से संबंधित सलाहकार (नीति आयोग), निदेशक (एमओयू) और सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रतिनिधि सम्मिलित होते हैं। पीएनसी (जिसे पहले समझौता ज्ञापन पर स्थायी

समिति के रूप में जाना जाता था) की भूमिका, निष्पादन में सुधार को मापने और लक्ष्य निर्धारित करने के लिए सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक मापदंडों का निर्धारण करने में अंतर-मंत्रालयी समिति की सहायता करना है। पीएनसी की बैठक प्रत्येक मामले में अंतर-मंत्रालयी समिति की बैठक से पहले आयोजित की जानी है, ताकि प्रवृत्ति को देखा जा सके और समझौता ज्ञापन के मापदंडों और लक्ष्यों पर चर्चा, बातचीत और सिफारिश की जा सके।

- **अंतर-मंत्रालयी समिति:** एक अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी), कार्यबल[81] के लिए एक वैकल्पिक तंत्र है, जो समझौता ज्ञापन वार्ताओं, लक्ष्य निर्धारण और सीपीएसई के निष्पादन के मूल्यांकन के लिए तकनीकी विशेषज्ञता प्रदान करती है। इसमें अध्यक्ष के रूप में सचिव डीपीई, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के सचिव या उनके प्रतिनिधि, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव या उनके प्रतिनिधि, नीति आयोग के अपर सचिव या उनके वरिष्ठ प्रतिनिधि इसके अन्य सदस्यों के रूप में शामिल होते हैं। आवश्यकता महसूस होने पर सचिव, डीपीई किसी भी ऐसे अधिकारी की सहायता ले सकते हैं जो वित्त विशेषज्ञ हों। समिति के गठन में कोई भी बदलाव कैबिनेट सचिव के अनुमोदन से किया जा सकता है। आईएमसी की भूमिका, वर्ष की शुरुआत से पहले सीपीएसई के समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को निर्धारित करने और उसी वर्ष के पूरा होने के बाद समझौता ज्ञापन के निष्पादन मूल्यांकन करने में समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार समिति और डीपीई की सहायता करना है।

- **उच्चाधिकार समिति (एचपीसी):** संस्थागत व्यवस्था के शीर्ष स्तर पर समिति के अध्यक्ष के रूप में कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली एचपीसी होती है और वित्त सचिव, सचिव (व्यय), सीईओ (नीति आयोग), सचिव (सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन), अध्यक्ष (सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड), अध्यक्ष (टैरिफ कमिशन), मुख्य आर्थिक सलाहकार इसके सदस्य के रूप में होते हैं। सचिव (सार्वजनिक उद्यम) सदस्य-सचिव के रूप में कार्य करता है।

वर्ष 2019-20 तक, एचपीसी ने अंतिम मूल्यांकन को अनुमोदित किया कि समझौता ज्ञापन में दोनों पक्षों द्वारा की गई प्रतिबद्धताओं को कहां तक पूरा किया गया था। वर्ष 2020-21

---

[81] ***कार्यबल, विशेषज्ञों का एक तटस्थ और स्वतंत्र निकाय था जो सीपीएसई के वार्षिक लक्ष्य निर्धारित करने और समझौता ज्ञापनों के निष्पादन मूल्यांकन में समझौता ज्ञापन पर उच्चाधिकार समिति और सार्वजनिक उद्यम विभाग सहायता करता था। इस कार्यबल को समझौता ज्ञापन 2016-17 के लिए दिनांक 10.05.2016 के डीपीई शुद्धिपत्र के माध्यम से अंतर-मंत्रालयी समिति द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है।***

से केवल आईएमसी और संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/ विभागों के बीच एमओयू स्कोर और रेटिंग में असहमति होने पर समझौता ज्ञापन की रेटिंग को अनुमोदन के लिए एचपीसी को प्रस्तुत किया जाना है।

5.3 समझौता ज्ञापन मानदंडों और लक्ष्यों का निर्धारण

समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के निर्धारण में मूल दृष्टिकोण यह है कि लक्ष्य यथार्थवादी, विकासोन्मुख और आकांक्षी होने चाहिए।

समझौता ज्ञापन के दिशा-निर्देशों में यह प्रावधान किया गया है कि सभी सीपीएसई के निष्पादन को मापने के लिए तीन समान वित्तीय मापदंड होंगे, यानि प्रचालनों से राजस्व, प्रचालन लाभ और निवेश पर प्रतिफल (उदाहरण के लिए, पीएटी/निवल मूल्य का अनुपात), जिसकी कुल भारिता 50 प्रतिशत है सिवाय उन सीपीएसई के जो सरकारी अनुदान पर निर्भर हैं या अनुदान के वितरण आदि के कार्यों को निष्पादित करती हैं। इसलिए, सभी सीपीएसई के लिए अनिवार्य मापदंडों के रूप में तीन वित्तीय मापदंड निर्धारित किए गए थे।

शेष 50 प्रतिशत भारांक के लिए, सीपीएसई के प्रचालन क्षेत्र के आधार पर चयन के लिए मापदंडों की एक सूची का सुझाव दिया गया है। निष्पादन को मापने के लिए सबसे उपयुक्त और प्रासंगिक मापदंड पीएनसी द्वारा आईएमसी को सुझाए जाएंगे। सभी मामलों में, आईएमसी, पीएनसी द्वारा दिए गए सुझाव पर उचित निर्णय लेगी।

समझौता ज्ञापन के दिशा-निर्देशों के अनुसार, आम तौर पर 'उत्कृष्ट' ग्रेडिंग के लिए लक्ष्य पिछले पांच वर्षों में समझौता ज्ञापन के सर्वोत्तम प्राप्त मापदंडों (यानी अनिवार्य वित्तीय और अन्य मापदंडों) से कम नहीं होना चाहिए और 'बहुत अच्छा' वर्तमान वर्ष (जिस वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं, उसके तुरंत पहले का वर्ष) की अपेक्षित उपलब्धि से कम नहीं होना चाहिए जब तक कि कम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए विशिष्ट कारण अध्यक्ष, आईएमसी के अनुमोदन से न हों और ये प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग द्वारा विधिवत रूप से समर्थित न हों। इसके अलावा, लक्ष्य निर्धारण के समय सूचित आधार वर्ष में अनुमानित निष्पादन की तुलना में वास्तविक निष्पादन में सुधार के मामले में लक्ष्यों में यथानुपात समायोजन किया जा सकता है।

5.4 समझौता ज्ञापन स्कोर और रैंकिंग

समझौता ज्ञापन लक्ष्य निर्धारण और मूल्यांकन की प्रक्रिया को नीचे दिया गया है:

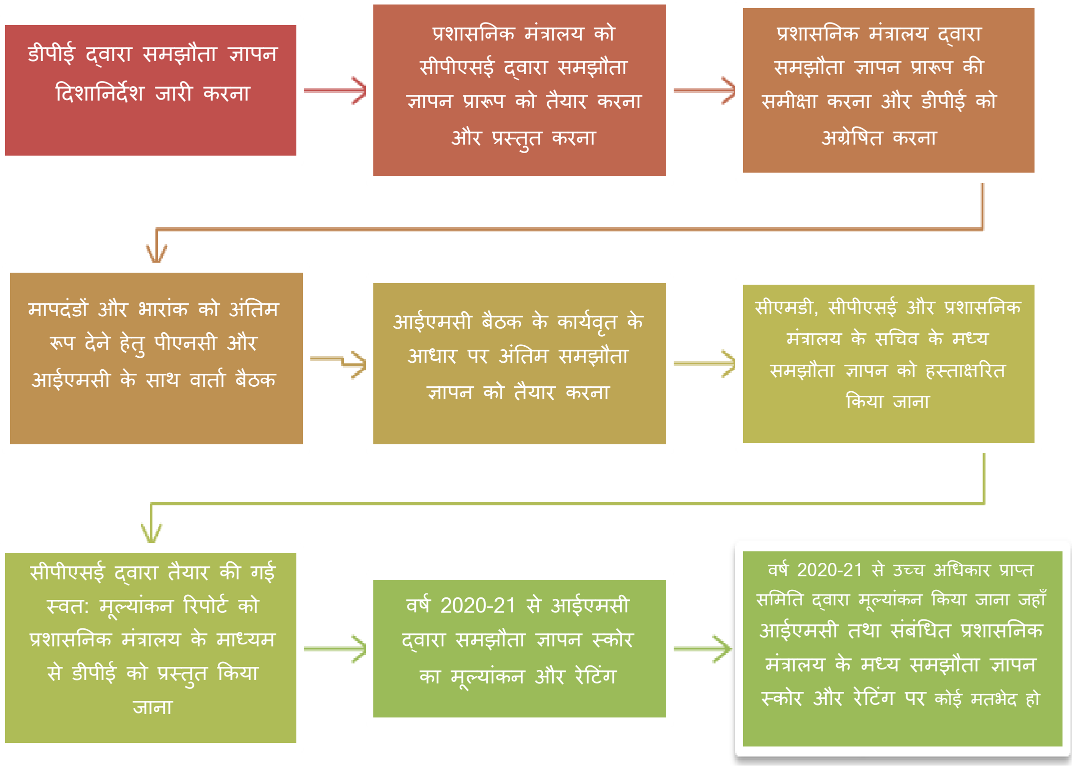

5.5 विश्लेषण की कवरेज

विभिन्न मंत्रालयों के तहत 24 सीपीएसई (जुलाई 2021 को 10 महारत्न[82] और 14 नवरत्न[83]) हैं, जिनमें से 14 सीपीएसई (आठ महारत्न और छह नवरत्न) के एक नमूने को सीपीएसई के समग्र उच्च राजस्व के आधार पर समझौता ज्ञापन के विश्लेषण की कवरेज के लिए चुना गया था। इस अध्याय में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए इन 14

---

[82] *1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 3. कोल इंडिया लिमिटेड, 4. गेल (इंडिया) लिमिटेड, 5. हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, 6. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, 7. एनटीपीसी लिमिटेड, 8. तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, 9. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और 10. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।*

[83] *1. भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, 2. कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 3. इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, 4. हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड, 5. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, 6. नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, 7. एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड, 8. एनएमडीसी लिमिटेड, 9. एनएलसी इंडिया लिमिटेड, 10. ऑयल इंडिया लिमिटेड 11. पावर फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, 12. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, 13. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, 14. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।*

सीपीएसई (आठ[84] महारत्न और छह[85] नवरत्न) के समझौता ज्ञापन का विश्लेषण शामिल है। जबकि लेखापरीक्षा में वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन को अंतिम रूप देने और मूल्यांकन से संबंधित विभिन्न पहलुओं की जांच की गई थी, वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन का मूल्यांकन लेखापरीक्षा के समय सीपीएसई द्वारा स्व-मूल्यांकन तक सीमित था क्योंकि डीपीई द्वारा मूल्यांकन के परिणाम उपलब्ध नहीं थे। इस विश्लेषण के लिए चुने गए 14 सीपीएसई के प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों और 2016-17 से 2020-21 की अवधि के लिए उनकी समझौता ज्ञापन रेटिंग का विवरण तालिका 5.1 में दिया गया है।

तालिका 5.1 चयनित सीपीएसई की समझौता ज्ञापन रेटिंग का विवरण

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	समझौता ज्ञापन रेटिंग				
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
			महारत्न				
1	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (बीपीसीएल)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	अच्छा	उत्कृष्ट
2	कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल)	कोयला	ठीक	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	अच्छा	अच्छा
3	गेल (इंडिया) लिमिटेड (गेल)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
4	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	अच्छा	बहुत अच्छा
5	एनटीपीसी लिमिटेड (एनटीपीसी)	विद्युत्	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
6	तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड (ओएनजीसी)	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	ठीक	बहुत अच्छा

[84] *1. भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड, 2. कोल इंडिया लिमिटेड, 3. गेल (इंडिया) लिमिटेड, 4. इंडियन आयल कारपोरेशन लिमिटेड, 5. एनटीपीसी लिमिटेड, 6. तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड, 7. पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया और 8. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड*

[85] *1. कंटेनर कारपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, 2. महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड, 3. नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड, 4. एनएलसी इंडिया लिमिटेड, 5. राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड और 6. शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड।*

क्र. सं.	सीपीएसई का नाम	प्रशासनिक मंत्रालय	समझौता ज्ञापन रेटिंग				
			2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
7	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (पीजीसीआईएल)	विद्युत्	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट
8	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (सेल)	इस्पात	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	अच्छा	बहुत अच्छा
नवरत्न							
9	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (कॉन्कोर)	रेलवे	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा
10	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल)	संचार	ठीक	ठीक	खराब	खराब	खराब
11	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको)	खनन	बहुत अच्छा	उत्कृष्ट	उत्कृष्ट	ठीक	उत्कृष्ट
12	एनएलसी इंडिया लिमिटेड (एनएलसीआईएल)	कोयला	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	ठीक	अच्छा	ठीक
13	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड (आरआईएनएल)	इस्पात	अच्छा	बहुत अच्छा	बहुत अच्छा	ठीक	अच्छा
14	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एससीआईएल)	जहाजरानी	खराब	बहुत अच्छा	अच्छा	उत्कृष्ट	बहुत अच्छा

5.6 विश्लेषण के उद्देश्य

विश्लेषण के उद्देश्य यह निर्धारण करना था कि क्या:

(i) समझौता ज्ञापन लक्ष्य यथार्थवादी थे और समझौता ज्ञापन पर समय पर हस्ताक्षर किए गए थे और;

(ii) उपलब्धियों का मूल्यांकन हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन और समझौता ज्ञापन के दिशा निर्देशों के अनुरूप था।

5.7 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा ने 14 सीपीएसई (8 महारत्न और 6 नवरत्न) द्वारा वर्ष 2019-20 और 2020-21[86] के लिए अपने प्रशासनिक मंत्रालयों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों और प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट (पीईआर) की जांच की। सीपीएसई के उत्तर जहां कहीं भी प्राप्त हुए है, उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

5.7.1 समझौता ज्ञापनों को तैयार करना और हस्ताक्षर करना

5.7.1.1 वार्षिक योजना/बजट/कॉर्पोरेट योजना के साथ मसौदा समझौता ज्ञापन का गैर- संरेखण

समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों (17 जनवरी 2019) के अनुसार, प्रशासनिक मंत्रालय/ विभाग को यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि समझौता ज्ञापन लक्ष्य यथार्थवादी, विकासोन्मुख, आकांक्षी और सीपीएसई की नवीनतम वार्षिक योजना, बजट और कॉर्पोरेट योजना के अनुरूप हों।

इस संबंध में लेखापरीक्षा में पाया गया कि 14 कंपनियों (29 प्रतिशत) में से 4 कंपनियों (सीआईएल, सेल, ओएनजीसी और एमटीएनएल) ने पूर्ण दस्तावेज (वार्षिक योजना/वार्षिक बजट/कॉर्पोरेट योजना) प्रस्तुत नहीं किए थे और इन दस्तावेजों के बिना ही समझौता ज्ञापनों को अंतिम रूप दिया गया था।

कोयला मंत्रालय ने कहा (दिसंबर 2021) कि सीआईएल ने दूरदर्शिता योजना/ परिप्रेक्ष्य योजना अनुमानों के आधार पर तैयार की थी जो बाह्य और बाजार संचालित थी। इसने यह भी कहा कि वार्षिक योजना और बजट मसौदा समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार किया गया था। कोयला मंत्रालय के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि कॉर्पोरेट योजना के अभाव में समझौता ज्ञापन के यथार्थवादी, विकासोन्मुख, आकांक्षी और सुसंगत लक्ष्यों का निरूपण सुनिश्चित नहीं किया गया है जो डीपीई के मौजूदा दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में है।

सेल ने कहा (जनवरी 2022) कि वर्ष 2019-20 के लिए कंपनी को सौंपे गए समझौता ज्ञापन लक्ष्य वर्ष 2018-19 में प्राप्त स्तरों की तुलना में बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण थे। तथ्य यह है कि सेल के पास कोई वार्षिक योजना/कॉर्पोरेट योजना नहीं है।

---

[86] *वर्ष 2020-21 के लिए, सीपीएसई द्वारा प्रस्तुत स्व-मूल्यांकन रिपोर्टों पर विचार किया गया है।*

ओएनजीसी ने कहा (जनवरी 2022) कि कैबिनेट के निर्णय के अनुसार वृद्धित उत्पादन प्रोफाइल (ईपीपी) की जांच अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित तृतीय पक्ष विशेषज्ञ एजेंसी द्वारा की जानी थी। यह कार्य पूरा हो गया था और जनवरी 2020 में महानिदेशक हाइड्रोकार्बन (डीजीएच) को रिपोर्ट सौंपी गई थी। इसलिए, इन दो वर्षों के लिए डीपीई के साथ वार्षिक उत्पादन योजना पहले से साझा करना संभव नहीं था। ओएनजीसी के उत्तर को इस तथ्य के मद्देनजर देखा जाना चाहिए कि डीपीई दिशा निर्देशों के अनुपालन में वार्षिक योजना और अद्यतित कॉर्पोरेट योजना तैयार की जानी अपेक्षित है ताकि कॉर्पोरेट योजना की दीर्घकालिक दूरदर्शिता/लक्ष्यों को प्राप्त किया जा सके।

एमटीएनएल ने कहा (दिसंबर 2021) कि वार्षिक योजना/बजट को वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान मसौदा समझौता ज्ञापन के साथ विधिवत रूप से प्रस्तुत किया गया था। तथापि, कॉर्पोरेट योजना तैयार न करने पर उत्तर में कुछ नहीं कहा गया।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि डीपीई/प्रशासनिक मंत्रालय यह सुनिश्चित करने और खुद को आश्वस्त करने में विफल रहे कि समझौता ज्ञापन के लक्ष्य सीपीएसई की वार्षिक योजना/वार्षिक बजट/ कॉर्पोरेट योजना के अनुरूप थे।

5.7.2 समझौता ज्ञापन लक्ष्यों का निर्धारण

5.7.2.1 सॉफ्ट समझौता ज्ञापन लक्ष्यों का निर्धारण

समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुसार, निर्धारित लक्ष्य यथार्थवादी, विकासोन्मुखी और आकांक्षापूर्ण होने चाहिए। आम तौर पर, "उत्कृष्ट" रेटिंग के लिए लक्ष्य पिछले पांच वर्षों में प्राप्त सर्वोत्तम से कम नहीं होना चाहिए और "बहुत अच्छा" वर्तमान वर्ष (जिस वर्ष के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं, उसके तुरंत पहले का वर्ष) की अपेक्षित उपलब्धि से कम नहीं होना चाहिए जब तक कि कम लक्ष्य निर्धारित करने के लिए विशिष्ट कारण न हों और वे प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा विधिवत समर्थित न हों।

समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के मद्देनजर, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

i) वर्ष 2019-20 से 2020-21 के लिए तीन मापदंडों के लिए आईओसीएल के समझौता ज्ञापन लक्ष्य समझौता ज्ञापन दिशानिर्देशों के अनुसार नहीं थे, जैसा कि नीचे दिया गया है:

- **सीपीएसई ओएमसी बिक्री को छोड़कर संचालन से राजस्व (उत्पाद शुल्क निवल):** वर्ष 2020-21 के लिए, उत्कृष्ट रेटिंग के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य पिछले पांच वर्षों में सर्वश्रेष्ठ (₹4,61,959 करोड़) से कम (₹3,74,000 करोड़) निर्धारित किया गया था। जबकि

''बहुत अच्छी'' रेटिंग के लिए पिछले वर्ष यानी 2019-20 के लिए अनुमानित राशि (₹4,29,005 करोड़) से कम (₹3,61,000 करोड़) निर्धारित किया गया था।

- **संचालन से राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ (निवल)**: वर्ष 2019-20 के लिए परिचालन से राजस्व (निवल) के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ के मापदंड पर उत्कृष्ट रेटिंग के लिए कंपनी के समझौता ज्ञापन लक्ष्य को आवश्यक यानी पिछले पांच साल में सबसे अच्छा यानी 6.87 प्रतिशत से कम 4.35 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया।

- **औसत निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर के बाद लाभ**: वर्ष 2019-20 के लिए औसत निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर के बाद लाभ (पीएटी) के मापदंड पर उत्कृष्ट रेटिंग के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्य 24.63 प्रतिशत यानी पिछले पांच वर्षों में "बहुत अच्छा" की सीमा से कम 18 प्रतिशत पर निर्धारित किया गया था।

आईओसीएल ने कहा (दिसंबर 2021) कि कच्चे तेल की कीमतों और विनिमय दरों के लिए अनुमोदित फार्मूले के आधार पर लक्ष्य कम निर्धारित किए गए थे। सर्वोत्तम उपलब्धि वर्ष 2017-18 के लाभ में इन्वेंटरी गेन और टैक्स विवादों का एकमुश्त प्रतिलेखन शामिल था, जिसे छोड़कर, सामान्य स्तर पर परिचालन लाभ केवल ₹21,604 करोड़ था। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष 2019-20 की शुरुआत मे रिफाइनरियों को बीएस -VI के अनुरूप बनाने के लिए शटडाउन की योजना बनाई गई थी, जिससे रिफाइनरियों की कम प्रवाह क्षमता, लाभप्रदता में कमी और राजस्व व्यय में वृद्धि निहित थी। इसके अलावा, 'औसत निवल मूल्य के प्रतिशत के रूप में कर पश्चात लाभ' मापदंड भी परिचालन लाभ अनुपात को प्रभावित करने वाले कारकों से प्रभावित था क्योंकि यह लाभप्रदता से भी संबंधित है। कंपनी ने यह भी कहा कि आईएमसी इस तथ्य से अवगत थी कि 'उत्कृष्ट' और 'बहुत अच्छी' श्रेणियों के लिए प्रस्तावित लक्ष्य पिछले पांच वर्षों के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन और पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2018-19 के वास्तविक प्रदर्शन से कम था।

ii) वर्ष 2019-20 के लिए एनटीपीसी के एमओयू में, पूंजीगत व्यय (कैपेक्स) मापदंड के संबंध में उत्कृष्ट रेटिंग के लक्ष्य (₹20,000 करोड़) पिछले पांच वर्षों में हासिल किए गए सर्वश्रेष्ठ (₹30,094 करोड़) से कम निर्धारित किए गए थे।

एनटीपीसी ने कहा (फरवरी 2022) कि कैपेक्स लक्ष्य बजट दस्तावेज अर्थात विवरण 26 (व्यय प्रोफाइल अर्थात सार्वजनिक उद्यम में निवेश) पर आधारित था, अतः इसमें सॉफ्ट कैपेक्स लक्ष्य निर्धारण की कोई गुंजाइश नहीं थी।

iii) पीजीसीआईएल में, वर्ष 2019-20 के लिए कैपेक्स के मापदंड के लिए उत्कृष्ट रेटिंग के लक्ष्य **₹**15,000 करोड़ निर्धारित किए गए थे, जो पिछले पांच वर्षों में सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि (₹30,556 करोड़) से कम थे। 2020-21 के लिए पिछले पांच वर्षो में लक्ष्य और सर्वोत्तम उपलब्धि के समान आंकड़े क्रमशः ₹10,500 करोड़ और ₹27,563 करोड़ थे।

वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित 'बहुत अच्छा' रेटिंग के लक्ष्य (₹14,000 करोड़) पिछले वर्ष की अपेक्षित उपलब्धि (₹2**5**,000 करोड़) से कम थे। इसी तरह, 2020-21 के लिए 'बहुत अच्छा' रेटिंग का लक्ष्य (₹9,000 करोड़) भी पिछले वर्ष की अपेक्षित उपलब्धि (₹15,000 करोड़) से कम निर्धारित किया गया था।

पीजीसीआईएल ने कहा (फरवरी 2022) कि प्रेषण क्षेत्र के कैपेक्स में गिरावट की प्रवृत्ति रही है क्योंकि पिछले दशक के दौरान बड़े निवेश किए गए थे और लक्ष्य निर्धारण ऐतिहासिक प्रवृत्ति पर आधारित नहीं हो सका था। इसके अलावा, प्रस्तावित कैपेक्स लक्ष्य पीजीसीआईएल के लिए अपनी राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी-वित्त वर्ष 2020-25) के तहत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए परिकल्पित कैपेक्स के अनुरूप थे। यह भी जोड़ा गया कि अगस्त 2020 के दौरान विस्तृत विचार-विमर्श के बाद आईएमसी द्वारा मापदंड और इसके लिए भारांक सौंपा गया था।

आईओसीएल, एनटीपीसी और पीजीसीआईएल के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि उत्कृष्ट रेटिंग के लिए मानदंड, पिछले पांच वर्षों में सर्वश्रेष्ठ से कम नहीं होना चाहिए और बहुत अच्छी रेटिंग के लिए पिछले वर्ष के दौरान उपरोक्त मापदंडों (अर्थात संचालन से राजस्व, संचालन से राजस्व के प्रतिशत के रूप में परिचालन लाभ, कर पश्चात लाभ, कैपेक्स आदि) की अनुमानित राशी से कम नहीं होना चाहिए, जिनका पालन नहीं किया गया था। लक्ष्यों का निर्धारण करते समय, यह देखा गया कि आईएमसी ने मापदंड या भारांक या लक्ष्यों को संशोधित करने के लिए कोई विस्तृत तर्क नहीं दिया था।

5.7.2.2 समझौता ज्ञापन लक्ष्यों के अन्य मापदंड निर्धारित करना

एमओयू दिशानिर्देशों के अनुसार, वित्तीय मानकों के अलावा सीपीएसई के प्रदर्शन के लिए एक मापदंड अचल संपत्तियों के अधिग्रहण/जोड़ने के लिए किया गया कैपेक्स था और इसके लिए 0-10 आवंटित किए जाने वाले अंक थे। दिशानिर्देशों के संदर्भ में, अध्यक्ष, अंतर-मंत्रालयी समिति (आईएमसी) उचित होने पर, क्षेत्र विशिष्ट मामलों में मापदंडों या मापदंडों के भारांक को संशोधित करने के लिए अधिकृत है।

इस संबंध में, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

i) वर्ष 2020-21 के लिए डीपीई में एनटीपीसी/एमओपी द्वारा प्रस्तुत एमओयू के मसौदे में, कैपेक्स मापदंड के लिए आठ अंक ₹16,500 करोड़ (सहायक कंपनियों के कैपेक्स सहित) के लक्ष्य के साथ प्रस्तावित किए गए थे जो लक्ष्य से कम था और साथ ही साथ 2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन लक्ष्यों की उपलब्धि से भी कम था। पूर्व-समझौता वार्ता समिति ने 17 जून 2020 को हुई अपनी बैठक में भारांक और कैपेक्स लक्ष्य को बढ़ाकर क्रमशः 10 अंक और ₹21,000 करोड़ (सहायक कंपनियों के कैपेक्स को छोड़कर) कर दिया। हालांकि, आईएमसी ने अंतिम समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को मंजूरी देते हुए, डीपीई दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट अधिकतम 10 अंकों के मुकाबले कैपेक्स मापदंड के लिए भारांक बढ़ाकर 15 अंक कर दिया और पूर्व- समझौता वार्ता समिति द्वारा भी इसकी सिफारिश की गई। इसके अलावा, कैपेक्स मापदंड के लिए भारांक में इस तरह की वृद्धि कैपेक्स लक्ष्य में बिना किसी वृद्धि और बिना किसी औचित्य के की गई थी, जैसा कि डीपीई एमओयू दिशा निर्देशों में आवश्यक था।

ii) वर्ष 2020-21 के लिए डीपीई में पीजीसीआईएल/एमओपी द्वारा प्रस्तुत एमओयू के मसौदे में, उत्कृष्ट उपलब्धि (सहायक कंपनियों के कैपेक्स सहित) के लिए ₹10,500 करोड़ रुपये के लक्ष्य के साथ कैपेक्स मापदंड के लिए 10 अंक प्रस्तावित किए गए थे , जो लक्ष्य से कम था और साथ ही वर्ष 2019-20 के लिए एमओयू लक्ष्यों की प्राप्ति से भी कम था। पूर्व- समझौता वार्ता समिति ने 17 जून 2020 को हुई अपनी बैठक में उपरोक्त भारांक और कैपेक्स लक्ष्य रखा। हालांकि, आईएमसी ने अंतिम समझौता ज्ञापन लक्ष्यों को मंजूरी देते हुए एमओयू दिशा निर्देशों में निर्दिष्ट अधिकतम 10 अंकों के मुकाबले कैपेक्स मानदंड के लिए भारांक को बढ़ाकर 15 अंक कर दिया और पूर्व- समझौता वार्ता समिति द्वारा भी सिफारिश की गई। इसके अलावा, कैपेक्स मानदंड के लिए भारांक में इस तरह की वृद्धि कैपेक्स लक्ष्य में बिना किसी वृद्धि और बिना किसी औचित्य के की गई थी।

एनटीपीसी और पीजीसीआईएल ने कहा (फरवरी 2022) कि भारांक में वृद्धि आईएमसी की बैठकों में हुई चर्चा पर आधारित थी।

एनटीपीसी और पीजीसीआईएल के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि कैपेक्स मापदंड के लिए भारांक को 10 से बढ़ाकर 15 अंक करने का कोई तर्क नहीं दिया गया है।

अतः बिना किसी औचित्य के कैपेक्स मापदंड के लिए भारांक अंक 10 से बढ़ाकर 15 करने के कारण कंपनी द्वारा उत्कृष्ट प्रदर्शन प्राप्त करने के लिए कम लक्ष्य तय किया गया और वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन में डीपीई दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं किया गया। इसके अलावा, एमओयू के लिए डीपीई दिशा निर्देशों में निर्धारित अनुमेय सीमा से अधिक कैपेक्स मापदंड के लिए पांच अंक बढ़ाने से अन्य मापदंड के लिए भारांक/चयन प्रतिबंधित हो गया था जिसे इन पांच अंकों के पुरस्कार के लिए माना जा सकता था।

iii) एमओयू दिशा निर्देशों के अनुसार, वर्ष के दौरान चल रहे/पूरे किए गए कैपेक्स अनुबंधों के कुल मूल्य की तुलना में बिना समय/लागत वृद्धि के चल रहे/पूरे चल रहे/पूरे किए गए कैपेक्स अनुबंधों/परियोजनाओं के मूल्य का प्रतिशत ₹150 करोड़ से अधिक मूल्य की सभी चल रही परियोजनाओं के संबंध में निकाला जाएगा। जानकारी वहां दी जाएगी जहां समय और/या लागत अधिक थी। सीपीएसई को यह सुनिश्चित करना है कि ऑनलाइन कम्प्यूटरीकृत निगरानी प्रणाली में ₹150 करोड़ से अधिक की सभी परियोजनाओं का विवरण दर्ज किया गया है। यह भी सुनिश्चित किया जाए कि अंश और हर के लिए परियोजनाओं की समय और लागत वृद्धि निगरानी का मापदंड परियोजनाओं के एक ही सेट को संदर्भित करेगा।

एमटीएनएल के संबंध में, लेखापरीक्षा ने पाया कि बिना समय/लागत वृद्धि के, वर्ष 2019-20 और 2020-21 के दौरान चल रहे/पूरे किए गए/ कैपेक्स अनुबंधों/परियोजनाओं के मूल्य का वर्ष के दौरान चल रहे/पूरे किए गए कैपेक्स अनुबंधों के कुल मूल्य के प्रतिशत अनुपात यथार्थवादी आधार से तय नहीं हुआ था।

एमटीएनएल ने कहा (दिसंबर 2021) कि यह वित्तीय संकट से गुजर रहा था और नेटवर्क विस्तार/परियोजनाओं पर पूंजीगत व्यय नहीं किया गया था। वित्त इकाई ने वर्ष के दौरान चल रहे/पूरे किए गए कैपेक्स अनुबंधों/परियोजनाओं के मूल्य के प्रतिशत के संबंध में मापदंड निकालने के लिए सभी पूंजीगत व्यय पर विचार किया।

एमटीएनएल का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि एमओयू दिशा निर्देशों के अनुसार निर्धारित लक्ष्य यथार्थवादी, विकासोन्मुख और आकांक्षापूर्ण होना चाहिए।

5.7.2.3 आवश्यक मापदंडों को शामिल न करना

एमओयू दिशा निर्देशों के अनुसार, वो सीपीएसई जिनकी संयुक्त उद्दमो में निवेश (बट्टे खाते में डालने के बाद) और सहायक कंपनियों के लिए क्रमशः संयुक्त उद्दमों (जेवी) के निवेश

पर प्रतिफल (लाभ/हानि का हिस्सा) और एमओयू पर हस्ताक्षर नही करने वाली सहायक कंपनियां की उपलब्धि मानकों के लिए अन्य अनिवार्य मापदंडों के अंतर्गत हैं। इन उपलब्धि मानकों की उपलब्धि के लिए प्रत्येक को 0-10 अंक आवंटित किए जाने चाहिए।

एनटीपीसी के ₹6,734.09 करोड़ के निवेश के साथ 21 संयुक्त उद्यम हैं। एनटीपीसी के 2020-21 के लिए एमओयू के मसौदे के अनुसार, एनटीपीसी की ₹7,473.15 करोड़ रुपये के साथ छह सहायक कंपनियां है। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 17 जून 2020 को आयोजित पूर्व- समझौता वार्ता समिति की बैठक में, पीएनसी द्वारा 'वर्ष के अंत में सभी परिचालन सहायक कंपनियों के पीएटी/औसत निवल मूल्य' पर तीन अंकों के एक मापदंड की सिफारिश की गई थी। इसे न तो आईएमसी द्वारा एनटीपीसी के लिए निर्धारित अंतिम समझौता ज्ञापन लक्ष्यों में शामिल किया गया था और न ही आईएमसी के कार्यवृत्त में इन विचलनों के लिए कोई औचित्य दर्ज किया गया था।

एनटीपीसी ने कहा (फरवरी 2022) कि दोनों मापदंडों के लक्ष्य विद्युत मंत्रालय और डीपीई को अग्रेषित किए गए थे। डीपीई द्वारा जारी आईएमसी बैठक के कार्यवृत्त के अनुसार इसके भारांक के साथ वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे।

एनटीपीसी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जाना चाहिए कि आईएमसी के कार्यवृत्त में दोनों अनिवार्य मापदंडों को शामिल न करने का कोई औचित्य दर्ज नहीं किया गया है।

इस प्रकार, एनटीपीसी के समझौता ज्ञापन में संयुक्त उद्यमों/परिचालन सहायक कंपनियों के लक्ष्य को शामिल न करने और अलग से समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर न करने के परिणामस्वरूप एमओपी/डीपीई द्वारा ऐसे संयुक्त उपक्रमों/परिचालन सहायक कंपनियों के प्रदर्शन का गैर मूल्यांकन/निगरानी के साथ-साथ उक्त मापदंड का गैर-अनुपालन हुआ।

अनुशंसा संख्या 1: समझौता ज्ञापन के लिए निर्धारित लक्ष्य समझौता ज्ञापन के दिशानिर्देशों के अनुसार यथार्थवादी, विकासोन्मुख और आकांक्षापूर्ण होना चाहिए।

अनुशंसा संख्या 2: लक्ष्यों को निर्धारित करने के लिए समझौता ज्ञापन के दिशा-निर्देशों के मापदंडों से विचलित होने पर, विस्तृत औचित्य दर्ज किया जाए।

5.7.2.4 एमएसई दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना

सूक्ष्म और लघु उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी सार्वजनिक खरीद नीति (2012) में कहा गया है कि केंद्र सरकार के मंत्रालयों, विभागों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अपनी वार्षिक

खरीद का 20 प्रतिशत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्‌यमों (एमएसई) से खरीदना आवश्यक है, जिसमें 4 प्रतिशत एससी-एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से होनी चाहिए सूक्ष्म और लघु उद्‌यमों (एमएसई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति आदेश, 2018 ने सीपीएसई के लिए समग्र खरीद लक्ष्य को संशोधित कर मौजूदा 20 प्रतिशत से *25* प्रतिशत कर दिया जिसे एमएसई से खरीदा जाना है। महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्‌यम के लिए एक विशेष प्रावधान डाला गया था। सूक्ष्म और लघु उद्‌यमों से कुल वार्षिक खरीद में से, 25 प्रतिशत लक्ष्य में से 3 प्रतिशत महिलाओं के स्वामित्व वाले सूक्ष्म और लघु उद्‌यमों से खरीद के लिए निर्धारित किया जाना था। एमओयू दिशा निर्देशों के अनुसार, नीति का पालन न करने पर एक अंक तक नकारात्मक अंकन होगी।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 14 में से 8 सीपीएसई (57 प्रतिशत) ने वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन नहीं किया था, लेकिन स्व-मूल्यांकन रिपोर्ट में दावा किया था कि उन्होंने वर्ष 2019-20 और 2020-21, के लिए एमएसएमई दिशा निर्देशों का अनुपालन किया था जो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं था, जैसा कि तालिका 5.2 में वर्णित है।

तालिका 5.2: उन सीपीएसई का विवरण जिन्होंने एमएसएमई दिशा निर्देशों के प्रावधान का अनुपालन नहीं किया था

सीपीएसई का नाम	एमएसएमई से खरीद (प्रतिशत में)		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसएमई से खरीद (प्रतिशत में)		महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई से खरीद (प्रतिशत में)	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
बीपीसीएल	29.53	27.67	1.22	1.54	0.044	0.33
सेल	28.85	36.94	0.33	0.51	0.47	1.59
ओएनजीसी	30.40	44.86	0.34	0.23	--	--
सीआईएल (वार्षिक खरीद का पात्र मूल्य)	32.48	30.46	0.05	0.63	1.25	0.60
एससीआई	30.68	40.99	शून्य	शून्य	2.30	2.90

सीपीएसई का नाम	एमएसएमई से खरीद (प्रतिशत में)		अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के स्वामित्व वाले एमएसएमई से खरीद (प्रतिशत में)		महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई से खरीद (प्रतिशत में)	
	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20	2020-21
गेल (वार्षिक खरीद का पात्र मूल्य)	38.53	34.17	0.3	0.11	--	--
आईओसीएल (वार्षिक खरीद का पात्र मूल्य)	27.51	28.36	0.47	0.75	0.03	0.14
एनएलसीआईएल (वार्षिक खरीद का पात्र मूल्य)	49.68	42.20	0.15	0.48	1.37	1.98

बीपीसीएल ने कहा (दिसंबर 2021) कि ऐसे एमएसई (एससी-एसटी/महिला) की निविदा प्रक्रिया में भाग लेने या एल1 मूल्य पर निविदा आवश्यकता को पूरा करने में विफल रहने की स्थिति में, एससी/एसटी उद्यमियों और महिला उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए निर्धारित उप-लक्ष्य को 23 मार्च 2012 की खरीद नीति पर एमएसएमई आदेश के अनुसार अन्य एमएसई से पूरा किया जाएगा। हालांकि, उपरोक्त प्रावधानों का उल्लेख 09 नवंबर 2018 के एमएसएमई आदेश में नहीं किया गया है।

सेल ने कहा (जनवरी 2022) कि मुख्य लक्ष्य या एमएसई से खरीद के लिए समग्र लक्ष्य पूरी तरह से हासिल किया गया था और महिलाओं और एससी/एसटी उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई से खरीद के संबंध में एससी/एसटी की स्थिति वाले एमएसई पर डेटा की कमी के कारण अनुपालन में कठिनाइयों के कारण इस्पात मंत्रालय और डीपीई के समक्ष स्पष्ट किया गया था। तथापि, तथ्य यह है कि जहां तक निर्धारित उप लक्ष्यों का संबंध है, इस्पात मंत्रालय और डीपीई ने आज तक कोई छूट नहीं दी है।

ओएनजीसी ने कहा (जनवरी 2022) कि जहाँ तक एससी/एसटी के उद्यमियों के स्वामित्व वाले एमएसई के लिए निर्धारित खरीद के चार प्रतिशत उप-लक्ष्य का संबंध है, उक्त दिशा निर्देश के अनुसार यह अनिवार्य नहीं है।

ओएनजीसी के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि एससी/एसटी से खरीद के बारे में एमएसई के दिशानिर्देश अनिवार्य हैं।

कोयला मंत्रालय ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए (दिसंबर 2021) सार्वजनिक खरीद नीति का पालन करने में असमर्थता व्यक्त की क्योंकि खरीद के लिए जारी निविदाओं में एमएसएमई विक्रेताओं की कम भागीदारी थी और एमएसएमई से खरीद बढ़ाकर नीति का पालन करने का आश्वासन भी दिया। इसके अलावा, सीआईएल ने एमएसएमई के लिए सार्वजनिक खरीद नीति से छूट के लिए अनुरोध (दिसंबर 2018) प्रस्तुत किया था।

एससीआई ने उत्तर में (दिसंबर 2021) खरीद नीति दिनांक 23 मार्च 2012, पर एमएसएमई आदेश संदर्भित किया और यह भी कहा कि 2019-20 और 2020-21 के दौरान एमएसई-डब्ल्यू और एमएसई एससी/एसटी विक्रेताओं की एससीआई निविदा प्रक्रिया में अपर्याप्त भागीदारी के कारण सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद उप-लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

गेल ने अपने उत्तर (जनवरी 2022) में खरीद नीति पर एमएसएमई आदेश दिनांक 23 मार्च 2012 और संशोधन आदेश दिनांक 09 नवंबर 2018 को संदर्भित किया। तदनुसार, गेल द्वारा दोनों समझौता ज्ञापन वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए प्रचलित एमएसएमई दिशानिर्देशों का अनुपालन किया गया है।

आईओसीएल ने उत्तर दिया (दिसंबर 2021) कि एससी/एसटी और महिला उद्यमियों से खरीद बढ़ाने के प्रयास करने के बाद भी, एससी/एसटी और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से लक्ष्य की पूर्ति न होने का मुख्य कारण एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई की अनुपलब्धता और निविदाओं में बहुत सीमित भागीदारी है। विक्रेता या तो एल$_1$ + 15 प्रतिशत के वरीयता बैंड के भीतर नहीं हैं या एल$_1$ बोली लगाने वाले के साथ कीमत का मिलान करने के लिए अनिच्छुक हैं।

एनएलसीआईएल ने कहा (दिसंबर 2021) कि एससी/एसटी और महिला विक्रेताओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए विशेष विक्रेता विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया है।

उत्तर यह पुष्टि करते हैं कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के मंत्रालय के साथ संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों/डीपीई द्वारा एससी/एसटी और महिला उद्यमियों की बड़ी भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक पर्याप्त प्रयास नहीं किए गए, जिससे सीपीएसई एमएसएमई दिशा-निर्देशों के अनुसार एससी/एसटी के स्वामित्व वाले एमएसई से चार

प्रतिशत और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसई से तीन प्रतिशत खरीद का उप-लक्ष्य प्राप्त करने में असमर्थ रहे।

अनुशंसा संख्या 3: बेहतर लक्ष्य के लिए और अनु. जा./अनु.ज. और महिला एमएसएमई की भागीदारी बढ़ाने के लिए, संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय/सीपीएसई/ डीपीई ऐसे एमएसएमई के नवीनतम डेटा प्राप्त करने और ऐसे एमएसएमई के बीच खरीद गतिविधियों को प्रभावी ढंग से प्रचारित करने के लिए एमएसएमई मंत्रालय के साथ समन्वय करें।

5.7.3 प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को मसौदा समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने में विलम्ब

समझौता ज्ञापन दिशा निर्देशों के अनुसार, सभी सीपीएसई और उनकी सहायक कंपनियों के संबंध में सभी दस्तावेजों/अनुलग्नकों के साथ आगामी वर्ष के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन प्रत्येक वर्ष के 21 नवंबर तक (2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन के मामले में, यह 21 नवंबर 2019 है) तक प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग को प्रस्तुत किया जाना चाहिए।)

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि एमटीएनएल ने वर्ष 2020-21 के लिए मसौदा समझौता ज्ञापन 28 अगस्त 2020 को दूरसंचार विभाग (डीओटी) (अर्थात् प्रशासनिक विभाग) को प्रस्तुत किया था।

एमटीएनएल ने कहा (दिसंबर 2021) कि डीओटी ने लक्ष्यों को संशोधित करने पर जोर दिया जिसके कारण संशोधन के कई पुनरावृत्ति हुई।

तथापि, तथ्य यह है कि मसौदा समझौता ज्ञापन प्रस्तुत करने में 279 दिनों का विलम्ब था।

5.7.4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर

5.7.4.1 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में विलम्ब

समझौता ज्ञापन दिशा निर्देशों के अनुसार, आईएमसी द्वारा अनुशंसित मापदंडों, लक्ष्यों और भारांक के आधार पर समझौता ज्ञापन पर, बिना किसी विचलन के, सीपीएसई के सीएमडी/एमडी और प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग के सचिव के बीच, होल्डिंग/स्वतंत्र सीपीएसई के मामले में और सहायक कंपनी के मामले में सहायक कंपनी के सीईओ/एमडी और होल्डिंग सीपीएसई के सीएमडी/एमडी के बीच 31 मार्च (यानी, उस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से पहले जिसके संबंध में लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं) तक हस्ताक्षर किए जाएंगे या आईएमसी बैठक के कार्यवृत जारी करने से 21 दिनों के भीतर, जो भी बाद में हो यह

प्रक्रिया की जाएगी। 14 में से 3 सीपीएसई में, वर्ष 2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में 27 दिनों से 233 दिनों के बीच विलंब हुए और 14 में से 2 सीपीएसई में, वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में 35 दिनों से 88 दिनों के बीच विलंब हुए, जैसा कि तालिका 5.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 5.3: निर्धारित समय के बाद समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने का विवरण

सीपीएसई का नाम	निम्न के बीच समझौता ज्ञापन	2019-20			2020-21		
		आईएमसी कार्यवृत्त जारी करने की तिथि	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि	निर्धारित तिथि से एमओयू पर हस्ताक्षर में विलंब	आईएमसी कार्यवृत्त जारी करने की तिथि	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि	निर्धारित तिथि से एमओयू पर हस्ताक्षर में विलंब
कोल इंडिया लिमिटेड	सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियां	03.05.2019	13.11.2019 7 सहायक कंपनियों के साथ[87] 12.01.2020 1 सहायक कंपनी के साथ[88]	173 दिन 233 दिन	14.10.2020	30.01.2021 सभी 8 सहायक कंपनियों के साथ[89]	88 दिन
एमटीएनएल	एमटीएनएल और विभाग (डीओटी)	08.05.2019	18.06.2019	27 दिन	-	-	-

---

[87] *ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एमसीएल, सीएमपीडीआईएल, बीसीसीएल और एनसीएल।*

[88] *सीसीएल।*

[89] *ईसीएल, डब्ल्यूसीएल, एसईसीएल, एमसीएल, सीएमपीडीआईएल, बीसीसीएल, एनसीएल और सीसीएल।*

सीपीएसई का नाम	निम्न के बीच समझौता ज्ञापन	2019-20			2020-21		
		आईएमसी कार्यवृत्त जारी करने की तिथि	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि	निर्धारित तिथि से एमओयू पर हस्ताक्षर में विलंब	आईएमसी कार्यवृत्त जारी करने की तिथि	समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की तिथि	निर्धारित तिथि से एमओयू पर हस्ताक्षर में विलंब
नाल्को	नाल्को और खान मंत्रालय	08.05.2019	23.08.2019	85 दिन	-	-	-
ओएनजीसी	ओएनजीसी और पी एंड एनजी मंत्रालय	-	-	-	23.10.2020	18.12.2020	35 दिन

लेखापरीक्षा ने यह भी अवलोकन किया कि आईएमसी ने एमओयू पर हस्ताक्षर करने में विलंब के लिए नालको के कुल एमओयू स्कोर से एक अंक की कटौती की थी। एमटीएनएल के संबंध में, आईएमसी ने कुल एमओयू स्कोर से एक अंक की कटौती को नजरअंदाज कर दिया। इसके अलावा, ओएनजीसी के मामले में, आईएमसी ने विलंब को माफ कर दिया था जिसके लिए कुल एमओयू स्कोर से कोई अंक नहीं काटा गया था।

सीआईएल ने कहा (दिसंबर 2021) कि सीआईएल और उसकी सहायक कंपनियों के बीच समझौता ज्ञापन मुख्य समझौता ज्ञापन की पूरक प्रकृति में थे और इन पूरक समझौता ज्ञापनों को डीपीई द्वारा संज्ञान में नहीं लिया गया था। यह भी कहा गया कि समेकित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के बाद, सहायक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। सीआईएल के उत्तर को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि उनकी सहायक कंपनियों के साथ समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर करने के लिए वर्ष 2019-20 के लिए 173 दिनों से 233 दिनों और 2020-21 के लिए 88 दिनों की विलंब उचित नहीं थी क्योंकि समझौता ज्ञापन का लक्ष्य केवल समेकित समझौता ज्ञापन का प्रतिबिम्ब था।

लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार करते हुए, एमटीएनएल ने कहा (दिसंबर 2021) कि वर्ष 2019-20 के लिए समझौता ज्ञापन पर आईएमसी कार्यवृत जारी होने अर्थात 18 जून 2020 के 27 दिनों के बाद हस्ताक्षर किए गए थे।

नालको ने कहा (जनवरी 2022) कि आईएमसी द्वारा वित्तीय मानकों के लिए निर्धारित लक्ष्य वर्ष 2019-20 के लिए अवास्तविक और अप्राप्य थे। इसलिए, नालको ने लक्ष्य वित्तीय मानकों के संशोधन के लिए प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से डीपीई को अवगत कराने का प्रयास किया। लेकिन काफी समय बीत जाने के बाद, डीपीई ने लक्ष्य को संशोधित नहीं किया और अंत में आईएमसी द्वारा निर्धारित मूल लक्ष्यों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। नालको के उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि लक्ष्य मापदंड पहले से ही पूर्व-समझौता वार्ता समिति और आईएमसी के माध्यम से निर्धारित किए गए थे। इसलिए, पहले से निर्धारित लक्ष्य मापदंडों के संशोधन के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में विलंब के परिणामस्वरूप अंक की कटौती हुई जिसे अन्यथा टाला जा सकता था।

ओएनजीसी ने वर्ष 2020-21 के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने में विलंब पर कोई टिप्पणी नहीं की है।

5.7.4.2 उच्चाधिकार समिति द्वारा समझौता ज्ञापन निष्पादन रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं किया जाना

यह देखा गया है कि उच्चाधिकार प्राप्त समिति द्वारा एमओयू की निष्पादन रिपोर्ट के मूल्यांकन के लिए कोई समय सीमा नहीं है। लेखापरीक्षा ने देखा कि वर्ष 2019-20 के लिए चयनित सीपीएसई के समझौता ज्ञापनों के लिए, एचपीसी अनुमोदन और प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त निष्पादन रिपोर्ट के बीच का समय अंतराल 5 महीने और 27 दिन से 11 महीने और 28 दिनों के बीच था।

समय सीमा के प्रावधान के अभाव में विलम्ब का विस्तार सुनिश्चित नहीं किया जा सका। समय पर मूल्यांकन के लिए एमओयू दिशा-निर्देशों में समय सीमा का प्रावधान किया जाए।

अनुशंसा संख्या 4: समझौता ज्ञापन के दिशा-निर्देशों में समझौता ज्ञापन के निष्पादन के मूल्यांकन और पीएनसी और आईएमसी की बैठकों के आयोजन के लिए विशिष्ट समय-सीमा तय की जाए ताकि समझौता ज्ञापन के मापदंड और लक्ष्य निर्धारण और मूल्यांकन समय पर किया जा सके।

5.8 निष्कर्ष

वर्ष 2019-20 और 2020-21 के लिए चयनित महारत्न/नवरत्न सीपीएसई के एमओयू की लेखापरीक्षा ने संकेत दिया कि एमओयू दिशानिर्देशों की तुलना में लक्ष्य निर्धारण में विसंगतियां थीं। लक्ष्यों को कम दर्शाने से सीपीएसई को बेहतर रेटिंग हासिल करने में मदद मिली। सीपीएसई एमएसएमई दिशा-निर्देशों के अनुसार अनु. जा/अनु. ज. के स्वामित्व वाले एमएसएमई से चार प्रतिशत और महिलाओं के स्वामित्व वाले एमएसएमई से तीन प्रतिशत खरीद के उप लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सके। वर्ष 2019-20 के लिए चयनित सीपीएसई के समझौता ज्ञापनों के लिए, एचपीसी अनुमोदन और प्रशासनिक मंत्रालय से प्राप्त निष्पादन रिपोर्ट के बीच का समय अंतराल 5 महीने और 27 दिन से 11 महीने और 28 दिनों के बीच था।

(आर. जी. विश्वनाथन)
उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
तथा अध्यक्ष, लेखापरीक्षा बोर्ड

नई दिल्ली
दिनांक: 21 नवंबर 2022

प्रतिहस्ताक्षरित

(गिरीश चंद्र मुर्मू)
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली
दिनांक: 21 नवंबर 2022

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I
(जैसा कि पैरा सं. 1.1.3 में संदर्भित है)
सरकारी कंपनियों/सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियों की सूची जो 2020-21 के दौरान सीएजी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में आईं/ से बाहर हुईं

सरकारी कंपनियां जो सीएजी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में आईं

क्र.सं.	सीपीएसई
1	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड
2	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड
3	एचपीसीएल शापूरजी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
4	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
5	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
6	यंत्र इंडिया लिमिटेड
7	म्यूनिशन्स इंडिया लिमिटेड
8	ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड
9	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड
10	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड
11	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड
12	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड
13	मोहनलाल गंज ट्रांसमिशन लिमिटेड
14	सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड
15	सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड
16	किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड
17	खावडा भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड
18	नांगलबिब्रा बोंगाईगांव ट्रांसमिशन लिमिटेड
19	रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड
21	बीइएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड
22	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड
23	ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड

सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां जो सीएजी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र में आईं

क्र.सं.	सीपीएसई
1	एनएबी संरक्षण ट्रस्टी प्राइवेट लिमिटेड
2	इएसजी रिस्क असेसमेंट एंड इनसाइट लिमिटेड
3	डीएमई डेवलपमेंट लिमिटेड
4	नेशनल हाईवेज इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
5	नेशनल हाईवे इनविट प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड
6	जेपी पावरग्रिड लिमिटेड
7	सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च एसोसिएशन
8	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड
9	सीएससी ग्रामीण इस्टोर प्राइवेट लिमिटेड
10	नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड

सीएजी लेखापरीक्षा के कार्यक्षेत्र से बाहर हुई सरकारी कंपनियां

क्र.सं.	सीपीएसई
1	यूटीआई एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड
2	यूटीआई ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
3	यूटीआई कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड
4	यूटीआई रिटायरमेंट सोल्यूशंस लिमिटेड
5	आरईसी ट्रांसमिशन प्रोजेक्ट्स कंपनी लिमिटेड
6	साउथ सेंट्रल ईस्ट दिल्ली पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
7	डिनचांग ट्रांसमिशन लिमिटेड
8	वापी-II नॉर्थ लखीमपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड
9	सेल मॉयल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड
10	सेल बंगाल अलॉय कास्टिंग्स प्राइवेट लिमिटेड
11	सेल एससीआई शिपिंग प्राइवेट लिमिटेड
12	यूटीआई वेंचर फंड मैनेजमेंट कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
13	रिनमोइल फेरो अलॉयज प्राइवेट लिमिटेड

अनुलग्नक-II क

(जैसा कि पैरा सं.1.1.3 में संदर्भित है)

बकाया या परिसमापन के तहत कंपनी के लेखा का विवरण

सरकारी कंपनियां और निगम

क्र.सं.	क्षेत्र का नाम / सीपीएसई	वह वर्ष जिसके लिए लेखा 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां		
कृषि		
1	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21
रसायन और उर्वरक		
∗∗2	बंगाल इम्युनिटी लिमिटेड	परिसमापन के तहत
3	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	2019-20, 2020-21
∗∗4	आईडीपीएल तमिलनाडु (प्राइवेट) लिमिटेड	2010-11 से 2020-21
∗∗5	इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2016-17 से 2020-21
∗∗6	उड़ीसा ड्रग्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	2017-18 से 2020-21
∗∗7	स्मिथ स्टैनिस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड	परिसमापन के तहत
∗∗8	दी साउथर्न पेस्टीसिड्स कारपोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के तहत
∗∗9	राजस्थान ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	2016-17 से 2020-21
नागर विमानन		
10	देओघर एयरपोर्ट लिमिटेड	2019-20, 2020-21
11	धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड	2019-20, 2020-21
∗∗ 12	लुधियाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
वाणिज्य और उद्योग		
∗∗13	टी ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के तहत
∗∗14	आईटीपीओ सर्विसेज लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
संचार और सूचना प्रौद्योगिकी		
∗∗15	पावरग्रिड टेलीसर्विसेज लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण		
∗∗16	जोगीघोपा लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
रक्षा		
∗∗17	आर्मर्ड व्हीकल्स निगम लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
∗∗18	एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं

**19	बीईएमएल लैंड एसेट्स लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**20	ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**21	इंडिया ऑप्टेल लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**22	मुनिशन्स इंडिया लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**23	ट्रूप कम्फर्ट्स लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**24	यंत्र इंडिया लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
पूर्वोत्तर क्षेत्र का विकास		
**25	नार्थ ईस्टर्न रीजनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16 से 2020-21
26	नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21
पर्यावरण और वन		
27	अंडमान और निकोबार आइलैंड्स फारेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21
वित्त		
**28	इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के तहत
29	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी फंड्स	2020-21
भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम		
**30	भारत ब्रेक्स एंड वाल्व्स लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**31	भारत ऑप्थेल्मिक ग्लास लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**32	भारत प्रोसेस एंड मैकेनिकल इंजीनियर्स लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**33	भारत यंत्र निगम लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**34	साइकिल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**35	जगदीशपुर पेपर मिल्स लिमिटेड	2016-17 to 2020-21
**36	मांड्या नेशनल पेपर मिल्स लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**37	नागालैंड पल्प एंड पेपर कंपनी लिमिटेड	2015-16 to 2020-21
**38	नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इंडस्ट्रियल	परिसमापन के तहत
**39	रिहैबिलिटेशन इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**40	रेरोल बर्न लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**41	टेनरी एंड फुटवियर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**42	त्रिवेणी स्ट्रक्चर्स लिमिटेड	2013-14 से 2020-21
**43	टायर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**43	वेड्बर्ड (इंडिया) लिमिटेड	परिसमापन के तहत

**45	एचएमटी चिनार वॉचेज लिमिटेड	2018-19 से 2020-21
46	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	2019-20, 2020-21
47	हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2017-18 से 2020-21
48	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	2020-21
49	माइनिंग एंड एलाइड मशीनरी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के तहत
सूचना और प्रसारण		
50	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस		
51	केरल गेल गैस लिमिटेड	2020-21
52	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड	2020-21
**53	एचपीसीएल शापूरजी एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
विद्युत		
54	भेल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	2020-21
**55	सीआईएल नवीकरणीय ऊर्जा लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**56	सीआईएल सोलर पीवी लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**57	ईआर एनईआर ट्रांसमिशन लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**58	खावड़ा भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**59	किश्तवाड़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**60	मोहनलाल गंज ट्रांसमिशन लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**61	नंगलबीबरा बोंगाईगांव ट्रांसमिशन लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**62	रैटल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
सड़क परिवहन और राजमार्ग		
**63	इंडियन रोड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	परिसमापन के तहत
विज्ञान और तकनीक		
64	एनपीसीआईएल-नाल्को पावर कंपनी लिमिटेड	2019-20, 2020-21
पोत परिवहन		
65	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	2019-20, 2020-21
**66	सेंट्रल इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2017-18 से 2020-21
**67	कोलकाता रिवरफ्रंट डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड	2017-18 से 2020-21
टेक्सटाइल		
68	अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड	2020-21
69	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	2020-21
70	गोल्डमोहर डिज़ाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड	2020-21

71	दी हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	2020-21
72	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	2020-21
73	न्यू सिटी ऑफ़ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	2020-21
74	राष्ट्रीय वस्त्र निगम लिमिटेड	2020-21
75	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2019-20, 2020-21
**76	ब्रशवेयर लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**77	कानपुर टेक्सटाइल्स लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**78	एल्गिन मिल्स कंपनी लिमिटेड	परिसमापन के तहत
पर्यटन		
**79	लक्षद्वीप टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	पहले लेखा देय नहीं हैं
संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन		
80	चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2020-21
81	ओम्निबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ दमन एवं दादरा एंड नगर हवेली लिमिटेड	2020-21
**82	चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2011-12 से 2020-21
**83	चंडीगढ़ शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंसियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2015-16 से 2020-21
शहरी विकास		
84	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2020-21
**85	ईपीआई अर्बन इंफ्रा डेवलपर्स लिमिटेड	2017-18 से 2020-21
**86	कवरत्ती स्मार्ट सिटी लिमिटेड	2017-18 से 2020-21
**87	सिलवासा स्मार्ट सिटी लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
साविधिक निगम		
पोत परिवहन		
88	इनलैंड वाटरवेस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया	2020-21

** सीपीएसई जिनके लेखा तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन के अधीन थे या पहले लेखा देय नहीं थे।

अनुलग्नक-II ख
(जैसा कि पैरा सं. 1.1.3 में संदर्भित है)
बकाया या परिसमापन के तहत कंपनी के लेखा का विवरण
सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनियां

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	वह वर्ष जिसके लिए खाते 30 नवंबर 2021 तक प्राप्त नहीं हुए थे
**1	एकुमेजर (पंजाब) लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**2	एलाइड इंटरनेशनल प्रोडक्ट्स लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**3	बेकर ग्रे एंड कंपनी (1930) लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**4	बिहार इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी आर्गेनाईजेशन लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**5	सीएससी ग्रामीण ई-स्टोर प्राइवेट लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**6	एक्सेलियर प्लांट्स कॉर्परेशन लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**7	फ्लेवरिट स्पाइसेस ट्रेडिंग लिमिटेड	2012-13 से 2020-21
**8	गंगावती शुगर्स लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**9	गैस एंड पावर इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	2013-14 से 2020-21
10	हार्डिकॉन लिमिटेड	2020-21
**11	इंडिया क्लियरिंग एंड डिपॉजिटरी सर्विसेज	परिसमापन के तहत
12	इंडिया एसएमई टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड	2020-21
**13	जेपी पावरग्रिड लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**14	मिलेनियम इंफॉर्मेशन सिस्टम्स लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**15	नालंदा सिरेमिक्स एंड इंडस्ट्रीज लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**16	नेशनल हाइवेज इन्विट प्रोजेक्ट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
**17	नार्थ ईस्टर्न इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी आर्गेनाईजेशन लिमिटेड	2012-13 से 2020-21
**18	उड़ीसा इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल कंसल्टेंसी ऑर्गनाइजेशन लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**19	पज़ासी रबर्स (पी) लिमिटेड	परिसमापन के तहत
**20	पीएनबी कार्ड्स एंड सर्विसेज लिमिटेड	पहले लेखा देय नहीं हैं
21	पीएनबी इंश्योरेंस ब्रोकिंग लिमिटेड	2020-21
**22	पोनमुडी रबर्स (पी) लिमिटेड	2014-15 से 2020-21
**23	पोर्ट ब्लेयर स्मार्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड, पोर्ट ब्लेयर	2018-19 से 2020-21

∗∗24	रबर पार्क इंडिया (पी) लिमिटेड	2019-20, 2020-21
∗∗25	सिक्योरिटी एंड साइंटिफिक टेक्निकल रिसर्च एसोसिएशन	पहले लेखा देय नहीं हैं
∗∗26	टेक्सटाइल प्रोसेसिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के तहत
∗∗27	वैगन इंडिया लिमिटेड	परिसमापन के तहत

∗∗ सीपीएसई जिनके लेखा तीन वर्ष या उससे अधिक समय से बकाया थे या परिसमापन के अधीन थे या पहले लेखा देय नहीं थे।

अनुलग्नक-III
(जैसा कि पैरा सं.1.2.2.2 में संदर्भित है)
सरकारी कंपनियों की सूची जहां कुल परिसंपत्तियां 2020-21 के दौरान बकाया दीर्घकालिक ऋणों से कम थीं

क्र.सं.	कंपनी का नाम
1	अंडमान फिशरीज लिमिटेड
2	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड
3	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड
4	बीको लॉरी लिमिटेड
5	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड
6	ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7	फैक्ट आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड
8	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड
9	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड
10	हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड
11	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड
12	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड
13	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
14	इरकॉन शिव पुरी गुना लिमिटेड
15	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड
16	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
17	नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
18	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
19	नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
20	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
21	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड
22	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड
23	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अनुलग्नक-IV
(जैसा कि पैरा 1.3.1 में संदर्भित है)
2020-21 में लाभ कमाने वाले सीपीएसई में शामिल हुई सरकारी कंपनियों और निगमों की सूची

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या परिचालन लाभ 2020-21 में लाभ कमाने का कारण है
1	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	हाँ
2	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
3	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
4	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
5	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	हाँ
6	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	हाँ
7	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	हाँ
8	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	हाँ
9	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ
10	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	हाँ
11	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	हाँ
12	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	हाँ
13	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	हाँ
14	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	हाँ
15	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	हाँ
16	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	हाँ
17	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
18	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड	हाँ
19	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	नहीं
20	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	नहीं
21	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड	नहीं
22	बीको लॉरी लिमिटेड	नहीं
23	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं
24	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	नहीं
25	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	नहीं
26	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	नहीं

27	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	नहीं
28	आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड	नहीं
29	आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड	नहीं
30	इंडियन कैटालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड	नहीं
31	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	नहीं
32	महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	नहीं
33	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	नहीं
34	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	नहीं
35	प्राइज़् पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	नहीं
36	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	नहीं
37	एसटीसीएल लिमिटेड	नहीं
38	तलचर फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	नहीं
39	उत्कर्ष एल्युमिनियम धातु निगम लिमिटेड	नहीं

अनुलग्नक-V
(जैसा कि पैरा 1.3.1 में संदर्भित है)
2020-21 में लाभ कमाने वाली कंपनियों की सूची से बाहर हुई सरकारी कंपनियों की सूची

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	क्या परिचालन हानि 2020-21 में हानि का कारण है
1	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	हाँ
2	एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया	हाँ
3	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	हाँ
4	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	हाँ
5	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	नहीं
6	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	हाँ
7	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	हाँ
8	हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	हाँ
9	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
10	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	हाँ
11	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड	हाँ
12	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड	हाँ
13	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	हाँ
14	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	हाँ
15	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
16	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाईजेशन	हाँ
17	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	हाँ
18	नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इनफार्मेशन	हाँ
19	एनएमडीसी पावर लिमिटेड	हाँ
20	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	नहीं
21	सिडकुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	नहीं
22	दी इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	हाँ

अनुलग्नक-VI
(जैसा कि पैरा 1.3.3 में संदर्भित है)
31 मार्च 2021 को शून्य या नकारात्मक निवल संपति वाली सरकारी कंपनियों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई	कर के बाद लाभ	निवल संपति	प्रदत्त पूंजी
1	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड*	11.94	-2218.34	166.67
2	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड*	99.63	-275.90	780.00
3	एयर इंडिया लिमिटेड	-7017.42	-44544.88	32665.22
4	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	-360.09	-2651.16	402.25
5	अंडमान और निकोबार आइलैंड्स फारेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1.03	-21.02	3.59
6	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	-4.91	-40.56	1.00
7	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड*	6.08	-47.63	76.96
8	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड*	147.39	-1913.66	51.06
9	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड*	12.24	-56.21	60.00
10	भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड	-83.89	-204.95	53.53
11	भेल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	-6.16	-30.18	10.50
12	बीको लॉरी लिमिटेड*	11.84	-115.00	74.76
13	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-0.48	-45.21	7.77
14	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-5.43	-141.96	0.39
15	बीपीसीएल- केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	-6.06	-0.80	9.00
16	ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-137.75	-251.28	365.83
17	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड*	0.01	-2.79	0.00
18	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड*	13.15	-8.93	811.41
19	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-29.92	-44.33	10.85
20	चांडील ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	-2.15	0.05
21	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	0.00	0.00	0.05

क्र. सं.	सीपीएसई	कर के बाद लाभ	निवल संपति	प्रदत्त पूंजी
22	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	0.00	0.00	0.05
23	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	0.00	0.00	0.05
24	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	-2.09	0.05
25	फैक्ट आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-5.99	-129.07	70.45
26	फतेहगढ़ भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.72	-0.67	0.05
27	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-11.55	-5.39	19.02
28	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-175.78	-582.25	606.08
29	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-38.26	-607.24	71.72
30	**हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड*	269.56	-31.23	4865.88
31	**हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	-24.83	-72.64	19.61
32	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	-138.89	-146.42	100.00
33	**हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	-1.82	-23737.06	206.87
34	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	-14.01	-894.26	301.99
35	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड	-0.01	0.00	0.10
36	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड	-0.08	-41.55	37.71
37	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-132.79	-1539.83	276.60
38	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड*	2.70	-2683.33	6.49
39	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-0.73	-5.78	1.03
40	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	-9.33	-113.86	28.61
41	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-96.62	-529.61	137.60
42	इंडियन कैटालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड*	0.01	0.01	9.48
43	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड*	35.58	-546.66	24.05
44	झारखण्ड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.01	-0.07	0.01
45	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.10	-0.05	0.05
46	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	-0.68	-1.21	0.10
47	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	0.00	0.01

क्र. सं.	सीपीएसई	कर के बाद लाभ	निवल संपत्ति	प्रदत्त पूंजी
48	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	-1.92	0.05
49	**मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड*	2.87	-695.23	162.14
50	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-0.03	-5.97	0.05
51	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	-0.06	-0.87	0.05
52	**महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-2461.79	-16039.88	630.00
53	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-0.03	-131.64	1.24
54	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.01	-1.87	0.05
55	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-36.91	-220.68	0.85
56	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- I लिमिटेड	0.00	-0.82	0.05
57	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड	-0.88	-0.83	0.05
58	नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	-20.96	-650.22	5.65
59	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड*	0.06	-0.13	0.02
60	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2.39	-224.98	55.80
61	नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-4.39	-12.31	8.50
62	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	-0.91	-0.71	0.20
63	ओएनजीसी-मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	-455.72	-726.70	2544.29
64	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड*	0.00	-0.07	0.05
65	पीईसी लिमिटेड	-127.57	-1909.21	60.00
66	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1.37	-1.83	1.60
67	पॉवरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-0.01	-19.41	0.05
68	रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.51	-0.46	0.05

क्र. सं.	सीपीएसई	कर के बाद लाभ	निवल संपति	प्रदत्त पूंजी
69	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-3.02	-14.88	4.90
70	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	-0.02	-0.02	0.01
71	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी फंड्स*	0.04	-0.19	0.02
72	सांभर साल्ट्स लिमिटेड*	5.35	-41.36	1.00
73	शोंगटोंग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.01
74	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.59	-0.54	0.05
75	एसटीसीएल लिमिटेड*	0.77	-4564.22	1.50
76	सूति टेक ऑप्शंस लिमिटेड	-0.01	-0.31	0.50
77	टांडा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.00	0.00	0.05
78	तातिया आंध्र मेगा पावर	0.00	0.00	0.05
79	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड*	1.39	-40.73	19.57
80	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-94.20	-1007.11	31.71
81	**दी फ़र्टिलाइज़र एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड*	351.98	-3041.77	647.07
82	दी इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	0.00	-0.05	0.05
83	**स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-51.23	-109.20	60.00
84	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-7.78	-108.38	8.44
85	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.64	-26.44	1.30
86	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	-6.12	-5.90	2.79
87	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	0.00	-0.07	0.05
88	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-0.01	-0.04	0.05
	कुल	**-10,609.96**	**-1,13,894.14**	**46,584.42**

*सीपीएसई ने 2020-21 के दौरान लाभ अर्जित किया

**सूचीबद्ध सीपीएसई

अनुलग्नक-VII
(जैसा कि पैरा 1.3.4 में संदर्भित है)
सरकारी कंपनियों द्वारा घोषित लाभांश में कमी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई	निवल संपति	कर के बाद लाभ	घोषित लाभांश	निवल संपति का 5%	कर के बाद लाभ का 30%	न्यूनतम लाभांश घोषित किया जाना है	कमी
सूचीबद्ध सरकारी कंपनियां								
1	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	1072.63	166.29	52.08	53.63	49.89	53.63	1.55
2	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	13473.00	1041.79	345.66	673.65	312.54	673.65	327.99
3	आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	204558.57	11246.44	4528.90	10227.93	3373.93	10227.93	5699.03
4	ऑयल इंडिया लिमिटेड	24500.00	1741.59	542.20	1225.00	522.48	1225.00	682.80
5	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	43494.88	3850.02	1156.55	2174.74	1155.01	2174.74	1018.19
6	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	7902.02	618.10	11.64	395.10	185.43	395.10	383.46
असूचीबद्ध सरकारी कंपनियां								
7	ब्रहमपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	2811.26	739.89	125.82	140.56	221.97	221.97	96.15
8	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	1.01	2.55	0.12	0.05	0.76	0.76	0.64

क्र. सं.	सीपीएसई	निवल संपति	कर के बाद लाभ	घोषित लाभांश	निवल संपति का 5%	कर के बाद लाभ का 30%	न्यूनतम लाभांश घोषित किया जाना है	कमी
9	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	105.82	23.26	0.00	5.29	6.98	6.98	6.98
10	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	114.97	15.19	2.43	5.75	4.56	5.75	3.32
11	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	385.74	112.33	19.28	19.29	33.70	33.70	14.42
12	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	5871.85	1005.65	252.00	293.59	301.70	301.70	49.70
13	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	216.05	24.51	9.99	10.80	7.35	10.80	0.81
14	नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	928.34	101.59	31.78	46.42	30.48	46.42	14.64
15	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	34318.72	1826.95	600.00	1715.94	548.08	1715.94	1115.94
16	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	87.28	27.10	0.00	4.36	8.13	8.13	8.13
17	पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	824.77	108.68	28.36	41.24	32.60	41.24	12.88

क्र. सं.	सीपीएसई	निवल संपति	कर के बाद लाभ	घोषित लाभांश	निवल संपति का 5%	कर के बाद लाभ का 30%	न्यूनतम लाभांश घोषित किया जाना है	कमी
18	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	20.09	2.05	0.00	1.00	0.62	1.00	1.00
19	सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड	149.41	11.88	5.30	7.47	3.56	7.47	2.17
20	टेलीकॉम कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	611.19	52.77	21.11	30.56	15.83	30.56	9.45
	कुल							**9,449.25**

अनुलग्नक VII-क
(जैसा कि पैरा 1.3.4 में संदर्भित है)
सीपीएसई का विवरण जिन्हे लाभांश घोषित करने की आवश्यकता नहीं

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम	कर के बाद लाभ
1	आर्टिफ़िश्यल लिंब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया	52.26
2	बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस कौंसिल	6.72
3	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सेक्यूरिटाइज़ेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ़ इंडिया	44.62
4	क्रिएटिव म्यूजियम डिज़ाइनर्स	3.41
5	डिफेन्स इनोवेशन आर्गेनाईजेशन*	0.00
6	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन*	0.00
7	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस	-4.02
8	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर	0.49
9	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाईजेशन	-81.37
10	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाईजेशन	3.08
11	नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	34.21
12	नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इनफार्मेशन	-0.03
13	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	9.29
14	नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक	98.23
15	नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन	65.66
16	नेशनल पेमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया	433.14
17	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया	0.19
18	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	23.62
19	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	47.82
20	नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	26.35
21	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाईजेशन	6.33

* 31 मार्च 2021 तक परिचालन अभी शुरू होना है

अनुलग्नक-VIII
(जैसा कि पैरा 1.4.1 में संदर्भित है)
सरकारी कंपनियों और निगमों के उत्पादन का मूल्य, कुल परिसंपत्तियां और नियोजित पूंजी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
1	एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	368.95	489.64	166.33	375.49	720.76	308.4	354.68	463.22	355.06
2	एग्रीनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	0.31	67.04	66.42	1.51	71.7	69.68	3.91	74.39	71.07
3	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	662.91	716.06	348.94	622.13	1016.58	403.18	289.25	744.08	184.4
4	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	1191.97	1632.3	-1983.15	1402.83	2952.35	-2178.66	1160.02	1496.82	-2218.34
5	एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	0.09	0.13	0.05	142.48	22936.79	22119.07	125.25	22926.69	22206.46
6	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	4171.57	3732.1	-695.95	5219.44	4565.72	-464.46	1964.54	4529.33	-298.02
7	एयर इंडिया लिमिटेड	25508.83	49488.94	-21728.5	27710.61	53886.91	-47704.2	10343.3	60472.05	-39776.7
8	एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया	13086.69	27697.06	8088.29	12261.75	31222.71	8783.88	4867.04	32251.83	7955.76
9	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	821.61	355.07	-1977.71	754.14	2567.2	-2256.66	256.43	2825.11	-2651.16
10	अनंतपुरम कुनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.73	0.01
11	अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स फारेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	35.68	-19.99	0	33.85	-21.02	0	33.85	-21.02
12	अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	379.15	298.9	158.48	403.05	341.13	180.03	303.61	367.36	192.35
13	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	0	0.34	-2	0	0.31	-2.02	0	0.3	-2.04
14	आंध्र प्रदेश सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड	73.8	2273.23	102.82	107.71	2492.07	157.58	128.88	2500.16	214.32
15	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	311.1	407.49	99.17	297.28	427.2	140.86	328.03	447.25	163.26
16	अंगुल सुकिंडा रेलवे लिमिटेड	238.22	1000.61	954.42	303.08	1213.04	1160.3	539.62	1686.07	1649.81
17	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1640.33	2647.29	1478.4	1443.5	2422.08	1596.06	654.38	1871.56	1566.77
18	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड	0	0.02	0.02	0	0.02	0.02	0	0.02	0.02

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
19	अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड	215.62	130.16	47.88	280.17	161.9	54.48	280.17	161.9	54.48
20	आर्टिफ़िश्यल लिंब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया	339.44	617.54	351.11	315.2	734.04	431.12	259.33	766.22	482.46
21	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	0.04	15.07	14.82	0.04	14.34	14.05	0.04	14.34	14.05
22	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	276.67	1878.41	1278.15	1529.77	1880.64	1304.71	1522.1	1921.71	1286.69
23	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	0	171.52	157.67	0	178.96	165.78	0	180.6	167.16
24	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	402.35	21994.03	19859.27	418.8	27346.97	25828.57	73.56	31946.04	30053
25	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	0	310.06	292.87	0	310.7	294.06	0	301.78	294.6
26	बीईएल ऑप्ट्रोनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	97.28	302.34	224.89	0.05	288.03	236.27	35.76	270.97	240.52
27	बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	6.72	45.24	51.16	48.62	104.3	54.5	45.89	87.4	57.65
28	बीईएमएल लिमिटेड	3466.84	4836.2	1802.1	3320.76	4807.16	1770.53	3556.34	5495.15	1661.34
29	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	123.45	208.92	133.94	123.45	208.09	139.99	90.39	205.32	146.07
30	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	63.6	48.91	0	101.03	71.82
31	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	3.97	0.01
32	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	0.57	13307.44	82.72	22.14	14184.87	85.96	23.46	19273.24	68.46
33	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	9636.04	9761.92	2345.72	9047.04	11803.05	4297.66	6646.16	12031.23	3088.81
34	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	3235.22	5252.15	2268.55	2591.53	5451.62	2606.83	2012.67	5781.53	2684.75
35	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	11921.42	19521.49	9000.23	12348.33	22907.29	9834.26	13947.49	28146.9	10789.21
36	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड	0	163.9	158.22	273.35	379.31	299.74	194.91	1008.55	900.1
37	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	0	15.87	-1757.45	0	14.52	-103.37	0	15.78	-120.16
38	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	30422.37	60818.41	31422.26	21506.17	58436.6	29183.53	15784.69	51962.96	26464.41
39	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	83.64	114.95	30.68	68.95	112.83	20.47	50.12	83.89	41.04
40	भारत ओमान रिफाइनरीज लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	164.68	173.11	91.28

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
41	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड	0	0.5	-64.34	0	0.91	-68.44	0	0.97	-1.67
42	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड	60.64	4981.97	4380.01	63.17	6004.97	5373.01	29.66	4422.99	4379.31
43	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	334681.4	115398.6	62261.58	325936.8	126206.1	62553.62	304463.3	140194.8	78288.24
44	भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड	48.1	178.03	-109.51	57.66	160.28	-120.04	37.97	224.86	-325.06
45	भारत संचार निगम लिमिटेड	341.7	129122.3	56777.98	17886.09	137245.5	47876.82	17451.8	127709.7	40229.22
46	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	0	69.62	44.93	0	67.95	54.18	0	58.08	29.76
47	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	0	6443.33	5835.94	0	6774.77	5891.95	0	6548.59	5518.93
48	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	1169.73	8722.25	7737.72	2293.61	9070.79	8185.56	2186.17	8931.42	6301.03
49	भेल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	17.82	12.96	-13.73	4.65	3.06	-30.18	4.65	3.06	-30.18
50	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.06	0.07
51	बीको लॉरी लिमिटेड	9.05	1.71	-45.83	2.92	32.08	400.56	0.27	19.99	10.66
52	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	0	12.23	-45.21	0	12.23	-45.21	0	12.23	-45.21
53	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	0	0.07	0.06	0	0.07	0.06	0	0.08	0.06
54	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0	48.19	47.36	0	48.78	48.62	0	49.55	49.48
55	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0.38	0.01	0	0.38	0.01	0	0.39	0.01
56	बीकानेर-II भिवाड़ी ट्रांसको लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	24.84	0.01
57	बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस कौंसिल	0	438.26	8.5	0	477.81	112.53	0	585.22	120.65
58	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	0.19	4.38	-105.92	0.16	4.37	-110.63	0	4.67	-116.06
59	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	1.26	19.69	16.22	8.41	49.44	13.35	3.1	47.67	9.72
60	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलिमर लिमिटेड	3232.96	8617.69	3298.3	2188.09	10375.8	4424.17	23.24	10480.34	4747.07
61	ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड	150.88	750.93	588.92	86.52	663.63	459.22	60.72	494.7	321.47
62	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	309.5	214.55	74.07	571.64	258.5	93.84	621.91	361.73	118.18

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
63	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	104.99	734.44	219.27	129.02	730.83	204.33	59.67	714.22	209.49
64	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	3076.29	2691.67	362.18	3246.61	3082.39	377.75	2698.82	3266.95	376.67
65	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	95.36	391.63	36.11	347.07	367.64	7.54	552.82	340.31	18.77
66	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	-2.77	0	0	-2.8	0.31	2.75	-2.79
67	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	0	21.44	8.6	0.01	26.38	3.69	0	62.72	20.54
68	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	81.33	664.83	496.9	0	574.91	497.38	0	551.95	497.24
69	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	276.66	576.19	179.75	243.22	523.49	128.81	392.55	563.88	141.97
70	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	11297.43	14671.83	5142.72	11516.27	15682.73	6391.53	11824.65	18714.9	7548.53
71	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	68.09	72.15	-7.08	0.5	75.16	-13.58	0.02	65.31	-44.33
72	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	229.73	266.38	83.45	249.09	283.49	84.39	287.05	308.77	107.71
73	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड	1274.56	1311.37	447.95	1381.31	1256.43	570.31	1488.6	1637	784.47
74	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सेक्यूरिटाइज़ेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ़ इंडिया	82.77	770.24	739.56	101.88	874.3	825.33	64.6	903.14	869.95
75	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.05	0.02
76	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन	1519.51	3160.15	2032.36	1612.3	3560.34	2365.73	2056.75	3665.42	2567.9
77	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	52.91	86.56	76.74	49.21	90.51	78.35	49.11	95.55	80.05
78	चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	640.65	157.02	56.23	640.65	158.59	54.55	640.65	158.59	54.55
79	चांडील ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0.3	-1.7	0	0.39	-2.14	0	0.39	-2.15
80	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	86.22	22147.64	16976.56	165.26	22910	18602.18	51.2	23452.5	18333.11
81	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	40507.74	15150.68	3902.89	35165.28	11491.52	3294.92	23091.4	13750.99	3592.39
82	चेयूर इंफ्रा लिमिटेड	0	0.09	0.08	0	0.1	0.08	0	0.11	0.09

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
83	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	0	21.89	0.05	0	0	0	0	0	0
84	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड	0	0.11	0	0	0.05	-0.04	0	0.1	0.06
85	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	0	1732.85	1689.57	13.95	2370.56	2299.31	33.77	2705.77	2675.2
86	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	0	645.66	615.93	0	695.72	671.92	0	1034.15	1029.87
87	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	0	0.03	0.02	0	0.02	0.01	0	0.01	0
88	कोल इंडिया लिमिटेड	934.3	19001.41	12939.58	845.16	22359.42	15755.49	640.25	22411.02	15693.9
89	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	0	6.37	1.7	0	0	0	0	0	0
90	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	0	69.69	40.05	0	0	0	0	0	0
91	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0	243.89	153.09	0	257.92	141.39	0	266.66	149.29
92	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	2962.16	5116.21	3328.9	3422.49	6298.61	3728.62	2818.9	7263.24	3973.49
93	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	66.54	85.83	36.65	50.35	66.01	36.84	29.71	59.09	33.91
94	कॉनकोर लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.08	0.08
95	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6881.91	12600.05	10367.87	6473.79	11548.48	10064.74	6384.96	12132.84	10203.74
96	क्रिएटिव म्यूजियम डिज़ाइनर्स	9.24	57.28	3.45	22.25	71.51	3.98	10.31	83.27	20.78
97	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	6.62	268.92	235.65	6.58	267.03	244.91	7.13	258.6	236.53
98	सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	191.99	75.17	26.34	211.47	109.13	40.27
99	दादरा एवं नगर हवेली एंड दीव एससी/एसटी फाइनेंसियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.3	10.38	9.11	0.32	11.98	11.27	0.32	13.83	9.58
100	दामोदर घाटी निगम	15617.71	46844.27	20948.97	165.77	45165.59	25155.99	15985.45	42976	23938.26
101	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	33518.89	26602.38	0	46121.26	36713.51	289.89	59596.07	41109.34
102	डिफेन्स इनोवेशन आर्गेनाईजेशन	0	35.25	0.01	0	62	0.01	0	86.02	0.01
103	दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विसेज लिमिटेड	0	0.01	0	0	0	-0.01	0	0.08	0.08
104	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5694.11	74183.21	58570.12	5951	76760.18	60678.3	2502.3	74194.38	58788.16
105	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	23.83	11.73	0	18.06	12.33	0	17.66	12.82

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
106	देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड	0	5.09	5	0	5.09	5	0	5.09	5
107	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0	0.3	0.29	0	0.35	0.32	0	0.39	0.36
108	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0	23.15	19.74	0	25.21	20.32	0	28.35	23.16
109	धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड	0	5.09	5	0	5.09	5	0	5.09	5
110	धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	166.44	165.88	0	9.27	7.92
111	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	0	171.84	0	0	230.8	0	0	238.61	0
112	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	133.26	1.96	0	133.26	1.96
113	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3027.77	970.55	220.53	3388.89	947.4	541.68	3388.89	1273.73	771.58
114	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0.3	-1.66	0	0.38	-2.08	0	0.38	-2.09
115	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	13409.77	12656.67	2093.07	13338.43	15610.41	2987.08	10718.15	14984.29	2124.89
116	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	0.02	270.8	24.07	0.75	270.68	24.46	0.75	271.16	26.2
117	ईसीजीसी लिमिटेड	1247.54	11808.09	4463.41	1075.47	13380.43	5514.92	1062.28	15257.24	6365.22
118	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	241.68	352.06	111.76	238.77	448.04	148.28	332.83	569.08	172.55
119	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2689.95	3087.67	1024.39	1340.19	2693.62	1010.44	1157.19	2595.13	1076.62
120	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	1791.05	1813.66	197.62	1325.11	1940.1	198.54	805.62	1816.57	148.52
121	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	2444.34	4366.91	2243.31	3203.05	4756.06	2347.77	3104.69	4030.12	1666.33
122	फैक्ट आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	16.49	81.82	-14.66	16.67	19.03	-76.61	16.4	17.11	-77.23
123	फतेहगढ़ भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.25	-0.67
124	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	365.2	364.92	200.04	400.73	435.43	216.92	352.74	415.74	226.68
125	फ़र्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	0	600.5	527.86	0	633.52	566.39	0	693.96	617.44
126	फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया	31554.67	278279.5	163756.8	23592.05	363818.5	219675.7	24817.32	102802	34500.33
127	फ्रेश एंड हेल्दी इंटरप्राइजेज लिमिटेड	11.35	51.88	6.13	2.3	40.38	36.39	4.02	35.82	31.56
128	गडग ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.06	0.05
129	गेल (इंडिया) लिमिटेड	4201.81	62975.44	40071.5	3813.35	66660.69	45465.83	4449.57	70722.29	47843.37
130	गेल गैस लिमिटेड	5254.83	2202.69	1575.2	4953.28	2793.67	1863.69	3805.75	3360.99	2511.28

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
131	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	1386.42	4184.96	1029.02	1402.35	5379.69	1030.94	1130.64	6777.98	1127.83
132	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	37679.08	118881	20792.91	44145.43	116175.4	19006.17	39865.89	134642.9	20926.61
133	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0	26.33	0.05	0	26.23	15.01	0	26.55	0.05
134	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	32.01	33.56	13.23	13.43	45.13	8.5	9.62	37.42	-3.8
135	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	847.8	2585.09	912.32	1033.83	3205.67	1025.24	827.39	4206.51	1098.68
136	गोल्डमोहर डिजाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	230.83	149.85	46.33	273.9	150.07	50.99	273.9	150.07	50.99
137	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस	20.65	108.05	102.49	54.5	170.35	151.28	111.47	311.16	170.42
138	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	384.57	1817.75	1808.06	345.51	2373.58	2370.78	311.26	319.3	2664.53
139	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	0.1	81.85	72.33	3.04	120.59	107.94	14.97	188.86	169.16
140	हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	159.08	608.2	453.27	106.86	535.09	469.96	101.66	480.28	433.75
141	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	40.48	91.47	93.89	50.17	98.68	97.18	63.23	121.36	116.18
142	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	340.22	751.36	-85.24	158.29	570.3	-490.61	252.43	602.52	-666.39
143	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	0	1.13	0.84	0	4.25	282.39	0	791.12	311.02
144	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.61	2.03	0.11	0	2.06	0.13	1.32	5.3	-0.08
145	हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी	109.38	2879.79	2844.34	389.18	6528.46	6465.87	593.82	8085.17	7843.52
146	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	0	2.4	2.38	0	4.4	4.4	0	4.52	4.52
147	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	18537.7	48454.83	9940.71	20579.57	50540.36	11955	19911.49	49588.95	13871.67
148	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	54.51	231.25	-246.16	0.01	308.08	368.74	78.8	209.59	484.75
149	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	0	73.92	-314.69	0	94.3	-300.81	0	92.08	-31.25
150	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	1672.89	2783.31	1522.41	670.98	2629.75	973.09	1421.73	2308.11	1303.5
151	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	308.04	127.79	0	318.16	138.23	0	236.72	147.65
152	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	46.3	62.93	-43.2	32.53	58.47	-47.32	3.67	76.01	-72.64
153	हिंदुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड	268.84	574.86	103.85	265.47	622.49	104.43	229.36	635.36	162.91
154	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	277.14	255.94	-134.45	277.14	255.94	-134.45	277.14	255.94	-134.45

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
155	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	462.55	1517.7	614.9	300.26	1337.55	511.18	411.83	1392.9	526.46
156	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	296866.3	103294.7	39492.04	285320.5	113467.4	50624.53	277754.3	130599.5	62559.03
157	हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	0	88.44	-23496.8	0	86.88	-23499.2	0	86.43	-23499.5
158	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	287.19	263.44	34.18	104.54	198.04	19.2	101.21	231.33	20.88
159	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	7.93	91.18	50.99	3.38	93.15	38.13	12.45	98.33	43.32
160	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	594.91	1350.37	-235.96	573.54	1397.16	-226.5	477.95	1340.72	928.29
161	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	657.04	1633.09	100.19	605.36	1481.09	115.22	394.2	1403.97	125.61
162	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड	0	2487.56	2033.85	1.53	8834.9	6381.92	1.53	17120.55	13179.7
163	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	13.68	9.17	0	13.87	9.88	0	13.81	12.69
164	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	0.03	503.43	451.95	0	526.08	433.86	42.13	502.78	397.03
165	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	1444.37	2759.72	541.22	1283.2	2791.59	635.12	4397.95	4392.38	408.58
166	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड	0	9.72	5.32	0	10.59	4.37	0	11.43	3.52
167	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड	2.42	5.66	0.89	0	0.13	-1.9	0	0	0
168	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड	0.03	42.12	-44.39	0	18.96	18.65	0	18.89	18.57
169	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	63.6	81.5	33.79	67.15	81.76	36.33	19.83	59.29	37.17
170	एचएमटी लिमिटेड	17.01	1055.95	342.32	0.21	1149.23	994.49	23.46	1174.68	1039.2
171	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	242.79	420.43	-1321.52	213.42	423.95	-1430.76	161.2	423.53	-1509.93
172	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड	0	65.19	-17.59	0.35	38.59	7.76	0	39.86	10.46
173	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	0	64.74	64.3	0	66.58	61.81	0	174.19	149.15
174	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	0.52	6.73	-3.89	0	1.74	-5.05	0	1.29	-5.78
175	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	0	32.36	-108.84	0	32.36	-108.84	0	32.36	-108.84
176	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	59.75	122.22	-367.44	59.57	155.2	-432.99	22.53	119.24	-529.61
177	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	5547.64	72828.93	64284.13	7482.57	76126.71	62333.03	7234.58	76937.59	63170.85

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
178	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड	278.84	827.87	285.41	207.38	737.63	237.52	166.11	682.63	361.6
179	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	0	1510.33	1190.88	0	3549.78	3269.63	0	7614.78	6772.66
180	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	0	17.29	9.54	2.18	152.44	116.73	8.01	221.29	186.52
181	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	2063.27	3423.96	138.1	2125.09	3408.55	109.56	1290.6	3563.67	117.38
182	आई टी आई लिमिटेड	1904.82	6958.97	-3087.78	2443	7325.78	-2981.25	25.86	8875.19	-555.11
183	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	47.29	414.27	298.65	38.18	362.44	283.8	29.81	278.14	273.97
184	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	13.42	94.98	71.72	13.64	88.29	70.55	13.97	95.41	69.36
185	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	76.21	556.74	444.31	38.93	551.38	445.61	37.94	541.48	436.91
186	आईएफसीआई लिमिटेड	2157.23	20159.99	20319.1	2245.57	16495.97	16431.17	1378.01	13096.42	11657.65
187	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	50.08	278.96	255.1	33.7	235.55	237.5	35.84	199.83	210.29
188	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड	1.19	8.79	5.42	0.79	7.51	5.15	0.64	6.61	4.74
189	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	0.14	2.09	1.94	0	1.96	1.98	0	1.95	1.97
190	आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड	5	29.1	28.16	1.58	29	28.59	0.54	29.22	28.66
191	आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	112.92	99.8	0	2055.03	1659.02
192	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	6.85	24.47	22.51	3.92	24.75	23.24	4.74	27.95	24.74
193	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	7.16	16.45	15.19	7.45	18.03	16.22	9.88	22.16	18.55
194	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	3651.05	43538.97	2344.76	3813.09	52142.66	44661.18	3345.56	55521.83	42298.86
195	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एग्जीबिशन सेंटर	0	1394.81	1199.13	0	2045.98	1920.32	0	2539.44	2353.21
196	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	46.42	669.64	574.3	45.76	1366.06	574.01	80.44	2818.32	444.61
197	इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	2020.21	24461.02	20601.45	2367.32	27491.97	23601.11	2613.95	30062.26	24542.81
198	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	349.96	630.83	304.11	336.27	588.98	302.68	175.76	524.44	274.93
199	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाईजेशन	180.06	1992.67	2026.97	204.86	2278.86	2356.72	5.54	2403.04	-70.96

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
200	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	176.75	179.88	161.22	56.11	165.94	163.25	56.11	165.94	163.25
201	इंडियन कैटालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड	0	6.46	6.45	0	6.45	6.45	0	0	0
202	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	40.6	126.53	74.59	49.64	147.91	74.98	76.43	151.29	85.9
203	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	523121.9	314331.1	126774.8	484698.4	309161.5	137459.9	377090.5	331570.3	152021.3
204	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	124.12	2496.68	1067.02	1602.03	3184.11	1327.82	75.91	3087.46	1466.95
205	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11132.32	206603.6	180946.8	13838.46	275934.1	258024.4	15770.47	378051.7	347433.5
206	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड	738.68	1187.05	799.94	1017.38	1403.07	957.1	1015.05	1634.76	1167.16
207	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड	0	3598.6	3542.66	0	4172.52	3441.03	0	3591.86	3340.52
208	इंडियन वैक्सीन्स कंपनी लिमिटेड	0.22	10.33	6.82	0	9.84	8.28	0	9.76	8.24
209	इंडो-रशियन हेलिकोप्टर्स लिमिटेड	0	9.04	9.05	0	8.71	8.71	0	8.57	7.92
210	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	0	21.34	12.88	0	51.66	42.57	0	642.12	289.6
211	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	3397.32	5927.79	4129.85	3679.36	7032.08	5062.36	2229.54	8371.98	5871.85
212	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड	0	0.05	-0.05	0	0.05	-0.05	0.04	0.9	0.7
213	इनलैंड वाटरवेस अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया	185.71	2828.21	1000.94	0	3142.1	2777.37	0	3142.1	2777.37
214	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	57.18	248.87	-547.67	57.18	248.87	-547.67
215	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	312.7	328.51	236.19	392.84	501.17	436.82	193.06	600.38	506.8
216	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.13	0.19	0.06
217	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	70.64	231.03	142.38	131.13	238.4	153.89	194.39	257.01	159.64
218	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	4415.1	12346.29	6509.55	4057.06	12051.22	6007.06	4947.77	10559.97	4394.43
219	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	356.07	142.2	476.51	70.4	98.4	528.91	54.86	35.57	425.28
220	इरकॉन शिव पुरी गुना लिमिटेड	149.74	12.86	635.3	94.44	5.19	628.69	110.79	7.67	563.82
221	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	1.01	6.44	6	619.28	589.55	317.06	487.62	789.32	707.52

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
222	आईआरईएल आईडीसीओएल लिमिटेड	0	0.23	0.22	0	0.34	0.08	0	1.02	1.01
223	जे एंड के डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.35	157.59	155.38	2.11	168.63	161.52	1.92	172.97	163.53
224	जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	32.46	13.88	0	31.34	10.08	0	32.34	8.74
225	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	188.31	-969.01
226	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	0	192.14	55.51	0	243.54	56.94	0	282.45	90.86
227	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	0	0.08	0.06	0	0.09	0.05	0	0.1	0.06
228	झारखंड कोल्हान स्टील लिमिटेड	0	0.01	-0.03	0	0.07	0.06	0	0.06	0.06
229	झारखण्ड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	0	-0.06	0	0	-0.07	0	0	-0.07
230	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	88.08	221.14	136.5	127.87	216.84	147.7	115.78	232.37	155.24
231	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.06	-0.05
232	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	1605.26	5123.92	3559.44	1690.83	5235.19	3697.23	1509.85	5291.81	3719.22
233	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	388.63	348.25	188.41	489.57	357	204.53	434.64	332.75	221.62
234	कर्नाटक ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाईजेशन	3.64	126.29	137.38	3.75	141.67	140.06	0.23	147.54	143.14
235	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	0	641.73	-0.05	0	641.29	-0.54	0	640.85	-1.21
236	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	1.87	0	0	3.1	0
237	केरल गेल गैस लिमिटेड	0	4.13	3.52	0	3.62	3.6	0	3.62	3.6
238	खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	2.71	0.01
239	केआईओसीएल लिमिटेड	1568.93	2322.08	1981.37	1877.57	2379.44	1903.34	2383.61	2476.24	1943.92
240	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	81.37	5982.44	5386.45	94.03	6548.06	5554.47	39.97	7104.81	6442.58
241	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0.27	-1.5	0	0.35	-1.91	0	0.35	-1.92
242	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	6016.07	4779.36	0	6977.13	5605.13	0	7670.62	7446.57
243	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2898.68	6114.26	4007.17	2642.64	6904.51	4593.62	1576.35	7620.26	4782.39

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
244	कोपल नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	1.86	0	0	4.3	0
245	कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	11.87	59.89	27.55	10.42	57.18	26.55	4.54	53.43	46.38
246	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12.61	575.95	298.16	2.1	648.7	336.01	2.1	648.7	336.01
247	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	968.39	-2723.71	0	1050.23	-2673.92
248	लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	144.63	137.47	0	148.36	143.27	0	154.31	151.88
249	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	285.18	1568.29	-455.49	333.55	1527.79	-535.39	373.84	1211	558.44
250	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	0	18.58	-5.91	0	19.98	-5.94	0	21.03	-5.97
251	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	0	44.13	0.02	0	71.78	-0.81	0	122.23	-0.87
252	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	15350.16	30016.57	3834.59	14384.83	32841.01	3944.38	14687.77	32999.8	5591.28
253	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	1987.8	11575.54	-1972.28	1536.36	13889.87	-1350.8	1303.64	10918.87	1813.01
254	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	0	4.19	-131.34	0	4.13	-131.37	0	4.11	1.48
255	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	217.12	7740.73	7077.06	317.62	12603.02	9888.91	222.39	14431.37	12986.25
256	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	468.34	1084.97	740.81	528.31	1220.37	877.24	330.03	1491.98	1036.11
257	महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	शून्य	शून्य	शून्य	0	154.74	92.86	7.07	420.81	101.43
258	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0.26	-1.46	0	0.34	-1.86	0	0.35	-1.87
259	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	61095.76	27185.69	13934.52	46281.01	25053.67	15392.81	32146.7	30319.16	17092.38
260	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	0.03	3.57	4.21	0	3.57	4.34	0	4.31	-220.68
261	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	4649.15	19804.49	2707.02	4977.65	20059.06	2459.26	4047.82	24190.33	2787.44
262	मेकॉन लिमिटेड	479.2	1351.01	276.75	647.51	1232.92	398.24	752.12	1369.64	307.24
263	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	0	10380.94	9243.79	578.24	11522.64	9960.49	2136.13	12609.42	10190.37
264	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	7.34	12.15	5.74	1.48	9.26	5.37	0.06	8.98	5.5
265	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	366.76	576.21	475.38	426.15	662.1	567.04	429.53	796.47	674.06
266	मिश्रा धातु निगम लिमिटेड	814.83	1823.39	832.66	970.11	2396.94	957.9	771.64	2459.66	1072.3

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
267	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	0	95.36	94.09	0	77.41	74.48	0	78.43	74.04
268	एमएमटीसी लिमिटेड	124.25	4223.13	1491.9	24072.4	6348.77	1374.5	26364.5	4950.93	438.11
269	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	0	84.96	84.58	0	90.02	89.41	0	91.64	90.69
270	मॉयल लिमिटेड	1364.81	3578.94	3073.95	1087.07	3278.84	2734.34	1110.28	3366.36	2775.1
271	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज - I लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.26	-0.82
272	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज - II लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.26	-0.83
273	एमएसटीसी लिमिटेड	2927	2221.2	209.02	830.71	1558.01	283.22	427.74	1627.2	359.28
274	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	10724.13	8696.29	0	15863.31	13296.01	0	18469.69	15051.22
275	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड	40.39	559.22	246.25	39.98	567.22	244.34	36.16	603.13	240.3
276	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0	14446.97	13204.54	1188.05	16187.78	14592.79	2078.45	17264.35	15369.81
277	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	4.03	47.97	23.61	6.32	42.11	15.34	4.71	35.57	20.32
278	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	11441.02	14931.75	10128.7	8471.84	14503.4	9988.07	8875.05	14223.01	10680.7
279	नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	40.68	1833.79	1766.23	47.92	2003.51	1922.75	55.61	2102.7	2011.3
280	नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	0	6.18	4.33	0	5.89	3.9	0	5.36	3.85
281	नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	768.98	117.15	0	2104.4	1332.16	0	5866.51	4983.18
282	नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इनफार्मेशन	0	2.8	2.24	0	2.82	1.67	0	2.79	1.64
283	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	7.1	13.81	10	4.88	14.48	13.98	7.96	18.21	16.89
284	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	13222.07	13908.64	2550.11	12368.6	14552.04	2687.27	10764.24	8442.14	2921.35
285	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	321	334.73	36.18	105.77	236.57	27.83	105.77	236.57	27.83
286	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड।	0	1.16	1.14	0	1.19	1.17	0	1.21	1.2
287	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	9.68	512.3	465.51	11.91	518.56	478.9	11.47	522.55	490.06
288	नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	949.66	599.56	98.6	745.82	575.18	87.41	572.04	576.26	77.78
289	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	3257.91	2524.48	0	7770	7700.74	0	13073.19	9721.35

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
290	नेशनल हाइवेज एवं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	129.55	5982.95	196.87	178.29	3112.11	265.11	234.46	3278.5	323.09
291	नेशनल हाइवेज अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया	11.44	442115.9	386117	0	516204.4	481840.5	0	624730.5	582358.3
292	नेशनल हाईवे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	14.32	13.77
293	नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक	1149.53	2181.31	501.38	1156.29	2239.17	592.14	1282.02	2569.6	695.69
294	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	9650.6	32434.08	1051.55	9450.14	30898.25	-1287.46	12643.49	37769.56	1469.14
295	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.23	0.92	-0.13
296	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	87.88	8.78	0	87.04	8.26	0	85.09	6.27
297	नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन	64.47	2488.27	2459.91	67.69	2712.08	2686.5	73.04	2888.76	2870.68
298	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1073.74	1726.5	190.68	1309.21	2010.52	189.66	1205.29	2093.35	216.05
299	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	10.64	58.63	9.44	9.31	62.3	9.27	7.77	66.05	9.45
300	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	13.3	838.3	747.05	12.88	860.22	780.63	11.36	883.2	844.25
301	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	57.21	2059.42	1965.95	68.89	2139.14	2032.35	59.92	2200.7	2072.72
302	नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	35.07	972.17	966.22	37.34	1083.29	1049.78	34.23	1108.79	1098.81
303	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1054.49	1243.91	625.48	1078.22	1355.53	639.05	963.13	1300.06	628.95
304	नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2074.53	3101.71	951.48	1444.13	3119.15	971.31	1684.31	2969.95	1018.98
305	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1105.17	3317.77	1728.45	778.9	3045.49	-2084.14	778.9	3045.49	-2084.14
306	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	7244.76	7898.21	1564.81	5210.34	7462.44	1523.61	4947.45	8009.1	1691.5
307	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	4.6	4.89	-0.53	2.09	4.69	-4.12	0	0.45	0.37

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
308	एनबीसीसी एनवायरनमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड	0	0.99	0.98	0	1.02	1.01	0	1.03	1.02
309	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड	0	0.99	0.98	0	1.02	1.01	0	1.04	1.03
310	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	126.69	84.89	10.63	120.57	72.62	23.3	148.53	98.35	31.45
311	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.96	0.96
312	नेपा लिमिटेड	11.88	364.99	-40.77	3.43	545.41	103.85	17.37	587.56	202.77
313	एनईएसएल ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	0.66	1.57	1.02	0.45	1.9	1.05	0.89	2.52	1.26
314	न्यू सिटी ऑफ़ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	0	96.85	68.19	0	93.27	16.39	0	93.27	16.39
315	नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	289.87	100.35
316	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	316.44	217.96	61.29	432.67	959.07	167.74
317	न्यवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	0	5898.6	4889.11	0	9310.86	8225.41	0	11675.06	10573.84
318	एनएचडीसी लिमिटेड	804.54	6604.35	5778.46	1273.37	7243.54	6327.47	1158.41	6539.26	5392.28
319	एनएचपीसी लिमिटेड	8161.18	58702.71	41810.3	8735.41	57776.58	39756.85	8506.58	64541.1	48864.12
320	एनएलसी इंडिया लिमिटेड।	7145.92	34558.29	21067.61	7916.3	38985.06	23029.02	7249.63	37671.52	23915.51
321	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	3113.68	8244.7	5342.38	2576.58	8644.52	4886.49	2629.46	8375.96	4693.67
322	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड	0	11.88	11.84	0	8.97	8.91	0	6.94	5.02
323	एनएमडीसी लिमिटेड	12231.88	29033.05	25903.81	11699.22	30346.99	27561.27	15370.06	35935.45	29826.43
324	एनएमडीसी पावर लिमिटेड	0	0.45	0.45	0	0.47	0.47	0	0.47	0.47
325	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	0	0.02	0.02	0	0.01	0.01	0	0	0
326	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	0	42.18	190.07	0	42.59	186.75	0	43.28	184.49
327	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड	2007.04	14624.35	12170.11	2127.5	15169.15	12982.45	2288.09	14995.47	13355.98
328	नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.68	12.03	6.12	4.66	8.7	3.69	4.66	8.7	3.69
329	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	14642.98	16072.42	4125.84	15389.96	18716.97	4330.71	15340.75	22701.41	6564.22
330	एनपीसीआईएल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	1.29	1.29	0	1.37	1.35	0	1.41	1.41

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
331	एनपीसीआईएल-नाल्को पावर कंपनी लिमिटेड	0	0.01	0.01	0	0.01	0.01	0	0.01	0.01
332	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	5.26	5.39
333	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.31	-0.71
334	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड	0	77.77	42.38	0	49.76	49.76	0	56.98	55.28
335	एनटीपीसी लिमिटेड	90307.43	286744	216297.6	97443.33	327129.2	250280.3	99039.62	331518.9	251903.6
336	एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.05	0.05	0	0.05	0.05
337	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	303.75	291.54
338	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	4481.24	1848.98	350.71	4403.17	1763.05	367.93	4037.02	2119.16	442.31
339	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8185.23	84618.95	68566.96	8819.06	95800.88	78450.77	8158.49	114136.7	97009.64
340	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	18475.75	7493.45	5550.68	9394.06	6860.76	5304.38	8861.46	8023.5	5596.04
341	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी फंड्स	0.3	0.92	-0.23	0.23	0.85	-0.19	0.23	0.85	-0.19
342	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड।	0	0.29	0.05	0	0.33	0.31	0	0.37	0.35
343	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	100552	282533.7	202850.1	96213.61	280290.8	196440.8	68141.09	302098.5	210743.7
344	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड	0	128.22	126.81	4.67	130.5	130.33	4.67	130.5	130.33
345	ऑयल इंडिया लिमिटेड	14121.11	47431.89	33512.44	14121.11	42792.74	31385.44	9275.36	50570.16	31313.02
346	ओमनीबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कारपोरेशन ऑफ़ दमन, दीव & दादरा एंड नगर हवेली लिमिटेड	410.1	376.22	159.53	447.54	370.7	183.52	447.54	370.7	183.52
347	ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड	9738.72	28571.8	26335.75	10212.44	28324.83	25572.93	8905.59	27389.29	25411.89
348	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	5045.69	67648.35	44298.95	5188.94	84052.25	43107.74	6200.7	82852.25	47345.4
349	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0.41	3838.59	15414.32	4.31	6441.73	17457.69
350	ओएनजीसी-मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	8362.43	6995.13	1325.13	4821.5	6310.35	5079.73	2866.67	6353.25	5050.37
351	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	10845.39	33790.74	2862.77	10988.69	37400.77	2138.92	12747.42	35134.15	3783.48
352	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	0	1182.37	174.06	0	1224.75	130.63	0	1254.77	145.69

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
353	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	0	2136.35	1767.31	0	3592.91	2572.7	0	5583.87	3934.8
354	पवन हंस लिमिटेड	379.97	1453.65	1048.75	345.93	1303.07	986.47	372.9	1327.42	981.56
355	पीईसी लिमिटेड	617.87	180.48	-1633.1	8.03	137.27	-1780.12	0	120.03	-1909.21
356	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	57.57	122.31	91.65	111.42	89.39	59.97	67.85	128.24	87.18
357	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6.1	4.72	0.95	5.99	3.58	-0.73	2.24	3.12	-2.08
358	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	28842	340794.4	287412.8	33362.9	358834.7	326116.5	37744.87	388087.1	351976.2
359	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	34119.12	236582.6	169596.8	36185.54	254052.3	180835.7	36587.01	252780.5	180969.7
360	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	23.3	69.66	66.72	21.91	65.76	60.5	21.37	63.35	56.07
361	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	268.93	2976.9	190.34	269.96	2100.68	230.96	264.07	1918.55	208.96
362	पॉवरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	201.46	162.42	0	579.1	543.98
363	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0.17	-0.71	0	56.29	47.45	0	374.28	291.31
364	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	93	83.02	0	531.11	429.23
365	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	176.52	146.8	0	621.43	560.27
366	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	61.05	1445.6	1471.1	250.57	1426.85	1379.45	250.61	1445.37	256.27
367	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	6.37	4.65	0	269.84	211.39	3.57	443.16	403.89
368	पॉवरग्रिड कला अम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	57.26	301.69	265.24	73.23	290.67	256.52	72.69	301.81	269.73
369	पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	259.42	212.19	0	894.37	794
370	पावरग्रिड मेदिनीपुर जिरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	1513.61	1269.78	0	2626.1	2371.58	45.72	3089.1	2940.04
371	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	37.85	30.99	0	241.1	194
372	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	240.88	203.57	0	868.51	767.96	2.32	1161.72	1078.61
373	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	15.85	1249.46	1130.37	122.9	1196.27	1172.18	122.36	1163.72	1144.22
374	पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	282.97	1815.6	1652.67	327.29	1743.62	1623.6	354.15	1781.29	384.56

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
375	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	8.28	14.31	0	141.94	126.02
376	पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	33.01	3411.2	3221.48	186.08	3622.25	3492.4	463.84	3567.04	3461.74
377	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0	226.37	202.23	0	760.14	661.3	0	834.3	826.11
378	पॉवरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0	0	-19.4	0	0	-19.4	0	0	-19.41
379	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	295.44	1223.79	1150.37	312.93	1189.16	704.59	303.77	1141.33	1106.75
380	पॉवरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	280.44	2125.09	1946.76	360.26	2055.39	1921.32	398.92	2091.21	2005.05
381	प्राइज़ पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	7.62	131.71	128.65	8.23	115.23	111.68	7.04	119.73	115.3
382	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	116.5	189.56	123.12	133.02	221.86	154.95	121.09	242.77	157.54
383	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	0	3.1	2.29	0	3.13	2.28	0	3.11	2.27
384	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	20.25	252.12	256.64	31.52	241.8	239.42	18.13	230.59	233.55
385	रेल विकास निगम लिमिटेड	10060.07	11298.33	6762.98	13415.82	11702.28	8756.42	14229.58	13233.79	10637.09
386	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	986.05	2151.59	1282.64	1080.63	2248.27	1361.28	1337.28	2408.64	1399.64
387	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	17.98	84.29	15.34	53.44	159.4	18.04	60.69	117.88	20.09
388	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	81.48	207.7	186.16	78.56	223.24	198.87	67.87	234.66	204.56
389	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	217.82	351.78	116.87	68.49	274.53	94.54	91.87	272.64	81.09
390	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.12	0.1
391	रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	6.34	5.36
392	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	5.75	-9.64	0	5.56	-11.84	0	5.53	-14.89
393	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलिज़ेर्स लिमिटेड	8604.38	8919.5	3414.28	8922.17	10297.88	3733.15	7618.57	7623.2	4322.67
394	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	20470.54	34027.99	13705.03	16521.75	33134.14	18856.27	18080.88	30634.68	9642.77
395	रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड	0	3.82	3.39	0	3.67	3.59	0	3.88	3.74
396	आरईसी लिमिटेड	25309.72	295348.9	207653	29791.06	344443.7	284998.8	35387.89	397788.6	327953.3

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
397	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	152.51	543.52	155.73	127.22	294.84	168.2	170.39	639.42	297.98
398	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	2.57	58.98	2.18	1.98	60.15	3.39	3.19	70.5	5.31
399	रिचर्डसन एंड क्रूडस (1972) लिमिटेड	12.29	223.88	-249.69	7.69	242.57	214.56	20.92	259.23	227.97
400	राइट्स लिमिटेड	302.3	5179.78	2383.83	446.61	5651.06	2576.62	368.76	5565.87	2312.23
401	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.01	-0.02	0	0.01	-0.02
402	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	0	353.77	349.89	0	612.25	556.78	0	692.7	687.99
403	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	214.31	169.61	82.26	232.66	176.95	87.28	142.08	116.96	79.82
404	सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड।	196.67	201.62	96.4	223.92	234.57	94.98	139.85	242.29	105.71
405	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0	32.81	21.43	0	28.22	0.05	0	28.54	16.39
406	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	17.81	37.71	-43.25	22.76	37.45	-48.58	32.47	42.49	-46.52
407	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	66.93	107.29	78	52.25	84.94	61.97	5	101.74	53.45
408	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5711.34	7026.89	4369.56	1926.67	7382.68	3776.4	4712.57	7278.51	3726.67
409	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	952.87	813.33	0	910.71	761.65	1.79	902.27	815.79
410	शौंगटोंग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	2.26	0.01	0	0	0	0	0	0
411	सिडकुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	8.51	97.6	83.24	12.84	109.58	90.49	15.19	113.03	90.08
412	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	0.23	-0.54
413	सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	4.42	4.36
414	एसजेवीएन लिमिटेड	2630.34	14593.51	12972.53	2701.52	14425.48	12991.8	2490.83	15346.68	13548.99
415	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	0	628.63	436.66	0	1097.24	996.29	0	2605.73	2147.43
416	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3235.13	3101.54	563.95	4625.72	4267.48	695.72	5442.88	3957.81	873.58
417	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	15.73	25516.16	3582.87	15.05	28802.35	3015.35	15.06	29630.1	4259
418	एसटीसीएल लिमिटेड	0	6.58	-4570.34	0	4.01	1.03	0	3.01	-4568.58
419	स्टील ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	66967.31	112088.5	66723.24	59994.17	121575.4	72725.54	72937.3	115730.4	61899.84
420	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट लिमिटेड	0	6.93	6.88	0	7.24	7.28	0	7.5	7.48

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
421	सूति टेक ओपशंस लिमिटेड	0	0.02	-0.29	0	0.01	-0.3	0	0.02	-0.31
422	तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड	0	48.61	33.84	0	552.36	456.79	0	2231.14	1591.29
423	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	44.14	302.52	265.06	40.22	347.84	300.54	7.58	371.78	306.87
424	टांडा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	0.02	0	0	0	0	0	0	0
425	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	0	22.6	0.05	0	0	0	0	0	0
426	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	5.25	0.12	97.56	4.92	1.13	56.49	4.11	0.13	45.83
427	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड	6.69	0.34	83.84	7.56	0.74	81.5	6.09	85.72	78.31
428	तेब्मा शिपयार्ड्स लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	128.9	141.53
429	टेलीकॉमयूनिकेशन्स कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	1616.22	3139.74	627.09	1740.9	3552.19	585.88	1749.29	3884.04	611.19
430	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	2767.96	14610.93	11883.79	2123.1	16608.71	13450.43	1796.01	17434.75	14878.98
431	द ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.06	113.06	-953.24	0.06	113.06	-953.24	0.06	113.06	-953.24
432	द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3048.88	5313.41	353.57	23135.01	24174.84	367.45	32831.3	31665.66	372.64
433	द एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	50.53	262.95	251.08	35.92	267.34	250.2	37.81	267.98	251.61
434	द फर्टिलाइजर एंड कैमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	2006.35	2325.89	267.19	2792.83	2611.21	339.19	3229.69	499.41	-3109.63
435	द हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	53.48	295.78	-28.76	4.12	292.68	-41.83	4.12	292.68	-41.83
436	द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	0	0.06	-0.05	0	0.06	-0.04	0	0.06	-0.05
437	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	19288.61	79291.4	34797.11	23528.84	74330.04	14000.03	26233.72	89926.03	16104.87
438	द शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3925.86	14145.74	8834.05	4425.44	13731.66	8280.74	3703.25	13136.43	9767.48
439	द स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8903.44	2716.59	-840.74	2936.74	2408.8	-953.61	249.81	2271.48	-1001.3
440	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	0.04	1.81	-98.91	0	0.8	-45.37	0	0.99	-53.15
441	टस्को लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0	14.17	9.74

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी	उत्पादन का मूल्य	कुल परिसंपत्तियां	नियोजित पूंजी
442	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	12371.81	37698.69	7259.3	12979.84	36618.4	2324.24	12989.6	41126.61	4922.06
443	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2013.93	3793.49	2833.93	2386.57	4394.65	3208.27	2303.53	4650.19	3557.25
444	उर्वरक विदेश लिमिटेड	0	0.1	0.08	0	0.1	0.07	0	0.09	0.06
445	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0	2.37	-24.91	0	2.36	-22.38	0	2.32	-23.09
446	उत्कर्ष एल्युमिनियम धातु निगम लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	36.37	36.74	0	36.94	37.01
447	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	24.78	15.37	4.23	14.2	11.84	-0.11	1.43	10.41	-6
448	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	0.01	221.47	191.94	4.69	212.13	195.95	9.3	203	97.83
449	वैपकोस लिमिटेड	1413.09	1975.25	575	1550.24	2359.56	626.04	1313.57	2574.75	617.14
450	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	8680.93	10924.41	1124.89	9748.72	12327.72	381.29	9582.22	14766.99	548.88
451	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	0	0	-0.06	0	0	-0.06	0	0	-0.07
452	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	0	0	-0.02	0	0	-0.03	0	0	-0.04
453	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड	2.7	19.24	12.74	1.38	15.26	10.24	1.1	18.61	12.76
	कुल	**22,74,244**	**52,16,618**	**31,56,662**	**22,30,663**	**58,00,579**	**36,87,209**	**20,41,302**	**60,81,721**	**38,96,295**

अनुलग्नक-IX
(जैसा कि पैरा संख्या 1.4.2 में संदर्भित है)
सरकारी कम्पनियों व निगमों की प्रयुक्त पूंजी पर प्रतिफल

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
1	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	166.33	60.89	36.61	308.4	132.77	43.05	355.06	96.92	27.3
2	एग्रीनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	66.42	2.7	4.07	69.68	3.77	5.41	71.07	1.86	2.62
3	एआई एअरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	348.94	130.78	37.48	403.18	134.3	33.31	184.4	-271.91	-147.46
4	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	-1983.15	-35.37	1.78	-2178.66	119.85	-5.5	-2218.34	168.1	-7.58
5	एयर इंडिया एसेट होल्डिंग लिमिटेड	0.05	0	0	22119.07	187.67	0.85	22206.46	62.72	0.28
6	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	-695.95	460.92	-66.23	-464.46	686.25	-147.75	-298.02	399.4	-134.02
7	एयर इंडिया लिमिटेड	-21728.46	-3845.06	17.7	-47704.2	-3846.47	8.06	-39776.7	-3142.91	7.9
8	एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया	8088.29	3690.49	45.63	8783.88	3821.67	43.51	7955.76	-2722	-34.21
9	अलायन्स एयर एविएशन लिमिटेड	-1977.71	-147.84	7.48	-2256.66	-200.63	8.89	-2651.16	-360.09	13.58
10	अनन्थपुरम कुनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.01	0	0
11	अंडमान और निकोबार आइलैंड्स फ़ॉरेस्ट एंड प्लांटेशन	-19.99	-1.76	8.8	-21.02	-1.03	4.9	-21.02	-1.03	4.9

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
	डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
12	अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	158.48	43.17	27.24	180.03	46.71	25.95	192.35	26.41	13.73
13	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	-2	-0.03	1.5	-2.02	-0.02	0.99	-2.04	-0.02	0.98
14	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	102.82	78.75	76.59	157.58	88.03	55.86	214.32	83.06	38.76
15	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	99.17	16.66	16.8	140.86	-12.8	-9.09	163.26	22.8	13.97
16	अंगुल सुकिंडा रेलवे लिमिटेड	954.42	4.66	0.49	1160.3	0.02	0	1649.81	0.08	0
17	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1478.4	419.25	28.36	1596.06	297.27	18.63	1566.77	77.45	4.94
18	अणुशक्ति विद्युत निगम लिमिटेड	0.02	0	0	0.02	0	0	0.02	0	0
19	अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड	47.88	12.79	26.71	54.48	13.59	24.94	54.48	13.59	24.94
20	आर्टिफिशियल लिंब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	351.11	75.3	21.45	431.12	85.68	19.87	482.46	52.26	10.83
21	औरंगाबाद टेक्सटाइल एण्ड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	14.82	-0.77	-5.2	14.05	-0.79	-5.62	14.05	-0.79	-5.62

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
22	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	1278.15	290.14	22.7	1304.71	233.9	17.93	1286.69	161.8	12.57
23	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	157.67	78.19	49.59	165.78	85.8	51.76	167.16	86.13	51.53
24	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	19859.27	-384.85	-1.94	25828.57	-486.7	-1.88	30053	-797.12	-2.65
25	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	292.87	1.77	0.6	294.06	1.44	0.49	294.6	0.73	0.25
26	बीईएल ऑप्ट्रोनिक्स डिवाइसेज लिमिटेड	224.89	22.75	10.12	236.27	4.79	2.03	240.52	7.85	3.26
27	बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	51.16	1.04	2.03	54.5	4.64	8.51	57.65	3.98	6.9
28	बीईएमएल लिमिटेड	1802.1	170.05	9.44	1770.53	15.55	0.88	1661.34	131.94	7.94
29	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	133.94	27.71	20.69	139.99	15.14	10.82	146.07	7.83	5.36
30	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	48.91	-1.09	-2.23	71.82	-2.09	-2.91
31	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.01	0	0
32	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	82.72	4.81	5.81	85.96	3.21	3.73	68.46	2.17	3.17
33	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	2345.72	757.71	32.3	4297.66	1212.95	28.22	3088.81	-1455.37	-47.12
34	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	2268.55	675.6	29.78	2606.83	747.11	28.66	2684.75	344.79	12.84

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
35	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	9000.23	2715.4	30.17	9834.26	2482.43	25.24	10789.21	2940.89	27.26
36	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड	158.22	-14.65	-9.26	299.74	3.64	1.21	900.1	0.9	0.1
37	भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड	-1757.45	-3.78	0.22	-103.37	34.87	-33.73	-120.16	217.63	-181.12
38	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	31422.26	2225.61	7.08	29183.53	-155.16	-0.53	26464.41	-3238.51	-12.24
39	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	30.68	-7.37	-24.02	20.47	-9.46	-46.21	41.04	-19.43	-47.34
40	भारत ओमान रिफायनरीज लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	91.28	4.49	4.92
41	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड	-64.34	-2.4	3.73	-68.44	-4.06	5.93	-1.67	12.24	-732.93
42	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड	4380.01	16.09	0.37	5373.01	-798.95	-14.87	4379.31	-1625.67	-37.12
43	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	62261.58	11758.58	18.89	62553.62	4852.9	7.76	78288.24	23945.94	30.59
44	भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड	-109.51	-11.67	10.66	-120.04	-0.26	0.22	-325.06	-70.77	21.77
45	भारत संचार निगम लिमिटेड	56777.98	-14122.6	-24.87	47876.82	-13508.5	-28.22	40229.22	-4874.06	-12.12
46	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	44.93	-1.42	-3.16	54.18	9.45	17.44	29.76	3.27	10.99

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
47	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	5835.94	0.07	0	5891.95	0.1	0	5518.93	0.29	0.01
48	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	7737.72	-28.17	-0.36	8185.56	603.02	7.37	6301.03	698.36	11.08
49	भेल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	-13.73	-5.91	43.04	-30.18	-4.66	15.44	-30.18	-4.66	15.44
50	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.07	0.03	42.86
51	बीको लॉरी लिमिटेड	-45.83	-36.44	79.51	400.56	-3.34	-0.83	10.66	11.84	111.07
52	बिहार ड्रग्स एंड ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-45.21	-0.48	1.06	-45.21	-0.48	1.06	-45.21	-0.48	1.06
53	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.06	0	0	0.06	0	0	0.06	0	0
54	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	47.36	0	0	48.62	0	0	49.48	0	0
55	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0	0	0.01	0	0	0.01	0	0
56	बीकानेर-II भिवाड़ी ट्रांस्को लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.01	0	0
57	बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल	8.5	1.54	18.12	112.53	7.95	7.06	120.65	6.79	5.63
58	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-105.92	-0.8	0.76	-110.63	0.19	-0.17	-116.06	-0.71	0.61
59	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल	16.22	-0.65	-4.01	13.35	-0.89	-6.67	9.72	-5.05	-51.95

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
	फार्म प्राइवेट लिमिटेड									
60	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	3298.3	274.25	8.31	4424.17	2099.82	47.46	4747.07	1245.77	26.24
61	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	588.92	-63.13	-10.72	459.22	-129.7	-28.24	321.47	-137.75	-42.85
62	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	74.07	12.28	16.58	93.84	24.13	25.71	118.18	31.24	26.43
63	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	219.27	2.25	1.03	204.33	2.89	1.41	209.49	16.36	7.81
64	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	362.18	87.24	24.09	377.75	106.51	28.2	376.67	70.3	18.66
65	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	36.11	9.66	26.75	7.54	3.13	41.51	18.77	9.6	51.15
66	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2.77	-2.77	100	-2.8	-0.03	1.07	-2.79	0.01	-0.36
67	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	8.6	-0.01	-0.12	3.69	-0.01	-0.27	20.54	-0.18	-0.88
68	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	496.9	197.01	39.65	497.38	0.48	0.1	497.24	-0.05	-0.01
69	सीमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	179.75	6.35	3.53	128.81	-50.94	-39.55	141.97	13.15	9.26
70	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	5142.72	2767.45	53.81	6391.53	3008.34	47.07	7548.53	1997.42	26.46
71	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज	-7.08	-5.39	76.13	-13.58	-9.24	68.04	-44.33	-29.75	67.11

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
	कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
72	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	83.45	7.16	8.58	84.39	11.96	14.17	107.71	36.57	33.95
73	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड	447.95	263.96	58.93	570.31	312.82	54.85	784.47	414.65	52.86
74	सेंट्रल रजिस्टरी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया	739.56	99.94	13.51	825.33	114.9	13.92	869.95	62.56	7.19
75	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.02	-0.03	-150
76	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन	2032.36	226.46	11.14	2365.73	410.49	17.35	2567.9	566.43	22.06
77	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	76.74	13.21	17.21	78.35	13.98	17.84	80.05	15.05	18.8
78	चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	56.23	-2.4	-4.27	54.55	0.58	1.06	54.55	0.58	1.06
79	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.7	-1.75	102.94	-2.14	-0.19	8.88	-2.15	-0.01	0.47

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
80	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	16976.56	-338.86	-2	18602.18	-396.93	-2.13	18333.11	-477.99	-2.61
81	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3902.89	121.74	3.12	3294.92	-2602.78	-78.99	3592.39	1651.58	45.97
82	चेयूर इन्फ्रा लिमिटेड	0.08	0	0	0.08	0	0	0.09	0	0
83	छत्तीसगढ़ सरगुजा पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0	-0.05	0	0	0	
84	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड	0	-0.25	0	-0.04	-0.04	100	0.06	-0.11	-183.33
85	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	1689.57	-0.15	-0.01	2299.31	8.79	0.38	2675.2	21.59	0.81
86	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	615.93	-0.12	-0.02	671.92	-0.11	-0.02	1029.87	-0.27	-0.03
87	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	0.02	-0.01	-50	0.01	-0.01	-100	0	-0.01	
88	कोल इंडिया लिमिटेड	12939.58	10580.46	81.77	15755.49	11304.52	71.75	15693.9	7675.57	48.91
89	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	1.7	0	0	0	-0.05	0	0	0	
90	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	40.05	0	0	0	-0.05	0	0	0	
91	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	153.09	0	0	141.39	0	0	149.29	0	0
92	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	3328.9	765.68	23	3728.62	908.02	24.35	3973.49	861.05	21.67
93	कॉनकोर एयर लिमिटेड	36.65	4.69	12.8	36.84	11.81	32.06	33.91	-2.07	-6.1
94	कॉनकोर लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.08	-0.92	-1150

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
95	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	10367.87	1689.62	16.3	10064.74	560.03	5.56	10203.74	713.06	6.99
96	क्रिएटिव म्यूज़ियम डिज़ाइनर्स	3.45	2.46	71.3	3.98	2.94	73.87	20.78	3.41	16.41
97	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	235.65	31.3	13.28	244.91	36.37	14.85	236.53	28.8	12.18
98	सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	26.34	16.63	63.14	40.27	20.41	50.68
99	दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव एससी / एसटी फाइनेंशियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9.11	0.83	9.11	11.27	1.33	11.8	9.58	0.33	3.44
100	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	20948.97	1652.66	7.89	25155.99	3192.79	12.69	23938.26	2821.45	11.79
101	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	26602.38	42.02	0.16	36713.51	-112.8	-0.31	41109.34	231	0.56
102	डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन	0.01	0	0	0.01	0	0	0.01	0	0
103	दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विसेज लिमिटेड	0	-0.01	0	-0.01	-0.01	100	0.08	-0.01	-12.5
104	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	58570.12	-450.85	-0.77	60678.3	-174.35	-0.29	58788.16	-732.3	-1.25
105	दिल्ली पुलिस हाउसिंग	11.73	0.76	6.48	12.33	0.8	6.49	12.82	0.67	5.23

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
	कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
106	देवघर एअरपोर्ट लिमिटेड	5	0	0	5	0	0	5	0	0
107	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.29	0	0	0.32	0	0	0.36	0	0
108	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	19.74	0	0	20.32	0	0	23.16	0	0
109	धालभूमगढ़ एअरपोर्ट लिमिटेड	5	0	0	5	0	0	5	0	0
110	धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	165.88	9.87	5.95	7.92	9.33	117.8
111	डिजिटल इंडिया कारपोरेशन	0	0	0	0	0	0	0	0	
112	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	1.96	0	0	1.96	0	0
113	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	220.53	20.14	9.13	541.68	23.32	4.31	771.58	275.07	35.65
114	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.66	-1.7	102.41	-2.08	-0.43	20.67	-2.09	-0.01	0.48
115	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2093.07	1545.29	73.83	2987.08	1679.56	56.23	2124.89	-713.46	-33.58
116	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	24.07	0.1	0.42	24.46	-0.72	-2.94	26.2	0.46	1.76
117	ईसीजीसी लिमिटेड	4463.41	313.2	7.02	5514.92	399.97	7.25	6365.22	582.65	9.15
118	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	111.76	43.79	39.18	148.28	56.19	37.89	172.55	49.44	28.65

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
119	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1024.39	389.77	38.05	1010.44	89.86	8.89	1076.62	156.42	14.53
120	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	197.62	-24.61	-12.45	198.54	16.47	8.3	148.52	-33.36	-22.46
121	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	2243.31	568.74	25.35	2347.77	677.25	28.85	1666.33	354.23	21.26
122	फ़ैक्ट आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-14.66	7.61	-51.91	-76.61	-71.49	93.32	-77.23	-0.6	0.78
123	फतेहगढ़ भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.67	-0.69	102.99
124	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड	200.04	41.96	20.98	216.92	47.28	21.8	226.68	32.32	14.26
125	फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	527.86	183.18	34.7	566.39	53.9	9.52	617.44	61.48	9.96
126	फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	163756.8	13253.39	8.09	219675.7	19633.52	8.94	34500.33	29080.01	84.29
127	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	6.13	-22.95	-374.39	36.39	-5.88	-16.16	31.56	-4.77	-15.11
128	गदग ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.05	0	0
129	गेल (इंडिया) लिमिटेड	40071.5	9223.36	23.02	45465.83	8051.86	17.71	47843.37	6541.71	13.67
130	गेल गैस लिमिटेड	1575.2	127.76	8.11	1863.69	212.84	11.42	2511.28	229.57	9.14
131	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	1029.02	184.07	17.89	1030.94	225.15	21.84	1127.83	209.67	18.59
132	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया	20792.91	3433.82	16.51	19006.17	-445.97	-2.35	20926.61	3163.38	15.12

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
133	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.05	0	0	15.01	0	0	0.05	0	0
134	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	13.23	49.67	375.43	8.5	-6.11	-71.88	-3.8	-10.56	277.89
135	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	912.32	214.17	23.48	1025.24	282.81	27.58	1098.68	172.58	15.71
136	गोल्डमोहर डिजाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	46.33	11.62	25.08	50.99	11.6	22.75	50.99	11.6	22.75
137	गवर्नमेंट ई-मार्किट प्लेस	102.49	0	0	151.28	-3.14	-2.08	170.42	-4.76	-2.79
138	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	1808.06	0.18	0.01	2370.78	0.2	0.01	2664.53	98.65	3.7
139	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	72.33	-1.78	-2.46	107.94	-2.05	-1.9	169.16	2.78	1.64
140	हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	453.27	33.58	7.41	469.96	23.27	4.95	433.75	-26	-5.99
141	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	93.89	2.17	2.31	97.18	4.45	4.58	116.18	26.38	22.71
142	हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-85.24	-65.95	77.37	-490.61	-381.13	77.68	-666.39	-148.28	22.25
143	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	0.84	-0.15	-17.86	282.39	-0.79	-0.28	311.02	-8.77	-2.82
144	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर	0.11	0.05	45.45	0.13	0.06	46.15	-0.08	-0.19	237.5

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
	कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
145	हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी	2844.34	72.1	2.53	6465.87	315.82	4.88	7843.52	441.59	5.63
146	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	2.38	-0.08	-3.36	4.4	0.06	1.36	4.52	0.13	2.88
147	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	9940.71	3797.24	38.2	11955	4276.75	35.77	13871.67	4530	32.66
148	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-246.16	-42.13	17.11	368.74	-0.01	0	484.75	-22.88	-4.72
149	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	-314.69	51.85	-16.48	-300.81	13.88	-4.61	-31.25	269.56	-862.59
150	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	1522.41	268.82	17.66	973.09	-477.56	-49.08	1303.5	149.86	11.5
151	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	127.79	80.38	62.9	138.23	12.64	9.14	147.65	11.01	7.46
152	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	-43.2	-1.64	3.8	-47.32	-1.63	3.44	-72.64	-23.94	32.96
153	हिंदुस्तान इनसेक्टीसाइडस लिमिटेड	103.85	23.15	22.29	104.43	22.97	22	162.91	23.86	14.65
154	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	-134.45	-110.64	82.29	-134.45	-110.64	82.29	-134.45	-110.64	82.29
155	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	614.9	136.54	22.21	511.18	-38.42	-7.52	526.46	68.84	13.08
156	हिंदुस्तान पेट्रोलियम	39492.04	10064.6	25.49	50624.53	2654.31	5.24	62559.03	15161.52	24.24

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
	कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
157	हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स (मैन्यूफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	-23496.82	-1.94	0.01	-23499.2	-2.35	0.01	-23499.5	-1.82	0.01
158	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	34.18	3.03	8.86	19.2	-15.46	-80.52	20.88	1.08	5.17
159	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	50.99	1.26	2.47	38.13	2.18	5.72	43.32	8.81	20.34
160	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	-235.96	49.22	-20.86	-226.5	34.25	-15.12	928.29	-79.45	-8.56
161	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	100.19	35.54	35.47	115.22	39.03	33.87	125.61	32.59	25.95
162	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड	2033.85	18.93	0.93	6381.92	0.07	0	13179.7	-15.93	-0.12
163	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9.17	110.43	1204.25	9.88	1.02	10.32	12.69	0.37	2.92
164	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	451.95	-41.82	-9.25	433.86	-29.03	-6.69	397.03	2.19	0.55
165	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	541.22	48.92	9.04	635.12	159.15	25.06	408.58	175.3	42.9
166	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड	5.32	-1.06	-19.92	4.37	-0.77	-17.62	3.52	-0.76	-21.59
167	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड	0.89	-0.3	-33.71	-1.9	-2.79	146.84	0	-0.01	
168	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड	-44.39	105.36	-237.35	18.65	-0.4	-2.14	18.57	-0.08	-0.43

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
169	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	33.79	2.08	6.16	36.33	3.88	10.68	37.17	1.2	3.23
170	एचएमटी लिमिटेड	342.32	17.22	5.03	994.49	248.21	24.96	1039.2	48.88	4.7
171	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-1321.52	4.8	-0.36	-1430.76	-19.05	1.33	-1509.93	-49.67	3.29
172	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड	-17.59	154.85	-880.33	7.76	1.85	23.84	10.46	2.96	28.3
173	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	64.3	-1.8	-2.8	61.81	-2.19	-3.54	149.15	-3.32	-2.23
174	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-3.89	-1.65	42.42	-5.05	-1.48	29.31	-5.78	-0.73	12.63
175	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	-108.84	2.35	-2.16	-108.84	2.35	-2.16	-108.84	2.35	-2.16
176	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-367.44	-41.51	11.3	-432.99	-26.81	6.19	-529.61	-59.19	11.18
177	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	64284.13	4936.49	7.68	62333.03	7022.34	11.27	63170.85	6993.49	11.07
178	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड	285.41	-10.43	-3.65	237.52	-38.67	-16.28	361.6	-40.95	-11.32
179	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	1190.88	7.4	0.62	3269.63	1.9	0.06	6772.66	-33.41	-0.49
180	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	9.54	-0.58	-6.08	116.73	-2.76	-2.36	186.52	-1.64	-0.88
181	एचएससीसी लिमिटेड (इंडिया)	138.1	79.49	57.56	109.56	64.25	58.64	117.38	13.62	11.6
182	आईटीआई लिमिटेड	-3087.78	217.33	-7.04	-2981.25	291.52	-9.78	-555.11	170.79	-30.77

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
183	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	298.65	31.16	10.43	283.8	22.5	7.93	273.97	7.08	2.58
184	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	71.72	0.56	0.78	70.55	-1.13	-1.6	69.36	-1.59	-2.29
185	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	444.31	10.25	2.31	445.61	16.15	3.62	436.91	10.62	2.43
186	आईएफसीआई लिमिटेड	20319.1	1064.85	5.24	16431.17	-140.91	-0.86	11657.65	124.4	1.07
187	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	255.1	7.4	2.9	237.5	7.51	3.16	210.29	12.28	5.84
188	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड	5.42	0.48	8.86	5.15	-0.27	-5.24	4.74	-0.37	-7.81
189	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	1.94	-0.02	-1.03	1.98	0.04	2.02	1.97	-0.01	-0.51
190	आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड	28.16	-3.8	-13.49	28.59	-0.22	-0.77	28.66	0.23	0.8
191	आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	99.8	-5.2	-5.21	1659.02	6.66	0.4
192	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	22.51	4.48	19.9	23.24	1.09	4.69	24.74	1.98	8
193	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	15.19	3.12	20.54	16.22	2.1	12.95	18.55	3.32	17.9
194	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	2344.76	2750.51	117.3	44661.18	-291.48	-0.65	42298.86	2544.61	6.02
195	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड	1199.13	6.73	0.56	1920.32	8.14	0.42	2353.21	0.83	0.04

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
	एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड									
196	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	574.3	-222.13	-38.68	574.01	-432.87	-75.41	444.61	-280.97	-63.19
197	इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	20601.45	1395.85	6.78	23601.11	1740.97	7.38	24542.81	2209.63	9
198	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	304.11	60.55	19.91	302.68	39.67	13.11	274.93	-22.57	-8.21
199	इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	2026.97	73.35	3.62	2356.72	87.21	3.7	-70.96	-81.03	114.19
200	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	161.22	12.95	8.03	163.25	13.27	8.13	163.25	13.27	8.13
201	इंडियन कैटालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड	6.45	-0.01	-0.16	6.45	-0.01	-0.16	0	0	
202	इंडियन मेडिसिन एंड फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	74.59	7.79	10.44	74.98	0.46	0.61	85.9	15.71	18.29
203	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	126774.8	29437.95	23.22	137459.9	2285.34	1.66	152021.3	32809.57	21.58
204	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1067.02	475.93	44.6	1327.82	751.51	56.6	1466.95	260.89	17.78
205	इंडियन रेलवे फाइनेंस	180946.8	11084.65	6.13	258024.4	13772.2	5.34	347433.5	15653.18	4.51

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
	कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
206	इंडियन रेयर अर्थस लिमिटेड	799.94	197.56	24.7	957.1	402.98	42.1	1167.16	415.56	35.6
207	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड	3542.66	-67.17	-1.9	3441.03	-100.34	-2.92	3340.52	-100.51	-3.01
208	इंडियन वैक्सीन्स कंपनी लिमिटेड	6.82	-0.48	-7.04	8.28	-0.45	-5.43	8.24	0	0
209	इंडो-रशियन हेलीकॉप्टर लिमिटेड	9.05	-0.5	-5.52	8.71	-0.34	-3.9	7.92	-0.8	-10.1
210	इन्द्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	12.88	-12.12	-94.1	42.57	-7.18	-16.87	289.6	2.82	0.97
211	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	4129.85	1202.06	29.11	5062.36	1423.77	28.12	5871.85	1342.83	22.87
212	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड	-0.05	0	0	-0.05	0	0	0.7	-0.25	-35.71
213	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	-547.67	45.72	-8.35	-547.67	45.72	-8.35
214	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	236.19	3.26	1.38	436.82	18.71	4.28	506.8	27.93	5.51
215	इरकॉन गुडगाँव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.06	0.04	66.67
216	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	142.38	17.24	12.11	153.89	14.92	9.7	159.64	14.14	8.86
217	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	6509.55	619.61	9.52	6007.06	690.98	11.5	4394.43	588.75	13.4
218	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	476.51	22.39	4.7	528.91	2.78	0.53	425.28	-13.1	-3.08
219	इरकॉन शिव पुरी गुना लिमिटेड	635.3	12.97	2.04	628.69	22.12	3.52	563.82	27.44	4.87

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
220	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	6	0.07	1.17	317.06	7.75	2.44	707.52	18.29	2.59
221	आईआरईएल आईडीसीओएल लिमिटेड	0.22	-0.04	-18.18	0.08	-0.01	-12.5	1.01	-0.03	-2.97
222	जे एंड के डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	155.38	8.76	5.64	161.52	8.49	5.26	163.53	5.41	3.31
223	जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13.88	-0.74	-5.33	10.08	-3.65	-36.21	8.74	-1.35	-15.45
224	जल पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-969.01	-1119.38	115.52
225	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	55.51	1.78	3.21	56.94	1.86	3.27	90.86	2.2	2.42
226	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.06	0	0	0.05	0	0	0.06	0	0
227	झारखंड कोल्हान स्टील लिमिटेड	-0.03	-0.04	133.33	0.06	-0.01	-16.67	0.06	-0.01	-16.67
228	झारखंड नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	-0.06	-0.01	16.67	-0.07	-0.01	14.29	-0.07	-0.01	14.29
229	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	136.5	21.62	15.84	147.7	21.36	14.46	155.24	15.99	10.3
230	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.05	-0.1	200

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
231	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	3559.44	376.73	10.58	3697.23	378.13	10.23	3719.22	392.6	10.56
232	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	188.41	27.17	14.42	204.53	32.86	16.07	221.62	31.64	14.28
233	कर्नाटक ट्रेड प्रोमोशन आर्गेनाइजेशन	137.38	6.99	5.09	140.06	6.79	4.85	143.14	3.08	2.15
234	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	-0.05	-0.12	240	-0.54	-0.49	90.74	-1.21	-0.68	56.2
235	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	-0.01	0	0	-0.01	
236	केरल गेल गैस लिमिटेड	3.52	0.65	18.47	3.6	0.1	2.78	3.6	0.1	2.78
237	खेत्री नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.01	0	0
238	केआईओसीएल लिमिटेड	1981.37	184.92	9.33	1903.34	73.64	3.87	1943.92	425.09	21.87
239	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	5386.45	-206.12	-3.83	5554.47	-148.87	-2.68	6442.58	-146.31	-2.27
240	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.5	-1.55	103.33	-1.91	-0.41	21.47	-1.92	-0.01	0.52
241	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4779.36	-34.97	-0.73	5605.13	0	0	7446.57	0	0
242	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4007.17	236.4	5.9	4593.62	137.85	3	4782.39	-228.38	-4.78
243	कोपल नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	-0.01	0	0	0	

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
244	कुमारकृप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	27.55	14.65	53.18	26.55	12.41	46.74	46.38	6.87	14.81
245	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	298.16	42.85	14.37	336.01	42.5	12.65	336.01	42.5	12.65
246	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	-2723.71	-2817.94	103.46	-2673.92	-0.21	0.01
247	लोकतक डाउन स्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	137.47	0.52	0.38	143.27	0.13	0.09	151.88	0	0
248	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-455.49	16.79	-3.69	-535.39	-44.59	8.33	558.44	101.35	18.15
249	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-5.91	-0.03	0.51	-5.94	-0.03	0.51	-5.97	-0.03	0.5
250	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	0.02	-0.01	-50	-0.81	-0.83	102.47	-0.87	-0.06	6.9
251	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	3834.59	9325.27	243.19	3944.38	8725.78	221.22	5591.28	9385.17	167.85
252	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-1972.28	-1687.02	85.54	-1350.8	-1754.14	129.86	1813.01	-354.72	-19.57
253	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-131.34	-0.03	0.02	-131.37	-0.03	0.02	1.48	-0.03	-2.03
254	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7077.06	-6.63	-0.09	9888.91	-61.96	-0.63	12986.25	-164.44	-1.27

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
255	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड	740.81	235.65	31.81	877.24	306.45	34.93	1036.11	260	25.09
256	महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन	शून्य	शून्य	शून्य	92.86	1.71	1.84	101.43	2.25	2.22
257	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.46	-1.51	103.42	-1.86	-0.4	21.51	-1.87	-0.01	0.53
258	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	13934.52	1047.99	7.52	15392.81	-3212.84	-20.87	17092.38	6.95	0.04
259	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	4.21	0.01	0.24	4.34	0	0	-220.68	-36.91	16.73
260	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	2707.02	830.78	30.69	2459.26	775.95	31.55	2787.44	638.28	22.9
261	मेकॉन लिमिटेड	276.75	11.4	4.12	398.24	88.79	22.3	307.24	20.42	6.65
262	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	9243.79	-0.12	0	9960.49	-398.66	-4	10190.37	496.06	4.87
263	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	5.74	0.87	15.16	5.37	0.35	6.52	5.5	0.27	4.91
264	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	475.38	151.44	31.86	567.04	198.61	35.03	674.06	201.07	29.83
265	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	832.66	197.41	23.71	957.9	208	21.71	1072.3	238.09	22.2
266	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	94.09	0	0	74.48	-19.61	-26.33	74.04	-0.33	-0.45
267	एमएमटीसी लिमिटेड	1491.9	183.86	12.32	1374.5	-120.42	-8.76	438.11	-895.74	-204.46
268	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	84.58	0	0	89.41	2.87	3.21	90.69	1.74	1.92

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
269	एमओआईएल लिमिटेड	3073.95	700.19	22.78	2734.34	340.49	12.45	2775.1	240.11	8.65
270	एमपी पॉवर ट्रांसमिशन पैकेज - I लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.82	0	0
271	एमपी पॉवर ट्रांसमिशन पैकेज - II लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.83	-0.88	106.02
272	एमएसटीसी लिमिटेड	209.02	-212.27	-101.55	283.22	156.95	55.42	359.28	121.57	33.84
273	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8696.29	8.25	0.09	13296.01	-28.09	-0.21	15051.22	-20.11	-0.13
274	मुंबई रेल विकास निगम लिमिटेड	246.25	35.87	14.57	244.34	19.6	8.02	240.3	23.25	9.68
275	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	13204.54	-0.54	0	14592.79	358.06	2.45	15369.81	642.58	4.18
276	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	23.61	-14.02	-59.38	15.34	-9.08	-59.19	20.32	-11.04	-54.33
277	नेशनल एल्युमीनियम कंपनी लिमिटेड	10128.7	2742.3	27.07	9988.07	231.98	2.32	10680.7	1323.6	12.39
278	नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस और डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	1766.23	27.84	1.58	1922.75	26.45	1.38	2011.3	34.21	1.7
279	नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	4.33	0.5	11.55	3.9	-0.26	-6.67	3.85	0.14	3.64
280	नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	117.15	3.81	3.25	1332.16	34.7	2.6	4983.18	56.61	1.14

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
281	नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इनफार्मेशन	2.24	-1.35	-60.27	1.67	0.01	0.6	1.64	-0.03	-1.83
282	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	10	1.97	19.7	13.98	0.94	6.72	16.89	3.87	22.91
283	नेशनल फ़र्टिलाइज़र्स लिमिटेड	2550.11	779.73	30.58	2687.27	152.76	5.68	2921.35	634.69	21.73
284	नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	36.18	0.25	0.69	27.83	-8.09	-29.07	27.83	-8.09	-29.07
285	नेशनल फाइनेन्शियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	1.14	0.03	2.63	1.17	0.04	3.42	1.2	0.04	3.33
286	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	465.51	5.7	1.22	478.9	11.99	2.5	490.06	9.21	1.88
287	नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	98.6	-15.87	-16.1	87.41	-11.13	-12.73	77.78	-9.81	-12.61
288	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2524.48	62.95	2.49	7700.74	70.47	0.92	9721.35	25.4	0.26
289	नेशनल हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	196.87	76.36	38.79	265.11	117.73	44.41	323.09	113.53	35.14
290	नेशनल हाइवेज इन्फ्रा इन्वेस्टमेंट	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	13.77	-2.23	-16.19

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
	मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड									
291	नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक।	501.38	-97.87	-19.52	592.14	132.99	22.46	695.69	131.52	18.9
292	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	1051.55	-1621.55	-154.21	-1287.46	-4036.11	313.49	1469.14	-488.27	-33.24
293	नेशनल इंवेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी फंड्स लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.13	0.06	-46.15
294	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.78	1.78	20.27	8.26	-0.29	-3.51	6.27	-2.39	-38.12
295	नेशनल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2459.91	50.11	2.04	2686.5	64.18	2.39	2870.68	65.66	2.29
296	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	190.68	18.21	9.55	189.66	45.64	24.06	216.05	34.18	15.82
297	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	9.44	0.1	1.06	9.27	0.45	4.85	9.45	0.26	2.75
298	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	747.05	21.61	2.89	780.63	-1.41	-0.18	844.25	23.62	2.8
299	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	1965.95	51.51	2.62	2032.35	60.99	3	2072.72	47.83	2.31

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
300	नेशनल शिडयूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	966.22	28.45	2.94	1049.78	37.52	3.57	1098.81	26.35	2.4
301	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	625.48	53.61	8.57	639.05	68.69	10.75	628.95	8.81	1.4
302	नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	951.48	220.08	23.13	971.31	258.49	26.61	1018.98	217.37	21.33
303	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1728.45	-256.86	-14.86	-2084.14	-287.04	13.77	-2084.14	-287.04	13.77
304	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	1564.81	559.07	35.73	1523.61	247.94	16.27	1691.5	251.05	14.84
305	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	-0.53	-1.97	371.7	-4.12	-0.15	3.64	0.37	4.61	1245.95
306	एनबीसीसी इन्वायरमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड	0.98	0.03	3.06	1.01	0.03	2.97	1.02	0.01	0.98
307	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड	0.98	0.04	4.08	1.01	0.04	3.96	1.03	0.03	2.91
308	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	10.63	11.44	107.62	23.3	6.69	28.71	31.45	12.2	38.79
309	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.96	-0.05	-5.21
310	नेपा लिमिटेड	-40.77	-50.76	124.5	103.85	-42.32	-40.75	202.77	-16.87	-8.32
311	एनईएसएल ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	1.02	-0.01	-0.98	1.05	0.06	5.71	1.26	0.29	23.02

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
312	न्यू सिटी ऑफ़ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	68.19	-1.33	-1.95	16.39	-1.34	-8.18	16.39	-1.34	-8.18
313	नई दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	100.35	-176.03	-175.42
314	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	61.29	68.57	111.88	167.74	163.33	97.37
315	न्यवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	4889.11	-0.28	-0.01	8225.41	0.04	0	10573.84	-0.96	-0.01
316	एनएचडीसी लिमिटेड	5778.46	686.05	11.87	6327.47	496.01	7.84	5392.28	871.85	16.17
317	एनएचपीसी लिमिटेड	41810.3	4627.25	11.07	39756.85	4403.59	11.08	48864.12	4563.09	9.34
318	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	21067.61	2525.96	11.99	23029.02	3024.97	13.14	23915.51	2734.03	11.43
319	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	5342.38	883.17	16.53	4886.49	678.04	13.88	4693.67	803.73	17.12
320	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड	11.84	9.83	83.02	8.91	-2.92	-32.77	5.02	-3.9	-77.69
321	एनएमडीसी लिमिटेड	25903.81	7238.83	27.95	27561.27	6132.31	22.25	29826.43	8917.91	29.9
322	एनएमडीसी पावर लिमिटेड	0.45	0.02	4.44	0.47	0.02	4.26	0.47	0	0
323	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	0.02	-0.01	-50	0.01	-0.01	-100	0	-0.01	
324	एनएमडीसी-तीएमडीसी लिमिटेड	190.07	-1.56	-0.82	186.75	-3.34	-1.79	184.49	-3.6	-1.95

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
325	नार्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पॉवर कंपनी लिमिटेड	12170.11	608.62	5	12982.45	414.48	3.19	13355.98	595.77	4.46
326	नार्थ ईस्टर्न हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	6.12	-5.38	-87.91	3.69	-4.35	-117.89	3.69	-4.35	-117.89
327	नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड	4125.84	6683.82	162	4330.71	7039.66	162.55	6564.22	6321.2	96.3
328	एनपीसीआईएल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.29	0.08	6.2	1.35	0.08	5.93	1.41	0.08	5.67
329	एनपीसीआईएल-नाल्को पावर कंपनीलिमिटेड	0.01	-0.05	-500	0.01	-0.05	-500	0.01	-0.05	-500
330	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फण्ड लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5.39	-0.58	-10.76
331	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सोल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.71	-0.91	128.17
332	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड	42.38	0	0	49.76	10.17	20.44	55.28	6.3	11.4
333	एनटीपीसी लिमिटेड	216297.59	12492.79	5.78	250280.3	26076.73	10.42	251903.6	23530.66	9.34
334	एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0.05	0	0	0.05	0	0
335	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	291.54	-3.45	-1.18

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
336	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	350.71	102.57	29.25	367.93	26.05	7.08	442.31	128.53	29.06
337	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	68566.96	4453.75	6.5	78450.77	6919.89	8.82	97009.64	6347.81	6.54
338	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	5550.68	3064.53	55.21	5304.38	1736.6	32.74	5596.04	4092.17	73.13
339	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी फंड्स	-0.23	0.1	-43.48	-0.19	0.04	-21.05	-0.19	0.04	-21.05
340	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड.	0.05	0	0	0.31	0	0	0.35	0	0
341	ऑइल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	202850.13	42446.16	20.92	196440.8	23192.37	11.81	210743.7	18617.33	8.83
342	ऑइल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड	126.81	8.59	6.77	130.33	4.65	3.57	130.33	4.65	3.57
343	ऑइल इंडिया लिमिटेड	33512.44	4395.71	13.12	31385.44	2618.9	8.34	31313.02	1221.78	3.9
344	ऑम्निबस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ दमन, दीव और दादरा और नगर हवेली लिमिटेड	159.53	33.14	20.77	183.52	39.1	21.31	183.52	39.1	21.31
345	ओएनजीसी पेट्रो एडिशन लिमिटेड	26335.75	-330.72	-1.26	25572.93	-998.14	-3.9	25411.89	825.28	3.25
346	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	44298.95	5802.65	13.1	43107.74	-2744.4	-6.37	47345.4	3738.88	7.9

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
347	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	15414.32	-801.69	-5.2	17457.69	51.23	0.29
348	ओएनजीसी-मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	1325.13	645.33	48.7	5079.73	-1006.61	-19.82	5050.37	-277.98	-5.5
349	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2862.77	-426.46	-14.9	2138.92	-1498.69	-70.07	3783.48	-1512.06	-39.96
350	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	174.06	0	0	130.63	0	0	145.69	0	0
351	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	1767.31	-1.38	-0.08	2572.7	-0.41	-0.02	3934.8	-0.21	-0.01
352	पवन हंस लिमिटेड	1048.75	-92	-8.77	986.47	-100.53	-10.19	981.56	-27.41	-2.79
353	पीईसी लिमिटेड	-1633.1	-355.9	21.79	-1780.12	-30.32	1.7	-1909.21	-13.23	0.69
354	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	91.65	31.65	34.53	59.97	78.45	130.82	87.18	36.96	42.4
355	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.95	0.2	21.05	-0.73	-1.61	220.55	-2.08	-1.35	64.9
356	पावर फाइनेंस कॉर्पो राशन लिमिटेड	287412.8	28249.42	9.83	326116.5	8192.54	2.51	351976.2	10207.31	2.9
357	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	169596.84	18037.23	10.64	180835.7	24144.37	13.35	180969.7	23610.37	13.05
358	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	66.72	19.05	28.55	60.5	17.23	28.48	56.07	14.09	25.13
359	पावर सिस्टम ऑपरेशन	190.34	62.31	32.74	230.96	74.83	32.4	208.96	37.92	18.15

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
	कॉर्पोरेशन लिमिटेड									
360	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांसको लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	162.42	-0.45	-0.28	543.98	-0.02	0
361	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.71	-0.76	107.04	47.45	-0.1	-0.21	291.31	0	0
362	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	83.02	0	0	429.23	0	0
363	पावरग्रिड फतेगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	146.8	0	0	560.27	0	0
364	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1471.1	39.35	2.67	1379.45	169.93	12.32	256.27	208.86	81.5
365	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	4.65	0	0	211.39	0	0	403.89	2.95	0.73
366	पावरग्रिड काला अंब ट्रांसमिशन लिमिटेड	265.24	36.95	13.93	256.52	49.74	19.39	269.73	59.09	21.91
367	पावरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	212.19	-0.46	-0.22	794	-0.05	-0.01
368	पावरग्रिड मेदिनीपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	1269.78	0	0	2371.58	0	0	2940.04	37.51	1.28
369	पावरग्रिड मेरठ सिंभावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	30.99	0	0	194	0	0

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
370	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	203.57	0	0	767.96	0	0	1078.61	1.84	0.17
371	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	1130.37	-34.01	-3.01	1172.18	47.96	4.09	1144.22	86.23	7.54
372	पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	1652.67	193.11	11.68	1623.6	222.95	13.73	384.56	298.02	77.5
373	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	14.31	-1.18	-8.25	126.02	0	0
374	पावरग्रिड दक्षिणी इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	3221.48	14.85	0.46	3492.4	105.28	3.01	3461.74	356.47	10.3
375	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	202.23	0	0	661.3	0	0	826.11	0.02	0
376	पावरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-19.4	-0.01	0.05	-19.4	-0.01	0.05	-19.41	-0.01	0.05
377	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	1150.37	221.67	19.27	704.59	239.47	33.99	1106.75	269.64	24.36
378	पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	1946.76	185.1	9.51	1921.32	234.41	12.2	2005.05	329.15	16.42
379	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	128.65	5.02	3.9	111.68	-16.95	-15.18	115.3	3.59	3.11
380	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	123.12	37.22	30.23	154.95	45.86	29.6	157.54	26.25	16.66

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
381	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	2.29	-0.01	-0.44	2.28	-0.01	-0.44	2.27	-0.01	-0.44
382	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	256.64	-5.45	-2.12	239.42	-1.79	-0.75	233.55	-7.04	-3.01
383	रेल विकास निगम लिमिटेड	6762.98	810.29	11.98	8756.42	1028.37	11.74	10637.09	1183.94	11.13
384	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1282.64	178.65	13.93	1361.28	230.44	16.93	1399.64	196.44	14.04
385	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	15.34	5.2	33.9	18.04	6.75	37.42	20.09	4.81	23.94
386	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	186.16	53.85	28.93	198.87	53.58	26.94	204.56	37.55	18.36
387	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	116.87	15.44	13.21	94.54	-28.05	-29.67	81.09	-17.57	-21.67
388	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.1	0.06	60
389	रामगढ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5.36	-0.66	-12.31
390	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-9.64	-2.03	21.06	-11.84	-1.75	14.78	-14.89	-2.75	18.47
391	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइज़र्स लिमिटेड	3414.28	391.1	11.45	3733.15	440.75	11.81	4322.67	686.32	15.88

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
392	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	13705.03	952.5	6.95	18856.27	-2789.28	-14.79	9642.77	492.6	5.11
393	रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड	3.39	0.18	5.31	3.59	0.21	5.85	3.74	0.2	5.35
394	आरईसी लिमिटेड	207652.99	23681.5	11.4	284998.8	6983.29	2.45	327953.3	10756.13	3.28
395	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	155.73	41.01	26.33	168.2	20.87	12.41	297.98	37.15	12.47
396	रिन्यूएबल पॉवर कॉर्पोरेशन ऑफ़ केरला लिमिटेड	2.18	0.58	26.61	3.39	2.11	62.24	5.31	3.1	58.38
397	रिचर्डसन एंड क्रूडस)1972) लिमिटेड	-249.69	22.09	-8.85	214.56	24.07	11.22	227.97	18.42	8.08
398	राइट्स लिमिटेड	2383.83	679.76	28.52	2576.62	825.65	32.04	2312.23	565.19	24.44
399	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	-0.02	-0.01	50	-0.02	-0.03	150
400	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	349.89	9.86	2.82	556.78	8.95	1.61	687.99	1.62	0.24
401	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	82.26	17.86	21.71	87.28	24.01	27.51	79.82	18.71	23.44
402	सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड	96.4	31.2	32.37	94.98	20.34	21.42	105.71	16.31	15.43
403	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	21.43	0	0	0.05	0	0	16.39	0	0
404	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	-43.25	-3.42	7.91	-48.58	5.13	-10.56	-46.52	10.98	-23.6
405	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	78	-5.36	-6.87	61.97	-15.73	-25.38	53.45	-48.65	-91.02

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
406	सिक्योरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4369.56	815.18	18.66	3776.4	1057.79	28.01	3726.67	859	23.05
407	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	813.33	3.64	0.45	761.65	2.6	0.34	815.79	1.23	0.15
408	शोंगटोंग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0	0	0	-0.01	0	0	0	
409	सिडकुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	83.24	-4.49	-5.39	90.49	-0.65	-0.72	90.08	1.38	1.53
410	सिकार न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.54	-0.57	105.56
411	सिकार -II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	4.36	0	0
412	एसजेवीएन लिमिटेड	12972.53	2027.87	15.63	12991.8	2227.43	17.14	13548.99	2165.82	15.99
413	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	436.66	0.29	0.07	996.29	-0.31	-0.03	2147.43	1.18	0.05
414	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	563.95	203.17	36.03	695.72	235.75	33.89	873.58	237.59	27.2
415	साउथ ईस्टर्न कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड	3582.87	5566.89	155.38	3015.35	2642.98	87.65	4259	2157.67	50.66
416	एसटीसीएल लिमिटेड	-4570.34	-1.94	0.04	1.03	-1.67	-162.14	-4568.58	0.97	-0.02
417	स्टील ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	66723.24	6492.81	9.73	72725.54	6657.42	9.15	61899.84	9696.17	15.66

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
418	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट लिमिटेड	6.88	-2.09	-30.38	7.28	0.41	5.63	7.48	0.42	5.61
419	सूति टेक ओपशंस लिमिटेड	-0.29	-0.01	3.45	-0.3	-0.01	3.33	-0.31	-0.01	3.23
420	तलचर फर्टिलाइजर लिमिटेड	33.84	-15.23	-45.01	456.79	-3.04	-0.67	1591.29	7.85	0.49
421	तमिलनाडु ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनाइजेशन	265.06	35.02	13.21	300.54	36.04	11.99	306.87	6.33	2.06
422	टांडा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	-0.05	0	0	0	0	0	0	
423	तातिया आंध्र मेगा पावर	0.05	0	0	0	-0.05	0	0	0	
424	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	97.56	-0.03	-0.03	56.49	1.54	2.73	45.83	13.28	28.98
425	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड	83.84	3.49	4.16	81.5	3.73	4.58	78.31	2.67	3.41
426	तेब्मा शिपयार्ड्स लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	141.53	-1.23	-0.87
427	टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	627.09	81.22	12.95	585.88	105.58	18.02	611.19	74.9	12.25
428	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	11883.79	1683.27	14.16	13450.43	1229.63	9.14	14878.98	1572.42	10.57
429	ब्रिटिश इंडिया कॉर्परिशन लिमिटेड	-953.24	-18.79	1.97	-953.24	-18.79	1.97	-953.24	-18.79	1.97
430	द कॉटन कॉर्परिशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	353.57	358.02	101.26	367.45	557.75	151.79	372.64	1371.37	368.01
431	एफसीआई अरावली जिप्सम	251.08	29.88	11.9	250.2	21.06	8.42	251.61	18.22	7.24

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
	एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड									
432	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	267.19	443.67	166.05	339.19	1264.81	372.89	-3109.63	597.24	-19.21
433	द हेंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम्स एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	-28.76	-2.37	8.24	-41.83	-8.63	20.63	-41.83	-8.63	20.63
434	द इंडस्ट्रियल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	-0.05	-0.01	20	-0.04	0	0	-0.05	0	0
435	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	34797.11	644.87	1.85	14000.03	1638.83	11.71	16104.87	2036.72	12.65
436	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8834.05	171.01	1.94	8280.74	711.64	8.59	9767.48	655.88	6.71
437	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड	-840.74	-741.53	88.2	-953.61	-106.36	11.15	-1001.3	-49.3	4.92
438	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-98.91	-17.19	17.38	-45.37	-4.69	10.34	-53.15	-0.3	0.56
439	टस्को लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	9.74	-0.35	-3.59
440	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	7259.3	-1877.85	-25.87	2324.24	-1411.3	-60.72	4922.06	-910.61	-18.5
441	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2833.93	386.57	13.64	3208.27	607.43	18.93	3557.25	623.21	17.52
442	उर्वरक विदेश लिमिटेड	0.08	-0.01	-12.5	0.07	-0.01	-14.29	0.06	-0.01	-16.67

क्र. सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में	प्रयुक्त पूँजी (₹ करोड़ में)	ईबीआईटी (₹ करोड़ में)	आरओसीई प्रतिशत में
443	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-24.91	-0.14	0.56	-22.38	-0.12	0.54	-23.09	-0.12	0.52
444	उत्कर्ष एल्युमिनियम धातु निगम लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	36.74	-3.64	-9.91	37.01	0.26	0.7
445	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	4.23	-0.3	-7.09	-0.11	-4.47	4063.64	-6	-5.44	90.67
446	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	191.94	-4.05	-2.11	195.95	-9.23	-4.71	97.83	-5.77	-5.9
447	वैपकोस लिमिटेड	575	203.06	35.31	626.04	215.41	34.41	617.14	55.5	8.99
448	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1124.89	261.08	23.21	381.29	81.31	21.32	548.88	459.97	83.8
449	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	-0.06	0	0	-0.06	0	0	-0.07	0	0
450	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-0.02	0	0	-0.03	0	0	-0.04	-0.01	25
451	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड	12.74	1.96	15.38	10.24	-1.86	-18.16	12.76	3.35	26.25
	कुल	**27,69,544**	**3,21,215**	**11.60**	**32,02,591**	**2,15,271**	**6.72**	**33,11,159**	**3,16,798**	**9.57**

अनुलग्नक-X
(जैसा कि पैरा संख्या 1.4.3 में संदर्भित है)
सरकारी कम्पनियों व निगमों की इक्विटी पर प्रतिफल

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
1	एयरपोर्ट्स ऑथोरिटी ऑफ़ इंडिया	8051.13	2271.44	28.21	8692.32	1985.09	22.84	6058.55	-1962.06	-32.38
2	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	166.33	60.89	36.61	308.4	92.37	29.95	355.06	72.26	20.35
3	एग्रीनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	66.42	1.92	2.89	69.68	2.81	4.03	71.07	1.39	1.96
4	एयर इंडिया एसेट्स होल्डिंग लिमिटेड	0.05	0	0	134.07	134.02	99.96	221.46	43.7	19.73
5	अलायन्स एयर एविएशन लिमिटेड	-2000.52	-296.57	14.82	-2256.66	-200.63	8.89	-2651.16	-360.09	13.58
6	एआई एयरपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड	348.94	67.17	19.25	403.18	66.21	16.42	184.4	-253.44	-137.44
7	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	-873.75	161.59	-18.49	-464.46	412.77	-88.87	-298.02	99.63	-33.43
8	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	-1983.15	-180.87	9.12	-2178.66	264.11	-12.12	-2218.34	11.94	-0.54
9	आर्टिफीशियल लिंब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया	351.11	75.3	21.45	431.12	85.68	19.87	482.46	52.26	10.83
10	अंडमान फिशरीज लिमिटेड	-31.38	-4.04	12.87	-35.66	0	0	-40.56	-4.91	12.11
11	अंडमान एवं निकोबार आइलैंड्स फ़ॉरेस्ट एंड प्लांटेशन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-19.99	-1.76	8.8	-21.02	-1.03	4.9	-21.02	-1.03	4.9
12	एंड्रू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	99.16	8.7	8.77	140.86	-20.52	-14.57	162.72	8.21	5.05

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
13	अनन्थपुरम कुनूल ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.01	0	0
14	अंडमान एवं निकोबार आइलैंड्स इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	158.48	19.66	12.41	180.03	33.77	18.76	192.35	19.3	10.03
15	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1478.4	180.49	12.21	1596.06	220.69	13.83	1566.77	55.71	3.56
16	अणुशक्ति विद्युत् निगम लिमिटेड	0.02	0	0	0.02	0	0	0.02	0	0
17	अपोलो डिजाइन अपैरल पार्क्स लिमिटेड	47.88	8.28	17.29	54.48	10.39	19.07	54.48	10.39	19.07
18	आंध्र प्रदेश सोलर पॉवर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	102.82	57.57	55.99	157.58	73.7	46.77	214.32	56.74	26.47
19	पावरग्रिड अजमेर फागी ट्रांस्को लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	-0.28	-0.33	117.86	111.66	-0.01	-0.01
20	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.95	0.16	16.84	-0.73	-1.52	208.22	-2.08	-1.37	65.87
21	पंजाब अशोक होटल कंपनी लिमिटेड	2.29	-0.01	-0.44	2.28	-0.01	-0.44	2.27	-0.01	-0.44
22	रांची अशोक बिहार होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-9.64	-2.4	24.9	-11.84	-2.15	18.16	-14.89	-3.02	20.28
23	उत्कल अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-24.91	-0.82	3.29	-25.88	-0.81	3.13	-26.59	-0.64	2.41
24	अंगुल सुकिंडा रेलवे लिमिटेड	671.81	2.25	0.33	714.69	0.28	0.04	851.41	0.7	0.08
25	औरंगाबाद टेक्सटाइल एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	14.82	-0.75	-5.06	14.05	-0.76	-5.41	14.05	-0.76	-5.41
26	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड	1267.54	194.52	15.35	1293.53	170.65	13.19	1281.72	116.31	9.07

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
27	बस्तर रेलवे प्राइवेट लिमिटेड	292.87	1.77	0.6	294.06	1.19	0.4	294.6	0.54	0.18
28	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	216.14	0.36	0.17	199.51	1.96	0.98	204.84	11.68	5.7
29	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	82.72	3.36	4.06	85.96	3.24	3.77	68.46	1.45	2.12
30	बीकानेर-II भिवाड़ी ट्रांस्को लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.01	0	0
31	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	-5.2	288.77	-5553.27	4297.66	918.68	21.38	3088.81	-1202.48	-38.93
32	ब्रह्मपुत्र क्रैकर एंड पॉलीमर लिमिटेड	566.94	69.37	12.24	2073.05	1507.6	72.72	2811.26	739.89	26.32
33	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	2268.55	422.59	18.63	2606.83	534.9	20.52	2684.75	257.77	9.6
34	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	12.44	0.05	0.4	7.54	-4.85	-64.32	10.13	2.55	25.17
35	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	9000.23	1927.29	21.41	9834.26	1793.83	18.24	10789.21	2065.42	19.14
36	बीईएल ऑप्ट्रोनिक्स डिवाइसेस लिमिटेड	211.96	14.18	6.69	235.28	3.01	1.28	240.52	4.9	2.04
37	बीईएल-थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	51.16	1.04	2.03	54.5	3.34	6.13	57.65	3.15	5.46
38	बीईएमएल लिमिटेड	1499.14	50.28	3.35	1569.04	24.8	1.58	1561.34	74.8	4.79
39	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-66.78	25.26	-37.83	-53.71	13.07	-24.33	-47.63	6.08	-12.77
40	बंगाल गैस कंपनी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	48.91	-1.09	-2.23	71.82	-2.09	-2.91
41	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	-1982.25	-103.96	5.24	-2061.66	-79.41	3.85	-1913.66	147.39	-7.7
42	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड	158.22	-10.38	-6.56	299.74	1.51	0.5	900.1	0.36	0.04
43	पावरग्रिड भिंड गुना ट्रांसमिशन लिमिटेड	-0.71	-0.76	107.04	-0.6	0.12	-20	49.4	0	0

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
44	भारतीय नाभिकीय विद्युत् निगम लिमिटेड	4686.11	0.01	0	4766.17	0.07	0	4806.39	0.22	0
45	भारत पम्पस एंड कंप्रेसर लिमिटेड	-156.61	-33.48	21.38	-243.63	-26.99	11.08	-327.52	-83.89	25.61
46	भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	31326.81	1096.21	3.5	29108.16	-1472.97	-5.06	26411	-2717.14	-10.29
47	भेल इलेक्ट्रिकल मशीन्स लिमिटेड	-13.73	-5.46	39.77	-30.18	-6.16	20.41	-30.18	-6.16	20.41
48	भादला सीकर ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.01	0	0
49	पावरग्रिड भुज ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0.01	0	0	97.71	0	0
50	भारत इम्युनोलोजिकल्स एंड बायोलोजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	30.68	-5.79	-18.87	20.47	-10.21	-49.88	34.04	-18.11	-53.2
51	द ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1007.11	-94.2	9.35	-1007.11	-94.2	9.35	-1007.11	-94.2	9.35
52	बीदर ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.07	0.02	28.57
53	बिहार ड्रग्स एंड आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	-45.21	-0.48	1.06	-45.21	-0.48	1.06	-45.21	-0.48	1.06
54	बीको लॉरी लिमिटेड	-139.53	-36.5	26.16	276.98	-3.36	-1.21	-115	11.84	-10.3
55	बिहार इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
56	बिहार मेगा पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
57	बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल	8.5	1.54	18.12	112.53	7.95	7.06	120.65	6.72	5.57
58	बर्ड्स जूट एंड एक्सपोर्ट्स लिमिटेड	-131.82	-5.57	4.23	-136.53	-4.71	3.45	-141.96	-5.43	3.83
59	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	157.67	75.91	48.14	165.78	83.58	50.42	167.16	84.62	50.62

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
60	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3661.62	-496.55	-13.56	5830.79	-595.67	-10.22	6905.37	-902.54	-13.07
61	भारत ओमान रिफ़ाइनरीज़ लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	11.8	-0.76	-6.44
62	भारत पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड	36743.03	7132.02	19.41	32456.3	2683.19	8.27	48360.72	19041.67	39.37
63	बीपीसीएल-केआईएएल फ्यूल फार्म प्राइवेट लिमिटेड	7.22	-1.2	-16.62	5.26	-1.97	-37.45	-0.8	-6.06	757.5
64	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड	-64.34	-2.4	3.73	-68.44	-4.1	5.99	-56.21	12.24	-21.78
65	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड	3691.52	-45.75	-1.24	2810.6	-915.02	-32.56	2289.31	-1796.85	-78.49
66	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	2363.31	8.88	0.38	2736.46	258.46	9.45	2761.81	282.48	10.23
67	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	362.18	33.33	9.2	377.75	31.42	8.32	376.67	7.8	2.07
68	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	63.68	7.86	12.34	83.45	19.78	23.7	108.18	24.72	22.85
69	बर्न स्टैण्डर्ड कंपनी लिमिटेड	496.9	192.52	38.74	497.38	0.47	0.09	497.24	-0.14	-0.03
70	भारत संचार निगम लिमिटेड	33539.98	-14904.24	-44.44	17948.29	-15499.6	-86.36	10495.28	-7441.12	-70.9
71	बीएसएनएल टावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2.77	-2.77	100	-2.8	-0.03	1.07	-2.79	0.01	-0.36
72	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	8.6	-0.2	-2.33	3.69	-0.17	-4.61	20.54	-0.13	-0.63
73	ब्रह्मपुत्र वैली फर्टीलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16.17	-63.15	-390.54	-113.53	-129.7	114.24	-251.28	-137.75	54.82
74	बिजावर विदर्भ ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0	0	0.01	0	0	0.01	0	0

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
75	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	-99.25	-1.42	1.43	-90	9.25	-10.28	5.58	3.27	58.6
76	क्रॉस बॉर्डर पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	88.5	15.23	17.21	110.55	21.47	19.42	114.97	15.19	13.21
77	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	5142.72	1704.47	33.14	6391.53	1847.75	28.91	7548.53	1221.28	16.18
78	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	10367.87	1215.41	11.72	10064.74	375.78	3.73	10203.74	503.33	4.93
79	छत्तीसगढ़ कॉपर लिमिटेड	0	-0.25	0	-0.04	-0.04	100	0.06	-0.11	-183.33
80	सर्टिफिकेशन इंजीनियर्स इंटरनेशनल लिमिटेड	76.74	9.36	12.2	78.35	10.08	12.87	80.05	11.23	14.03
81	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	75.99	1.69	2.22	80.76	3.13	3.88	105.82	23.26	21.98
82	सीमेंट कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	28.85	6.35	22.01	-22.09	-50.94	230.6	-8.93	13.15	-147.26
83	चेय्युर इंफ्रा लिमिटेड.	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
84	छत्तीसगढ़ ईस्ट रेलवे लिमिटेड	440.29	-0.15	-0.03	539.27	-22.48	-4.17	656.03	7.76	1.18
85	छत्तीसगढ़ ईस्ट वेस्ट रेलवे लिमिटेड	503.47	-0.12	-0.02	503.36	-0.11	-0.02	503.09	-0.27	-0.05
86	चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड	56.23	-0.05	-0.09	54.55	-1.68	-3.08	54.55	-1.68	-3.08
87	चांडिल ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.7	-1.75	102.94	-2.14	-0.44	20.56	-2.15	-0.01	0.47
88	कोस्टल कर्नाटक पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0	-0.05	0	0	0	शून्य
89	क्रिएटिव म्यूजियम डिज़ाइनर्स	3.45	2.45	71.01	3.98	2.94	73.87	20.78	3.41	16.41

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
90	कोस्टल महाराष्ट्र मेगा पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0	-0.05	0	0	0	शून्य
91	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड	447.95	173.27	38.68	570.31	193.39	33.91	784.47	316.96	40.4
92	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	5034.72	-714.75	-14.2	5093.37	-525.2	-10.31	4480.36	-613.37	-13.69
93	छत्तीसगढ़ मेगा स्टील लिमिटेड	0.02	-0.01	-50	0.01	-0.01	-100	0	-0.01	शून्य
94	कोल इंडिया लिमिटेड	12939.58	10469.67	80.91	15755.49	11280.88	71.6	15693.9	7640.1	48.68
95	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	3205.9	481.18	15.01	3605.62	637.69	17.69	3850.49	610.1	15.84
96	कॉनकोर एयर लिमिटेड	36.65	0.04	0.11	36.84	7.2	19.54	33.91	-2.93	-8.64
97	कॉनकोर लास्ट माइल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.08	-0.92	-1150
98	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-7.88	-5.39	68.4	-14.38	-9.25	64.33	-44.33	-29.92	67.49
99	द कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	353.57	50.99	14.42	367.45	38.07	10.36	372.64	26.12	7.01
100	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2459.38	-213.36	-8.68	342.15	-2077.58	-607.21	574.44	237.56	41.36
101	सेंट्रल रजिस्ट्री ऑफ़ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया	739.56	70.65	9.55	825.33	85.77	10.39	869.95	44.62	5.13
102	सीएससी वाईफाई चौपाल सर्विसेज इंडिया प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	26.34	12.26	46.55	40.27	13.92	34.57
103	छत्तीसगढ़ सुरगुजा पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0	-0.05	0	0	0	शून्य

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
104	कोस्टल तमिलनाडु पावर लिमिटेड	0.08	0	0	0.08	0	0	0.08	0	0
105	सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.02	-0.03	-150
106	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन	2032.36	163.61	8.05	2365.73	372.32	15.74	2567.9	438.17	17.06
107	देवघर एयरपोर्ट लिमिटेड	5	0	0	5	0	0	5	0	0
108	देवघर इंफ्रा लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
109	डेडिकेटिड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11298.9	24.53	0.22	14256.29	-90.52	-0.63	14370.56	112.45	0.78
110	धालभूमगढ़ एयरपोर्ट लिमिटेड	5	0	0	5	0	0	5	0	0
111	धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	165.88	7.39	4.46	7.92	6.95	87.75
112	डिफेंस इन्नोवेशन आरगेनाइजेशन	0.01	0	0	0.01	0	0	0.01	0	0
113	दीव स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	1.96	-0.09	-4.59	1.96	-0.09	-4.59
114	दिल्ली मेट्रो लास्ट माइल सर्विसेज लिमिटेड	0	-0.01	0	-0.01	-0.01	100	0.08	-0.01	-12.5
115	देवघर मेगा पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
116	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	17973.62	-462.24	-2.57	18327.9	-468.27	-2.55	16894.32	-2368.74	-14.02
117	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	220.53	13.54	6.14	541.68	11.4	2.1	771.58	229.91	29.8
118	दादरा एंड नगर हवेली, दमन और दीव एससी/एसटी फाइनेंसियल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	9.11	0.83	9.11	11.27	1.33	11.8	9.58	0.33	3.44

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
119	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11.73	0.56	4.77	12.33	0.6	4.87	12.82	0.48	3.74
120	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.66	-1.7	102.41	-2.08	-0.43	20.67	-2.09	-0.01	0.48
121	दामोदर वैली कॉर्पोरेशन	3710.85	-1115.08	-30.05	8352.64	185.32	2.22	8134.2	301.96	3.71
122	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	272.11	827.98	304.28	1027.27	997.65	97.12	33.21	-759.58	-2287.2
123	ईसीजीसी लिमिटेड	4463.41	244.38	5.48	5514.92	323.84	5.87	6365.22	460.3	7.23
124	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	1024.39	242.51	23.67	1010.44	50.43	4.99	1076.62	112.17	10.42
125	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	111.76	30.08	26.91	148.28	40.92	27.6	172.55	36.89	21.38
126	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	2243.31	322.68	14.38	2347.77	430.24	18.33	1666.33	259.5	15.57
127	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	24.07	-0.02	-0.08	24.46	-0.56	-2.29	26.2	0.79	3.02
128	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	197.62	-33.02	-16.71	198.54	0.92	0.46	148.52	-49.74	-33.49
129	पावरग्रिड मिथिलांचल ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.04	0	0	119.99	0	0	214.44	0.95	0.44
130	फ़तेहगढ़ भादला ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.67	-0.72	107.46
131	द फर्टिलाइजर एंड केमिकल्स त्रावनकोर लिमिटेड	-1523.69	163.14	-10.71	-566.46	975.52	-172.21	-3124.93	351.98	-11.26
132	फैक्ट आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-56.3	-2.71	4.81	-123.08	-71.49	58.08	-129.07	-5.99	4.64
133	पावरग्रिड फतेहगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0.01	0	0	113.41	0	0
134	द एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	251.08	20.47	8.15	250.2	14.91	5.96	251.61	13.48	5.36

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
135	फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	527.86	164.78	31.22	566.39	52.77	9.32	617.44	51.05	8.27
136	फ्रेश एंड हेल्दी एंटरप्राइजेज लिमिटेड	6.13	-26.03	-424.63	36.39	-6.45	-17.72	31.56	-4.84	-15.34
137	फ़ूड कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया	3419.1	0	0	4475.65	0	0	5500.33	0	0
138	फेर्रो स्क्रैप निगम लिमिटेड	200.04	26.69	13.34	216.92	30.58	14.1	226.68	22.75	10.04
139	गदग ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.05	0	0
140	पावरग्रिड परली ट्रांसमिशन लिमिटेड	272.17	65.01	23.89	354.1	79.22	22.37	384.56	136.54	35.51
141	पावरग्रिड वरोरा ट्रांसमिशन लिमिटेड	379.76	59.67	15.71	473.32	76.09	16.08	465.05	140.28	30.16
142	गेल (इंडिया) लिमिटेड	39201.79	6025.67	15.37	41853.71	6620.63	15.82	43016.29	4890.18	11.37
143	गेल गैस लिमिटेड	1420.48	80.94	5.7	1707.85	156.25	9.15	2100.96	157.7	7.51
144	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	12.72	50.57	397.56	7.09	-5.43	-76.59	-5.39	-11.55	214.29
145	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस	102.49	0	0	151.26	-2.37	-1.57	170.41	-4.02	-2.36
146	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	20792.91	2224.31	10.7	19006.17	-359.09	-1.89	20926.61	1920.44	9.18
147	घोगरपल्ली इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
148	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	912.32	131.52	14.42	1025.24	197.77	19.29	1098.68	127.91	11.64
149	गोल्डमोहर डिजाइन एंड अपैरल पार्क्स लिमिटेड	46.33	7.85	16.94	50.99	8.59	16.85	50.99	8.59	16.85
150	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	1029.02	109.94	10.68	1030.94	163.48	15.86	1127.83	153.47	13.61

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
151	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	9840.71	2282.44	23.19	11955	2578.85	21.57	13871.67	3232.96	23.31
152	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-407.71	-71.1	17.44	-66.58	-0.01	0.02	94.59	-38.26	-40.45
153	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	-314.69	51.85	-16.48	-300.81	13.88	-4.61	-31.25	269.56	-862.59
154	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	951.75	128.75	13.53	336.91	-569.35	-168.99	533.62	110.24	20.66
155	हुगली कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	20.3	-1.33	-6.55	17.81	-2.49	-13.98	42.65	-3.16	-7.41
156	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-85.24	-93.67	109.89	-490.61	-405.37	82.63	-666.39	-175.78	26.38
157	हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी	2844.34	72.1	2.53	5470.16	315.82	5.77	5932.12	441.59	7.44
158	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	-43.2	-4.78	11.06	-47.32	-3.63	7.67	-72.64	-24.83	34.18
159	दी हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-43.23	-4	9.25	-51.8	-10.27	19.83	-51.8	-10.27	19.83
160	हिंदुस्तान इन्सैक्टिसाइड लिमिटेड	103.85	3.62	3.49	104.43	0.59	0.56	105.58	1.15	1.09
161	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	116.03	64.34	55.45	126.47	10.43	8.25	135.89	9.42	6.93
162	हेल्थ इंश्योरेंस टीपीए ऑफ इंडिया लिमिटेड	93.89	2.17	2.31	97.18	4.45	4.58	116.18	26.38	22.71
163	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	459.82	18.47	4.02	571.67	110.49	19.33	385.74	112.33	29.12
164	एचएलएल बायोटेक लिमिटेड	169.37	-48.39	-28.57	121.22	-48.18	-39.75	89.09	-31.99	-35.91
165	एचएलएल मेडिपार्क लिमिटेड	0.13	-1.06	-815.38	4.37	-0.77	-17.62	3.52	-0.85	-24.15

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
166	एचएलएल मदर एंड चाइल्ड केयर हॉस्पिटल्स लिमिटेड	-0.2	-0.3	150	-3	-2.79	93	0	-0.01	शून्य
167	हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	358.88	25.58	7.13	379.63	21.46	5.65	347.6	-32.04	-9.22
168	एचएमटी लिमिटेड	117.21	16.92	14.44	378.43	248.18	65.58	405.92	27.49	6.77
169	एचएमटी (बियरिंग्स) लिमिटेड	-44.39	79.24	-178.51	-41.47	2.92	-7.04	-41.55	-0.08	0.19
170	एचएमटी (इंटरनेशनल) लिमिटेड	33.79	1.51	4.47	36.33	2.71	7.46	37.17	0.97	2.61
171	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	-1327.86	-63.83	4.81	-1430.76	-98.72	6.9	-1509.93	-132.79	8.79
172	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड	-2686.98	121.28	-4.51	-2686.03	0.96	-0.04	-2683.33	2.7	-0.1
173	हिंदुस्तान न्यूजप्रिंट लिमिटेड	-146.53	-138.89	94.79	-146.53	-138.89	94.79	-146.53	-138.89	94.79
174	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	22.21	-3.39	-15.26	39.37	-2.24	-5.69	40.04	0.67	1.67
175	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	105.89	50.11	47.32	29.02	-94.68	-326.26	59.85	15.47	25.85
176	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	-114.23	-9.33	8.17	-114.23	-9.33	8.17	-114.23	-9.33	8.17
177	हुगली प्रिंटिंग कंपनी लिमिटेड	-3.89	-1.82	46.79	-5.05	-1.16	22.97	-5.78	-0.73	12.63
178	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-367.44	-71.2	19.38	-432.99	-55.55	12.83	-529.61	-96.62	18.24
179	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	28174.82	6028.66	21.4	28337.36	2637.26	9.31	35489.31	10663.88	30.05
180	एचपीसीएल बायो फ्यूल्स लिमिटेड	38.84	-67.55	-173.92	-47.23	-85.55	181.13	226.56	-80.07	-35.34
181	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड	1189.26	7.4	0.62	1742.87	1.81	0.1	2334.12	-33.41	-1.43

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
182	हिंदुस्तान फोटोफिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	-23734.34	-1.94	0.01	-23736.68	-2.35	0.01	-23737.06	-1.82	0.01
183	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	-0.16	-0.13	81.25	281.39	-0.76	-0.27	274.02	-7.45	-2.72
184	एचपीओआईएल गैस प्राइवेट लिमिटेड	9.54	-0.46	-4.82	116.73	-2.81	-2.41	139.88	-1.85	-1.32
185	हरिदासपुर पारादीप रेलवे कंपनी लिमिटेड	713.71	0.42	0.06	1064.58	0.49	0.05	1227.43	38.84	3.16
186	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	34.18	2.14	6.26	19.2	-15.52	-80.83	20.88	1.67	8
187	हिमाचल रिन्यूएबल्स लिमिटेड	2.38	-0.08	-3.36	4.4	0.06	1.36	4.52	0.11	2.43
188	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	49.04	1.26	2.57	36.93	-1.85	-5.01	42.72	5.8	13.58
189	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	138.1	49.81	36.07	109.56	37.63	34.35	117.38	9.82	8.37
190	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	-893.38	36.24	-4.06	-880.35	30.01	-3.41	287.99	-14.01	-4.86
191	हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.11	0.04	36.36	0.13	0.04	30.77	-0.08	-0.21	262.5
192	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	100.19	34.3	34.23	115.22	44.2	38.36	125.61	29.48	23.47
193	हाउसिंग एंड अर्बन डेपलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	7738.41	1175.69	15.19	3884.89	1708.42	43.98	3692.89	1578.58	42.75
194	हिंदुस्तान उर्वरक एंड रसायन लिमिटेड	1330.74	13.41	1.01	2262.52	0.05	0	3388.24	-16.32	-0.48
195	हिंदुस्तान वेजिटेबल ऑयल कॉर्पोरेशन ऑयल लिमिटेड	9.17	104.76	1142.42	9.88	0.72	7.29	12.69	0.25	1.97

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
196	इनलैंड कोस्टल शिपिंग लिमिटेड	-0.05	0	0	-0.05	0	0	0.7	-0.25	-35.71
197	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	106.19	2.14	2.02	167.6	0.77	0.46	168.25	0.65	0.39
198	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	132.18	-20.07	-15.18	126.2	-5.38	-4.26	116.22	-9.8	-8.43
199	आईएफसीआई फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	71.72	0.29	0.4	70.55	-1.17	-1.66	69.36	-1.59	-2.29
200	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	444.31	9.14	2.06	445.61	13.11	2.94	436.91	6.14	1.41
201	आईएफसीआई लिमिटेड	4225.3	-443.83	-10.5	4107.77	-277.88	-6.76	787.87	-1957.81	-248.49
202	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड	131.44	-32.94	-25.06	135.76	0.6	0.44	137.83	2.58	1.87
203	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	1.94	-0.02	-1.03	1.98	0.04	2.02	1.97	-0.01	-0.51
204	आईएफआईएन कमोडिटीज लिमिटेड	5.42	0.37	6.83	5.15	-0.27	-5.24	4.74	-0.37	-7.81
205	आईएफआईएन सिक्योरिटीज फाइनेंस लिमिटेड	27.8	-4.34	-15.61	28.59	-0.22	-0.77	28.66	0.2	0.7
206	इंद्रधनुष गैस ग्रिड लिमिटेड	12.88	-12.12	-94.1	42.57	-5.31	-12.47	289.6	2.82	0.97
207	इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड	4129.85	786.67	19.05	5062.36	1136.54	22.45	5871.85	1005.65	17.13
208	आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	99.8	-5.2	-5.21	1659.02	6.22	0.37
209	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	1199.13	4.14	0.35	1859.44	5.91	0.32	2207.34	0.49	0.02
210	आईआईएफसीएल एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	22.51	3.4	15.1	23.24	0.82	3.53	24.74	1.46	5.9

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
211	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	14.6	2.09	14.32	16.22	1.56	9.62	18.55	2.46	13.26
212	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	2344.76	101.66	4.34	8183.56	50.92	0.62	8373.74	285.27	3.41
213	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	74.59	5.58	7.48	74.98	0.45	0.6	85.9	11.05	12.86
214	इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	-547.67	35.58	-6.5	-547.67	35.58	-6.5
215	दी इंडस्ट्रीयल क्रेडिट कंपनी लिमिटेड	-0.05	-0.01	20	-0.04	0	0	-0.05	0	0
216	इंडियन कैटालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड	6.45	-0.01	-0.16	6.45	-0.01	-0.16	0	0	शून्य
217	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	89009.63	16894.15	18.98	84401.04	1313.23	1.56	96613.39	21836.04	22.6
218	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	574.3	-165.1	-28.75	574.01	-334.01	-58.19	444.61	-320.54	-72.09
219	इरकॉन गुड़गांव रेवाड़ी हाईवे लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.06	0.01	16.67
220	इरकॉन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	142.38	14.03	9.85	153.89	11.51	7.48	159.64	5.75	3.6
221	इरकॉन शिव पुरी गुना लिमिटेड	118.64	-30.63	-25.82	87.82	-30.82	-35.09	73.75	-14.06	-19.06
222	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1067.02	303.58	28.45	1327.82	527.46	39.72	1466.95	189.9	12.95
223	आईआरईएल आईडीसीओएल लिमिटेड	0.22	-0.03	-13.64	0.08	-0.02	-25	1.01	-0.03	-2.97
224	इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	1860.29	244.13	13.12	1747.57	214.55	12.28	1864.92	346.41	18.58
225	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड	799.94	114.44	14.31	957.1	251.74	26.3	1167.16	315.69	27.05
226	इंडो-रशियन हेलीकाप्टर लिमिटेड	9.05	-0.5	-5.52	8.71	-0.34	-3.9	7.92	-0.8	-10.1

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
227	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	3949.55	436.89	11.06	4161.14	489.79	11.77	4394.43	404.56	9.21
228	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	12420	2254.75	18.15	29773	3692.42	12.4	31939.85	4416.13	13.83
229	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड	166.81	-2.12	-1.27	149.62	-17.18	-11.48	128.24	-21.39	-16.68
230	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड	3542.66	-67.17	-1.9	3441.03	-101.6	-2.95	3340.52	-100.51	-3.01
231	इंडिया टुरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	304.11	42.16	13.86	302.68	26.12	8.63	274.93	-24.62	-8.96
232	आई टी आई लिमिटेड	-3387.78	110.85	-3.27	-3281.25	150.86	-4.6	-957.57	11.2	-1.17
233	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाईजेशन	2026.97	73.35	3.62	2124.5	87.21	4.1	-70.96	-81.37	114.67
234	इंडिया यूनाइटेड टेक्सटाइल मिल्स लिमिटेड	161.22	8.23	5.1	163.25	10.07	6.17	163.25	10.07	6.17
235	इंडियन वैक्सीन्स कंपनी लिमिटेड	6.82	-0.48	-7.04	8.28	-0.45	-5.43	8.24	-0.04	-0.49
236	इरकॉन वडोदरा किम एक्सप्रेसवे लिमिटेड	6	0.05	0.83	136.06	0.24	0.18	136.34	0.28	0.21
237	जल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-969.01	-1120.36	115.62
238	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	55.51	1.17	2.11	56.94	1.33	2.34	90.86	1.28	1.41
239	पावरग्रिड जवाहरपुर फिरोजाबाद ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	78.24	1.04	1.33
240	झारखंड इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
241	जे एंड के डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	155.38	6.38	4.11	161.52	6.13	3.8	163.53	2.02	1.24

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
242	जे एंड के मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	13.88	-0.74	-5.33	10.08	-3.8	-37.7	8.74	-1.35	-15.45
243	झारखंड कोल्हान स्टील लिमिटेड	-0.03	-0.04	133.33	0.06	-0.01	-16.67	0.06	-0.01	-16.67
244	झारखंड नेशनल मिनरल डेवपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.06	-0.01	16.67	-0.07	-0.01	14.29	-0.07	-0.01	14.29
245	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	136.5	10.52	7.71	147.7	15.4	10.43	155.24	12.15	7.83
246	कल्लम ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.05	-0.1	200
247	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	178.66	15.82	8.85	197.78	22.99	11.62	217.87	23.18	10.64
248	करूर ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	-0.01	0	0	-0.01	शून्य
249	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड	1356.42	98.74	7.28	1560.39	103.98	6.66	1754.86	134.53	7.67
250	कुमारकृपा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	27.55	10.48	38.04	26.55	9.23	34.76	24.7	5.17	20.93
251	केरल गेल गैस लिमिटेड	3.52	0.51	14.49	3.6	0.07	1.94	3.6	0.07	1.94
252	पॉवरग्रिड खेतड़ी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	-0.28	-0.33	117.86	161.03	-0.04	-0.02
253	केआईओसीएल लिमिटेड	1981.37	111.86	5.65	1903.34	43.48	2.28	1943.92	301.17	15.49
254	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1422.04	-34.97	-2.46	1185.08	0	0	1402.92	0	0
255	खेतड़ी नरेला ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.01	0	0
256	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	2433.12	-281.23	-11.56	2325.6	-309.8	-13.32	2541.87	-334.18	-13.15

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
257	कोपल नरेंद्र ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0	-0.01	0	0	0	शून्य
258	कोडरमा ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.5	-1.55	103.33	-1.91	-0.41	21.47	-1.92	-0.01	0.52
259	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2068.09	101.88	4.93	2261.68	5.96	0.26	2101.66	-366.41	-17.43
260	कर्नाटक व्यापार संवर्धन संगठन	137.38	6.99	5.09	140.06	2.68	1.91	143.14	3.08	2.15
261	कर्नाटक विजयनगर स्टील लिमिटेड	-0.05	-0.12	240	-0.54	-0.49	90.74	-1.21	-0.68	56.2
262	लक्षद्वीप डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	298.16	39.02	13.09	335.94	37.78	11.25	335.94	37.78	11.25
263	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रोइलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	137.47	0.39	0.28	143.27	0.1	0.07	151.88	0	0
264	लैंको तीस्ता हाइड्रो पावर लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	-2723.71	-2955.75	108.52	-2673.92	-0.21	0.01
265	मणिपुर स्टेट ड्रग्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-152.91	-256.4	167.68	-183.67	0	0	-220.68	-36.91	16.73
266	एमओआईएल लिमिटेड	3073.95	454.32	14.78	2734.34	248.22	9.08	2775.1	176.63	6.36
267	महाराष्ट्र एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	-131.58	-0.03	0.02	-131.61	-0.03	0.02	1.24	-0.03	-2.42
268	महानदी बेसिन पावर लिमिटेड	-5.91	-0.03	0.51	-5.94	-0.03	0.51	-5.97	-0.03	0.5
269	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	3828.88	6039.54	157.74	3938.9	6427.39	163.18	5586.25	6872.35	123.02
270	महानदी कोल रेलवे लिमिटेड	0.02	-0.01	-50	-0.81	-0.83	102.47	-0.87	-0.06	6.9
271	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	2707.02	519.4	19.19	2459.26	415.02	16.88	2787.44	479.57	17.2
272	मेकॉन लिमिटेड	276.75	13.74	4.96	398.24	69	17.33	307.24	6.24	2.03
273	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	2569.50	-2.15	-0.08	2606.43	-607.68	-23.31	2930.24	38.60	1.32

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
274	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-575.27	-83.24	14.47	-630.89	-134.88	21.38	-707.62	2.87	-0.41
275	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	832.09	130.56	15.69	957.72	159.73	16.68	1072.3	166.29	15.51
276	मिलेनियम टेलीकॉम लिमिटेड	5.74	0.64	11.15	5.37	0.26	4.84	5.5	0.27	4.91
277	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	475.38	97.4	20.49	567.04	146.13	25.77	674.06	149.79	22.22
278	एमजेएसजे कोल लिमिटेड	94.09	0	0	74.48	-19.61	-26.33	74.04	-0.44	-0.59
279	पावरग्रिड मेदिनीपुर जिरात ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0	0	289.33	0	0	567.02	19.15	3.38
280	डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन	0	0	0	0	0	0	0	0	शून्य
281	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2305.1	4.24	0.18	3362.89	-20.19	-0.6	3741.37	-21.39	-0.57
282	एमएमटीसी लिमिटेड	1491.9	81.43	5.46	1207.8	-259.42	-21.48	438.11	-769.69	-175.68
283	महाराष्ट्र नैचुरल गैस लिमिटेड	520.97	142.65	27.38	712.48	223.33	31.35	825.46	172.98	20.96
284	एमएनएच शक्ति लिमिटेड	84.58	0	0	89.41	1.41	1.58	90.69	1.28	1.41
285	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- I लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.82	0	0
286	एमपी पावर ट्रांसमिशन पैकेज- II लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.83	-0.88	106.02
287	महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	शून्य	शून्य	शून्य	92.86	-0.38	-0.41	101.43	1.28	1.26
288	मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	246.25	35.87	14.57	244.34	19.6	8.02	240.3	23.25	9.68
289	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	10713.63	327.44	3.06	7441.29	-2707.64	-36.39	7170.13	-240.46	-3.35

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
290	एमएसटीसी लिमिटेड	208.08	-324.46	-155.93	279.83	75.2	26.87	354.96	101.07	28.47
291	मंदार ट्रांसमिशन लिमिटेड	-1.46	-1.51	103.42	-1.86	-0.4	21.51	-1.87	-0.01	0.53
292	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-13444.44	-3390.2	25.22	-13904.95	-3695.68	26.58	-16359.17	-2461.79	15.05
293	एयर इंडिया लिमिटेड	-30028.42	-8556.36	28.49	-53216.05	-7765.73	14.59	-45287.73	-7017.42	15.5
294	नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इनफार्मेशन	2.24	-1.39	-62.05	1.67	0.01	0.6	1.64	-0.03	-1.83
295	नैनी एयरोस्पेस लिमिटेड	23.61	-14.02	-59.38	15.34	-9.08	-59.19	4.76	-11.04	-231.93
296	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	10128.7	1732.4	17.1	9988.07	138.23	1.38	10680.7	1299.53	12.17
297	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	156.55	-1696.12	-1083.44	-2182.46	-4110.84	188.36	574.14	-561.86	-97.86
298	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	1564.81	384.11	24.55	1523.61	79.87	5.24	1691.5	201.74	11.93
299	एनबीसीसी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड	-0.53	-1.53	288.68	-4.12	-1.25	30.34	0.37	4.49	1213.51
300	एनबीसीसी एनवायरमेंट इंजीनियरिंग लिमिटेड	0.98	0.01	1.02	1.01	0.02	1.98	1.02	0.01	0.98
301	एनबीसीसी इंटरनेशनल लिमिटेड	0.98	0.02	2.04	1.01	0.03	2.97	1.03	0.02	1.94
302	एनबीसीसी सर्विसेज लिमिटेड	10.63	8.63	81.19	23.3	4.13	17.73	31.45	9.55	30.37
303	नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	1766.23	27.7	1.57	1922.75	26.29	1.37	2011.3	34.21	1.7
304	नेशनल बाइसेकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-607.88	-20.52	3.38	-629.26	-21.34	3.39	-650.22	-20.96	3.22

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
305	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	4125.84	4111.28	99.65	4330.71	4971.43	114.79	6564.22	4398.39	67.01
306	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	10	1.42	14.2	13.98	0.68	4.86	16.89	2.91	17.23
307	एनसीआरटीसी एक्सप्रेस ट्रांजिट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.96	-0.04	-4.17
308	नेशनल कैपिटल रिजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	117.15	2.76	2.36	144.16	27.01	18.74	1490.31	43.41	2.91
309	न्यू दिल्ली म्युनिसिपल काउंसिल स्मार्ट सिटी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	100.35	-176.17	-175.56
310	नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कंपनी लिमिटेड	5400.4	213.94	3.96	5754.31	165.84	2.88	5802.98	47.9	0.83
311	नॉर्थ इस्टर्न हैंडीक्राफट एंड हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-7.88	-5.41	68.65	-12.31	-4.39	35.66	-12.31	-4.39	35.66
312	नेपा लिमिटेड	-47.65	-77.79	163.25	62.15	-71.26	-114.66	101.2	-53.9	-53.26
313	एनईएसएल ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	1.02	-0.01	-0.98	1.05	0.05	4.76	1.26	0.21	16.67
314	न्यू सिटी ऑफ बॉम्बे मैन्युफैक्चरिंग मिल्स लिमिटेड	68.19	-1.33	-1.95	16.39	-1.29	-7.87	16.39	-1.29	-7.87
315	दी न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	34797.11	579.79	1.67	14000.03	1417.75	10.13	16104.87	1604.69	9.96
316	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	11569.3	1266.97	10.95	11658.86	1413.85	12.13	12697.82	1041.79	8.2
317	न्यवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	1690.75	-0.28	-0.02	3047.63	-1.28	-0.04	3245.89	-0.97	-0.03

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
318	राष्ट्रीय फिल्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	35.98	-0.06	-0.17	27.83	-8.15	-29.28	27.83	-8.15	-29.28
319	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2208.62	298.45	13.51	1918.43	-171.01	-8.91	2168.94	249.63	11.51
320	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग कंपनी लिमिटेड	1.14	0.02	1.75	1.17	0.03	2.56	1.20	0.03	2.50
321	राष्ट्रीय हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	98.6	-16.22	-16.45	87.41	-11.19	-12.8	77.78	-9.63	-12.38
322	एनएचडीसी लिमिटेड	5778.46	490.72	8.49	6327.47	919.97	14.54	5391.89	674.37	12.51
323	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	465.51	5.7	1.22	478.9	11.87	2.48	490.06	9.29	1.9
324	नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड	196.87	53.58	27.22	265.11	87.62	33.05	323.09	84.35	26.11
325	नेशनल हाईवे इंफ्रा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	8.77	-2.23	-25.43
326	एनएचपीसी लिमिटेड	24765.67	2618.14	10.57	18867.11	3007.17	15.94	27622.9	3233.37	11.71
327	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2524.48	46.09	1.83	7700.74	55.92	0.73	9721.35	22.43	0.23
328	नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक	501.38	-85.23	-17	592.14	90.76	15.33	695.69	98.23	14.12
329	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.13	0.06	-46.15
330	एसजेवीएन लिमिटेड	11031.95	1364.29	12.37	11019.61	1651.89	14.99	11693.31	1633.04	13.97

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
331	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-221.98	1.46	-0.66	-222.59	-0.62	0.28	-224.98	-2.39	1.06
332	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड	2479.97	270.74	10.92	2491.24	143.15	5.75	2785.08	238.81	8.57
333	एनएमडीसी लिमिटेड	25903.81	4641.98	17.92	27561.27	3610.12	13.1	29826.43	6252.65	20.96
334	एनएमडीसी-सीएमडीसी लिमिटेड	190.07	4.64	2.44	186.75	-3.31	-1.77	184.49	-2.8	-1.52
335	एनएमडीसी सीएसआर फाउंडेशन लिमिटेड	11.84	9.83	83.02	8.91	-2.92	-32.77	5.02	-3.9	-77.69
336	एनएमडीसी पावर लिमिटेड	0.45	0.02	4.44	0.47	0.02	4.26	0.47	0	0
337	एनएमडीसी स्टील लिमिटेड	0.02	-0.01	-50	0.01	-0.01	-100	0	-0.01	शून्य
338	राष्ट्रीय मिनोरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2459.91	50.11	2.04	2686.5	64.18	2.39	2870.68	65.66	2.29
339	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3120.59	-18.53	-0.59	4150.03	-62.56	-1.51	4626.35	-161.78	-3.5
340	पावरग्रिड एनएम ट्रांसमिशन लिमिटेड	98.35	-63.56	-64.63	83.27	-29.48	-35.4	252.87	-37.05	-14.65
341	एनपीसीआईएल इंडियन ऑयल न्यूक्लियर एनर्जी कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.29	0.06	4.65	1.35	0.06	4.44	1.41	0.06	4.26
342	एनपीसीआईएल-नाल्को पावर कंपनी लिमिटेड	0.01	-0.05	-500	0.01	-0.05	-500	0.01	-0.05	-500
343	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	38557.33	9922.25	25.73	45414.55	10811.18	23.81	51889.59	11935.78	23
344	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	4029.54	-3.21	-0.08	4570.72	85.11	1.86	5023.32	96.13	1.91

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
345	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	9.44	0.01	0.11	9.27	-0.17	-1.83	9.45	0.19	2.01
346	नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड	5550.68	1968.1	35.46	5304.38	1381.32	26.04	5596.04	3036.1	54.25
347	पॉवरग्रिड काला आम्ब ट्रांसमिशन लिमिटेड	69.96	13.08	18.7	80.26	23.37	29.12	83.73	29.48	35.21
348	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	1965.95	51.27	2.61	2032.35	60.98	3	2072.72	47.82	2.31
349	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	625.48	41.32	6.61	638.19	29.92	4.69	628.02	2.44	0.39
350	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	61.29	51.29	83.68	167.74	121.84	72.64
351	नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	898.8	18.9	2.1	917.89	99.19	10.81	966.78	101.59	10.51
352	एनएसआईसी वेंचर कैपिटल फंड लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	5.39	-0.61	-11.32
353	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	747.05	21.39	2.86	780.63	-1.41	-0.18	844.25	23.62	2.8
354	नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	966.22	28.45	2.94	1049.78	37.52	3.57	1098.81	26.35	2.4
355	नेशनल टेक्सटाइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1728.45	-314.65	-18.2	-2084.14	-346.55	16.63	-2084.14	-346.55	16.63
356	एनटीपीसी लिमिटेड	96599.51	11749.89	12.16	103741.57	10112.81	9.75	100673.99	13769.52	13.68
357	एनटीपीसी ईडीएमसी वेस्ट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.71	-0.91	128.17

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
358	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड	42.38	-0.09	-0.21	49.76	7.38	14.83	55.28	5.52	9.99
359	एनटीपीसी माइनिंग लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0.05	0	0	0.05	0	0
360	एनटीपीसी रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	291.54	-3.51	-1.2
361	एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड	350.71	65.56	18.69	367.93	17.53	4.76	442.31	92.02	20.8
362	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	30798.56	2778.75	9.02	33243.97	4392.69	13.21	42576.87	4305.13	10.11
363	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्टी फंड्स	-0.23	0.1	-43.48	-0.19	0.04	-21.05	-0.19	0.04	-21.05
364	ओडिशा इंफ्रा पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
365	ऑयल इंडिया इंटरनेशनल लिमिटेड	126.81	6.17	4.87	130.33	3.51	2.69	130.33	3.51	2.69
366	ऑयल इंडिया लिमिटेड	26245.66	2590.14	9.87	22500.3	2584.06	11.48	19894.99	1741.59	8.75
367	उड़ीसा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड	-0.08	0	0	-0.08	0	0	-0.07	0	0
368	ओम्निबस इंडस्ट्रीयल डेवलपमेंट ऑफ दमन, दीव एंड दादरा और नगर हवेली लिमिटेड	159.53	22.2	13.92	183.52	24.24	13.21	183.52	24.24	13.21
369	ओएनजीसी-मैंगलोर पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड	610.28	22.89	3.75	584.6	-1400.43	-239.55	-726.7	-455.72	62.71
370	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	202850.13	26715.79	13.17	194195.67	13444.54	6.92	204416.13	11246.44	5.5

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
371	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	19096.8	1326.78	6.95	18155.89	-7264.48	-40.01	22159.47	1826.95	8.24
372	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	-2435.07	-790.74	32.47	630.06	151.31	24.02
373	ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड	6676.81	-1419.64	-21.26	4771.78	-2089.68	-43.79	5068.09	-797.78	-15.74
374	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	2862.77	-293.66	-10.26	1388.92	-1524.1	-109.73	3033.48	-1525.44	-50.29
375	पवन हंस लिमिटेड	1048.75	-63.67	-6.07	970.54	-28.08	-2.89	981.56	-17.71	-1.8
376	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	123.12	30.36	24.66	154.95	31.83	20.54	157.54	19.07	12.1
377	पीईसी लिमिटेड	-1633.1	-499.65	30.6	-1780.12	-147.02	8.26	-1909.21	-127.57	6.68
378	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15244.93	6745.95	44.25	17880.21	5655.14	31.63	22780.17	8444.01	37.07
379	पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड	91.65	22	24	59.97	58.15	96.97	87.18	27.1	31.09
380	पावरग्रिड जबलपुर ट्रांसमिशन लिमिटेड	181.52	10.14	5.59	238.4	48.39	20.3	256.27	89.7	35
381	पंजाब लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड	186.64	-11.87	-6.36	175.79	0.95	0.54	166.65	-9.13	-5.48
382	पावरग्रिड मेरठ सिम्भावली ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	0.01	0	0	32.01	0	0
383	प्राइज पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड	128.65	5.02	3.9	111.68	-16.96	-15.19	115.3	3.59	3.11
384	पावरग्रिड सदर्न इंटरकनेक्टर ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	513.92	-1.56	-0.3	711.74	8.68	1.22	816.05	108.68	13.32
385	पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	190.34	43.1	22.64	230.96	57.55	24.92	208.96	20.5	9.81
386	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	314.96	-1.38	-0.44	671.31	-0.41	-0.06	1197.45	-0.21	-0.02
387	रेलटेल एंटरप्राइजेज लिमिटेड	15.34	1.8	11.73	18.04	2.7	14.97	20.09	2.05	10.2

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
388	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	115.03	10.28	8.94	93.93	-17.07	-18.17	81.09	-12.78	-15.76
389	राजगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.1	0.05	50
390	रामगढ़ न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.46	-0.51	110.87
391	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	2989.17	139.17	4.66	3132.24	208.16	6.65	3279.63	373.11	11.38
392	आरईसी लिमिटेड	12051.71	5703.18	47.32	10263.8	4886.16	47.61	16150.04	8361.78	51.78
393	आरईसी पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड	155.73	26.34	16.91	168.2	12.47	7.41	297.98	25.62	8.6
394	रियल एस्टेट डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन ऑफ राजस्थान लिमिटेड	3.39	0.14	4.13	3.59	0.18	5.01	3.74	0.15	4.01
395	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	146.23	41.34	28.27	166.28	35.02	21.06	179.91	24.13	13.41
396	रिचर्डसन एंड क्रूडस (1972) लिमिटेड	-249.69	21.25	-8.51	214.56	29.47	13.74	227.97	13.41	5.88
397	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	4395.77	77.67	1.77	9096.5	-3910.17	-42.99	-473.22	-789.1	166.75
398	राइट्स लिमिटेड	2383.83	442.95	18.58	2576.62	596.39	23.15	2312.23	424.35	18.35
399	रोहिणी हेलीपोर्ट लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	-0.02	-0.01	50	-0.02	-0.02	100
400	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	2.18	0.77	35.32	3.39	1.14	33.63	5.31	1.92	36.16
401	नेशनल प्रोजेक्टस कन्स्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	190.68	19.37	10.16	189.66	19.29	10.17	216.05	24.51	11.34
402	पावरग्रिड रामपुर संभल ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	-0.83	-0.88	106.02	20.64	0	0

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
403	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1282.64	109.8	8.56	1361.28	138.35	10.16	1399.64	140.41	10.03
404	रेल विकास निगम लिमिटेड	3738.78	606.59	16.22	4499.77	786.4	17.48	4965.57	940.55	18.94
405	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	35920.58	2178.82	6.07	38165.51	2021.54	5.3	42173.88	3850.02	9.13
406	सेल रेफ्रेक्ट्री कंपनी लिमिटेड	96.4	21.81	22.62	94.98	14.22	14.97	105.71	11.88	11.24
407	सेल राइट्स बंगाल वैगन इंडस्ट्रीज लिमिटेड	48	16.49	34.35	57.54	15.53	26.99	60.02	2.48	4.13
408	सांभर साल्ट्स लिमिटेड	-55.88	-10.83	19.38	-57.32	-2.59	4.52	-51.98	5.34	-10.27
409	सीकर-II अलीगढ़ ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	0.01	0	0
410	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6307.39	-121.99	-1.93	6603.36	302.35	4.58	7103.70	618.10	8.70
411	सिडकुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड	83.24	-4.68	-5.62	90.37	6.6	7.3	90.08	-0.29	-0.32
412	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	66	-5.36	-8.12	49.97	-15.73	-31.48	0.45	-48.65	-10811.1
413	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	349.89	7.09	2.03	556.78	6.67	1.2	687.99	0.88	0.13
414	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	3582.87	3611.55	100.8	3015.35	1734.92	57.54	4259	1439.95	33.81
415	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	563.95	129.4	22.95	695.72	178.94	25.72	873.58	177.71	20.34
416	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	813.33	2.41	0.3	761.65	1.65	0.22	815.79	0.81	0.1
417	सीकर न्यू ट्रांसमिशन लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	-0.54	-0.59	109.26

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
418	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	0.05	0	0	0.05	0	0	0.05	0	0
419	एसजेवीएन थर्मल प्राइवेट लिमिटेड	436.66	0.29	0.07	996.29	-0.37	-0.04	2147.43	1.14	0.05
420	शोंगटोंग करचम वांगटू ट्रांसमिशन लिमिटेड	0.01	0	0	0	-0.01	0	0	0	शून्य
421	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	4369.56	527.87	12.08	3776.4	527.59	13.97	3726.67	423.81	11.37
422	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-840.74	-881.08	104.8	-953.61	-113.63	11.92	-1001.3	-51.23	5.12
423	एसटीसीएल लिमिटेड	-4570.34	-1.94	0.04	1.03	-0.47	-45.63	-4568.58	0.77	-0.02
424	सूरत इंटीग्रेटेड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट लिमिटेड	6.88	-2.09	-30.38	7.28	0.41	5.63	7.48	0.2	2.67
425	सूति टेक ऑप्शंस लिमिटेड	-0.29	-0.01	3.45	-0.3	-0.01	3.33	-0.31	-0.01	3.23
426	तातिया आंध्र मेगा पावर लिमिटेड	0.05	0	0	0	-0.05	0	0	0	शून्य
427	टांडा ट्रांसमिशन लिमिटेड	0	-0.05	0	0	0	0	0	0	शून्य
428	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	627.09	43.9	7	585.88	44.43	7.58	611.19	52.77	8.63
429	टीसीआईएल बीना टोल रोड लिमिटेड	-21.07	-5.22	24.77	-42.11	-21.04	49.96	-40.73	1.39	-3.41
430	टीसीआईएल एलटीआर लिमिटेड	16.58	-0.06	-0.36	9.01	-7.56	-83.91	6.02	-3.00	-49.83
431	टेबमा शिपयार्ड लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	136.53	-1.36	-1
432	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड	9231.78	1251.6	13.56	9493.47	879.19	9.26	9855.57	1092.41	11.08
433	तालचेर फर्टिलाइजर लिमिटेड	33.84	-15.24	-45.04	456.79	-3.02	-0.66	1591.29	6.57	0.41

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
434	तमिलनाडु व्यापार संवर्धन संगठन	265.06	35.02	13.21	300.54	36.04	11.99	306.87	6.33	2.06
435	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	-98.91	-26.55	26.84	-100.6	-1.69	1.68	-108.38	-7.78	7.18
436	टस्को लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	9.74	-0.26	-2.67
437	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2833.93	194.24	6.85	3208.27	482.05	15.03	3557.25	470.74	13.23
438	पावर ग्रिड ऊंचाहार ट्रांसमिशन लिमिटेड	24.4	9.81	40.2	24.18	9.64	39.87	21.26	4.94	23.24
439	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	6359.3	-1877.85	-29.53	1424.24	-1485.85	-104.33	4022.06	-984.68	-24.48
440	उत्कर्ष एल्युमिनियम धातु निगम लिमिटेड	शून्य	शून्य	शून्य	36.74	-3.26	-8.87	37.01	0.26	0.7
441	उर्वरक विदेश लिमिटेड	0.08	-0.01	-12.5	0.07	-0.01	-14.29	0.06	-0.01	-16.67
442	पॉवरग्रिड वेमागिरी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	-19.4	-0.01	0.05	-19.4	-0.01	0.05	-19.41	-0.01	0.05
443	विज्ञान इंडस्ट्रीज लिमिटेड	4.23	-0.33	-7.8	-0.11	-4.7	4272.73	-6	-6.12	102
444	विशाखापत्तनम पोर्ट लॉजिस्टिक्स पार्क लिमिटेड	126.46	-5.57	-4.4	110.42	-16.05	-14.54	97.83	-12.59	-12.87
445	पावरग्रिड विजाग ट्रांसमिशन लिमिटेड	245.87	139.44	56.71	310.09	151.75	48.94	322.74	109.2	33.84
446	वैपकोस लिमिटेड	575	127.38	22.15	626.04	143.43	22.91	617.14	40.52	6.57
447	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	1124.89	269.33	23.94	381.29	-528.28	-138.55	548.88	234.29	42.69
448	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	0.04	0	0	125.04	0	0	168.06	0.01	0.01
449	यूल इलेक्ट्रिकल लिमिटेड	-0.06	0	0	-0.06	0	0	-0.07	0	0
450	यूल इंजीनियरिंग लिमिटेड	-0.02	0	0	-0.03	0	0	-0.04	-0.01	25

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19			2019-20			2020-21		
		इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)	इक्विटी	कर और अधिमानी लाभांश के बाद निवल लाभ	आरओई (% में)
451	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इंवेस्टमेंट्स लिमिटेड	12.74	1.66	13.03	10.24	-1.86	-18.16	12.76	3.15	24.69
	कुल	**11,40,186**	**1,37,109**	**12.03**	**11,25,531**	**72,943**	**6.48**	**12,31,744**	**1,52,735**	**12.40**

अनुलग्नक-XI
(पैरा 1.4.4 देखें)
2018-19 से 2020-21 के दौरान चयनित सीपीएसई का आरओआरआर

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19	2019-20	2020-21
	समग्र समेकित आरओआरआर	19.85	10.26	17.52
1.	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	0.98	-2.16	0.81
2.	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड	165.36	170.39	163.08
3.	बीईएमएल लिमिटेड	10.39	4.80	13.67
4.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	73.20	86.72	41.06
5.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	514.47	-112.68	-121.42
6.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	89.36	-112.38	-195.95
7.	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-5.62	-9.27	-15.55
8.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	342.45	120.98	811.55
9.	कोल इंडिया लिमिटेड	42.69	43.57	27.89
10.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	105.17	131.33	118.77
11.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	806.09	233.25	295.32
12.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	89.76	98.04	58.35
13.	गेल लिमिटेड	187.58	141.80	86.45
14.	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	22.96	31.95	28.35
15.	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	119.13	-18.00	90.99
16.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	-329.23	-0.95	-4.67
17.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	272.18	316.11	361.04
18.	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	8.50	-35.20	6.44
19.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	3.85	-6.80	1.05
20.	एचएमटी लिमिटेड	0.44	5.98	0.63
21.	हाउसिंग एंड, अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	15.15	20.53	17.93
22.	आईएफसीआई लिमिटेड	-27.60	-16.17	-107.71
23.	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	10.42	6.04	-5.38

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19	2019-20	2020-21
24.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	183.06	13.41	132.57
25.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	131.88	402.72	23.65
26.	इंडियन रेलवे कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	313.13	328.54	285.32
27.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	16.13	20.97	24.54
28.	आईटीआई लिमिटेड	0.84	1.05	0.07
29.	केआईओसीएल लिमिटेड	4.25	1.55	10.18
30.	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	-20.64	-31.30	0.63
31.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-227.35	-231.94	-146.05
32.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	67.67	50.60	57.41
33.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	20.96	23.77	23.39
34.	एमएमटीसी लिमिटेड	20.96	-62.48	-175.23
35.	मॉयल लिमिटेड	199.00	-1034.77	-696.03
36.	एमएसटीसी लिमिटेड	-76.84	166.69	211.76
37.	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	66.63	4.98	44.37
38.	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	15.96	-8.56	11.81
39.	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड	99.56	19.97	47.69
40.	एनएचपीसी लिमिटेड	7.33	7.93	8.06
41.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	20.84	21.77	15.10
42.	एनएमडीसी लिमिटेड	521.56	383.09	636.05
43.	एनटीपीसी लिमिटेड	42.71	35.08	45.30
44.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	263.10	126.94	99.07
45.	ऑयल इंडिया लिमिटेड	171.69	315.80	105.90
46.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	135.65	108.18	152.69
47.	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	53.52	54.51	56.01
48.	रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विस लिमिटेड	150.51	186.33	127.94
49.	रेल विकास निगम लिमिटेड	9.93	13.06	15.28
50.	रेलटेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	11.24	13.25	13.84
51.	राष्ट्रीय रसायन एंड उर्वरक लिमिटेड	6.96	2.45	2.19
52.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-1.39	-4.00	-11.70

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19	2019-20	2020-21
53.	एसजेवीएनएल लिमिटेड	11.63	13.55	12.66
54.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	15.33	13.08	24.20
55.	फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	8.19	45.86	10.58
56.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	63.96	146.37	156.60
57.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-10.82	25.10	47.67
58.	दी स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-773.26	-93.33	-39.78
59.	एग्रीनोवेटिव इंडिया लिमिटेड	2.57	2.85	1.33
60.	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2254.65	1754.03	418.55
61.	आर्टिफ़िश्यल लिंब्स मैन्युफैक्चरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया	94.22	97.70	60.16
62.	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-6.36	-6.55	-9.37
63.	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	11.56	5.6	2.46
64.	भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड	0.56	0.23	0.10
65.	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	-6.1	-4.35	7.60
66.	भारत पंप्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड	-14.86	-11.21	-32.95
67.	भारत संचार निगम लिमिटेड	-28.34	-27.58	-12.52
68.	भारत वैगन एंड इंजीनियरिंग कंपनी लिमिटेड	-1.05	-0.99	2.14
69.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड	0	0	0.00
70.	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड	0.99	27.02	27.58
71.	बीको लॉरी लिमिटेड	-35.99	-2.70	9.00
72.	जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद	0.72	3.48	2.78
73.	ब्रहमपुत्र वैली फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-2.18	-4.19	-4.20
74.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	2.54	5.99	7.08
75.	ब्रेथवेट बर्न एंड जेसोप कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड	0.14	0.72	4.05
76.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड	16.76	14.79	3.47
77.	बर्न स्टैंडर्ड कंपनी लिमिटेड	58.37	0.13	-0.04

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19	2019-20	2020-21
78.	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.24	-1.77	0.43
79.	सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-5.31	-8.53	-26.04
80.	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	0.76	1.31	9.15
81.	सेंट्रल रेलसाइड वेयरहाउस कंपनी लिमिटेड	14.76	15.15	16.94
82.	सेंट्रल रजिस्टरी ऑफ सिक्योरिटाइजेशन एसेट रिकंस्ट्रक्शन एंड सिक्योरिटी इंटरेस्ट ऑफ इंडिया	153.21	174.06	85.60
83.	चंडीगढ़ चाइल्ड एंड वुमन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.64	-0.6	-0.57
84.	चंडीगढ़ शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड क्लास एंड माइन्योरिटीज फाइनेंशल एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.45	0.42	0.40
85.	चेन्नई मेट्रो रेल लिमिटेड	-6.57	-8.86	-9.70
86.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.15	-0.44	0.52
87.	दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-3.12	-2.88	-16.04
88.	दिल्ली पुलिस हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	4.52	4.52	3.44
89.	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड	-0.71	-17.15	22.83
90.	ईसीजीसी लिमिटेड	5.16	5.79	6.92
91.	एडसिल (इंडिया) लिमिटेड	571.85	728.06	620.27
92.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	-3.29	0.09	-4.38
93.	फर्टीलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	5.21	1.56	1.43
94.	गोवा शिपयार्ड लिमिटेड	176.9	248.96	152.20
95.	गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस	0.84	-1.15	0.48
96.	हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	2487.01	2148.27	-3203.84
97.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-3.46	-14.02	-5.75
98.	हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी	2.64	6.12	7.79
99.	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड	-29.47	-27.58	-13.89
100.	हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड	0.75	0.19	3.46
101.	हिंदुस्तान फर्टिलाइजर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	2.14	0.33	0.28
102.	हिंदुस्तान इन्सैक्टिसाईड लिमिटेड	1.09	0.17	0.31

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19	2019-20	2020-21
103.	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड	0.64	-4.49	0.46
104.	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	0.87	-1.2	3.51
105.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	1.39	1.08	-0.48
106.	हिंदुस्तान स्टील वर्क्स कंस्ट्रक्शन लिमिटेड	6.00	7.24	4.56
107.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	2.37	20.63	19.83
108.	हुगली डॉक एंड पोर्ट इंजीनियर्स लिमिटेड	-1.04	-0.97	-0.92
109.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-188.08	-31.76	-52.21
110.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	1.28	0.6	3.18
111.	इंडिया इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्जीबिशन सेंटर लिमिटेड	0.52	0.28	0.02
112.	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड	-13	-19.47	-15.66
113.	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड	32.37	75.21	76.93
114.	इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड	10.74	8.83	13.48
115.	इंडिया ट्रेड प्रमोशन आर्गेनाईजेशन	38.64	42.12	-38.06
116.	इंडियन मेडिसिन्स एंड फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	5.81	0.44	10.18
117.	जे एंड के डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	3.48	3.32	1.03
118.	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	0.61	0.74	0.55
119.	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	105.59	143.58	136.88
120.	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड	-20.06	-20.68	-21.09
121.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.89	0.00	-3.86
122.	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.76	0.04	-2.40
123.	कुमारकृप्पा फ्रंटियर होटल्स प्राइवेट लिमिटेड	255.49	210.68	111.47
124.	लखनऊ सोलर पॉवर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	251.28	235.17	218.35
125.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-0.77	-1.87	-4.14
126.	महाराष्ट्र रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	44.03	-0.43	1.29
127.	मेकॉन लिमिटेड	12.34	58.01	4.96
128.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	18.51	25.99	25.18

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19	2019-20	2020-21
129.	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.22	-0.72	-0.64
130.	मुंबई रेल विकास कॉर्पोरेशन लिमिटेड	66.86	34.19	38.34
131.	नेशनल बैकवर्ड क्लासेज फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	0.88	0.75	0.90
132.	नेशनल बाइसिकल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-86.25	-83.93	-77.93
133.	नेशनल सेंटर फॉर ट्रेड इनफार्मेशन	-8.24	0.03	-0.18
134.	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड	1.36	1.76	17.78
135.	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स लिमिटेड	1.36	1.76	1.47
136.	नेशनल हैंडीकैप्ड फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	0.71	1.38	1.01
137.	नेशनल हैंडलूम डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-20.58	-13.29	-10.81
138.	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.41	0.63	0.24
139.	नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	48.16	73.70	67.07
140.	नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक	-1012.76	1009.32	1032.57
141.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-403.07	-136.39	-8.58
142.	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड	387.72	142.53	194.69
143.	नेशनल जूट मैन्युफैक्चरर्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.04	-0.01	-0.05
144.	नेशनल माइन्योरिटीज डेवलपमेंट एंड फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.49	1.65	1.53
145.	नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	1.50	-0.09	1.38
146.	नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	1.60	1.78	1.31
147.	नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब्स फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन	1.62	1.92	1.28
148.	नेशनल सीड्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	8.60	5.53	0.42
149.	नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.45	6.52	6.31
150.	नेशनल टेक्सटाईल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-1.82	-1.7	-1.77
151.	नेपा लिमिटेड	-22.62	-13.38	-6.56

क्र.सं.	सीपीएसई	2018-19	2019-20	2020-21
152.	नॉर्थ इस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1.74	2.16	0.50
153.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-49.65	-222.37	-37.40
154.	पवन हंस लिमिटेड	-9.81	-2.67	-2.41
155.	पिपावाव रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	26.42	23.76	7.10
156.	प्रोजेक्ट्स एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड	6.09	5.97	3.38
157.	रेलवे एनर्जी मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड	87.90	69.68	45.40
158.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	72.43	-112.55	-79.65
159.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	0.29	-11.07	-2.11
160.	रिचर्डसन एंड क्रूडस (1972) लिमिटेड	9.94	11.95	5.14
161.	रोहिणी हेलीकॉप्टर लिमिटेड	0.00	-158.48	-344.20
162.	सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	1.74	1.06	0.10
163.	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	6.77	6.40	4.86
164.	सेतुसमुद्रम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	0.14	0.12	0.05
165.	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	27.36	35.4	33.24
166.	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया लिमिटेड	27.69	26.23	29.45
167.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-69.72	-78.10	-69.41
168.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	48.47	1.82	0.93
169.	एफसीआई अरावली जिप्सम एंड मिनरल्स इंडिया लिमिटेड	86.57	58.99	28.14
170.	हैंडीक्राफट एंड हैडलूम एक्सपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-6.88	-16.53	-15.62
171.	तुंगभद्रा स्टील प्रोडक्ट्स लिमिटेड	1472.83	-4.48	-19.52
172.	यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	-338.44	-229.9	-21.89
173.	वैपकोस लिमिटेड	1513.57	1595.06	425.95

अनुलग्नक-XII
(पैरा 1.4.4 देखें)

सूचीबद्ध सीपीएसई के आरओआरआर के साथ ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर प्रतिफल की तुलना

क्रम. सं.	सीपीएसई	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर प्रतिफल	निवेश के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)
	58 सूचीबद्ध सीपीएसई की समग्र समेकित स्थिति	**139.12**	**43.67**
1	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	2026.01	295.32
2	एनएमडीसी लिमिटेड	1692.96	383.09
3	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड	1074.57	361.04
4*	मॉयल लिमिटेड	-97.40	-696.03
5	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	636.56	118.77
6	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड	638.84	163.08
7	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	571.20	152.69
8	एनटीपीसी लिमिटेड	336.28	45.30
9	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	440.85	156.60
10	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	568.93	285.32
11	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	273.27	44.37
12	एमएसटीसी लिमिटेड	331.21	166.69
13	जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	255.21	90.99
14	कोल इंडिया लिमिटेड	187.38	27.89
15	एनबीसीसी लिमिटेड	206.09	47.69
16	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड	179.83	28.35
17	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	194.36	47.67
18	राइट्स लिमिटेड	244.59	127.94
19	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	131.17	24.20
20	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	143.24	41.06
21	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	159.49	58.35
22	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	114.98	23.39
23	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	145.41	54.51
24	गेल इंडिया लिमिटेड	162.32	86.45
25	एनएलसी इंडिया लिमिटेड	89.69	15.10

क्रम. सं.	सीपीएसई	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर प्रतिफल	निवेश के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)
26	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	78.85	17.93
27	एसजेवीएन लिमिटेड	72.86	12.66
28	नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	68.11	11.81
29	रेल विकास निगम लिमिटेड	66.79	15.28
30	बीईएमएल लिमिटेड	65.04	13.67
31	रेलटेल कम्युनिकेशन इंडिया लिमिटेड	59.48	13.84
32	केआईओसीएल लिमिटेड	48.89	10.18
33	एनएचपीसी लिमिटेड	45.37	8.06
34	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड	31.34	6.44
35	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	39.13	24.54
36	दी फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	22.01	10.58
37	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	5.00	1.05
38	मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2.99	0.63
39	एचएमटी लिमिटेड	2.87	0.63
40	एंड्र्यू यूल एंड कंपनी लिमिटेड	2.58	0.81
41**	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	-120.21	-121.42
42	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड	2.67	2.19
43	आईटीआई लिमिटेड	0.16	0.07
44*	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड	-5.12	-4.67
45*	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-19.03	-5.38
46*	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	-37.86	-11.70
47*	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	-70.79	-15.55
48*	आईएफसीआई लिमिटेड	-204.59	-96.48
49*	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	-191.92	-39.78
50*	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	-617.63	-195.95
51*	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	-694.68	-146.05
52**	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	-568.37	57.41

क्रम. सं.	सीपीएसई	ऐतिहासिक मूल्य के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर प्रतिफल	निवेश के वर्तमान मूल्य को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार के निवेश पर वास्तविक प्रतिफल की दर (आरओआरआर)
53*	एमएमटीसी लिमिटेड	-890.36	-175.23
54	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	205.52	132.57
55	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड	1656.98	811.55
56	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	285.49	99.07
57	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड	29.84	23.04
58	ऑयल इंडिया लिमिटेड	283.47	105.90

* ऐतिहासिक मूल्य/आरओआरआर के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल वर्ष 2020-21 के दौरान ऋणात्मक आय का परिणाम है। ऐतिहासिक मूल्य और आरओआरआर के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर प्रतिफल के बीच तुलना के उद्देश्य से ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा की जाए।

** ऐतिहासिक मूल्य/आरओआरआर के आधार पर केन्द्र सरकार के निवेश पर ऋणात्मक प्रतिफल मुख्यरूप से विनिवेश के कारण निवेश के नकारात्मक होने के परिणामस्वरूप है। ऐतिहासिक मूल्य और आरओआरआर के आधार पर केंद्र सरकार के निवेश पर प्रतिफल के बीच तुलना के उद्देश्य से ऋणात्मक चिन्ह की उपेक्षा की जाए।

अनुलग्नक-XIII
(पैरा 2.5.1.1 देखें)
सीपीएसई की सूची जिन्होंने अपने वित्तीय विवरणों में संशोधन किया

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
1.	बड़ौदासन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	जीसीओसी
2.	ब्रॉडकास्ट इंजीनियरिंग कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड (2019-20)	जीसी
3.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड	जीसी
4.	लोकतक डाउनस्ट्रीम हाइड्रो इलेक्ट्रिक कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
5.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	जीसी
6.	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड	जीसीओसी

अनुलग्नक-XIV
(पैरा 2.5.1.2 देखें)
उन सीपीएसई की सूची जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों ने अपने प्रतिवेदन को संशोधित किया

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
1.	एआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
2.	एएफसी इंडिया लिमिटेड	जीसी
3.	आंध्र बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	जीसीओसी
4.	एपीआईटीसीओ लिमिटेड	जीसीओसी
5.	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
6.	बड़ौदासन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड	जीसीओसी
7.	बीईएल थेल्स सिस्टम्स लिमिटेड	जीसी
8.	बीईएमएल लिमिटेड	जीसी
9.	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	जीसी
10.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	जीसी
11.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	जीसी
12.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	जीसी
13.	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	जीसी
14.	भारत पेट्रोरिसोर्सेज लिमिटेड	जीसी
15.	ब्रह्मपुत्र वैली फ़र्टिलाइज़र कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
16.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2018-19)	जीसी
17.	कैनबैंक कंप्यूटर सर्विसेज लिमिटेड	जीसीओसी
18.	कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	जीसीओसी
19.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
20.	कोल इंडिया लिमिटेड	जीसी
21.	दुमका ट्रांसमिशन लिमिटेड	जीसी
22.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
23.	गार्डन रीच शिप बिल्डर्स लिमिटेड	जीसी
24.	ग्रीन गैस लिमिटेड	जीसीओसी
25.	हिमाचल रिन्यूएबल लिमिटेड	जीसी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
26.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	जीसी
27.	एचएमटी लिमिटेड	जीसी
28.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	जीसी
29.	एचएसआरसी इंफ्रा सर्विसेज लिमिटेड	जीसी
30.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड	जीसी
31.	आईएफआईएन क्रेडिट लिमिटेड	जीसी
32.	आईआईएफसीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	जीसी
33.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
34.	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
35.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
36.	इरकॉन शिवपुरी गुना टोलवे लिमिटेड	जीसी
37.	झारखंड सेंट्रल रेलवे लिमिटेड	जीसी
38.	खनिज बिदेश इंडिया लिमिटेड	जीसी
39.	कृष्णपट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
40.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
41.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	जीसी
42.	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड	जीसी
43.	मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
44.	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	जीसी
45.	मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म एंड फैसिलिटीज प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
46.	नबकिसान फाइनेंस लिमिटेड	जीसी
47.	नेशनल हाई पावर टेस्ट लेबोरेटरी प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
48.	नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
49.	न्यवेली उत्तर प्रदेश पावर लिमिटेड	जीसी
50.	एनएचडीसी लिमिटेड	जीसी
51.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
52.	एनआरटीयू फाउंडेशन	जीसी
53.	एनटीपीसी इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी लिमिटेड	जीसी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी)/ सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
54.	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
55.	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	जीसी
56.	पीईसी लिमिटेड	जीसी
57.	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड	जीसीओसी
58.	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
59.	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड	जीसी
60.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाईजर्स लिमिटेड	जीसी
61.	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड	जीसी
62.	सखीगोपाल इंटीग्रेटेड पावर कंपनी लिमिटेड	जीसी
63.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	जीसी
64.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
65.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
66.	उत्कर्ष धातु निगम लिमिटेड	जीसी
67.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी

अनुलग्नक-XV
(पैरा 2.5.1.3 देखें)
सीपीएसई की सूची जहां सीएजी द्वारा टिप्पणी जारी की गई थी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
1.	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
2.	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड	जीसी
3.	एलायंस एयर एविएशन लिमिटेड	जीसी
4.	बेंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
5.	भारत संचार निगम लिमिटेड	जीसी
6.	भारतीय रिजर्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
7.	ब्रेथवेट एंड कंपनी लिमिटेड	जीसी
8.	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड	जीसी
9.	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	जीसी
10.	सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड	जीसीओसी
11.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
12.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
13.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
14.	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स (इंडिया) लिमिटेड	जीसी
15.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	जीसी
16.	फैक्ट आरसीएफ बिल्डिंग प्रोडक्ट्स लिमिटेड	जीसी
17.	फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	जीसी
18.	गोवा एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड	जीसीओसी
19.	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस	जीसी
20.	ग्रीन गैस लिमिटेड	जीसीओसी
21.	हसन मैंगलोर रेल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड	जीसी
22.	हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी	जीसी
23.	हिमाचल रिन्यूएबल लिमिटेड	जीसी
24.	हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स (मैन्युफैक्चरिंग) कंपनी लिमिटेड	जीसी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
25.	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड	जीसी
26.	हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड	जीसी
27.	हिंदुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड	जीसीओसी
28.	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड	जीसी
29.	एचपीसीएल- बायोफ्युएल्स लिमिटेड	जीसी
30.	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड	जीसी
31.	आईएफसीआई लिमिटेड	जीसी
32.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
33.	आईटीआई लिमिटेड	जीसी
34.	जूट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
35.	कामराजर पोर्ट लिमिटेड	जीसीओसी
36.	कोलकाता मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
37.	कोलकाता पोर्ट एक्रीशन लिमिटेड	जीसीओसी
38.	कृष्णापट्टनम रेलवे कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
39.	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	जीसी
40.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	जीसी
41.	एमएमटीसी लिमिटेड	जीसी
42.	मॉयल लिमिटेड	जीसी
43.	नाबार्ड कंसल्टेंसी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	जीसी
44.	नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड	जीसी
45.	नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक	जीसी
46.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
47.	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड	जीसी
48.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
49.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
50.	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड	जीसी
51.	ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी
52.	पतरातू विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	जीसी
53.	पवन हंस लिमिटेड	जीसी

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)
54.	पीईसी लिमिटेड	जीसी
55.	रामागुंडम फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड	जीसीओसी
56.	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	जीसी
57.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	जीसी
58.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड	जीसीओसी
59.	एसबीआई ग्लोबल फैक्टर्स लिमिटेड	जीसीओसी
60.	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी
61.	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड	जीसी
62.	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
63.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी
64.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड	जीसी
65.	तलचर फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	जीसीओसी
66.	उड़ीसा मिनरलस डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी
67.	वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड	जीसीओसी

अनुलग्नक-XVI
(पैरा 2.6 देखें)
उन सीपीएसई का विवरण जहां सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा लेखाकरण मानकों का गैर-अनुपालन सूचित किया गया था

क्र.सं.	कंपनी का नाम	श्रेणी (सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध)	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	लेखाकरण मानक (एएस)/इंड एएस की संख्या
1.	आंध्र बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसीओसी	एएस 3 और एएस 5
2.	एपीआईटीसीओ लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसीओसी	एएस 3
3.	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 36 और इंड एएस 116
4.	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	एएस 3
5.	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 16, इंड एएस 20 और इंड एएस 36
6.	भारत संचार निगम लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 101, इंड एएस 109, इंड एएस 105, इंड एएस 36, इंड एएस 20, इंड एएस 19, इंड एएस 16, इंड एएस 115, इंड एएस 116, इंड एएस 8
7.	ब्रिटिश इंडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड (2018-19)	असूचीबद्ध	जीसी	एएस1, एएस2, एएस28, एएस21
8.	कैनबैंक फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसीओसी	एएस22
9.	फर्टीलाइजर्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस19
10.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 2, इंड एएस 37, इंड एएस 105

क्र.सं.	कंपनी का नाम	श्रेणी (सूचीबद्ध/ असूचीबद्ध)	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	लेखाकरण मानक (एएस)/इंड एएस की संख्या
11.	एचएमटी लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 2, इंड एएस 19, इंड एएस 36, इंड एएस 109
	एचएमटी लिमिटेड (समेकित वित्तीय विवरण)	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 2, इंड एएस 7, इंड एएस 8, इंड एएस 16, इंड एएस 19, इंड एएस 36, इंड एएस 37, इंड एएस 40, इंड एएस 109
12.	एचएमटी वॉचेज लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 8, इंड एएस 36, इंड एएस 109
13.	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 37 और इंड एएस 109
14.	लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 8, इंड एएस 16, इंड एएस 20, इंड एएस 36 और इंड एएस 115
15.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 16, इंड एएस 36
16.	नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक	असूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस 115
17.	एनटीपीसी भेल पावर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसीओसी	इंड एएस 36 और इंड एएस 37
18.	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसी	इंड एएस10, इंड एएस 21 और इंड एएस116
19.	तमिलनाडु टेलिकम्युनिकेशन्स लिमिटेड	सूचीबद्ध	जीसीओसी	इंड एएस 109
20.	टीसीआईएल - लखनाडोन टोल रोड लिमिटेड	असूचीबद्ध	जीसीओसी	इंड एएस 11, इंड एएस 37

अनुलग्नक-XVII
(पैरा 2.7 देखें)
उन सीपीएसई का विवरण जहां सीएजी द्वारा जारी प्रबंधन पत्रों के आधार पर महत्वपूर्ण सुधार किए गए थे

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में दर्शाई गई कमी	किया गया सुधार
1.	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड	जीसी	परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट करने के लिए, कतिपय मदों को शामिल नहीं किया गया था जिन पर नकदी प्रवाह की गणना करते समय विचार किया जाना था।	कंपनी ने आवश्यक कार्रवाई की थी और इंड एएस 7 के पैरा 18 के अनुसार अप्रत्यक्ष विधि के अनुसार दर्शाने हेतु आवश्यक सभी मदों का खुलासा किया था।
			सेवानिवृत्ति लाभों के लिए लागू की गई नीति और आवश्यक प्रावधानों का खुलासा किया जाना चाहिए।	बीमारी के लिए अवकाश के प्रावधान का खुलासा किया गया है।
2.	भाग्यनगर गैस लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने अचलायमान स्टोर्स और कलपुर्जों पर विशिष्ट लेखाकरण नीति नहीं अपनाई।	कंपनी ने महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के तहत अचलायमान स्टोर्स और पुर्जों पर विशिष्ट नीति बनाई।
3.	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड	जीसी	ग्राहक से प्रतिधारण पत्रों के आधार पर बिल को मान्यता देते हुए और बिक्री पर रोक लगाते हुए, कंपनी को ग्राहक की	कंपनी ने जारी किए गए प्रतिधारण पत्र के आधार पर बिल और धारण के आधार पर आकाश मिसाइलों की प्रतिधारण बिक्री बुक की।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में दर्शाई गई कमी	किया गया सुधार
			लेखापुस्तकों में भी संबंधित लेनदेन का लेखा-जोखा सुनिश्चित करना चाहिए।	
4.	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	जीसी	सीमा शुल्क और विनिमय दर भिन्नता दावों की प्रतिपूर्ति के लिए राजस्व मान्यता के लिए सभी इकाइयों में एक समान प्रथा का पालन नहीं करना।	कंपनी ने विनिमय दर भिन्नता दावों के लेखाकरण से संबंधित लेखाकरण नीति में संशोधन किया।
5.	भारत इम्यूनोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी	सरकारी अनुदानों से संबंधित एफडी और उस पर लिए गए ब्याज के संबंध में लेखाकरण नीति का उचित प्रकटीकरण सुनिश्चित करना।	कंपनी ने सरकारी अनुदान से संबंधित नीति में संशोधन किया और आवश्यक प्रकटीकरण किया।
6.	भारत संचार निगम लिमिटेड	जीसी	इंड एएस 7 का गैर-अनुपालन	कंपनी ने इसका अनुपालन किया।
7.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	जीसी	विदेशी मुद्रा उधारों पर विदेशी विनिमय अंतर के संबंध में निवल हानि, यदि कोई हो, को 'विनिर्माण, प्रशासन, बिक्री और वितरण व्यय' के तहत वर्गीकृत करने के बजाय 'वित्त लागत' (नोट संख्या 36) के तहत वर्गीकृत किया गया है और इस प्रकार कंपनी अधिनियम 2013 की	वित्तीय लागत के तहत खुलासा करने के लिए इंड एस 23 के तहत उधार लागत के समायोजन के रूप में माने जाने वाले विनिमय अंतर को बुक करने के लिए एक अलग खाता कोड जारी किया गया है।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में दर्शाई गई कमी	किया गया सुधार
			अनुसूची III में इंड एएस पर मार्गदर्शन नोट के पैरा 9.5.5 (सी) के अनुपालन में अन्य विदेशी विनिमय अंतरों पर सृजित निवल लाभ निकाला जाता है।	
8.	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी	प्रकट की गई महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के अनुसार ओबीआर समायोजन के लेखाकरण के लिए पांच ओपन कास्ट परियोजनाओं में संशोधित औसत स्ट्रिपिंग अनुपात पर विचार न करने के परिणामस्वरूप स्ट्रिपिंग गतिविधि को कम करके और लाभ को बढ़ाकर बताया गया।	कंपनी ने पांच ओपन कास्ट परियोजनाओं के औसत स्ट्रिपिंग अनुपात का तकनीकी मूल्यांकन किया और मानक अनुपात के संशोधन के परिणामस्वरूप, वर्ष 2020-21 के लिए कंपनी का लाभ ₹ 271.50 करोड़ कम हो गया।
9.	कॉनकॉर एयर लिमिटेड	जीसी	कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी-नोट 3 और इंड एएस-16 के पैरा 73 के तहत आवश्यक संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास की गणना के लिए उपयोग की जाने वाली मूल्यह्रास पद्धति का खुलासा नहीं किया गया था।	वर्ष 2020-21 के वित्तीय विवरणों में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यह्रास की गणना के लिए प्रयुक्त मूल्यह्रास विधि नोट संख्या 1 के खंड संख्या 5(i), (iii) में स्पष्ट की गई है।
10.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी	कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई गई कार्यप्रणाली	कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयले की गुणवत्ता में भिन्नता की गणना की

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में दर्शाई गई कमी	किया गया सुधार
			से ग्रेड स्लिपेज/लाभ निकालने के लिए अपनाई गई पद्धति में विचलन देखा गया।	एक समान पद्धति परिचालित (मार्च 2021) की थी जिसका कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया था।
11.	फ़ूड कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया	वैधानिक निगम	मूल्यह्रास की गणना के उद्देश्य से परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को गलत तरीके से अपनाना।	सुधार किया गया।
12.	हरिद्वार नेचुरल गैस प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी	कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधान के अनुसार परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन को अपनाने की सटीकता।	कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन को अपनाया।
13.	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड	जीसी	इंड-एएस 7 के प्रावधानों के उल्लंघन में निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह की रिपोर्ट करते समय कंपनी ने गैर-नकदी मदों (अर्जित ब्याज) को शामिल किया।	कंपनी ने वर्ष 2020-21 के नकदी प्रवाह विवरण में अर्जित आय को शामिल नहीं किया।
14.	एचएमटी लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने अचलायमान वस्तुसूची पर विशिष्ट लेखाकरण नीति नहीं अपनाई।	कंपनी ने महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के तहत लेखाकरण नीति बनाई।
15.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने अचलायमान वस्तुसूची पर विशिष्ट लेखाकरण नीति नहीं अपनाई है।	कंपनी ने होल्डिंग कंपनी की लेखाकरण नीति के अनुरूप

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में दर्शाई गई कमी	किया गया सुधार
				महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के तहत लेखाकरण नीति बनाई।
16.	एचपी ऑयल गैस लिमिटेड	जीसी	महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के विवरण में कुछ परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगिता अवधि का खुलासा नहीं किया गया था।	कंपनी ने सभी परिसंपत्तियों के उपयोगिता अवधि को शामिल किया।
17.	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी	आयकर प्रतिदाय की बुकिंग के लिए अपनाई गई लेखाकरण नीति का खुलासा करने की जरूरत है।	कंपनी ने इस विषय पर अपनी लेखाकरण नीति तैयार और प्रकट की है।
18.	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने अपनी स्वयं की लेखाकरण नीति का उल्लंघन करते हुए फीफो के आधार पर अपनी इन्वेंट्री का मूल्य निर्धारण किया।	इंजीनियरिंग स्टोर्स के संबंध में, कंपनी ने एनआरवी पर विचार करना शुरू कर दिया है।
19.	इरकॉन दावणगेरे हावेरी हाईवे लिमिटेड	जीसी	इंड-एएस-7 नकदी प्रवाह विवरण के पैरा 45 के तहत नकदी प्रवाह विवरण में न तो नकदी और नकदी के समकक्ष घटकों का खुलासा किया गया था और न ही इनका मिलान किया गया था।	वित्तीय वर्ष 2020-21 में नकदी प्रवाह विवरण में नकदी और नकदी के समकक्षों घटकों का खुलासा किया गया है और इनका मिलान किया गया है।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में दर्शाई गई कमी	किया गया सुधार
20.	कोंकण एलएनजी लिमिटेड	जीसी	व्यापार देयताओं को (क) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों की कुल बकाया राशि; (ख) सूक्ष्म उद्यमों और छोटे उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों की कुल बकाया राशि की बैलेंस शीट में प्रस्तुति के संबंध में एमसीए के निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।	कंपनी ने समस्या का समाधान कर दिया है।
			कर्मचारी लाभ के तहत सेवा समाप्ति लाभ, आकस्मिक परिसंपत्ति, लाभांश और स्क्रैप के मूल्य निर्धारण के लिए नीति तैयार करने और उपयुक्त रूप से प्रकट करने की आवश्यकता है।	कर्मचारी लाभ के तहत सेवा समाप्ति लाभ, आकस्मिक परिसंपत्ति, लाभांश और स्क्रैप के मूल्य निर्धारण के लिए नीति तैयार की गई है और इसका खुलासा किया गया है।
21.	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड	जीसी	वर्ष के अंत में क्षेत्रीय कार्यालयों को किए गए अग्रदाय अग्रिमों का खुलासा नहीं किया गया था। इस प्रकार, नकद और बैंक शेष के अंतर्गत प्रकट अग्रदाय खाता वास्तविक शेष को नहीं दर्शाता है।	क्षेत्रीय कार्यालयों में सभी अग्रदाय खाते वर्ष के अंत में बंद कर दिए गए थे और रिपोर्टिंग तिथि पर कोई अव्ययित राशि नहीं थी।
22.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	जीसी	लेखापरीक्षा में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों द्वारा अपनाई गई	कोल इंडिया लिमिटेड ने कोयला गुणवत्ता में अंतर की गणना की

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में दर्शाई गई कमी	किया गया सुधार
			कार्यप्रणाली से ग्रेड स्लिपेज/लाभ निकालने के लिए अपनाई गई पद्धति में विचलन देखा गया।	एक समान पद्धति परिचालित (मार्च 2021) की जिसका कंपनी द्वारा विधिवत पालन किया गया था।
23.	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	जीसी	बड़े कार्य की प्रत्येक गतिविधि की लागतों को वैज्ञानिक रूप से एकत्र करने और उनका लेखा-जोखा रखने के लिए एक पद्धति तैयार करना, ताकि स्वीकृत राजस्व इंड-एएस 115 के अनुसार निष्पादन दायित्वों के निर्वहन में कंपनी के प्रयासों से असंगत न हो।	कंपनी ने प्रबंधन पत्र में दर्शाए गए मुद्दों पर सुधारात्मक कार्रवाई की और राजस्व स्वीकरण में सुधार किया।
24.	मॉयल लिमिटेड	जीसी	वैधानिक मांगों, जुर्माने और उस पर ब्याज से जुड़े विभिन्न विवादित मामलों में घटनाक्रम की लगातार समीक्षा करने और उपयुक्त रूप से खुलासा करने की आवश्यकता है।	विवादित वैधानिक मांगें, जुर्माना और उस पर ब्याज आकस्मिक देनदारियों में शामिल किए गए।
			इंड एएस 107 के तहत निर्धारित वित्तीय साधनों से संबंधित सभी प्रकटीकरण सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता है।	कंपनी ने वित्तीय जोखिम प्रबंधन का खुलासा करके अनुपालन किया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में दर्शाई गई कमी	किया गया सुधार
25.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने एएस 15 के अधिदेशानुसार अपने कर्मचारियों की बीमारी की छुट्टी के प्रति अपने दायित्व पर पहुंचने में बीमांकिक मूल्यनिर्धारण को नहीं अपनाया।	बीमांकिक मूल्यनिर्धारण के आधार पर बीमारी की छुट्टी और छुट्टी यात्रा सब्सिडी दायित्वों का प्रावधान करने के लिए कंपनी ने अपनी लेखाकरण नीति में बदलाव किया।
26.	एनएमडीसी लिमिटेड	जीसी	कंपनी में संयुक्त उद्यम और एसोसिएट्स के संदर्भ में इंड एएस 27 के पैरा 10 के प्रावधानों के अनुसार कोई विशिष्ट लेखाकरण नीति नहीं थी।	कंपनी ने संयुक्त-उद्यम और एसोसिएट्स को भी शामिल करने के लिए अपनी लेखाकरण नीति में बदलाव किया।
27.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड	जीसीओसी	अमूर्त परिसंपत्ति को छोड़कर केवल परिसंपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर बीमा आरक्षित निधि का सृजन सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।	अमूर्त परिसंपत्ति को छोड़कर केवल संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर बीमा आरक्षित निधि सृजित की गई।
			आईसीएआई के डिवीजन II के मार्गदर्शन नोट के अनुसार सीएसआर पर व्यय के लेखाकरण पद्धति को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।	कंपनी ने आईसीएआई के डिवीजन II के मार्गदर्शन नोट के अनुसार सीएसआर व्यय का खुलासा किया।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में दर्शाई गई कमी	किया गया सुधार
28.	आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड लिमिटेड	जीसी	शेल गैस की खोज के लिए लेखाकरण नीति तैयार करने और खातों में उपयुक्त रूप से दर्शाए जाने की आवश्यकता है।	कंपनी ने शेल गैस की उपलब्धता, खोज और दोहन के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए व्यय के लेखाकरण पर परिपत्र (16 मार्च 2021) जारी किया।
			ओएनजीसी विदेश लिमिटेड के कर्मचारियों की देयता और व्यय के लेखाकरण के तरीकों और समूह प्रशासन योजना के तहत संचालित लाभ योजनाओं का खुलासा नहीं किया गया था।	दीर्घावधि कर्मचारी लाभ के लिए समूह प्रशासन योजना संशोधित की गई।
29.	ओएनजीसी मैंगलोर पेट्रोकेमिकल लिमिटेड	जीसी	इक्विटी की मान्यता इंड-एएस 32 के अनुरूप नहीं थी। कार्यकाल के अंत में सीसीडी को इक्विटी शेयरों में बदलने पर वित्तीय देयता को वित्तीय विवरणों में मान्यता नहीं दी गई थी।	कंपनी ने सीसीडी लेनदेन के लेखाकरण पद्धति के संबंध में आवश्यक सुधार किए, जैसा कि आईसीएआई की विशेषज्ञ सलाहकार समिति द्वारा इंड एएस 32 की आवश्यकताओं के अनुरूप सुझाया गया था।

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में दर्शाई गई कमी	किया गया सुधार
.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने धीमी और अचलायमान इन्वेंट्री के प्रावधान के संबंध में लेखाकरण नीति तैयार नहीं की है।	कंपनी ने अचलायमान और धीमी गति से चलने वाली इन्वेंट्री के संबंध में अपनी लेखाकरण नीति तैयार और प्रकट की।
31.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड	जीसी	कंपनी ने इस्पात मंत्रालय द्वारा 16 सितंबर 2016 से मई 2020 के बीच जारी इस्पात और इस्पात उत्पाद (गुणवत्ता नियंत्रण) आदेशों के अनुसार लेखाकरण अभ्यास पर कार्यचालन दिशानिर्देशों को संशोधित नहीं किया है।	कार्यचालन दिशानिर्देशों को संशोधित किया गया है और गुणवत्ता नियंत्रण इस्पात स्क्रैप की इन्वेंट्री को संशोधित कार्यचालन दिशानिर्देशों के अनुरूप मूल्यांकित किया गया है।
32.	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी	इंड-एएस 109 के तहत आवश्यक ऊर्जा की बिक्री के लिए मेसर्स कोंकण एलएनजी लिमिटेड से वसूल न की गई बकाया राशि के वर्गीकरण और प्रस्तुति की शुद्धता को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है।	मेसर्स कोंकण एलएनजी लिमिटेड को खातों में व्यापार प्राप्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
33.	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड	जीसीओसी	प्रबंधन शुल्क की बुकिंग/ लेखाकरण के संबंध में कोई एकरूपता और लेखाकरण नीति नहीं है।	कंपनी ने महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियों के तहत राजस्व मान्यता और ट्रस्टीशिप शुल्क पर अतिरिक्त जानकारी शामिल की है

क्र.सं.	कंपनी का नाम	सरकारी कंपनी (जीसी) / सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य कंपनी (जीसीओसी)	प्रबंधन पत्र में दर्शाई गई कमी	किया गया सुधार
34.	टेलीकम्युनिकेशन्स कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड	जीसी	इंड एएस 7 और इंड एएस 24 का गैर-अनुपालन।	कंपनी ने इसका अनुपालन किया।
35.	फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल्स त्रावणकोर लिमिटेड	जीसी	उर्वरक की गैर-बिक्री योग्य/खराब मात्रा का मूल्यनिर्धारण उर्वरक के अंतिम स्टॉक के मूल्यनिर्धारण के दौरान निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाना चाहिए।	उर्वरक की गैर बिक्री योग्य/खराब मात्रा का मूल्यनिर्धारण निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया गया।
36.	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	जीसीओसी	कंपनी ने वित्तीय विवरणों का हिस्सा बनने वाले नोट्स के तहत कंपनी अधिनियम, 1956 का संदर्भ दिया।	कंपनी ने सुधारात्मक कार्रवाई की है और कंपनी अधिनियम, 1956 के संदर्भ को हटा दिया है।

अनुलग्नक-XVIII
(पैरा 2.7 देखें)
सीपीएसई की सूची जहां सीएजी द्वारा प्रबंधन पत्र जारी किया गया

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
1.	एएआई कार्गो लॉजिस्टिक्स एंड एलाइड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड
2.	एक्यूट रेटिंग्स एंड रिसर्च लिमिटेड
3.	एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड
4.	एआई इंजीनियरिंग सर्विसेज लिमिटेड
5.	एयर इंडिया एक्सप्रेस लिमिटेड
6.	एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया
7.	आंध्र बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड
8.	आंध्र प्रदेश सोलर पावर कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड
9.	एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
10.	एपीआईटीसीओ लिमिटेड
11.	अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
12.	एएसआरईसी (इंडिया) लिमिटेड
13.	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
14.	बैंगलोर मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
15.	बैंक नोट पेपर मिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
16.	भाग्यनगर गैस लिमिटेड
17.	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
18.	भारत गैस रिसोर्सेज लिमिटेड
19.	भारत गोल्ड माइंस लिमिटेड
20.	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
21.	भारत ओमान रिफाइनरी लिमिटेड
22.	भारत पेट्रो रिसोर्सेज जेपीडीए लिमिटेड
23.	भारत पेट्रो रिसोर्सेज लिमिटेड
24.	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
25.	भारत संचार निगम लिमिटेड
26.	भारतीय रिज़र्व बैंक नोट मुद्रण प्राइवेट लिमिटेड
27.	भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड
28.	भारतीय रेल बिजली कंपनी लिमिटेड
29.	बीओआई अक्सा इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
30.	बीओआई अक्सा ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
31.	बीओआई शेयरहोल्डिंग लिमिटेड
32.	बोकारो पावर सप्लाई कंपनी (प्राइवेट) लिमिटेड
33.	ब्रिज एंड रूफ कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
34.	बुंदेलखंड सौर ऊर्जा लिमिटेड
35.	केनरा बैंक सिक्योरिटीज लिमिटेड
36.	केनरा एचएसबीसी ओबीसी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
37.	केनबैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड
38.	सेंट बैंक होम फाइनेंस लिमिटेड
39.	सेंट बैंक फाइनेंसियल सर्विसेज लिमिटेड
40.	सेंट्रल कोलफ़ील्ड्स लिमिटेड
41.	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
42.	सेंट्रल वेयरहाउसिंग कॉर्पोरेशन
43.	चंडीगढ़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड
44.	कोल इंडिया लिमिटेड
45.	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
46.	कॉनकॉर एयर लिमिटेड
47.	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
48.	कॉर्डेक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
49.	कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
50.	सीएससी ई गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड
51.	डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
52.	धोलेरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट कंपनी लिमिटेड
53.	डीएनएच पावर डिस्ट्रीब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
54.	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
55.	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
56.	ईसीजीसी लिमिटेड
57.	इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
58.	एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड
59.	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
60.	ईएसजी रिस्क असेसमेंट एंड इनसाइट्स लिमिटेड
61.	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
62.	गेल (इंडिया) लिमिटेड
63.	गेल गैस लिमिटेड
64.	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
65.	गोवा नेचुरल गैस लिमिटेड
66.	गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस
67.	ग्रीन गैस लिमिटेड
68.	हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड
69.	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
70.	हायर एजुकेशन फाइनेंसिंग एजेंसी
71.	हिमाचल रिन्यूएबल लिमिटेड
72.	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
73.	हिंदुस्तान फ्लोरोकार्बन लिमिटेड
74.	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
75.	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
76.	हिंदुस्तान साल्ट्स लिमिटेड
77.	हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड
78.	एचएमटी लिमिटेड
79.	एचएमटी मशीन टूल्स लिमिटेड
80.	होटल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
81.	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड
82.	एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड
83.	एचपीओआईएल गैस लिमिटेड
84.	आईडीबीआई कैपिटल मार्केट सर्विसेज लिमिटेड
85.	आईडीबीआई इंटेक लिमिटेड
86.	आईएफसीआई फैक्टर्स लिमिटेड
87.	आईएफसीआई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लिमिटेड
88.	आईएफसीआई लिमिटेड
89.	आईएफसीआई वेंचर कैपिटल फंड्स लिमिटेड
90.	आईएचबी प्राइवेट लिमिटेड
91.	इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक लिमिटेड
92.	इंडिया एसएमई एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड
93.	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
94.	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
95.	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
96.	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
97.	इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड
98.	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी
99.	इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड
100.	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
101.	इरकॉन पीबी टोलवे लिमिटेड
102.	आईटीआई लिमिटेड
103.	कामराजर पोर्ट लिमिटेड
104.	कांति बिजली उत्पादन निगम लिमिटेड
105.	कर्नाटक सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
106.	केआईओसीएल लिमिटेड
107.	कोच्चि मेट्रो रेल लिमिटेड
108.	कोंकण एलएनजी प्राइवेट लिमिटेड
109.	एलआईसी पेंशन फंड लिमिटेड
110.	लखनऊ सोलर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
111.	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
112.	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
113.	महाराष्ट्र एक्जीक्यूटर एंड ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
114.	महाराष्ट्र मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
115.	महाराष्ट्र नेचुरल गैस लिमिटेड
116.	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
117.	मेकॉन लिमिटेड
118.	मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड
119.	माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड
120.	एमएमटीसी लिमिटेड
121.	मॉयल लिमिटेड
122.	एमएसटीसी लिमिटेड
123.	मुंबई एविएशन फ्यूल फार्म फैसिलिटी प्राइवेट लिमिटेड
124.	मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
125.	एनएबी फाउंडेशन

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
126.	एनएबी वेंचर्स लिमिटेड
127.	नबीनगर पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड
128.	नबसमृद्धि फाइनेंस लिमिटेड
129.	नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
130.	नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
131.	नेशनल ई-गवर्नेंस सर्विसेज लिमिटेड
132.	नेशनल फाइनेंशियल होल्डिंग्स कंपनी लिमिटेड
133.	नेशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
134.	नेशनल हाइवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
135.	नेशनल इन्फार्मेटिक्स सेंटर सर्विसेज इंक
136.	नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
137.	नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ट्रस्टी लिमिटेड
138.	नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
139.	नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कारपोरेशन
140.	एनईएसएल एसेट डेटा लिमिटेड
141.	एनईएसएल ई-इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
142.	न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड
143.	एनएचडीसी लिमिटेड
144.	एनएचपीसी लिमिटेड
145.	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
146.	एनएलसी तमिलनाडु पावर लिमिटेड
147.	एनएमडीसी लिमिटेड
148.	नॉर्थ ईस्ट ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड
149.	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
150.	एनपीसीआई भारत बिल पे लिमिटेड
151.	नेशनल स्माल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड
152.	एनटीपीसी लिमिटेड
153.	एनटीपीसी तमिलनाडु एनर्जी कंपनी लिमिटेड
154.	एनटीपीसी-सेल पावर कंपनी लिमिटेड
155.	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
156.	ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
157.	ऑयल इंडिया लिमिटेड

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
158.	ओएनजीसी पेट्रो एडिशंस लिमिटेड
159.	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड
160.	ओएनजीसी विदेश रोवुमा लिमिटेड
161.	पीईसी लिमिटेड
162.	पिपावाव रेलवे कंपनी लिमिटेड
163.	पांडिचेरी अशोक होटल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
164.	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
165.	पावर सिस्टम ऑपरेशंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
166.	पावरग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
167.	पावरग्रिड वाराणसी ट्रांसमिशन सिस्टम लिमिटेड
168.	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
169.	राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स लिमिटेड
170.	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
171.	रत्नागिरी गैस एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड
172.	आरईसी लिमिटेड
173.	रिन्यूएबल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ केरल लिमिटेड
174.	रिजर्व बैंक इन्फॉर्मेशन टैक्नॉलोजी प्राइवेट लिमिटेड
175.	राइट्स लिमिटेड
176.	एसबीआई कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड
177.	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
178.	एसबीआई डीएफएचआई लिमिटेड
179.	एसबीआई फंड मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड
180.	एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
181.	एसबीआई इंफ्रा मैनेजमेंट सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड
182.	एसबीआई पेमेंट सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
183.	एसबीआई कैप वेंचर्स लिमिटेड
184.	एसबीआई-एसजी ग्लोबल सिक्योरिटीज सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
185.	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
186.	एसएचसीआईएल सर्विसेज लिमिटेड
187.	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
188.	सिडबी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड
189.	सिडबी वेंचर कैपिटल लिमिटेड

क्र.सं.	सीपीएसई का नाम
190.	सिडकुल कॉनकोर इंफ्रा कंपनी लिमिटेड
191.	एसजेवीएन लिमिटेड
192.	सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
193.	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
194.	एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड
195.	एसटीसीआई प्राइमरी डीलर लिमिटेड
196.	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
197.	स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
198.	स्टॉक होल्डिंग डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड
199.	स्टॉक होल्डिंग्स सिक्योरिटीज आईएफएससी लिमिटेड
200.	सूति टेक ऑप्शंस लिमिटेड
201.	टीसीआईएल-बीना टोल रोड लिमिटेड
202.	टेबमा शिपयार्डस लिमिटेड
203.	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
204.	द न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
205.	द स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
206.	उज्जवला प्लस फाउंडेशन
207.	यूनियन ट्रस्टी कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
208.	यूरेनियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
209.	उर्वरक विदेश लिमिटेड
210.	यूटीआई इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड
211.	वाधवन पोर्ट प्रोजेक्ट लिमिटेड
212.	वेबकॉन (कंसल्टिंग) इंडिया लिमिटेड
213.	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
214.	जेनिथ सिक्योरिटीज एंड इंवेस्टमेंट लिमिटेड

अनुलग्नक-XIX
(पैरा 3.1.4 देखें)
शामिल किए गए सीपीएसई की सूची

क्र. सं.	सीपीएसई
1	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
2	एचएमटी लिमिटेड
3	केआईओसीएल लिमिटेड
4	एनएमडीसी लिमिटेड
5	बीईएमएल लिमिटेड
6	भारत डायनेमिक्स लिमिटेड
7	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड
8	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड
9	हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड
10	मिश्र धातु निगम लिमिटेड
11	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
12	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
13	इंडियन रेलवेज केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड
14	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
15	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
16	रेल विकास निगम लिमिटेड
17	राइट्स लिमिटेड
18	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
19	फर्टीलाइजर्स एंड केमिकल त्रावणकोर लिमिटेड
20	मद्रास फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
21	नेशनल फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
22	राष्ट्रीय केमिकल एडं फर्टीलाइजर्स लिमिटेड
23	भारत इम्यूनोलॉजिकल्स एंड बायोलॉजिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
24	कोल इंडिया लिमिटेड
25	ऑयल इंडिया लिमिटेड
26	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
27	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
28	गेल (इंडिया) लिमिटेड
29	इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई
30	मॉयल लिमिटेड
31	एनएचपीसी लिमिटेड
32	एनटीपीसी लिमिटेड
33	पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
34	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
35	आरईसी लिमिटेड
36	एसजेवीएन लिमिटेड
37	आईएफसीआई लिमिटेड
38	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
39	एमएमटीसी लिमिटेड
40	पीएनबी गिल्ट्स लिमिटेड
41	एसबीआई कार्ड्स एंड पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड
42	स्टेट ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
43	आईटीआई लिमिटेड
44	महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड
45	हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड
46	एनबीसीसी (इंडिया) लिमिटेड
47	हेमिस्फेयर प्रॉपर्टीज इंडिया लिमिटेड
48	एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड
49	बामर लॉरी एंड कंपनी लिमिटेड
50	बामर लॉरी इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड
51	हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड
52	एमएसटीसी लिमिटेड
53	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
54	हिंदुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड
55	शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
56	जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
57	न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
58	बिसरा स्टोन लाइम कंपनी लिमिटेड*
59	द ओडिशा मिनरल्स डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड
60	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड
61	चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड

क्र. सं.	सीपीएसई
62	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड
63	इंडबैंक हाउसिंग लिमिटेड
64	इंडबैंक मर्चेंट बैंकिंग सर्विसेज लिमिटेड
65	मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड
66	एनएलसी इंडिया लिमिटेड
67	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
68	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
69	आयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
70	एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड
71	तमिलनाडु टेलीकम्युनिकेशन्स लिमिटेड
72	ईस्टर्न इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड*

* कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध और शीर्ष 2,000 सूचीबद्ध सीपीएसई में नहीं है।

अनुलग्नक-XX
(संदर्भ पैरा 4.4)
विधि-वार अनुमानित की तुलना में वास्तविक विनिवेश

विनिवेश की विधि	संशोधित अनुमान चरण (अक्टूबर 2020) पर नियोजित सीपीएसई का नाम	वास्तव में विनिवेशित सीपीएसई का नाम
सार्वजनिक वितरण का प्रारंभिक प्रस्ताव/ सार्वजनिक वितरण का अनुवर्तन	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड
	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड	इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड	रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
	वाप्कोस लिमिटेड	
	केआईओसीएल लिमिटेड	
विक्रय हेतु प्रस्ताव	भारत डायनामिक्स लिमिटेड	भारत डायनामिक्स लिमिटेड
	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड	हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड
	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन	इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन
	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड
	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड	टाटा कम्युनिकेशन्स लिमिटेड
	गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजिनीयर्स लिमिटेड	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
	इंडियन पेट्रोकेमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	रेल विकास निगम लिमिटेड
	राष्ट्रीय केमिकल्स एंड फ़र्टिलाइजर्स लिमिटेड	-
	नेशनल फ़र्टिलाइजर्स लिमिटेड	-
	एनएमडीसी लिमिटेड	-
	मिश्र धातु निगम लिमिटेड	
शेयरों की पुनर्खरीद	आरआईटीईएस लिमिटेड	आरआईटीईएस लिमिटेड
	केआईओसीएल लिमिटेड	केआईओसीएल लिमिटेड

विनिवेश की विधि	संशोधित अनुमान चरण (अक्टूबर 2020) पर नियोजित सीपीएसई का नाम	वास्तव में विनिवेशित सीपीएसई का नाम
	एनटीपीसी लिमिटेड	एनटीपीसी लिमिटेड
	एनएमडीसी लिमिटेड	एनएमडीसी लिमिटेड
	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड	इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड
	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड	नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड
	गेल (इंडिया) लिमिटेड	गेल (इंडिया) लिमिटेड
	कोल इंडिया लिमिटेड	-
रणनीतिक विनिवेश	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	कोई लेन-देन नहीं किया गया
	इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड	
	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड का नयागाँव यूनिट	
	एसजेवीएन लिमिटेड (यदि सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्रदान किया जाता है)	
	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड	
	स्टील अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया लिमिटेड के दो संयंत्र	

अनुलग्नक-XXI
(जैसा कि पैरा 4.7 में संदर्भित है)
शेयरों की पुनर्खरीद हेतु मानदंडों को पूरा करने वाले सीपीएसई की सूची

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ			निवल मूल्य			नकद शेष
		2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20
1	एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया	2801.64	2271.44	1985.09	14926.62	14476.34	15471.91	1284.13
2	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड	-1391.22	288.77	918.68	-428.82	-5.2	4297.66	1457.61
3	भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड	1399.29	1927.29	1793.83	7761.01	9018.91	9852.94	1557.7
4	भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड	806.6	1208.65	-1472.97	32623.13	31431.8	29181.21	6418.56
5	भारत संचार निगम लिमिटेड	-7992.85	-14904.2	-15499.5	89672.42	74734.34	59142.65	2372.19
6	कोल इंडिया लिमिटेड	9293.42	10469.67	11280.88	12694.71	13997.39	16813.3	1071.48
7	कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड	396.75	481.18	637.69	3257.21	3332.08	3731.8	2175.92
8	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	1044.46	1215.41	375.78	9373.71	10367.87	10064.74	2168.59
9	ई. सी. जी. सी. लिमिटेड	67.92	244.38	323.84	4057.48	4797.13	5116.86	1100.83
10	इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड	-1526.47	102.43	50.92	4593.5	4688.56	10305.78	9414.48
11	इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलप्मेंट एजेंसी लिमिटेड	370.44	249.91	214.55	2514.47	2433.34	2019.76	1575.71
12	इरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड	387.9	444.68	489.78	3742.68	3949.86	4165.3	2500.88
13	कोंकण रेलवे कॉर्पोरेशन लिमिटेड	122.73	101.87	5.96	1813.03	2056.34	2261.68	1503.83

क्रम. सं.	सीपीएसई का नाम	निवल लाभ			निवल मूल्य			नकद शेष
		2017-18	2018-19	2019-20	2017-18	2018-19	2019-20	2019-20
14	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	4761.29	6039.54	6427.39	2914.17	3873.17	3923.11	12372.65
15	मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड	439.93	517.28	415.02	2461.72	2792.22	2590.93	5798.28
16	मॉयल लिमिटेड	421.99	473.89	248.22	2799.2	3082.71	2763.39	1828.16
17	एनएचडीसी लिमिटेड	553.18	490.72	919.97	5954.27	5789.84	5562.79	1279.02
18	नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2685.24	4111.28	4971.43	3388.3	4185.61	4441.12	3445.46
19	न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	3613.27	2818.85	4458.92	34008.5	36139.31	40666.29	1531.76
20	ऑयल इंडिया लिमिटेड	2667.93	2590.14	2584.06	22745.31	22967.31	23127.7	3576.93
21	ओएनजीसी विदेश लिमिटेड	979.62	1679.67	435.19	34617.76	36141.94	36335.24	4079.03
22	पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड	8244.65	9938.55	10811.18	54324.12	58940.45	64412.35	5394.5
23	आरईसी लिमिटेड	4419.89	5763.72	4886.16	32117.05	34173.24	35401.13	3699.99
24	सिक्यूरिटी प्रिंटिंग एंड मिंटिंग कार्पोरेशन इंडिया लिमिटेड	619.71	513.38	527.6	4052.3	4369.56	4309.59	2037.6
25	एसजेवीएन लिमिटेड	1224.88	1364.29	1651.89	10706.65	11238.78	11759.31	2211.62
26	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2370.25	3611.55	1734.92	3071.47	3618.98	3131.96	4005.99

अनुलग्नक-XXII
(जैसा कि पैरा 4.8 में संदर्भित है)
रणनीतिक विनिवेश की स्थिति

नीतिबद्ध विनिवेश की परिस्थिति	सीपीएसई का नाम
चल रहे लेन-देन जिनको दीपम द्वारा संसाधित किया जा रहा है	नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड (चार सीपीएसई और दो राज्य पीएसई का संयुक्त उद्यम)
	पवन हंस लिमिटेड
	बीईएमएल लिमिटेड
	दी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
	भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड को छोड़कर)
	प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट इंडिया लिमिटेड
	सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (सीईएल)
	एचएलएल लाइफकेयर लिमिटेड
	इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट (इंडिया) लिमिटेड,
	ब्रिज एंड रूफ कंपनी इंडिया लिमिटेड
	फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड (एमएसटीसी लिमिटेड की सहायक कंपनी)
	एनएमडीसी लिमिटेड का नगरनार स्टील संयंत्र
	एलॉय स्टील संयंत्र, दुर्गापुर (इस समय लेन-देन रुका हुआ है), सेलम स्टील संयंत्र; भद्रावती स्टील संयंत्र, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाइयां
	इंडियन मेडिसिन्स फार्मास्युटिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
	राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड
	आईडीबीआई बैंक लिमिटेड
लेन-देन जिनको संबंधित प्रशासनिक मंत्रालयों द्वारा संसाधित किया जा रहा है	हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड,
	बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
	इंडिया टूरिज्म डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड की विभिन्न इकाइयां
लेन-देन जिनको मुकदमेबाजी के कारण रोका गया	हिंदुस्तान न्यूज़प्रिंट लिमिटेड (हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड की अनुषंगी इकाई)

नीतिबद्ध विनिवेश की परिस्थिति	सीपीएसई का नाम
	कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड
लेन-देन जिनको सीपीएसई को बंद करने की सिफारिश / अनुमोदन के मद्देनजर; या किसी अन्य कारण से रोक दिया गया	हिंदुस्तान फ़्लोरोकार्बन्स लिमिटेड (हिंदुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड की अनुषंगी इकाई)*
	स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड*
	भारत पम्प्स एंड कंप्रेशर्स लिमिटेड*
	हिंदुस्तान प्रीफैब लिमिटेड
	सीमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की इकाइयां (लेन-देन संभव नहीं है और इकाइयां राज्य सरकारों को वापस की जा रही हैं)।
लेन-देन पूर्ण हुआ	हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	रूरल इलेक्ट्रिफ़ीकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	एचएससीसी (इंडिया) लिमिटेड
	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	ड्रेजिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड
	टीएचडीसी इंडिया लिमिटेड
	नार्थ-ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड
	कामराजर पोर्ट लिमिटेड
	एयर इंडिया लिमिटेड (लेन-देन 2021-22 में पूरा हुआ)

* तत्पश्चात् सरकार ने इन केन्द्रीय सरकारी उद्यमों को बंद करने की स्वीकृति दी।

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in